आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20
भारत 2023 INDIA

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी | भारत के व्यापार एवं उद्योग जगत में वैश्विक कंपनी के रूप में निर्माण

60 वीं

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

एमएमटीसी लिमिटेड
पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय
(सीआईएनः L51909DL1963GOI004033)
कोर–1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003

निदेशक मंडल

सीएमडी और फंक्शनल निदेशक

श्री विभु नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (31.8.2022 तक)
श्री हरदीप सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (27.10.2022 से)
श्री जे.रवि शंकर, निदेशक (विपणन) (03.07.2023 तक)
श्री राजीव रंजन सिन्हा, निदेशक (कार्मिक)
श्री कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त)

सरकारी नामित निदेशक
श्री शशाांक प्रिय, एसएस एंड एफए (10.01.2023 तक)
श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, डीओसी
श्रीमती आरती भटनागर, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, एमओसीएंडआई (13.03.2023 से)

गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा
सुश्री एस.मीनाक्षी (09.06.2023 से)
श्री श्रीनिवास राव मद्दी (10.06.2023 से)
श्री नाबरून नायक (03.08.2023 से)

कंपनी सचिव
श्री अजय कुमार मिश्रा

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
एफ–65, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1
नई दिल्ली–110020
दूरभाषः 011–41406150,
ई–मेलःadmin@mcsregistrars.com

बैंकर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कंसोर्टियम लीडर)

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एमएल पुरी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
407, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंबा रोड
नई दिल्ली110 001

सचिवीय लेखा परीक्षक
मै.पारूल जैन वीएपी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
105, चार्मस सोलिटेयर अहिंसा खंड
2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद–201010
मोबाईल 991001070
लैंडलाईन 0120–4272409
ईमेल : vapassociatespcs@gmail.com
caparul09@gmail.com

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

कारपोरेट मिशन / कारपोरेट उदेश्य 01

अध्यक्ष का वक्तव्य 02

निदेशकों की रिपोर्ट 03–12

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 13–14

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट 15–17

एमएमटीसी में कारपोरेट गवरनेंस 18–29

सचीवीय लेखापरीक्षको की रिपोर्ट तथा प्रबंधन का उत्तर 30–36

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए व्यवसायिक दायित्व एवं सतत रिपोर्टिंग 37–71

भारत के सीएंडएजी की टिप्पणियां 72–83

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन का उत्तर 84–101

एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण 102–157

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के वित्तीय विवरण 158–182

समेकित वित्तीय विवरण 183–255

लेखा परीक्षक 256

एमएमटीसी कार्यालय 257

कॉरपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी एवं एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी का लक्ष्य है कि अपने शेयरहोल्डरों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों और समाज की संपूर्ण संतुष्टि के साथ साथ अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता और अधिकतम लाभ अर्जन करने, सतत एवं व्यवहार्य वृद्धि दर प्राप्त करते हुए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाए।

कंपनी के उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार(बल्क) के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित कर नियोजित पूंजी से मिलने वाले रिटर्न में सुधार करना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातु जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को प्रोफेशलिज्म और दक्षता के साथ उच्च गुववत्ता की सेवाएं उपलब्ध कराना
- मध्यम एवं लघु स्तर के उद्योगों को सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- व्यवसाय से संबंधित आधारभूत संरचना का विकास करना

अध्यक्ष का वक्तव्य

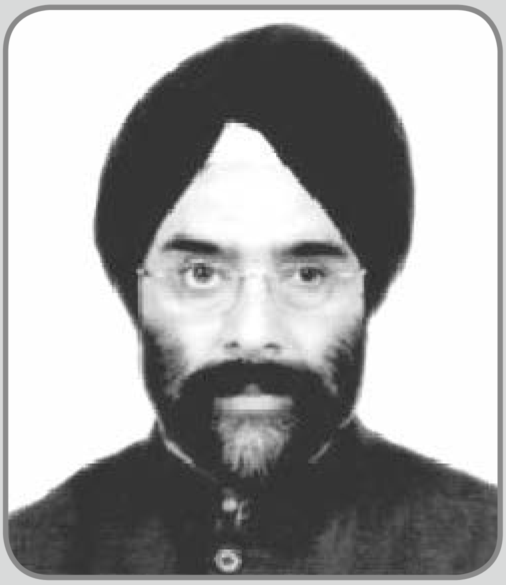

प्रिय शेयरधारकगण,

सभी को नमस्कार,

मैं, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की 60वीं वार्षिक आम बैठक में बोर्ड के सदस्यों की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी की यह वार्षिक आम बैठक वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखों वाली वार्षिक सामान्य रिपोर्ट की एक प्रति, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सीएंडएजी की टिप्पणियां, प्रबंधन के जवाब और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण के साथ निदेशकों की रिपोर्ट पहले ही भेजी जा चुकी है और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें 'पढ़ा हुआ' मानता हूं।

निर्देशों के अनुपालन में कंपनी अपनी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चला रही है। वर्ष 2022–23 में आपकी कंपनी का कुल कारोबार 271.77 करोड़ रुपये का तथा लाभ 1076.07 करोड़ रुपये का रहा। इस लाभ का श्रेय भारत सरकार के दीपम के तत्वावधान में मेसर्स एनआईएनएल लिमिटेड के विनिवेश को दिया जाता है।

मैं बोर्ड के हमारे सम्मानित सदस्यों को उनके मार्गदर्शन के लिए, हमारे सम्मानित शेयरधारकों को कंपनी में उनके समर्थन और विश्वास के लिए, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को हमारे सभी प्रयासों में उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं हमारे कर्मचारियों को उनकी भागीदारी और दृढ़ता के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

हरदीप सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण
एमएमटीसी लिमिटेड
नई दिल्ली

देवियों और सज्जनों

निदेशक मंडल की ओर से, मैं 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन पर 60वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा–परीक्षित विवरण और वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

परिचालन परिणाम

आपकी कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान दर्ज 7840.78 करोड़ रुपये के मुकाबले 2022–23 के दौरान 271.77 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है। इस व्यवसायिक कारोबार में मुख्य रूप से 271.77 करोड़. रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। कंपनी ने 2022–23 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 237.77 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे की तुलना में 1076.07 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। राजस्व में कमी मुख्य रूप से प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कंपनी के व्यवसाय संचालन को बंद करने के कारण हुई है।

2022–23 के दौरान कंपनी का निष्पादन नीचे दिया गया हैः –

	(करोड़ रू. में) 2022-23	(करोड़ रू. में) 2021-22
उत्पादों की बिक्री	**267.09**	7,836.28
सेवाओं की बिक्री	**4.68**	4.50
अन्य व्यापार अर्जन'	**0.78**	552.51
प्रचालन से प्राप्त कुल राजस्व	**272.55**	8,393.29
बिक्री लागत	**258.30**	7,799.79
प्रचालन से प्राप्त सकल लाभ	**14.25**	593.50
जोड़ें : लाभांश एवं अन्य आय	**15.75**	50.14
घटाएं : स्थापना एवं प्रशासनिक उपरिव्यय आदि	**135.15**	160.56
घटाएं : ऋण / दावे बट्टे खाते में डाले गए	**0.03**	0.02
घटाएं : संदिग्ध ऋणों / दावों / अग्रिमों / निवेशों के लिए प्रावधान	**1.72**	1.05
ब्याज, मूल्यह्रास, परिशोधन खर्च एवं करों से पूर्व लाभ	**(106.90)**	482.01
घटाएंः प्रदत्त ब्याज (निवल) (भुगतान किया गया ब्याज घटा अर्जित ब्याज)	**26.76**	201.64
मूल्यह्रास, परिशोधन खर्च व करों से पूर्व लाभ	**(133.66)**	280.37
घटाएं : मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	**4.44**	4.57
घटाएं : असाधारण मदें	**(1417.26)**	155.20
कर– पूर्व लाभ	**1279.16**	120.60
घटाएं : वर्तमान करों के लिए प्रावधान	**143.11**	17.34
घटाएं : आस्थगित करों के लिए प्रावधान	**59.98**	341.03
कर पश्चात लाभ	**1076.07**	(237.77)
जोड़ें : पूर्व वर्ष से आगे लाया गया शेष	**(546.63)**	(308.86)
शेष		
अन्य व्यापक आय की मदें जिन्हें रिटेंड आय में सीधे तौर पर ले लिया गया	**-**	-
रिटेंड अर्जन में सीधे तौर पर भाामिल की गई मदें	**-**	-
लाभांश एवं लाभांश कर		
<u>विनियोग</u>		
सामान्य रिजर्व	**-**	-
आगे ले जाने के लिए छोड़ा गया शेष	**529.44**	(546.63)

आपकी कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक समूहों का निष्पादन प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में उजागर किया गया है, जो संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है। प्रबंधन के उत्तरों और खातों के नोट्स के साथ ऑडिटर/सीएजी रिपोर्ट में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, जैसेः– ऋण पुनर्गठन, एंग्लो कोल विवाद, एनआईएनएल का विनिवेश, आदि, शामिल है।

इक्विटी शेयर पूंजी और लाभांश

वर्ष के दौरान कंपनी की इक्विटी पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 31.3.2023 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी 150 करोड़ रुपये थी, जिसमें प्रत्येक 1 रुपये अंकित मूल्य के 150 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे। निदेशक मंडल ने वर्तमान तरलता संकट, बैंक की सीमा समाप्त होने और दैनिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने में कठिनाइयों और 2020–21 और 2021–22.के दौरान कंपनी के शुद्ध घाटे को देखते हुए वर्ष 2022–23 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

रिजर्व

1 अप्रैल, 2022 को आपकी कंपनी के रिजर्व और सरप्लस में 50.34 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी। 31 मार्च, 2023 तक आपकी कंपनी के "रिजर्व और सरप्लस" में 1126.41 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

2022–23 के दौरान आपकी कंपनी की विदेशी मुद्रा आय और आउटगो इस प्रकार रहीः–

	अर्जन (करोड़ रू. में)		आउटगो (करोड़ रू. में)
निर्यात	3.76	आयात	61.15
अन्य	0.21	अन्य	-
कुल	3.97	**कुल**	61.15

पुरस्कार

एमएमटीसी को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्ष 2017–18 से 2021–22 (पांच वर्ष) के लिए निर्यात में उत्कृष्टता के लिए कैपेक्सिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया हैः

वर्ष	पैनल/सेक्टर	पुरस्कार
2017-18	बल्क मिनरल्स एंड ओर/सरणीकृत एजेंसी	सबसे बड़ा पुरस्कार
2018-19	बल्क मिनरल्स एंड ओर/सरणीकृत एजेंसी	सबसे बड़ा पुरस्कार
2019-20	बल्क मिनरल्स एंड ओर/सरणीकृत एजेंसी	सबसे बड़ा पुरस्कार
2020-21	बल्क मिनरल्स एंड ओर/सरणीकृत एजेंसी	सबसे बड़ा पुरस्कार
2021-22	बल्क मिनरल्स एंड ओर/सरणीकृत एजेंसी	सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट

सहायक कंपनी

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एमटीपीएल ने 405.15 मिलियन अमरीकी डालर का बिक्री कारोबार हासिल किया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह 456.58 मिलियन अमरीकी डालर दर्ज किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एमटीपीएल का शुद्ध लाभ 0.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2021–22 के दौरान अर्जित 0.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 31 मार्च 2023 को एमटीपीएल की कुल संपत्ति 5.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। स्थापना के बाद से एमटीपीएल द्वारा घोषित कुल लाभांश 27.945 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एमटीपीएल से प्राप्त 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभांश शामिल है।

हाल ही में एमटीपीएल सिंगापुर द्वारा जुलाई, 2023 में लगभग 23 मिलियन सिंगापुर डॉलर की चूक/डिफॉल्ट के मामलों की रिपोर्टें आई हैं। लेखा परीक्षकों/सीएजी/एमओसी/बीएसई/एनएसई को सूचित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ एमटीपीएल के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

एमएमटीसी का संयुक्त उद्यम – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

दीपम के तत्वावधान में संयुक्त उद्यम कंपनी एनआईएनएल की विनिवेश प्रक्रिया 04.07.2022 को पूरी हो गई। इस प्रक्रिया में, एमएमटीसी ने 4 जुलाई 2022 को इक्विटी के रूप में प्रमोटरों को बिक्री अर्जन के वितरण के माध्यम से 1872.35 करोड़ रुपये (विदहोल्डिंग टैक्स निकालकर) की राशि वसूल की। कुल विनिवेश आय में एमएमटीसी की हिस्सेदारी 5335 करोड़ रुपये है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड अब एनआईएनएल का मालिक है।

अन्य परियोजनाएँ / संयुक्त उद्यम

पिछले वर्षों में स्थापित ऐसे संयुक्त उद्यमों की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है:

(I) आपकी कंपनी के पास 31.3.2023 तक अभी इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) में 6% इक्विटी पूंजी है। सेबी परिपत्र संदर्भ संख्या सीआईआर / सीडीएमआरडी / डीईए / 03 / 2015 दिनांक 26 नवंबर 2015 के संदर्भ में एसईसीसी विनियम, 2018 के विनियमन, 17 के अनुसार होल्डिंग को 5% या उससे कम करना होगा। एमएमटीसी ने 2018 और 2019 में आईसीईएक्स में इक्विटी के मूल्यांकन और विनिवेश के लिए सलाहकार नियुक्त किए। हालाँकि, एमएमटीसी को आईसीईएक्स में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए आरएफपी के खिलाफ कोई बोली नहीं मिली। 31 मार्च, 2023 तक, आईसीईएक्स के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद के लिए उपलब्ध नहीं थे। एमएमटीसी ने वित्त वर्ष 2017–18 और फिर वित्त वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी बेचने की कोशिश की, लेकिन एमएमटीसी को कोई खरीदार नहीं मिला। सेबी ने 18.05.2022 को भारत के आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से आईसीईएक्स की मान्यता वापस लेने के लिए दिनांक 10.05.2022 को आदेश पारित किया। हालाँकि, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ने अपने आदेश दिनांक 13 जून 2022 द्वारा आईसीईएक्स की मान्यता रद्द करने वाले सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है और सेबी की संतुष्टि के लिए पूर्ण अनुपालन पूरा करने के लिए आईसीईएक्स को 13.6.2022 से एक वर्ष का समय दिया है, इस अवधि के दौरान सभी व्यापारिक गतिविधियाँ निलंबित रहेंगी। . फरवरी 2023 में आईसीईएक्स बोर्ड ने नियामक (सेबी) को एक्सचेंज के लाइसेंस / मान्यता के स्वैच्छिक सरेंडर और कमोडिटी डेरिवेटिव व्यवसाय को बंद करने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा, आईसीईएक्स बोर्ड ने उचित समय पर व्यवसाय की नई शृंखला पर विचार करने का निर्णय लिया।

(ii) आपकी कंपनी ने "यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड" के नाम और स्टाईल के तहत करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंज की इक्विटी में भाग लिया था, जिसे "बीएसई लिमिटेड" (बीएसई) के साथ विलय कर दिया गया था, जिसमें आपकी कंपनी के पास वर्तमान में बीएसई में प्रत्येक 2 / – रुपये के इक्विटी शेयर 116883 (बोनस इश्यू के बाद) हैं। वर्ष के दौरान बीएसई ने 2022–23 के दौरान वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अर्जित 195.12 करोड़ रुपये की तुलना में 166.91 करोड़ रुपये का पीएटी अर्जित किया और 2 / – रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर 12 / – रुपये का लाभांश दिया।

(iii) एमएमटीसी–पीएएमपी इंडिया प्रा. लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड और पीएएमपी एसए, स्विट्जरलैंड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो कीमती धातु प्रसंस्करण सुविधा का परिचालन करती है। एमआईपीआईपीएल भारत की पहली और एकमात्र एलबीएमए गुड डिलीवरी रिफाइनरी है जो सोने और चांदी के लिए मान्यता प्राप्त है। संयुक्त उद्यम ने वित्त वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान 31,503.75 करोड़ रुपये का कारोबार और 118. 61 करोड़ रुपये का लाभ (कर के बाद) हासिल किया। जेवी कंपनी ने 2022–23 के लिए प्रति शेयर 2 रुपये का लाभांश घोषित किया है।

(iv) संयुक्त उद्यम कंपनी – सिकाल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड(एसएलएल), एमएमटीसी लिमिटेड और एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड(एलएंडटी आईडीपीएल) ने 25.02.2009 को एक शेयर खरीद समझौता किया और 12 एमएमटीपीए की लौह अयस्क क्षमता वाला चेन्नई के पास कामराजार बंदरगाह (जिसे पहले एन्नोर बंदरगाह के रूप में जाना जाता था) पर लौह अयस्क बर्थ के विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन कंपनी एसआइसीएल आयरन अयस्क टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल)बनाने के लिए क्रमशः 63%, 26% और 11% इक्विटी ली।

कर्नाटक राज्य में बेल्लारी–होस्पेट सेक्टर से लौह अयस्क की अनुपलब्धता और राज्य सरकार द्वारा निर्यात के लिए लौह अयस्क के खनन / संचलन पर प्रतिबंध के कारण मेसर्स एसआईसीएल आयरन अयस्क टर्मिनल्स लिमिटेड (एसआईओटीएल) वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं कर सका। लौह अयस्क निर्यात के अनिश्चित भविष्य को देखते हुए और बनाए गए बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए, कामराजार पोर्ट ट्रस्ट (तत्कालीन एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट) ने आम उपयोगकर्ता कोयले को हैंडल करने की सुविधा में बदलाव के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया। चूंकि कोयले का एमएमटीसी के मौजूदा कारोबार के साथ तालमेल नहीं है, सितंबर 2016 में, एमएमटीसी बोर्ड ने जेवी से बाहर निकलने का फैसला किया। एमएमटीसी ने एसआईओटीएल में अपनी संपूर्ण 26% इक्विटी की बिक्री के लिए ऑनलाइन निविदा के माध्यम से बोलियां आमंत्रित कीं, हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस बीच, एसआईओटीएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के शेयरधारक समझौते में "पहले इनकार के अधिकार" के अनुसार; (एसआईओटीएल के प्रमुख प्रवर्तक) एसआईओटीएल ने एमएमटीसी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य पर की इक्विटी खरीदने की पेशकश की, जिसे एमएमटीसी बोर्ड ने स्वीकार करने का निर्णय लिया। एसआईओटीएल में एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए 31.05.2018 को एसआईसीएएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और समझौते के अनुसार मेसर्स एसआईसीएएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने निष्पादन समझौते के लिए एमएमटीसी के पास 0.50 करोड़ रुपये (पि.वर्ष 0.50 करोड़ रुपये) जमा किए थे। समय–समय पर एसपीए की वैधता बढ़ाई गई। इसका अंतिम विस्तार 31.03.2020 तक वैध था। वित्तीय संकट के कारण, मेसर्स सिकाल लॉजिस्टिक्स एसपीए के लिए बिक्री मूल्य का भुगतान नहीं कर सका और इसलिए निवेश के मूल्य में कमी के लिए एमएमटीसी द्वारा 31.03.2020 को 33.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

मार्च 2021 में, एनसीएलटी ने एमओएल टोयोफुजी ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने वाली मेसर्स सिकाल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के खिलाफ एक आदेश सुनाया और एक दिवालियापन समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया गया। एमएमटीसी ने एसपीए के आधार पर अप्रदत्त शेयर बिक्री अर्जन के लिए सीआईआरपी (कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) के समक्ष 34.26 करोड़ रुपये का दावा दायर किया।

इस बीच, 21.12.2020 को, केपीएल ने लाइसेंस समझौते दिनांक 11.07.2016 के तहत वित्तीय चूक का आरोप लगाते हुए एसआईओटीएल को बंद करने के इरादे का नोटिस जारी किया। 22.03.2021 को, केपीएल ने एसआईओटीएल को 22.03.2021 से 90 दिनों का टर्मिनेशन नोटिस जारी किया। उसी तिथि को, केपीएल ने एक ट्रांसफर सूचना नोटिस भी जारी किया है जिसमें जेवी कंपनी से 30 दिनों के भीतर यानी 20.04.2021 तक जानकारी मांगी गई है। अधिवक्ताओं के सुझाव के अनुसार, एमएमटीसी ने विवाद के समाधान के प्रशासनिक तंत्र (एएमआरडी) के माध्यम से विवाद के निपटारे के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में 24 / 06.2021 को एक रिट याचिका दायर की।

तथापि, माननीय एमएचसी ने (वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र) एएमआरसीडी का जिक्र करते हुए कहा है कि "कानून की ऐसी स्थिति होने के कारण, इस अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध उपाय कहीं और है, न कि यह अदालत"। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.11.2021 द्वारा माना कि "एमएमटीसी द्वारा दायर रिट याचिका स्वयं सुनवाई योग्य नहीं है"। एमएमटीसी ने 2022 के डब्ल्यूए 498 के माध्यम से आदेश को चुनौती दी है और 28.3.2022 / 7.4.2022 को सूचीबद्ध किया गया था और अभी भी एडमीशन के लिए लंबित है।

एसआईसीएएल के सीआईआरपी में रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) ने एनसीएलटी के समक्ष केपीएल द्वारा पारित 22.03.2021 के विवादित समाप्ति नोटिस को भी चुनौती दी। एमएमटीसी ने आरपी के उक्त आवेदन में पक्षकार बनने के लिए एक आवेदन दायर किया। एनसीएलटी ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में आरपी के आवेदन को दिनांक 11.03.2022 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था। परिणामस्वरूप, एमएमटीसी का आवेदन भी खारिज कर दिया गया।

मेसर्स एसआईओटीएल ने दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत एनसीएलटी में एसआईओटीएल के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की है। दिनांक 01.03.2022 के आदेश के तहत, एनसीएलटी चेन्नई ने उनके आवेदन स्वीकार कर लिए हैं और एक आईआरपी नियुक्त किया है।

एमएमटीसी ने एएसजी से कानूनी राय भी ली है कि क्या एमएमटीसी केपीएल के खिलाफ एएमआरसीडी के तहत आगे बढ़ सकती है और क्या उसके निवेश की वसूली के लिए विकल्प उपलब्ध हैं।

एनसीएलटी ने अपने आदेश दिनांक 08.12.2022 के माध्यम से एसएलएल की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है और सफल समाधान आवेदक को नियुक्त किया गया है।

इसके बाद एमएमटीसी ने अपने 34.26 करोड़ रुपये के निवेश की वसूली और एमएमटीसी और सिकाल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (एसएलएल) के बीच किए गए शेयर खरीद समझौते (एसपीए) को लागू करने के लिए एमएमटीसी का दावा प्रस्तुत करते हुए सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के आरपी को भी लिखा था। इसके साथ साथ एसएलएल के खिलाफ या समाधान के बाद पुनर्जीवित इकाई के खिलाफ एसपीए लागू करने के लिए एसएलएल के आरपी को भी लिखा था। एमएमटीसी ने मेसर्स प्रिस्टिन मालवा लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड (संकल्प के बाद एसएलएल के उत्तराधिकारी के रूप में) को एक पत्र भी लिखा था जिसमें एसएलएल के खिलाफ या पुनर्जीवित इकाई के खिलाफ एसपीए लागू करने का अनुरोध किया गया था।

इसके अलावा एसआईओटीएल के आरपी ने दिनांक 02.03.2023 के पत्र के माध्यम से एमएमटीसी के दावे को खारिज कर दिया था और बाद में एनसीएलटी ने अपने आदेश दिनांक 23 जून 23 के माध्यम से सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया और तदनुसार इसके लिए परिसमापक नियुक्त किया है।

इस बीच एमएमटीसी एसआईओटीएल में अपने निवेश की वसूली के लिए एनसीएलटी के दिनांक 08.12.22 के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील करने की संभावनाएं तलाश रही है।

एग्सिम नीति में घोषित भारत में मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग जोन की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, एमएमटीसी और आईएलएंडएफएस ने 2004–05 में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एसपीवी की स्थापना की। एमएमटीसी और आईएलएंडएफएस की इक्विटी 50:50 के आधार पर रखी गई है। कांडला और हल्दिया में भूमि बैंकों को अधिशासित करने के लिए एफटीडब्ल्यूपीएल की दो 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना की गई थी। प्रमोटरों की वित्तीय स्थिति और परियोजना के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता को देखते हुए, प्रमोटरों द्वारा परियोजना से बाहर निकलने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, कांडला में भूमि परियोजना प्राधिकरण को सौंप दी गई है। हल्दिया भूमि के संबंध में, स्थानीय किसानों ने 2015 में भूमि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए हल्दिया विकास प्राधिकरण के खिलाफ याचिका दायर की थी और कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया था। लंबी मुकदमेबाजी और रोक नहीं हटाए जाने के कारण, प्रमोटरों ने जमीन हल्दिया विकास प्राधिकरण (एचडीए) को सौंपने का फैसला किया। तदनुसार, मार्च, 2020 में, भूमि एचएडी को सौंप दी गई और 36 करोड़ रुपये की राशि की वापसी के लिए प्रयास जारी है।

25 पवन ऊर्जा जनरेटरों के साथ 15 मेगावाट क्षमता की पवन मिल परियोजना मार्च, 2007 में कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में एमएमटीसी द्वारा शुरू की गई थी। परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली एचईएससीओएम को बेची जाती है। यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है और इसने कर्नाटक राज्य की कुछ बिजली जरूरतों को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। 2022–23 के दौरान पवन मिल परियोजना ने कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में पवन फार्म द्वारा उत्पन्न पवन ऊर्जा की बिक्री से 5.13 करोड़ रु. का कारोबार किया।

औद्योगिक संबंध एवं मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी में सौहार्दपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम रहे। वर्ष के दौरान किसी भी औद्योगिक अशांति के कारण कोई मानव दिवस बेकार नही गया। इसके अलावा, कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से जानकारी/विचार साझा करने के लिए अधिकारी महासंघ/कर्मचारी संघ/एससी और एसटी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

31 मार्च, 2023 को आपकी कंपनी की कुल मेनपावर 522 थी, जिसमें 3 बोर्ड स्तर के कार्यकारी, 1 सीवीओ, 236 अधिकारी और 282 कर्मचारी/कर्मचारी शामिल थे। मैनपावर में पूर्ववर्ती माईका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का 1 अधिकारी और 40 स्टाफ/कर्मचारी भी शामिल हैं, जिसे बीआईएफआर के आदेशों के अनुसार आपकी कंपनी में विलय कर दिया गया था।

कुल मेनपावर के समग्र प्रतिनिधित्व में – महिला कर्मचारी कुल मेनपावर का 20.50% (107 कर्मचारी) का प्रतिनिधित्व हैं; एससी, एसटी, ओबीसी और बेंचमार्क दिवयांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) का प्रतिनिधित्व क्रमशः 21.65% (113 कर्मचारी), 12.07% (63 कर्मचारी), 12.07% (63 कर्मचारी) और 2.30% (12 कर्मचारी) हैं।

वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गई।

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) और पूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों और अन्य निर्देशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है। वर्ष के दौरान, एमएमटीसी ने पणजी (गोवा) में एससी और एसटी के कल्याण पर माननीय संसदीय समिति के स्टडी टूर और बेंगलुरु में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के माननीय सदस्य की समीक्षा बैठक का सफलतापूर्वक उत्तर दिया है। . एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार हैः

31.03.2023 तक एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व									
समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी	एससी का प्रतिशत	एसटी	एसटी का प्रतिशत	ओबीसी	ओबीसी का प्रतिशत	दिव्यांग	दिव्यांग का प्रतिशत
ए	240	51	21.25	19	7.92	30	12.50	10	4.17
बी	162	34	20.99	32	19.75	3	1.85	2	1.23
सी	48	6	12.50	3	6.25	12	25.00	0	-
डी	72	22	30.55	9	12.50	18	25.00	0	-
कुल	522	113	21.65	63	12.07	63	12.07	12	2.30

31.03.2023 के दौरान एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांगों की भर्ती									
समूह	कुल भर्ती	एससी	एससी का प्रतिशत	एसटी	एसटी का प्रतिशत	ओबीसी	ओबीसी का प्रतिशत	दिव्यांग	दिव्यांग का प्रतिशत
ए	कोई भर्ती नही की गई								
बी	कोई भर्ती नही की गई								
सी	कोई भर्ती नही की गई								
डी	कोई भर्ती नही की गई								
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31.03.2023 के दौरान एससी/एसटी की पदोन्नति					
समूह	कुल भर्ती	एससी	एससी का प्रतिशत	एसटी	एसटी का प्रतिशत
ए	42	8	19.05	7	16.67
बी	1	1	100	-	-
सी	-	-	-	-	-
डी	-	-	-	-	-
कुल	43	9	20.93	7	16.28

प्रशिक्षण एवं विकास

लगातार बदलते व्यावसायिक परिदृश्य में कर्मचारियों के कौशल को और अधिक बढ़ाने/उन्नत करने के लिए, कंपनी की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष के दौरान 189 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यात्मक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण शामिल थे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों में 30 अनुसूचित जाति, 18 अनुसूचित जनजाति और 112 महिला कर्मचारी शामिल हैं।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

एमएमटीसी लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किये। राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कारपोरेट कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकों में चर्चा की गई और बैठकों में लिए गए निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कॉरपोरेट कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा आदि का आयोजन किया गया। साथ ही कर्मचारियों/अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से राजभाषा से संबंधित विभिन्न टूल्स से अवगत कराया गया ताकि वे अपना कार्य बेहतर तरीके से हिंदी में कर सकें। इसके परिणामस्वरूप, रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में काफी वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन की अन्य मदों के साथ, एमएमटीसी की हिंदी वेबसाइट को अंग्रेजी के अनुरूप नियमित रूप से अद्यतन किया गया। वर्ष के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा अपने दो क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और तदनुसार कार्यालय में हिंदी के उपयोग में सुधार के लिए सुझाव दिए गए। जिसके परिणामस्वरूप राजभाषा कार्यान्वयन में काफी सुधार हुआ है। इस वर्ष संसदीय राजभाषा समिति एवं राजभाषा विभाग द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम '2013 की धारा 135 और कॉरपेरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियमों के अनुरूप है और सीएसआर परियोजनाएं कंपनी अधिनियम की धारा 135 के संदर्भ में शुरू की गई हैं। सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में होस्ट की गई है।

आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2019–20, वित्त वर्ष 2020–21 और वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान घाटा हुआ। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना किया गया सीएसआर बजट अर्थात पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% नकारात्मक था। इसलिए, वर्ष 2022–23 के लिए निदेशक मंडल द्वारा कोई वार्षिक सीएसआर बजट अनुमोदित नहीं किया गया था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कोई नई सीएसआर परियोजना शुरू नहीं की गई। हालाँकि, आपकी कंपनी ने केवल वित्त वर्ष 2019–20 की चल रही सीएसआर परियोजनाओं को निष्पादित किया था जिन्हें वित्त वर्ष 2022–23 तक आगे बढ़ाया गया था।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा –21 (बी) के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान अव्ययित सीएसआर निधि के लिए एक विशेष सीएसआर बैंक खाता खोला गया था। 01.04.2022 तक खाते में 5.27 लाख रुपये की अव्ययित राशि उपलब्ध थी। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान इस खाते से धनराशि का उपयोग इस प्रकार है:

आरंभिक शेष (01.04.2022 को)	5.27 लाख रू.
वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान व्ययः जिला अस्पताल, बारां (राजस्थान) में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) वार्ड के लिए नए वेटिंग हॉल के निर्माण के लिए अंतिम किस्त का भुगतान (वित्तीय वर्ष 2019–20 की सीएसआर परियोजना)।	5.27 लाख रू.
अंतिम शेष (31.03.2023 को)	शून्य

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारक, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नीति बनाई है। कॉर्पोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

वर्ष के दौरान उपरोक्त अधिनियम के तहत कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी

एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में आपकी कंपनी ने आरटीआई अधिनियम '2005 के तहत विभिन्न अनुपालनों का जवाब दिया है। नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)/नोडल सीपीआईओ, सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) आदि का विवरण सार्वजनिक डोमेन पर प्रदर्शित किया गया है। वर्ष के दौरान, आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के तहत सीधे/सीधे कुल 57 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और सभी आरटीआई का निपटारा कर दिया गया है। इसके अलावा, एफएए को कुल 13 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं, जिनका भी निपटारा कर दिया गया। आपकी कंपनी ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा –4 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक डोमेन (www.mmtclimited.com) पर किए जाने वाले स्वैच्छिक प्रकटीकरण का 'स्व–मूल्यांकन ऑडिट' भी किया है और सीआईसी द्वारा इसे तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट और अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण

एमएमटीसी के व्यवसाय को समेटने के वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देशों के आलोक में और एमएमटीसी को बंद करने पर अंतिम निर्णय लंबित होने के मद्देनजर, एमएमटीसी का सतर्कता प्रभाग निवारक सतर्कता उपायों और सिस्टमेटिक सुधार पर अपना जोर दे रहा है। वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों के सतर्कता अधिकारियों (वीओ) द्वारा 44 और गैर–सतर्कता अधिकारियों (एनवीओ) द्वारा 21 निरीक्षण किए गए और प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों को कॉरपोरेट कार्यालय में सतर्कता प्रभाग में प्रोसेस किया गया और जहां भी आवश्यक हुआ, उचित कार्रवाई की गई। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी निविदाओं में से 6 सीटीई प्रकार के निरीक्षण भी किए गए। आंतरिक लेखापरीक्षकों की 10 लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच की गई और पाई गई कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया। निरीक्षण के अलावा, प्रभाग ने कर्मचारियों के 114 वार्षिक संपत्ति रिटर्न की भी जांच की है।

वर्ष के दौरान सतर्कता प्रभाग ने 17 शिकायतों (सीवीसी–3, अन्य–14) पर कार्रवाई की, जिनमें से 16 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और शेष 1 शिकायत पर 31.03.2023 तक कार्रवाई जारी थी। इसके अलावा वर्ष के दौरान सतर्कता प्रभाग ने छह अधिकारियों से जुड़े विभागीय कार्यवाही के दो मामलों को निपटाया। तीन अधिकारियों से जुड़े एक मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जुर्माना आदेश जारी करके कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया गया है और तीन अधिकारियों से जुड़े दूसरे मामले में मौखिक विभागीय कार्यवाही पूरी कर ली गई है और मामला अंतिम आदेश के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास है।

ओडीआई, सहमत सूची, डीओपीटी सॉल्व के एमआईएस अपडेशन, क्यूपीआर, सीटीई–प्रकार क्यूपीआर, संरचित बैठकों के संबंध में अनुपालन का जवाब सीवीसी को प्रस्तुत मौजूदा दिशानिर्देशों और रिपोर्टों के अनुरूप दिया गया है।

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, एमएमटीसी ने वीएडब्ल्यू 2022 के अग्रणी के रूप में निवारक सतर्कता उपायों व हाउसकीपिंग गतिविधियों पर तीन महीने का अभियान (16 अगस्त, 2022 से 15 नवंबर, 2022) चलाया, जो "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" थीम पर 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक चला। इस अवधि के दौरान निवारक सतर्कता सह आंतरिक हाउसकीपिंग गतिविधियाँ अर्थात, संपत्ति प्रबंधन, संपत्तियों का प्रबंधन, रिकॉर्डिंग प्रबंधन, दिशानिर्देश/परिपत्र/मैनुअल का अद्यतनीकरण और शिकायतों का निपटान किया गया। इसके अलावा, जीवन में भ्रष्टाचार और उसके प्रभाव विषय पर आध्यात्मिक हस्तियों के व्याख्यान भी आयोजित किए गए और निदेशक/सीवीसी द्वारा नियमों/दिशानिर्देशों पर प्रस्तुति भी दी गई। अभियान के सफल समापन पर अनुपालन रिपोर्ट सीवीसी को प्रस्तुत की गई।

सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड ने 2014 में 'सतर्कता तंत्र' पर एक योजना शुरू की। निदेशकों और कर्मचारियों के लिए उनकी वास्तविक परेशानियों की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना की गई है। किसी भी कर्मचारी/निदेशक की परेशानी, यदि कोई हो, को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को लिखा जाएगा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह तंत्र पहले से लागू व्हिसिल ब्लोअर नीति से अलग है।

सत्यनिष्ठा समझौता

सार्वजनिक अधिप्राप्ति में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में सत्यनिष्ठा समझौता को बढ़ावा दिया गया है। आपकी कंपनी ने भी बोलीदाताओं के बीच पारदर्शिता/समानता को बढ़ावा देने और कंपनी द्वारा संचालित व्यापार में भ्रष्ट आचरण की किसी भी संभावना को रोकने के लिए इसे लागू किया है। श्री बल राज, आईटीएस (सेवानिवृत्त) को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कारपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस व्यावसायिक समुदाय के लिए कुशल, प्रतिस्पर्धी और सफल उद्यम बनने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। आपकी कंपनी सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के प्रति निरंतर विकास, अपनाने और समर्पण में अपना दृढ़ विश्वास रखती है। इस दिशा में, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित मानदंड और इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए लागू दिशानिर्देश नियमित रूप से लागू किए जा रहे हैं। हाल ही में, तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई है और उन्हें निदेशक मंडल में शामिल किया गया है, जिनमें एक स्वतंत्र महिला निदेशक भी शामिल है। इनके शमिल हाने के साथ, कंपनी ने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता यानी गैर–कार्यकारी अध्यक्ष के मामले में एक तिहाई को पूरा कर लिया है।

लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित शर्तों के अनुपालन के संबंध में मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स (सीपी नंबर 13901) से प्रमाण पत्र के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक अलग रिपोर्ट यहां संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने सीपीएसई के लिए लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित सीजी मानदंडों का अनुपालन किया है और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाती है।

आचार संहिता

लिस्टिंग विनियमों के विनियम 15(5) के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों पर लागू आचार संहिता आपकी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट कर दी गई है। 31 मार्च, 2023 तक सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों, जिन पर उक्त संहिता लागू है, ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए इसके अनुपालन की पुष्टि की है। बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, संबंधित घोषणा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा बनाई गई आचार संहिता का अनुपालन नीचे दिया गया हैः

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट गवरनेंस पर डीपीई के दिशानिर्देश के तहत के अनुसार घोषणा

> "बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।''

हस्ता.
हरदीप सिंह
सीएमडी
डीआईएनः 09778990

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(2) के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी ने वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सतत रिपोर्ट तैयार की है। सेबी द्वारा सुझाए गए ढांचे और सिद्धांतों का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना है। उक्त व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए जारी सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) के तहत, केंद्रीय मंत्रालयों / विभाग / पीएसयू द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद में से न्यूनतम 25% हिस्सेदारी एमएसई से की जानी हैं। एमएसई से वार्षिक खरीद के 25% लक्ष्य में से, एससी / एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 5% वार्षिक खरीद का उप–लक्ष्य और उपरोक्त 25% आरक्षण के भीतर महिला स्वामित्व वाले एमएसई के लिए अतिरिक्त 3% आरक्षण राजपत्र अधिसूचना दिनांक 09.11.2018. के द्वारा लागू है। एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई मंत्रालय के साथ पंजीकृत फर्मो को प्राथमिकता दी जाएगी।

सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान, प्रशासनिक आवश्यकताओं के संबंध में एमएमटीसी द्वारा कुल वार्षिक खरीद 7.80 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 6.86 करोड़ रुपये की वस्तुएं और सेवाएं शामिल थीं (यानी 87.9%) एससी / एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित एमएसई से खरीदे गए। 0.49 करोड़ रुपये।(यानी 7.26%) एससी / एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से और 1.54 करोड़। (22.48%) महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से। उन्हें दिए गए कार्य आदेशों के सफल निष्पादन पर, एमएसई को भुगतान जारी किया गया था।

सार्वजनिक जमा योजना

1 अप्रैल 2022 तक, कोई भी सार्वजनिक जमा बकाया नहीं था और कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी सार्वजनिक जमा को आमंत्रित / स्वीकार नहीं किया।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार 2022–23 के दौरान दाखिल वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट (www.mmtclimited.com) पर उपलब्ध है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

वर्ष 2022–23 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और साथ ही वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब इसके साथ संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने क्रमशः 28–07–2023 और 03–08–2023 के संचार के माध्यम से दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत 'शून्य' टिप्पणियाँ दी हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी ने मेसर्स की सेवाएं लीं। वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का सचिवीय ऑडिट करेंगे। सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट (फॉर्म एमआर–3 में) सचिवीय ऑडिटर की टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब के साथ संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए निवेश, ऋण और गारंटी का विवरण वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स में दिया गया है। 31.3.2023 को जेवी कंपनी मेसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को कंपनी का एक्सपोजर 3463.11 करोड़ रुपये को है, जिसमें कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाएं भी शामिल हैं।

संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ दर्ज किए गए सभी लेनदेन व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। लेखापरीक्षा समिति ने 2022–23 के दौरान किए गए लेनदेन के लिए सर्वग्राही मंजूरी प्रदान की। इंडस़ एएस–24 के तहत अपेक्षित उपयुक्त खुलासे वित्तीय विवरणों के नोट्स के नोट 42 में किए गए हैं। लेन–देन का विवरण फॉर्म एओसी–2 में दिया गया है जो इसके साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर अपलोड की गई है:

http://mmtclimited.com/ files/related%20party%20transaction%20policy%20eng.pdf

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों का ध्यान रखने के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा इसकी विधिवत अनुशंसा किए जाने के बाद निदेशक मंडल ने जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दे दी। कंपनी द्वारा किए गए व्यापार से जुड़े विभिन्न जोखिमों और कंपनी द्वारा अपनाए गए जोखिम प्रबंधन का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट के हिस्से के रूप में प्रदान किया गया है जो इसके साथ संलग्न है। इसके अलावा, कंपनी ने नियंत्रण लागू करने और कंपनी में धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने में सहायता के लिए धोखाधड़ी रोकथाम नीति लागू की है। नीति का उद्देश्य नियंत्रण के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपकर और संदिग्ध धोखाधड़ी वाले व्यवहार की जांच की रिपोर्टिंग और संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करके लगातार कानूनी और नैतिक संगठनात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना है।

कंपनी अस्थिर वस्तुओं/बाज़ार की स्थिति में एक्सपोज़र नहीं लेती है। आम तौर पर, यह उचित मार्जिन मनी द्वारा समर्थित पुष्टि किए गए ऑर्डर के विरुद्ध ही खरीदारी करता है। एमएमटीसी निधियों से जुड़े लेनदेन के संबंध में अग्रिम विदेशी मुद्रा कवर लेने की आवश्यकता के लिए दिशानिर्देश मौजूद हैं।

ऊर्जा संरक्षण

वर्ष 2022–23 के दौरान आपकी कंपनी के माईका समूह में कोई गतिविधि नहीं हुई। इसलिए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार, कंपनी के पास इस शीर्षक के तहत रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के साथ–साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को प्रत्येक निदेशक से औसत कर्मचारी के पारिश्रमिक के अनुपात और निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण का समय–समय निदेशकों की रिपोर्ट मे खुलासा करना आवश्यक है। हालाँकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी गई है। इसलिए, ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है। .

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक बताते हैं कि:

ए) वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और 31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष तस्वीर दी जा सके।

सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

डी) निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए थे।

ई) आपकी कंपनी के निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; और

एफ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

जी) वर्तमान में, एमएमटीसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रहा है

एच) वर्ष 2022–23 के लिए एमएमटीसी के वार्षिक खातों पर लेखा परीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियाँ वार्षिक खातों का हिस्सा हैं और इस रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

एमएमटीसी और एंग्लो अमेरिकन कोल के बीच विवाद

कोकिंग कोल अनुबंध के गैर–निष्पादन के संबंध में एंग्लो कोल के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एमएमटीसी के खिलाफ एंग्लो कोल द्वारा दायर निष्पादन याचिका संख्या 19/2018 दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। एमएमटीसी ने डिक्री धारक के हितों को सुरक्षित करने के लिए 20.7.2022 को लगभग 1087 करोड़ रुपये जमा किये। लंबित सीबीआई शिकायतों के मद्देनजर कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एमएमटीसी द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 1.9.2023 तय की गई।

निदेशक मंडल

अप्रैल 2022 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हैं: –

निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति / समाप्ति की तिथि	नियुक्ति / समाप्ति की तिथि
श्री विभु नायर	सीएमडी(अति. प्रभार)	31.08.2022	समाप्ति
श्री हरदीप सिंह	सीएमडी(अति. प्रभार)	27.10.2022	नियुक्ति
श्री शशांक प्रिया	सरकारी नामित निदेशक	10.01.2023	समाप्ति
डा.(श्रीमती) स्वाधीनता कृष्णा	स्वतंत्र निदेशक	21.01.2023	समाप्ति
सुश्री आरती भटनागर	सरकारी नामित निदेशक	13.03.2023	नियुक्ति
सुश्री एस मीनाक्षी	स्वतंत्र निदेशक	9.06.2023	नियुक्ति
श्री श्रीनिवास राव मद्दी	स्वतंत्र निदेशक	10.06.2023	नियुक्ति
श्री नबरून नायक	स्वतंत्र निदेशक	3.8.2023	नियुक्ति
श्री जे.रवि शंकर	कार्यकारी निदेशक	4.07.2023	समाप्ति

बोर्ड श्री विभु नायर, श्री शशांक प्रिया और डॉ. (श्रीमती) स्वाधीनता कृष्णा और श्री जे रविशंकर निदेशकों की सराहनीय सेवाओं और योगदान के लिए बहुत सराहना करता है, जो बोर्ड में नहीं रहे। बोर्ड, बोर्ड में नए निदेशकों का स्वागत करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि कंपनी को उनके समृद्ध और विविध अनुभव से अत्यधिक लाभ होगा।

निदेशकों की चक्रीय सेवानिवृत्ति के संबंध में कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 87(4)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, श्री कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त) एजीएम में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, उन्होंने खुद को फिर से नियुक्त करने की पेशकश की है।

पावती

आपके निदेशक सभी हितधारकों–शेयरधारकों, वाणिज्य विभाग, सभी सरकारी विभागों के प्रति अपनी ईमानदारी से सराहना स्वीकार करना और रिकॉर्ड करना चाहेंगे। एजेंसियों, आरबीआई और अन्य बैंकों, रेलवे, सीमा शुल्क, बंदरगाहों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य व्यावसायिक भागीदारों को वर्ष के दौरान उनसे प्राप्त उत्कृष्ट समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद। आपके निदेशक भी कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रयासों और कड़ी मेहनत और इसकी प्रगति में उनके निरंतर योगदान को पहचानते हैं और उनकी सराहना करते हैं।

बोर्ड के आदेश से

(हरदीप सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक(अतिरिक्त प्रभाग)

दिनांक: 22.09.2023

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 2022–23

वैश्विक व्यापार व विकास का सिंहावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड–19 और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण अभूतपूर्व अस्थिरता और व्यवधान का सामना कर रही है। 2021 में एक अस्थायी सुधार के बाद 2022 में तेजी से निराशाजनक विकास हुआ, क्योंकि जोखिम शुरू हो गए थे। महामारी के कारण पहले से ही कमजोर हुई विश्व अर्थव्यवस्था को उम्मीद से कहीं अधिक झटके लगे हैं और साथ ही यूक्रेन में युद्ध से और भी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।

बढ़ती कीमतों के साथ दुनिया भर में जीवन स्तर लगातार कम हो रहा है, नीति निर्माताओं के लिए मुद्रास्फीति को कम करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सख्त मौद्रिक नीति की अनिवार्य रूप से वास्तविक आर्थिक लागत होगी, लेकिन देरी केवल उन्हें बढ़ा देगी। लक्षित राजकोषीय समर्थन सबसे कमजोर लोगों पर प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन महामारी द्वारा फैलाए गए सरकारी बजट और अवस्फीतिकारी समग्र व्यापक आर्थिक नीति स्टैंड की आवश्यकता के साथ ऐसी नीतियों को बढ़े हुए करों या कम सरकारी खर्च से ऑफसेट करने की आवश्यकता होगी। कठोर मौद्रिक स्थितियां वित्तीय स्थिरता को भी प्रभावित करेंगी, मैक्रो विवेकपूर्ण साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता होगी और ऋण समाधान ढांचे में सुधार करना और भी आवश्यक होगा। ऊर्जा और खाद्य कीमतों पर विशिष्ट प्रभावों को दूर करने के लिए नीतियों को कीमतों को विकृत किए बिना सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोगों पर ध्यान देना चाहिए। अंत में, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए उत्सर्जन को सीमित करने और हरित संक्रमण को तेज करने के लिए निवेश बढ़ाने के लिए तत्काल बहुपक्षीय कार्रवाई की आवश्यकता है।

2022–23 के दौरान भारत में आर्थिक विकास का अवलोकन

2022–23 के दौरान भारत की वार्षिक विकास दर 7.2% थी। जो वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को रेखांकित करता है। सकल आशावाद और आकर्षक मैक्रो–इकोनॉमिक संकेतकों के साथ यह मजबूत निश्पादन हमारी अर्थव्यवस्था के आशाजनक प्रक्षेप पथ का उदाहरण है।

भारत की जीडीपी 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है; भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

2023–24 के लिए आउटलुक

वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5–6.7 प्रतिशत की सीमा में बढ़ने की उम्मीद है।

मजबूत घरेलू नेतृत्व और पूंजीगत व्यय में मजबूती से विकास को गति मिलेगी।

सरकार को उम्मीद है कि 2023–24 में भारत की जीडीपी 6.5 प्रतिशत रहेगी।

सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली मीडिया बातचीत में दिनेश ने कहा, "चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है, और हमें आने वाले वर्ष में बड़ी घरेलू बाधाओं की उम्मीद नहीं है।" मजबूत वैश्विक विपरीत परिस्थितियां और विकट घरेलू मौद्रिक नीति के सख्त होने के बावजूद, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि भारत 2023–24 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, जो निजी खपत में मजबूत वृद्धि और निजी निवेश में निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है।

एमएमटीसी– 2022–23 में पुनरावलोकन

वित्तीय समीक्षा

गैर–रणनीतिक क्षेत्र में सीपीएसई के लिए नई उद्यम नीति आने के बाद प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देश पर संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने की पृष्ठभूमि में, आपकी कंपनी ने 2022–23 के दौरान पिछले वित्त वर्ष के दौरान दर्ज 7840.78 करोड रुपये के कारोबार के मुकाबले 271.77 करोड़ रुपये का व्यापार कारोबार हासिल किया। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 237.77 करोड़ रु. की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में 1076.07 करोड़ रू. का शुद्ध लाभ अर्जित किया। चूँकि वित्तीय वर्ष के दौरान सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ रुकी हुई हैं, शुद्ध लाभ मुख्य रूप से जेवी नीलाचल इस्पात निगम में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त धन के कारण है।

निधियों का स्रोत और उपयोग

31 मार्च, 2023 तक कंपनी के फंड के स्रोत में 1264.83 करोड़ रुपये की शेयरधारक निधि शामिल है, जिसमें 150 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी और क्रमशः 48.08 करोड़ रुपये और 1960.46 करोड़ रुपये की गैर–वर्तमान और वर्तमान देनदारियां शामिल हैं। इन निधियों को, अन्य बातों के साथ साथ 31 मार्च, 2023 तक गैर–चालू परिसंपत्तियों के लिए 287.45 करोड़ रुपये और वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए 2985.92 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं

एमएमटीसी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं जो इसके व्यवसाय संचालन के अनुरूप हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखापरीक्षा के दायरे की समीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति के निर्देशों, यदि कोई हो, का विधिवत पालन किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा करने में बाहरी लेखापरीक्षा फर्मों के साथ समन्वय करने के लिए कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग है। लेखापरीक्षा समिति में अध्यक्ष के रूप में डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा, स्वतंत्र निदेशक, सुश्री आरती भटनागर, स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में सरकार द्वारा नामांकित निदेशक सुश्री एस. मीनाक्षी, श्री श्रीनिवास राव मद्दी और श्री नबारन नायक, स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर, आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग करती है और इसने खुद को सिंगापुर में एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित ट्रेडिंग संगठन के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान एमटीपीएल ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किए गए 456.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 405.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिक्री कारोबार हासिल किया। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एमटीपीएल का शुद्ध लाभ 2021–22 के दौरान अर्जित 0.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 0.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 31 मार्च 2023 तक एमटीपीएल की नेटवर्थ 5.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। एमटीपीएल द्वारा घोषित कुल लाभांश 27.945 मिलियन अमेरिकी डॉलर है जिसमें वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एमटीपीएल से प्राप्त 1.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभांश शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ एमटीपीएल के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

2022–23 के लिए व्यवसायिक समीक्षा

2022–23 के दौरान, प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के निर्देशों के अनुसार एमएमटीसी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं थी। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान इसके द्वारा किसी नए आयात और घरेलू बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। केवल एमएमटीसी के बुलियन समूह ने 265.98 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है, जबकि इसकी कैप्टिव पवन ऊर्जा मिल से उत्पन्न पवन ऊर्जा की बिक्री 5.13 करोड़ रुपये है।

कंपनी की भविष्य की संभावनाएं

पहले कंपनी खनिज और धातु, उर्वरक, कीमती धातु और कृषि उत्पादों के क्षेत्रों में व्यवस्थित व्यावसायिक गतिविधिया करती थी। हालाँकि, सरकार की नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति के कारण, केवल रणनीतिक क्षेत्रों तक सीमित पीएसईएस की न्यूनतम उपस्थिति होगी। चूंकि एमएमटीसी गैर–रणनीतिक क्षेत्र में आती है, अतः एमएमटीसी को चरणबद्ध तरीके से विभिन्न जनरल बॉडी से बाहर निकलने व्यापार संचालन को कम करने, वीआरएस के कार्यान्वयन आदि के लिए एक रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क के निर्यात के लिए एलटीए को समाप्त कर दिया है और एमएमटीसी को उर्वरक विभाग के खाते में आयात की जाने वाली यूरिया के लिए एसटीई से हटा दिया गया था। एमएमटीसी को बुलियन परिचालन और अन्य कैनालाइज्ड/नामित व्यवसाय से बाहर निकलने का निर्देश दिया गया था। सरकार का विचार है कि एमएमटीसी की केंद्रीय कैनालाइज्ड एजेंसी के रूप में कोई आवश्यकता नहीं है और संबंधित मंत्रालय/विभाग अपने स्वयं के सार्वजनिक उपक्रमों/अन्य एजेंसियों के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। हालांकि, कंपनी को बंद करने के संबंध में सरकार के औपचारिक निर्णय का इंतजार है।

सावधानी कथन

प्रबंधन चर्चाओं और विश्लेषण में कंपनी के अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले कथन लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ के भीतर "भविष्योन्मुख कथन" हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त या निहित से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कंपनी के संचालन में अंतर ला सकते हैं, उनमें घरेलू और विदेशी बाजारों में मांग/आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां और कीमत की स्थिति, सरकारी नियमों/नीतियों, कर कानूनों, अन्य कानूनों और अन्य प्रासंगिक कारकों में बदलाव शामिल हैं। एमएमटीसी वर्तमान में कोई कारोबार नहीं कर रही है।

बोर्ड के आदेश से

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभाग)

दिनांकः 22.09.2023

वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।

आपकी कंपनी ने लगातार एक अच्छे कॉरपोरेट नागरिक की भूमिका निभाई है और नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करके कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रथाओं के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। सीएसआर गतिविधियों के संबंध में एक आधिकारिक जनादेश के अभाव में भी, आपकी कंपनी ने बहुत पहले सितंबर 2006 में एक नीतिगत पहल के रूप में सीएसआर को अपनाया, जो 2007–08 से प्रभावी था, और सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए पिछले वर्ष के प्रतिधारण लाभ का 1% आवंटित किया। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत प्रदान करने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और समुदाय से संबंधित गतिविधियों पर विशेष बल दिया गया।

कंपनी की वर्तमान सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम की धारा 135 और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियमों के अनुरूप है और कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कंपनी की सीएसआर नीति इसकी वेबसाइट पर होस्ट की गई है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20, वित वर्श 2020–21 और वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान घाटा उठाया। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गई सीएसआर बजट यानी पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% नकारात्मक था। इसलिए, वर्ष 2022–23 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नहीं था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कोई नई सीएसआर परियोजना शुरू नहीं की गई। हालाँकि, आपकी कंपनी ने केवल वित्त वर्ष 2019–20 की चल रही सीएसआर परियोजनाओं को निष्पादित किया, जिन्हें वित्त वर्ष 2022–23 तक आगे बढ़ाया गया।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा –21 (बी) के संदर्भ में, अव्ययित सीएसआर निधियों के लिए वित वर्ष 2020–21 के दौरान एक विशेष सीएसआर बैंक खाता खोला गया था। 01.04.2022 को खाते में अव्ययित 5.27 लाख रूपये शेष थे। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान इस खाते से धन का उपयोग इस प्रकार हैः

आरंभिक शेष (01.04.2022 को)	**5.27 लाख रू.**
<u>वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान व्ययः</u> **(वित्त वर्ष 2019–20 की सीएसआर परियोजना) बारां जिला (राजस्थान) जिले के अस्पताल में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) वार्ड के लिए नया प्रतीक्षालय के निर्माण के लिए अंतिम किस्त का भुगतान।**	**5.27 लाख रू.**
अंतिम शेष (31.03.2023 को)	**शून्य**

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

कम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक /निदेशक पद की प्रकृति	साल के दौरान आयोजित सीएसआर कमेटी की बैठकों की संख्या	सीएसआर की बैठकों की संख्या के दौरान समिति ने भाग लिया वर्ष
1.	सुश्री आरती भटनागर	सरकारी नामित समिति के निदेशक/अध्यक्ष गैर–सरकारी स्वतंत्र	1	1
2.	प्रदीप कुमार वर्मा	निदेशक/समिति के सदस्य निदेशक (कार्मिक)/समिति के सदस्य	1	1
3.	श्री राजीव रंजन सिन्हा	निदेशक (कार्मिक)/ समिति के सदस्य	1	1
4.	श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त)/ समिति के सदस्य	1	1

1. वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है।

Web-link: https://www.mmtclimited.com/pages/display/89-corporate-social-responsibility

2. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

लागू नहीं।

3. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के लिए समंजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण।

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेटऑफ करने के लिए आवश्यक राशि,
1	2022.23	शून्य	शून्य

1. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ। (426.41) करोड़ रु.।

1. (ए) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः लागू नहीं

(बी) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष

पिछले वित्तीय वर्षः शून्य

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई होः शून्य

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7ए+7बी–7सी)ः शून्य।

वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि (रूपये मे)	खर्च न की गई राशि				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते मे ट्रांसॅफर कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में ट्रांसफर राशि		
	राशि	ट्रांसॅफर की तिथि	फंड का नाम	राशि	ट्रांसॅफर की तिथि
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(**बी**) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः लागू नहीं।

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य मद में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः लागू नहीं।

(डी) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशिः शून्य

(ई) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः लागू नहीं

(एफ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई)ः शून्य

(जी) सेट ऑफ करने के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क.सं.	विवरण	राशि(रू.)
(I)	धारा (135) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	लागू नहीं
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि[(ii)-(i)]	लागू नहीं
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	सफल वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	लागू नहीं

9. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरणः

क्रम सं	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि(रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची (vii) के तहत निर्दिष्ट किसी फंड में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुगामी वित्तीय वर्षों होने में खर्च होने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	ट्रांसफर की तिथि	
1.	2019.20	5,27,200	5,27,200	–	–	–	शून्य

(बी) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

क्रम संख्या	प्रोजेक्ट आईडी	प्रोजेक्ट का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू हुई थी	परियोजना अवधि	कुल रकम के लिए आवंटित परियोजना (लाख रुपये में)	राशि में परियोजना पर खर्च किया रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (लाख रुपये में)	पूरे/चल रहे परियोजना की स्थिति
1.		बारां जिला(राजस्थान) जिले के अस्पताल में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) वार्ड के लिए नये प्रतीक्षालय के निर्माण	2019-20	3 वर्ष	52.72	5.27	52.72	पूर्ण
	कुल				52.72	5.27	52.72	

10. पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति–वार विवरण)। शून्य

(ए) पूंजीगत संपत्ति (एस) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि । लागू नही

(बी) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि। लागू नही

(सी) संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।

(डी) सृजित या अधिग्रहीत की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)।

लागू नही

11. कारण बताएं, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है। लागू नहीं।

ह0/–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी या
प्रबंध निदेशक या निदेशक

ह0/–

(अध्यक्ष सीएसआर समिति)

एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेंस

कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने, आत्मविश्वास को मजबूत करने, शेयरधारकों और हितधारकों के धन के दीर्घकालिक मूल्य को अधिकतम करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संगठन का एक अभिन्न अंग बन गया है। एमएमटीसी पारदर्शिता के सर्वोच्च स्तर, विश्वास, सत्यनिश्ठा, कार्यनिष्पादन अभिमुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक दायित्व, नैतिक व्यवसाय प्रथाओं और स्व–अनुशासन संहिता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के अनुपालन के माध्यम से स्वस्थ कारपोरेट गवर्नेंस नियमों के सिद्धांत को प्रोन्नत तथा सशक्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है ताकि स्टेकहोल्डरों यथा– निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों अथवा सामान्य समुदाय का निरंतर मूल्यवर्धन होता रहे।

सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशंस तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए जारी दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार नीचे एक रिपोर्ट दी गई है जो निदे   ाक रिपोर्ट का एक भाग है। इसके अलावा कारपोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक पे   ोवर कंपनी सचिव द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र भी भाामिल किया गया है

निदेशक मंडल

एमएमटीसी के निदेशक मंडल में कार्यकारी व गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने की तिथि को निदेशक मडंल में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), एक पूर्णकालिक निदेशक(विपणन), एक पूर्णकालिक निदेशक(कार्मिक), एक पूर्णकालिक निदेशक(वित्त) सरकार द्वारा नामित दो अशंकालिक निदेशक तथा दो गैर–सरकारी अंशकालिक(स्वतंत्र) निदेशक हैं। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों में एमएमटीसी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशक क्रमवार रिटायर होते रहते हैं और प्रतिवर्ष कम से कम एक तिहाई रिटायर होते हैं तथा पात्र होने पर पुनः नियुक्ति पाते हैं।

फंक्शनल निदेशकों के मामले में निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक के पारिश्रमिक प्राप्त करने तथा स्वतन्त्र निदेशकों के मामलों में सिटिंग फीस के अतिरिक्त कंपनी के साथ अथवा इसके प्रोमोटर्स व इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई विशेष आर्थिक संबंध अथवा लेनदेन नहीं रखते हैं जो निदेशक मंडल के विचार से निदेशकों के निर्णय की स्वायत्तता को प्रभावित कर सके।

वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी :–

क्र.स	निदेशक का नाम	कार्यकारी / गैर– कार्यकारी	धारित पद	31.03.2023 को निदेशक मंडलों में डायरेक्टरशिप की संख्या	31 मार्च 2023 को बोर्ड समितियों की संख्या जिसके सदस्य / चैयरपर्सन है'
1	श्री विपुल बंसल	गैर कार्यकारी	सरकार द्वारा नमित निदेशक	निदेशक–3	शून्य
2.	श्री पी.के.वर्मा	गैर कार्यकारी	पार्ट टाइम (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	चैयरपर्सन–2 सदस्य–5
3.	श्री जे. रवि शंकर	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	निदेशक–3	सदस्य–2
4.	श्री आर आर सिन्हा	कार्यकारी	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक– 2	सदस्य–2
5.	श्री कपिल कुमार गुप्ता	कार्यकारी	निदेशक (वित्त)	निदेशक–5	सदस्य–3 चेयरपर्सन–1
6.	श्री हरदीप सिंह (27.10.2022 से)	कार्यकारी	सीएमडी	निदेशक–1	शून्य
7.	सुश्री आरती भटनागर (13.03.2023 से)	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नमित निदेशक	निदेशक–07	चेयरपर्सन–1 सदस्य–1
8.	श्री विभु नायर (13.03.2022 तक)	कार्यकारी	सीएमडी	निदेशक–08	शून्य
9	श्री शशांक प्रिय (10.01.2023 तक)	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नमित निदेशक	निदेशक–06	चेयरपर्सन–1 (14.11.2023 तक) सदस्य–1
10	डा.स्वाधीनता कृष्णा	गैर–कार्यकारी	अंश कालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	चेयरपर्सन–1 सदस्य–2

* केवल लेखा परीक्षा समिति तथा सार्वजनिकों कंपनी के स्टेकहोल्डर्स की रिलेशनशिप समिति पर विचार किया गया है।

एन.ए. – चूंकि इन निदेशकों की कंपनी मंडल से समयावधि समाप्त होना है अतः 31..03.2023 को इनकी परिसमाप्ति उपलब्ध नहीं है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन (01.04.2022 से)

निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख/ कार्यकाल की समाप्ति	परिवर्तन का विवरण
श्री विभु नायर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अति. प्रभार)	31.08.2022	समाप्ति
श्री शशांक प्रिय	सरकारी नामित निदेशक	10.01.2023	समाप्ति
डा.स्वाधीनता कृश्णा	अंश कालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	21.01.2023	समाप्ति
श्री जे.रवि शंकर	निदेशक (विपणन)	03.07.2023	समाप्ति
श्री हरदीप सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अति. प्रभार)	27.10.2022	नियुक्ति
सुश्री आरती भटनागर	सरकारी नामित निदेशक	13.03.2023	नियुक्ति
सुश्री एस मीनाक्षी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	09.06.2023	नियुक्ति
श्री श्रीनिवास राव मद्दी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	10.06.2023	नियुक्ति
श्री नबूरम नायक	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	03.08.2023	नियुक्ति

निदेशकों का पारिश्रमिक

एमएमटीसी भारत सरकार का उपक्रम है जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय– वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सरकार के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार, जो अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे पूर्णकालिक निदेशकों/सीएमडी के पारिश्रमिक को उनके संबंधित नियुक्ति आदेशों/वेतन निर्धारण आदेशों के माध्यम से तय करती है। एमएमटीसी के सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आम तौर पर पांच साल के सेवा अनुबंध के साथ या सेवानिवृत्ति की तारीख या सरकार के अगले आदेशों तक जो भी पहले हो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कार्यात्मक निदेशक तीन महीने की नोटिस अवधि/ सिवरेंस फीस के हकदार हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल के कार्यात्मक सदस्य निष्पादन संबंधित वेतन के हकदार हैं। गैर–सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक वर्तमान में बोर्ड/बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 15000/– रुपये की दर से बैठक शुल्क के हकदार हैं। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं था।

वर्ष 2022–23 के दौरान सीएमडी सहित प्रत्येक फंक्शनल निदेशक को भुगतान किये गये पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है :–

निदेशक का नाम	वेतन तथा लाभ (रूपये	वर्ष 2022–23* के दौरान कार्य–निष्पादन से जुड़ा वेतन	बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन सिवरेंस फीस	दिनांक 31.03.2023 को एमएमएटीसी के धारित शेयरों की संख्या
कार्यकारी निदेशक				
श्री कपिल कुमार गुप्ता	5406239	शून्य	शून्य	शून्य
श्री आर. आर. सिन्हा	4830287	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जे. रवि शंकर	4912697	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की जाती हैं तथा उनके आयोजन की तिथि का निर्णय पर्याप्त समय रहते लिया जाता है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बोर्ड की बैठकों का संचालन निर्धारित कार्य–सूची के अनुसार होता है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी मामले को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। सभी मुख्य मुद्दों से संबंधित, अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य–सूची दस्तावेज सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचनापरक तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की आठ बैठकें हुई, जो दिनांक 22.04.2022, 05.05.2022, 08.07.2022, 30.08.2022, 09.11.2022, 14.11.2022, 20.12.2022 और 13.02.2023 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की इन बैठकों तथा 8 दिसंबर, .2022 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक से संबंधित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है

	निदेशक का नाम	बोर्ड की उस अवधि में हुई बैठकों की संख्या जिसके दौरान बोर्ड के निदेशक थे	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	दिनांक 23.04.2023 को आयोजित गत वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
(क)	फंक्शनल निदेशक			
	श्री विभु नायर, सीएमडी(अति.प्रभार)	4	4	हां
	श्री जे. रवि शंकर	8	8	हां
	श्री आर. आर. सिन्हा	8	8	हां
	कपिल कुमार गुप्ता	8	8	हां
(ख) अंशकालिक पदेन निदेशक				
	(सरकार द्वारा नामित)			
	श्री शशांक प्रिया	7	7	नहीं
	श्री विपुल बंसल	8	2	नहीं
(ग) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक				
	डा.(सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा	7	7	हां
	डा.पी.के.वर्मा	8	8	हां

स्वतन्त्र निदेशकों की अलग बैठक

सेबी के (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम 2015, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नॉन–आफिसियल निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका के बारे में डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की भार्तों के अनुसार दिनांक 20 सितंबर 2022 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में तत्कालीन सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने वित्तीय वर्ष में होने वाली पहली बोर्ड की बैठक में इस बात की घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6), सिक्यूरीटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस तथा डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम 2015 तथा कारपोरेट गवर्नेंस के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने के मानदण्डों को पूरा करते हैं।

कंपनी के व्यवसाय से परिचित होने तथा उनके द्वारा प्रभावी ढंग से काम करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को विस्तृत प्रेजेंटे शन दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा समय–समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी नामित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन का विवरण http://mmtclimited.com/pages/display/294-training-programme-for-directors पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 के परिपत्र द्वारा सरकारी कंपनियों को धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त हो गई है। इसके प्रावधानों में निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति तथा नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन का तरीका बताया गया है। सेबी (एलओडीआर) के तहत भी इसी प्रकार की छूट अपेक्षित है। एमसीए के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार सरकारी कंपनियों को धारा 134(3)(पी) से भी छूट दी गई है। इस धारा के अनुसार बोर्ड तथा इसकी समितियों/संबंधित निदेशक को बोर्ड रिपोर्ट में अपने कार्य निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख करना होता है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अपने तरीके के अनुसार मूल्यांकन किया गया हो। इस संबंध में डीपीई ने फंक्शनल निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्याकंन का तंत्र निर्धारित कर दिया है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन की शुरुआत कर दी है।

आगे यह उल्लेख किया जा सकता है कि एमएमटीसी ने प्रत्येक वर्ष भारत सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के साथ एमओयू किया, जिसमें 2022–23 तक कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन पैरामीटर शामिल थे। एमओयू लक्ष्यों पर विचार किया जाता है और यह व्यक्तियों के निष्पादन मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग बनते हैं। एमओयू में वित्तीय लक्ष्य, लागत में कटौती के लक्ष्य, सामुदायिक विकास और किसी अन्य संगत कारक सहित सभी परिचालन और निष्पादन पैरामीटर शामिल हैं। कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन डीपीई द्वारा भारत सरकार के साथ किए गए एमओयू के साथ प्रतिवर्ष किया जाता है।

बोर्ड की समितियां

कंपनी के मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, अतिशीघ्र आधार पर विचार–विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल ने विभिन्न भूमिकाओं, जवाबदेही तथा प्राधिकारों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

1. निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति
2. नामांकन व पारिश्रमिक निदेशक समिति
3. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति
4. शेयर ट्रांसफर समिति
5. कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति
6. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति
7. सीएसआर तथा सतत विकास पर निदेशकों की समिति
8. फंक्शनल निदेशको और वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी
9. निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

1. निदेशकों की लेखा–परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति में दिनांक 31.03.2021 को दो अं ाकालीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक तथा एक अंशकालिक (सरकार द्वारा नामित) निदेशक हैं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखा–परीक्षा कार्यों का निरीक्षण, अति महत्वपूर्ण जॉच की पुनरीक्षा, लेखा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान करना इसके प्रमुख कार्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारों में कंपनी अधिनियम 2013 तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस तथा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स), विनियम 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वर्ष 2022–23 में समिति की चार बैठकें आयोजित हुईं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	22.04.2022	श्री शशांक प्रिया डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा डा.प्रदीप कुमार वर्मा	डा.प्रदीप कुमार वर्मा
2	05.05.2022	श्री शशांक प्रिया डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा डा.प्रदीप कुमार वर्मा	डा.प्रदीप कुमार वर्मा
3	08.07.2022	श्री शशांक प्रिया डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा डा.प्रदीप कुमार वर्मा	डा.प्रदीप कुमार वर्मा
4	30.08.2022	श्री शशांक प्रिया डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा डा.प्रदीप कुमार वर्मा	डा.प्रदीप कुमार वर्मा
5	09.11.2022	श्री शशांक प्रिया डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा डा.प्रदीप कुमार वर्मा	डा.प्रदीप कुमार वर्मा
6	14.11.2022	श्री शशांक प्रिया डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा डा.प्रदीप कुमार वर्मा	डा.प्रदीप कुमार वर्मा
7	28.03.2023	डा.प्रदीप कुमार वर्मा सुश्री आरती भटनागर श्री जे रवि शंकर	डा.प्रदीप कुमार वर्मा

लेखापरीक्षा समिति के विचार विमर्श में सहायता हेतु कंपनी के अन्य फंक्शनल निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक भी उपरोक्त बैठकों में उपस्थित रहे। उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

यह भी पुष्टि की जाती है कि लेखा परीक्षा समिति की ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं थी जिसे बोर्ड ने स्वीकार न किया हो ।

2. निदेशकों की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

`कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों और सूचीबद्ध विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसरण में निदेशको की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अंशकालीन गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा चेयरपर्सन के रूप में, अंशकालीन नॉन आफिसिएल (स्वतंत्र) निदेशक, श्री पी.के.वर्मा, श्री शशांक प्रिया सरकारी नामित निदेशक दिनांक 31.03.2023 को इसके सदस्य हैं। समिति डीपीई दिशा–निर्देशों, दिनांक 26 नवंबर 2008 के पार्ट डी की अनुसूची में सूचीबद्ध निर्देश के तहत कर्तव्यों और शक्ति प्रयोग करती है। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान समिति की एक बैठक हुई जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	20.9.2023	श्री शशांक प्रिया डॉ.प्रदीप कुमार वर्मा डा.स्वाधीनता कृष्णा	डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा

उक्त बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए ।

3. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित स्टेक होल्डर्स संबंध समिति की संरचना में 31.03.2023 को डॉ. (सुश्री) स्वाधीनता कृष्णा, अंशकालीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक इसके अध्यक्ष हैं, श्री विपुल बंसल, जे.एस., डीओसी और श्री कपिल कुमार गुप्ता निदेशक (वित्त), एमएमटीसी इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। समिति शेयरधारकों दूसरे निवेशकों की शिकायतों के समाधान के शीघ्र निपटान पर विचार और देखरेख करती है। वर्ष 2022–23 के दौरान इस समिति की एक बैठक हुई, जिसका विवरण नीचे है :–

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	28.03.2023	श्री के.के. गुप्ता श्री जे.रवि शंकर डा. पी.के.वर्मा	डा. पी.के.वर्मा

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निवेशकों से प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नलिखित हैः –

1.4.2023 को लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2023 को लंबित शिकायतों की संख्या
0	0	0	0

4. शेयर ट्रांसफर समिति

निदेशक मंडल द्वारा शेयर ट्रांसफर समिति गठित की गई है जिसमें एमएमटीसी के सभी फंक्शनल निदेशक इसके सदस्य हैं तथा कंपनी सचिव, समिति के सचिव हैं। समिति ने फिजीकल शेयर ट्रांसफर, रिमैट्रलाइजेशन तथा डिमैट्रलाइजेशन इत्यादि के अनुरोध पर शीघ्र विचार करके अपना अनुमोदन प्रदान करती है। वर्ष 2022–23 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

5. कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

बोर्ड ने कार्मिक नीतियों की निदेशक समिति का गठन किया है जिसमें अंशकालीन नॉन–ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक सुश्री स्वाधीनता कृष्णा इसके अध्यक्ष, अंशकालीन नॉन–आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक डॉ पी के वर्मा, स्वतंत्र निदेशक तथा एमएमटीसी के निदेशक(वित्त) श्री के के गुप्ता इसके सदस्य हैं। यह समिति सेवा नियमों तथा अन्य कार्मिक नीतियों में परिवर्तन/बनाने पर विचार करने तथा उनके अनुमोदन की सिफारिश निदेशक मंडल को करती है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

6. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

निवेशों/विनिवेशों पर विचार करने तथा अनुमोदन की सिफारिश करने, मौलिक मानदंडों/चार्टर/समझौते और उनमें निदेशक मंडल द्वारा किसी परिवर्तन की स्वीकृति और कार्यशील प्रबंधन के साथ पुनरीक्षा करने तथा एमएमटीसी के निवेश के संबंध में रणनीतिक मामलों पर सलाह देने और एमएमटीसी परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों/विदेशी कार्यालयों/सहायक कंपनियों के लिए निदेशक मंडल ने ''सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों'' के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया है।

वर्ष के दौरान इस समिति के गठन में कोई बदलाव नहीं हुआ और 2022–23 के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

7. सीएसआर एवं सतत विकास पर निदेशकों की समिति

कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों तथा डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों की देखरेख तथा नियंत्रण हेतु समिति गठित की गई। 31.03.2023 को समिति की संरचना में श्री शशांक प्रिया (एसएस एंडएफए–एमओसीएंडआई), अध्यक्ष के रूप में श्री पी के वर्मा अंशकालिक नॉन–ऑफिसयल (स्वतंत्र) निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक) इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव हैं।

वर्श 2022–23 के दौरान इस समिति की नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक बैठक बुलाई गई :–

क्र.सं	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	28.3.2023	डा.पी के वर्मा श्री आर. आर. सिन्हा श्री के के गुप्ता सुश्री आरती भटनागर	सुश्री आरती भटनागर

इस बैठक के मिनट्स निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

8. कार्यात्मक निदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारियों की समिति

निदेशक मंडल द्वारा 23.03.2022 को गठित "निदेशकों की कार्यात्मक प्रबंधन समिति" में समिति के अध्यक्ष के रूप में सीएमडी, एमएमटीसी, सदस्य के रूप में सभी कार्यात्मक निदेशक और समिति के सचिव के रूप में कंपनी सचिव शामिल हैं। उक्त समिति को कंपनी अधिनियम, 2013/अन्य विधियों के तहत निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा सीएमडी को सौंपी गई शक्तियों के अलावा सभी मामलों में निर्णय लेने की शक्तियाँ सौंपी गई हैं। निदेशक मंडल और/या शेयरधारकों की बैठक में विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा साथ ही एमएमटीसी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 99 के तहत निदेशक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य समिति के निर्णयों या विचार और निर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट और आरक्षित मामलों पर भी विचार किया जाएगा। 2022–23 के दौरान इस समिति की सतरह बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों के कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए।

9 निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

अगस्त 2016 में अध्यक्ष के रूप में निदेशक (वित्त) सहित कंपनी के सभी कार्यात्मक निदेशकों और समिति के अध्यक्ष के रूप में सीएमडी सहित निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। 31.3.2023 तक, समिति में अध्यक्ष के रूप में निदेशक (वित्त), डॉ पी के वर्मा, स्वतंत्र निदेशक, श्री जे रवि शंकर, निदेशक (विपणन) और श्री आर आर सिन्हा, निदेशक (कार्मिक) समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे। उक्त समिति लिस्टिंग विनियमों और समय–समय पर संशोधित किसी भी अन्य क़ानून के अन्य प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट भूमिकाओं के अनुसार कार्य करेगी। कंपनी सचिव समिति के सचिव बने रहेंगे। 2022–23 के दौरान इस समिति की दो बैठकें हुई जिनका विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	बैठक की तारीख	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	20.09.2022	डा.पी के वर्मा श्री जे.रवि शंकर श्री आर आर सिन्हा	श्री के के गुप्ता
2	28.03.2023	डा.पी के वर्मा श्री जे.रविशंकर श्री आर आर सिन्हा	श्री के के गुप्ता

आम सभा बैठकें

कंपनी की आम वार्षिक बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निकटवर्ती स्थान पर आयोजित की जाती हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी बैठकों के विवरण नीचे दिये गए हैं :–

बैठक की प्रकृति	तारीख व समय	पारित विशेष संकल्प
56वीं वार्षिक आम बैठक	30.09.2019 को 1130 बजे	शून्य
57वीं वार्षिक आम बैठक	24.12.2020 को 1130 बजे	शून्य
58वीं वार्षिक आम बैठक	23.04.2022 को 1130 बजे	शून्य
59वीं वार्षिक आम बैठक	08.12.2022 को 1130 बजे	शून्य

प्रकटन

ए) निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नही है।

बी) विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के बीच कोई लेनदेन नहीं हुआ है अर्थात कंपनी का अपने प्रोमोर्ट्स, निदेशकों अथवा प्रबंधन, सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेन–देन नहीं हुआ है जिससे कंपनी के हित प्रभावित होने की शंका हो। ''संबंधित पक्ष लेन–देन'' के अन्य विवरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों के भाग के नोट्स में प्रकट किये गये हैं।

सी) कंपनी ने इम्पलाइज स्टॉक आप्शन स्कीम को नहीं अपनाया है।

डी) कंपनी ने ''व्हिसल ब्लोअर पालिसी'' तैयार की है जिसे एमएमटीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

ई) कंपनी ने एक विजिल मैकेनिजम तैयार किया है जिसे कंपनी की वेवसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

एफ) कंपनी ने मोटे तौर पर सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई, भारत सरकार द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉरर्पोरेट सुशासन पर दिशानिर्देशों की, रिपोर्ट में उल्लिखित को छोड़कर, सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।`।

जी) कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकार का या किसी अन्य पूंजीबाजार से संबंधित मामले में इनके द्वारा कंपनी पर विगत तीन वर्षों के दौरान कोई जुर्माना या आक्षेप नहीं लगाया गया।

एच) सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 की अनुसूची V का भाग सी के खंड 9(एन) के अनुसरण में, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक – सी पर सूचीबद्ध अस्तित्व के द्वारा वस्तु जोखिम दिए गए हैं।

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के तहत, कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को 8 जुलाई 2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था और वही कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ संलग्न (अनुलग्नक–ए) है।

सूचना के साधन

कंपनी के तिमाही, अर्ध–वार्षिक अनअंकेक्षित परिणामों को संबंधित अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर तथा कम्पनी के वार्षिक अंकेक्षित परिणामों को साधारणतः 60 दिनों के भीतर घोषित किया जाता है, जिन्हें प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा कंपनी की वेबसाइट www.mmtclimited.com पर अपलोड किया जाता है। हालाँकि, वर्ष 2022–23 के दौरान, विभिन्न अकाट्य कारणों से, इन्हें समय पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सका।

शेयरधारकों की सूचना

(ए) वार्षिक आम बैठकः

कंपनी की 60वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 22 नवंबर, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

(बी) वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय कैलेंडर

तिमाही के अंत के लिए तिमाही परिणामों को अपनाना	वित्तीय परिणाम अपनाने की तिथि
30 जून 2023	14 अगस्त 2023(बोर्ड द्वारा 22.09.2023 को अनुमोदित)
30 सितंबर 2023	14 नवंबर 2023
31 दिसंबर 2023	14 फरवरी 2024
31 मार्च 2024	30 मई 2024

(सी) बुक क्लोजर की तिथियां

प्रस्तावित वार्षिक आम बैठक के लिए 16.11.2023 से 22.11.2023 (दोनों दिन शामिल) तक शेयर अन्तरण पुस्तिकाओं तथा सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखा जाएगा।

(डी) **लाभांश भुगतानः–** सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की धारा 43ए के प्रावधानों के अनुसारः कंपनी ने अनुलग्नक–बी में संलग्न एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है और यह https:/mmtclimited-com/files/dividend % 20distribution %20policy.pdf पर उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
दर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दिनांक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ई) **स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता**

कंपनी के शेयर बीएसई तथा एनएसई में सूचीबद्ध हैं। दोनों स्टॉक एक्स्चेंजों को वित्तीय वर्श 2022–23 के लिए लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

(एफ) **बाजार–मूल्य डाटा**

वर्ष 2022–23 के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज/एनएसई पर उद्धृत/व्यापार किए गए एमएमटीसी के स्क्रिप का माहवार बाजार भाव आंकड़ा नीचे दिया जा रहा हैः

महीना	अधिकतम (रूपये)	न्यूनतम (रूपये)	महीना	अधिकतम (रूपये)	न्यूनतम (रूपये)
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज			**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज**		
अप्रैल 2022	55.30	44.10	अप्रैल 2022	46.95	44.80
मई 2022	45.40	37.00	मई 2022	41.90	40.05
जून 2022	42.40	31.15	जून 2022	40.8	38.8
जुलाई 2022	43.00	37.55	जुलाई 2022	41.9	39.6
अगस्त 2022	45.80	39.10	अगस्त 2022	45.9	44.3
सितंबर 2022	42.60	33.35	सितंबर 2022	34.85	33.1
अक्तूबर 2022	36.90	33.50	अक्तूबर 2022	34.7	34.15
नवंबर 2022	43.45	34.10	नवंबर 2022	43.45	41.05
दिसंबर 2022	42.80	33.10	दिसंबर 2022	38.45	37.45
जनवरी 2023	39.15	32.75	जनवरी 2023	34.4	33.15
फरवरी 2023	34.95	30.05	फरवरी 2023	31.1	30.01
मार्च 2023	32.65	26.40	मार्च 2023	28.7	27.8

(जी) रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट्स(आरटीए) : मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020 को दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से डिमैटरियलाइज्ड तथा फिजिकल दोनों प्रकार के शेयरों के लिए कंपनी का रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नियुक्त किया गया है।

(एच) शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन

सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा आईएसआईएन संख्याः आईएनई123एफ01029 के साथ, एमएमटीसी लिमिटेड के शेयर डिमैटरियलाइज्ड रूप में व्यापार करने हेतु स्वीकृत सिक्यूरिटी के रूप में स्वीकार किए गए।

31 मार्च, 2023 को एमएमटीसी लिमिटेड के 1/– रुपए प्रतिशेयर के अंकित मूल्य की दर से 150 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 1348903143 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और 151096857 शेयर डिमैटरियलाइज्ड रूप में अन्य के पास हैं, और केवल 3666 शेयर फिजिकल रूप में हैं।

(आई) शेयर अंतरण पद्धति

डिमैटरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध शेयरों का अन्तरण डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा इलेक्ट्रोनिक फार्म में प्रोसेस तथा अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2023 को शेयर अन्तरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। भौतिक रूप में शेयर अंतरण सेबी द्वारा दिनांक 01.04.2019 से बंद कर दिया गया है। शेयर ट्रांसफर / ट्रांसमिशन शेयर अंतरण तथा निवेश संबंधी सभी मामले आरटीए कार्यालय अर्थात एमसीएस लिमिटेड द्वारा देखे तथा प्रोसेस किए जाते हैं।

(जे) दिनांक 31.03.2023 को शेयर होल्डिंग का वितरण : दिनांक 31.3.2023 की शेयरहोल्डिंग के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है :–

श्रेणी	शेयरहोल्डर की श्रेणी	शेयरहोल्डर्स की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल शेयरहोल्डिंग प्रतिशत में
(ए)	**प्रोमोटर तथा प्रोमोटर ग्रुप की शेयरहाल्डिंग**			
(I)	केंद्र सरकार	1	1348903143	89.9269
(B)	**पब्लिक शेयरहोल्डिंग**			
(ए)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार	1		
(बी)	म्युचुअल फंड्स/ए आई एफ	4	145809	0.0097
(सी)	वित्तीय संस्थान/बैंक	2	650	0.0000
(डी)	बीमा कंपनीज	5	38286728	2.5524
(ई)	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	3	981972	0.0655
	गैर–संस्थान			
(ए)	कारपोरेट निकाय	588	4302779	0.2869
(बी)	व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए तक है	196399	104330060	6.9553
(सी)	व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए से अधिक है	1248163	0.0832	
(डी)	ट्रस्ट तथा फाउंडेशन	9	10250	0.0007
(ई)	नॉन रेजिडेंट व्यक्तिगत	1248	1720783	0.1147
(एफ)	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	2	42500	0.0028
(जी)	कोओपरेटिव सोसाईटीज	1	5000	0.0003
(एच)	आईईपीएफ	1	22163	0.0015
	कुल	198268	1500000000	100

टिप्पणी : कोई भी जीडीआर/एडीआर/वॉरन्ट/परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

(के) 31.03.2023 को 10 सबसे बड़े शेयरधारक

क्र.सं.	नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	1348903143	89.926
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	34613606	2.30
3	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी	1712446	0.11
4	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया	1000000	0.067
5	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि	675268	0.0450
6	क्वाड्रेचर केपिटल विक्टर एसपी लिमिटेड	490302	0.032
7	नीरज सचदेवा	460000	0.031
8	मुकुंद लाल बहेती	450000	0.03
9	दी ओरिएंटल इन्सुरेंस कंपनी लि	285408	0.019
10	घनश्याम गर्ग	229977	0.015

(एल) 31.03.2023 को शेयरहोल्डिंग का वितरण

श्रेणी (शेयर)	शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत
1-500	19818936	1.3213	153644	80.4819
501-1000	14841279	0.9894	18423	9.6503
1001-2000	14901703	0.9934	9751	5.1078
2001-3000	8887597	0.5925	3426	1.7946
3001-4000	5128958	0.3419	1423	0.7454
4001-5000	5792019	0.3861	1225	0.6417
5001-10000	13492198	0.8995	1828	0.9575
10001-50000	20840308	1.3894	1078	0.5647
50001-100000	5611703	0.3741	78	0.0409
तथा इससे ऊपर	1390685299	92.7124	29	0.0152
कुल	1500000000	100	190905	100

(एम) 31 मार्च 2023 को शेयरहोल्डिंग का भौगोलिक वितरण

शहर	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
अहमदाबाद	6875	3.60	5274295	0.35
बंगलुरू	4796	2.51	3159754	0.21
भुवनेश्वर	579	0.30	359128	0.02
चंडीगढ़	691	0.36	586252	0.04
चैन्नई	3837	2.01	3598674	0.24
दिल्ली	16613	8.70	1358918823	90.59
गोहाटी	402	0.21	297443	0.02
हैदराबाद	3581	1.88	2437610	0.16
जयपुर	3556	1.86	2248405	0.15
कानपुर	1214	0.64	731248	0.05
कोलकाता	5159	2.70	5458268	0.36
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई	21395	11.21	56741788	3.78
नागपुर	1219	0.64	453746	0.03
एनसीआर	5702	2.99	4442884	0.30
पटना	963	0.50	554493	0.04
त्रिवेंद्रम	310	0.16	102978	0.01
अन्य	114013	59.72	54634211	3.64

(एन) शेयरहोल्डर्स / अन्य निवेशकों की शिकायतें

शेयरधारकों / अन्य निवेशक अपनी शिकायत अनुपालन अधिकारी को ई–मेल आईडी akmishra@mmtclimited.com पर भेज सकते हैं।

(ओ) पत्राचार का पता : बोर्ड सचिवालय
एमएमटीसी लिमिटेड, कोर –1, स्कोप कॉम्पलेक्स,
7, इंस्टीट्यूश्नल एरिया,
लोदी रोड, नई दिल्ली –110003.
फोन संख्या : 011– 24361889 ई–मेल : mmtc@mmtclimited.com

कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक–ए

सेबी (लिस्टिंग आब्लिगेषंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के प्रावधानों के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है किः

ए) दिनांक 31.3.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों तथा नकद प्रवाह विवरणों की समीक्षा की गई है तथा अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस बारे में हमारा कहना है कि :

i. इन विवरणों में किसी भी तरह का असत्य कथन शामिल नहीं है अथवा न ही किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया गया है अथवा इसमें न ही ऐसे कथन शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं ;

ii. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन में हैं।

बी) हमारी जानकारी एवं विष्वास के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया जो कंपनी की आचार संहिता के अनुसार धोखाधड़ी, अवैध अथवा उल्लंघन की श्रेणी में आता हो।

सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की संरचना अथवा परिचालन से संबंधित यदि कोई कमी हमारी जानकारी में आई है तो हमने उसकी सूचना लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को दे दी है। इसके अलावा हमने इन कमियों को दूर करने के उपाय किए हैं अथवा दूर करने का प्रस्ताव है।

डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में बता दिया है :

I. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं तथा हमने इसका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में कर दिया है; तथा

iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी के ऐसे मामले, जिनमें प्रबंधतंत्र अथवा कोई कर्मचारी शामिल है तथा उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका है।

हस्ता. /–
(कपिल कुमार गुप्ता)
(निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ)

हस्ता. /–
(आर.आर.सिन्हा
(निदेशक (का.)

हस्ता. /–
(हरदीप सिंह)
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अति.प्रभार)

कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का अनुलग्नक– बी
एमएमटीसी लिमिटेड की लाभांश वितरण नीति

I पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग आब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसरण में बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पाँच सौ सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को गणना की जाती है) वह लाभांश वितरण की एक पालिसी बनाए तथा उसकी सूचना अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दें तथा उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे ।

चूंकि एमएमटीसी 31 मार्च, 2016 के मानदंडों के अनुसार शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, इसलिए इसने लाभांश वितरण की पालिसी तैयार की है।

II पॉलिसी फ्रेमवर्क

पालिसी मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की पूंजी का पुनर्गठन" विषय पर जारी दिशानिर्देशों, लोक उद्यम विभाग, सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों इत्यादि के अनुसार किया गया है।

III कारक जिनको विचार में लिया जाता है

एमएमटीसी लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है तथा यह अपने सभी स्टेकहोल्डर्स को सतत मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया जाता है। बोर्ड लाभांश की सिफारिश अपने विवेक के आधार पर करता है। बोर्ड अंतरिम लाभांश भी घोषित कर सकता है।

लाभांश भुगतान का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है चूंकि ऐसा करते समय कंपनी के शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने वाले लाभ की राशि तथा कंपनी को अपने निरंतर विकास की योजनाओं में लगाई जाने वाली आंतरिक पूंजी के बीच संतुलन बनाना होता है। लाभांश की सिफारिश/घोषणा करने से पहले जिन कारकों पर विचार किया जाता है, वे इस प्रकार हैं:

ए. परिस्थितियां जिनके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं

लाभांश की सिफारिश करने से पहले बोर्ड द्वारा आमतौर पर जिन कारकों पर विचार किया जा सकता है, उनमें भविष्य की पूंजीगत व्यय योजना, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति और समय–समय पर लागू दिशानिर्देशों के अधीन कर सहित लाभांश पर कर शामिल है परंतु केवल ये ही कारक विचारणीय नही हो सकते।

बी. लाभांश की घोषणा करते समय भी वित्तीय पैरामीटर पर विचार किया जाएगा

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान होने के नाते, कंपनी का प्रयास रहता है कि वह भारत सरकार के डीआईएपीएम द्वारा ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की पूंजी की रिस्ट्रक्चरिंग'' विशय पर जारी दिशानिर्देशों जिनके अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को अपने पीएटी पर 30 प्रतिशत अथवा नेट–वर्थ पर 5 प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से लाभांश का भुगतान करना होता है बशर्ते कि मौजूदा कानूनी प्रावधान अधिकतम लाभांश के भुगतान की अनुमति देते हों।

फिर भी, कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह उस अधिनियम, जिसके तहत उसका गठन हुआ है के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम लाभांश का भुगतान कर सकती है। कम लाभांश का भुगतान तभी किया जा सकता है जब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित वित्तीय पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मामले में उचित निर्णय ले :

(i) ऋण लेने के लिए नेटवर्थ और क्षमता;
(ii) दीर्घकालिक उधार;
(iii) कैपेक्स/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताएं;
(iv) कैपेक्स की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे लाभ उठाने के लिए लाभ का रिटंशन; तथा
(v) नकद और बैंक शेष।

सी. आंतरिक एवं बाहरी कारक जिन्हें लाभांश की घोषणा के लिए विचार के लिए शामिल किया जाएगा

सी.1 आंतरिक कारक

कंपनी की नेट वर्थ

भारत सरकार के डीआईपीएएम द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को अपने पीएटी पर 30 प्रतिशत अथवा नेट–वर्थ पर 5 प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से लाभांश का भुगतान करना होता है बशर्ते कि मौजूदा कानूनी प्रावधान अधिकतम लाभांश के भुगतान की अनुमति देते हों। सरकारी कंपनी होने के नाते, एमएमटीसी के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

उपरोक्त मापदंडों के अलावा, कंपनी विभिन्न अन्य आंतरिक कारकों पर भी विचार कर सकती है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- मौजूदा व्यवसायों की वर्तमान और भविष्य की पूंजी की आवश्यकताएं;
- कंपनी का सहायक/असोसिएट्स में अतिरिक्त निवेश;
- अन्य कोई कारक जिसे बोर्ड उचित समझे।

सी.2 बाहरी कारक

सी.2.1 आर्थिक परिदृश्य

आर्थिक अनिश्चितता अथवा मंदी तथा व्यावसायिक स्थिति के मामले में, कंपनी भावी उतार–चढ़ाव से निपटने के लिए रिजर्व में वृद्धि करने के लिए लाभ के बड़े हिस्से को रिटेन करने का प्रयास करेगी।

सी. 2.3 वैधानिक प्रावधान और दिशानिर्देश

कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करेगी। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार अथवा अन्य सांविधिक निकायों द्वारा लाभांश घोषणा के संबंध मे समय–समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

डी. रिटेंड अर्जन का उपयोग

कंपनी विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करती है तथा यह अपने व्यवसाय के विविधीकरण के उपायों के रूप में ऐसे संयुक्त उद्यमों में भागीदारी कर सकती है जो इसके व्यापार से मेल खाते हों। रिटेंड किए गए अर्जन को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए उद्देश्यों के अनुरूप लगाया जाएगा, जिससे कंपनी के कारोबार और परिचालन में वृद्धि होगी।

ई. विभिन्न वर्गों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर्स

रिकॉर्ड तिथि की स्थिति के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। चूंकि कंपनी ने समान वोटिंग अधिकारों के साथ केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर जारी किए हैं, इसलिए कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। किसी भी नए वर्ग के शेयरों के जारी होने की प्रकृति और दिशानिर्देशों के आधार पर इस नीति को समय–समय पर संशोधित किया जाएगा।

अन्य प्रावधान

यदि बाद में किसी भी वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि में कोई परिवर्तन किया जाता है तथा ऐसे परिवर्तन का कोई प्रावधान वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि के अनुरूप नही है तो उस स्थिति में परिवर्तित पालिसी की बजाय उक्त वैधानिक अधिनियम, नियम, विनियम के प्रावधान मान्य होंगे।

इस पालिसी में मामूली संशोधन/परिवर्तन सीएमडी के अनुमोदन से किया जा सकता है तथा वे इस पालिसी के संबंध में किसी भी व्याख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

VAP & ASSOCIATES
Company Secretaries

Head Office:
387, First Floor, Shakti Khand 3,
Indirapuram, Ghaziabad 201010, U.P.
Tel.+91 0120 4272409
M-+91-9910091070, 9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार

सेवा में,

सदस्यगण
एमएमटीसी लिमिटेड
कोर–1 स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 इंस्टीट्यूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (**CIN L51909DL1963GOI004033**) (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उचित कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है । सचिवीय ऑडिट इस तरीके से आयोजित किया गया था जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया ।

ए) कंपनी की पुस्तकों, कागजों, मिनट बुक्स, फाइल किए गए प्रपत्रों और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करें कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 (ऑडिट अवधि) को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन; बोर्ड–प्रक्रिया और अनुपालन–तंत्र है

बी) हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न फाइल और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है। के प्रावधानों के अनुसार:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम ;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक लागू होते हैं;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत लागू सीमा तक निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं:

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015;(''एलओडीआर'')

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा), विनियम 2018; (ऑडिट अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018 (ऑडिट अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);

एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और गैर–परिवर्तनीय और प्रतिदेय वरीयता शेयरों की सूची) विनियम, 2013 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं)

जे) कंपनियों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 अधिनियम, 2013 और जारी की गई प्रतिभूतियों की सीमा तक ग्राहक के साथ व्यवहार करना;

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग ('डीपीई दिशानिर्देश') द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, 2010।

(vii) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में, प्रासंगिक दस्तावेजों और उसके अनुसरण में रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, नमूना जांच के आधार पर, कंपनी ने आमतौर पर कंपनी के विशिष्ट रूप से लागू कानूनों का कंपनी के लिए उनकी प्रयोज्यता की सीमा तक अनुपालन किया है जैसा कि पहचाना गया है जिसमें प्रबंधन द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961, कस्टम अधिनियम, 1962, आदि को शामिल किया गया है।

सी. हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल (एसएस-1) और सामान्य बैठकों की (एसएस-2) बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक।
(ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते।

डी. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर ऊपर उल्लेखित अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन पालन किया है :

(i) बोर्ड की संरचना अधिनियम की धारा 149(1), एलओडीआर के विनियम 17(1)(ए) और 17(1)(बी) और खंड 3.1.4 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 10.01.2023 से 31.03.2023 तक बोर्ड में पचास प्रतिशत गैर कार्यकारी निदेशक शामिल नहीं थे, 21.01.2023 से 31.03.2023 तक बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी, बोर्ड के आधे भाग में गैर कार्यकारी निदेशक शामिल नहीं थे। 01.04.2022 से 31.03.2023 तक स्वतंत्र निदेशक और 21.01.2023 से 31.03.2023 तक बोर्ड के दो–तिहाई सदस्यों में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।)

(ii) लेखापरीक्षा समिति (एसी) की संरचना अधिनियम की धारा 177/2) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(ए) और 18(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और 4.1.2, के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। चूंकि एसी में 10.01.2023 से 21.03.2023 तक तीन सदस्य शामिल नहीं थे और 21.01.2023 से 31.03.2023 तक एसी के दो–तिहाई सदस्यों में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।

(iii) एसी बैठकों का समय अंतराल और कोरम सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के 18(2)(ए) और 18(2)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के अनुपालन में नहीं था, क्योंकि एसी बैठक दिनांक 14.11.2022 और 28.03.2023 के बीच में एक सौ बीस दिन से अधिक का समय अंतराल था और बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 131वीं एसी बैठक में कोरम पर्याप्त नहीं था।

(iv) नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संरचना सेबी के विनियमन 19(1)(ए), 19(1)(बी) और 19(1)(सी) (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1, के तहत प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी, एनआरसी में 10.01.2023 से 21.03.2023 तक तीन सदस्य शामिल नहीं थे। समिति में 22.03.2023 से 31.03.2023 तक सभी गैर कार्यकारी निदेशक शामिल नहीं थे, एनआरसी के दो–तिहाई सदस्यों में 21.01.20235 से 31.03.2023 तक स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।

(v) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की संरचना विनियम 21(2) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी क्योंकि जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के दो तिहाई सदस्यों में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे और आरएमसी बैठकों के बीच समय का अंतर था। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21(3सी) के तहत प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था क्योंकि दिनांक 20.09.2022 और 28.03.2023 की आरएमसी बैठकों के बीच समय अंतराल एक सौ अस्सी दिनों से अधिक था।

जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ('प्रशासनिक मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण में है और निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी ने आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए मामले को प्रशासनिक मंत्रालय को भेज दिया है।

(vi) विनियमों के विनियम 33(3)(ए) और विनियम 33(3डी) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में देरी हुई। 31.03.2022 और 30.06.2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम क्रमशः 08.07.2022 और 30.08.2022 को प्रस्तुत किए गए। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय परिणाम 08.07.2022 को प्रस्तुत किए गए थे जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया था, एंग्लो कोल मामले और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एमएमटीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी) के विनिवेश के कारण वित्तीय परिणाम समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

(vii) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) के अनुसार निदेशकों का निश्पादन मूल्यांकन कंपनी द्वारा नहीं किया गया था।

जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, कंपनी भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ('प्रशासनिक मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण में है और मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

हम आगे इसकी रिपोर्ट करते हैंः

I. कंपनी के निदेशक मंडल का गठन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में ऊपर दिए गए पैरा डी में बताए गए को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के पर्याप्त संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।
II. बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे और बैठक से पहले बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद होती है। .
III. बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं जो कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं और लागू कानूनों, नियमों विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते **वीएपी एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
FRN: S2014UP280200
पीयर समीक्षा संख्याः 1083/2021
पारुल जैन
प्रोपराइटर
M. No. F8323
CP No. 13901
UDIN: F008323E000901811

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 31.08.2023

<u>अनुलग्नक – 'ए'</u>

सदस्यगण
एमएमटीसी लिमिटेड

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है ।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों । हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी ।

4. हमारी लेखापरीक्षा जांच केवल कंपनी द्वारा किए जाने वाले लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इससे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।

5. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता के साथ–साथ विभिन्न प्रकटीकरणों और रिटर्न में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया है, जैसा कि निर्दिष्ट कानूनों के तहत कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, हालांकि हम इस तरह के रिटर्न में दी गई जानकारी पर कुछ हद तक भरोसा किया है ।

6. कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की इस ऑडिट में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं और इस रिपोर्ट की सामग्री को पढ़ा जाना है कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखापरीक्षक(ओं)/एजेंसियों/प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में, यदि कोई हो, टिप्पणियों के संयोजन में और अलग–थलग नहीं ।

7. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है ।

8. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
एफआरएनः S2014UP280200

पारुल जैन
प्रोपराइटर
एम सं.. F8323
सीपी सं. 13901
यूडीआइएनः F008323E000901811

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 09.09.2023

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अपनी रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

लेखापरीक्षकों का अवलोकन	प्रबंधतंत्र का उत्तर
(i) बोर्ड की संरचना एलओडीआर के विनियम 17(1)(ए) और 17(1)(बी) के प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुपालन में नहीं थी जैसा कि बोर्ड के पचास प्रतिशत में 10.01.2023 से 31.03.2023 तक गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल नहीं थे, 21.01.2023 से 31.03.2023 तक बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी और 01.04.2022 से 31.03.2023. तक बोर्ड के आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।	एमएमटीसी लिमिटेड के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी एक केंद्रीय पीएसयू है, कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने का मामला वाणिज्य विभाग, एमओसीएंडआई के साथ उठाया गया है।
(ii) ऑडिट समिति (एसी) की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(ए) और 18(1)(बी) के प्रावधानों और और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 ओर 4.1.2 के अनुपालन में नहीं थी। क्योंकि एसी में 10.01.2023 से 21.03.2023 तक तीन सदस्य शामिल नहीं थे और 21.01.2023 से 31.03.2023 तक एसी के दो–तिहाई सदस्यों में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।	एमएमटीसी लिमिटेड के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी एक केंद्रीय पीएसयू है, कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। भारत। स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने का मामला वाणिज्य विभाग, एमओसीएंडआई के साथ उठाया गया है।
(iii) एसी बैठकों का समय अंतराल और कोरम सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के 18(2)(ए) और 18(2)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के अनुपालन में नहीं था, क्योंकि दिनांक 14.11.2022 से 28.03.2023 के बीच एसी बैठक में एक सौ बीस दिन से अधिक समय अंतराल था और बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 131वीं एसी बैठक में कोरम उचित नहीं था।.	चूंकि एमएमटीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक और एक सरकारी नामित निदेशक का कार्यकाल पूरा होने के कारण कोई उचित कोरम नहीं था। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और सरकारी निदेशक का नामांकन सरकार के विचाराधीन है।
(iv) नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संरचना सेबी के विनियमन 19(1)(ए), 19(1)(बी) और 19(1)(सी) के तहत प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी। एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1, एनआरसी में 10.01.2023 से 21.03.2023 तक तीन सदस्य शामिल नहीं थे। समिति में 22.03.2023 से 31.03.2023 तक सभी गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल नहीं थे। 21.01.2023 से 31.03.2023 तक एनआरसी के दो–तिहाई सदस्यों में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे	एमएमटीसी लिमिटेड के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी एक केंद्रीय पीएसयू है, कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने का मामला वाणिज्य विभाग, एमओसीएंडआई के साथ उठाया गया है।
(v) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की संरचना विनियम 21(2) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी क्योंकि जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के दो तिहाई सदस्यों में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे और आरएमसी बैठकों के बीच समय का अंतर सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21(3सी) के तहत प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था क्योंकि दिनांक 20.09.2022 और 28.03.2023 की आरएमसी बैठकों के बीच समय अंतराल एक सौ अस्सी दिनों से अधिक था।	एमएमटीसी लिमिटेड के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी एक केंद्रीय पीएसयू है, कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने का मामला वाणिज्य विभाग, एमओसीएंडआई के साथ उठाया गया है।

(vi) विनियम 33(3)(ए) और विनियम 33(3)(डी) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में देरी हुई। 31.03.2022 और 30.06.2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम क्रमशः 08.07.2022 और 30.08.2022 को प्रस्तुत किए गए। वित्तीय वर्ष 2021–22 के वित्तीय परिणाम 08.07.2022 को प्रस्तुत किए गए।	जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, एंग्लो कोल केस और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एमएमटीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी) के विनिवेश के कारण वित्तीय परिणाम समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। कंपनी ने इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों से छूट का अनुरोध किया था।
(vii) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) के अनुसार निदेशकों के निश्पादन का मूल्यांकन कंपनी द्वारा नहीं किया गया था।	जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, कंपनी भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ('प्रशासनिक मंत्रालय') के प्रशासनिक नियंत्रण में है और मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

कारपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में

एमएमटीसी सदस्य
एमएमटीसी लिमिटेड
कोर 1, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया
लेधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) में निर्धारित है।) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010 में विभाग द्वारा जारी अनुसूची V के पैरा सी और डी सार्वजनिक उद्यम ("डीपीई दिशानिर्देश")।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

(i) बोर्ड की संरचना एलओडीआर के विनियम 17(1)(ए) और 17(1)(बी) के प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुपालन में नहीं थी जैसा कि 10.01.2023 से 31.03.2023 तक बोर्ड के पचास प्रतिशत गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल नहीं थे, 21.01.2023 से 31.03.2023 तक बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी और 01.04.2022 से 31.03..2023 तक बोर्ड के आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे। .

(ii) ऑडिट समिति (एसी) की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(ए) और 18(1)(बी) के प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.2, खंड 4.1.1 के अनुपालन में नहीं थी। क्योंकि एसी में 10.01.2023 से 21.03.2023 तक तीन सदस्य शामिल नहीं थे और 21.01.2023 से 31.03.2023 तक एसी के दो–तिहाई सदस्यों में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।

(iii) एसी बैठकों का समय अंतराल और कोरम सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के 18(2)(ए) और 18(2)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के अनुपालन में नहीं था, क्योंकि बीच में समय अंतराल था। एसी बैठक दिनांक 14.11.2022 और 28.03.2023 को एक सौ बीस दिन से अधिक हो गए हैं और बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 131वीं एसी बैठक में कोरम उचित नहीं था।

(iv) नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संरचना सेबी के विनियमन 19(1)(ए), 19(1)(बी) और 19(1)(सी) के तहत प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी। एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1, एनआरसी में 10.01.2023 से 21.03. 2023 तक तीन सदस्य शामिल नहीं थे। समिति में 22.03.2023 से 31.03.2023 तक सभी गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल नहीं थे। 21.01.2023 से 31.03.2023 तक एनआरसी के दो–तिहाई सदस्यों में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे

(v) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की संरचना विनियम 21(2) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी क्योंकि जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के दो तिहाई सदस्यों में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे और आरएमसी बैठकों के बीच समय का अंतर था। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21(3सी) के तहत प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था क्योंकि दिनांक 20.09.2022 और 28. 03.2023 की आरएमसी बैठकों के बीच समय अंतराल एक सौ अस्सी दिनों से अधिक था।

जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, कंपनी भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ('प्रशासनिक मंत्रालय') के प्रशासनिक नियंत्रण में है और निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के अनुसार अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और ऐसे अन्य निदेशकों की नियुक्ति के लिए मामले को प्रशासनिक मंत्रालय को भेज दिया है।

(vi) विनियमों के विनियम 33(3)(ए) और विनियम 33(3)(डी) के अनुसार वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में देरी हुई। 31.03.2022 और 30. 06.2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम क्रमशः 08.07.2022 और 30.08.2022 को प्रस्तुत किए गए। वित्तीय वर्ष 2021–22 के वित्तीय परिणाम 08.07.2022 को प्रस्तुत किए गए।

जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, एंग्लो कोल केस और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एमएमटीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी) के विनिवेश के कारण वित्तीय परिणाम समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

(vii) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) के अनुसार निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन कंपनी द्वारा नहीं किया गया था।

जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, कंपनी भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ('प्रशासनिक मंत्रालय') के प्रशासनिक नियंत्रण में है और मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता और प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट
कंपनी सचिव
एफआरएन**: S2014UP280200**
पीयर समीक्षा सं.: 1083 / 2021

पारूल जैन
प्रोपराईटर
एम.सं. **F**8323
सी.पी.सं. **13901**

तिथि **: 31.08.2023**
स्थान : गाजियाबाद

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

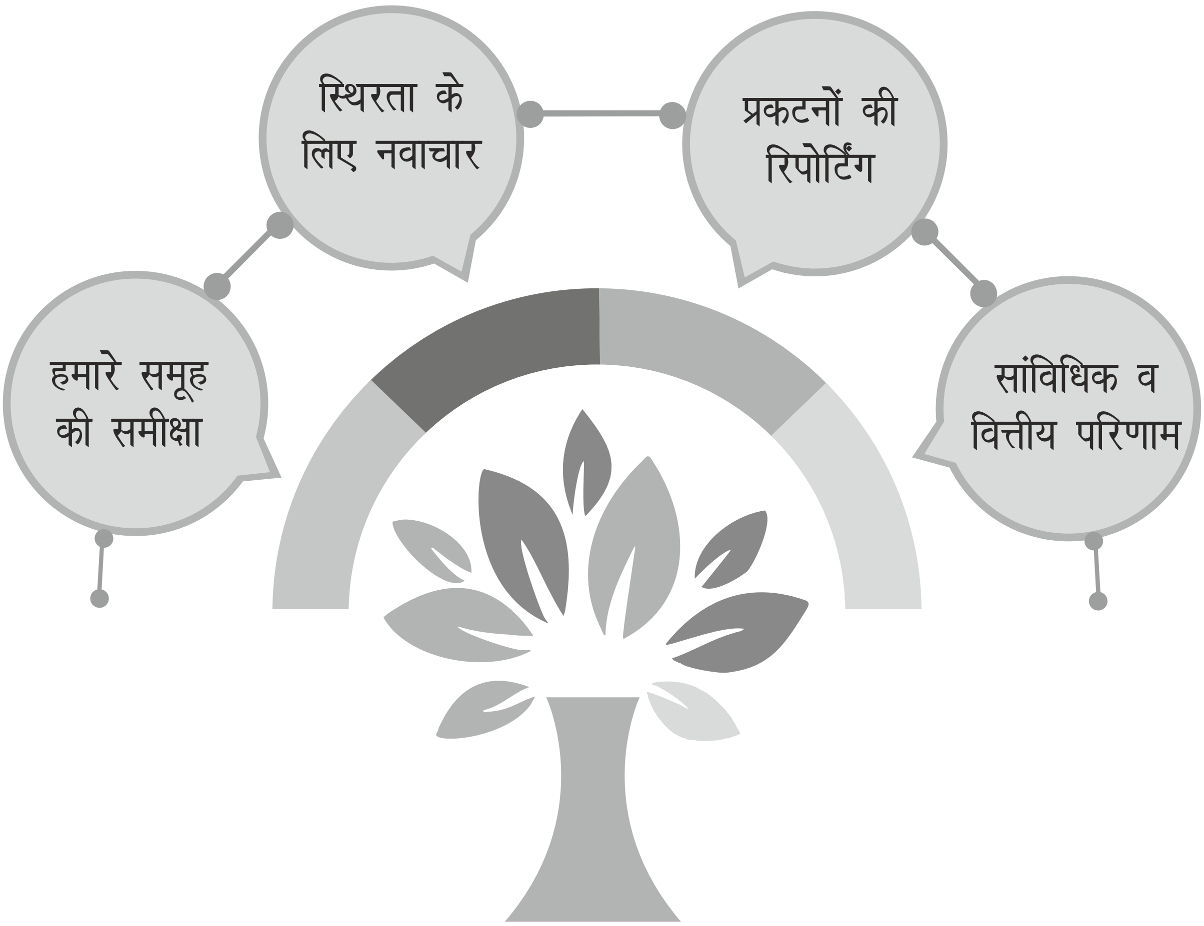

व्यवसाय दायित्व एवं
सतत रिपोर्टिंग फोर्मेट
खंड एः सामान्य प्रकटन

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1. सूचीबद्ध इकाई की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) :	**L51909DL1963GOI004033**
2. सूचीबद्ध इकाई का नाम	एमएमटीसी लिमिटेड
3. निगमन का वर्षः	**26-09-1963**
4. दर्ज कराई कार्यालय पताः	कोर–1 स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 भारत
5. निगमित पताः	कोर–1 स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 भारत
6. ईमेलः	**mmtc@mmtclimited.com**
7. टेलीफोनः	**011-24362200**
8. वेबसाइटः	**www.mmtclimited.com**
9. वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	**2022-23**
10. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं:	एनएसई और बीएसई
11. प्रदत्त पूंजीः	**1500000000**
12. उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है:	अजय कुमार मिश्रा (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) फोनः **9958404478** ईमेलः **akmisra@mmtclimited.com**

13. रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और एक साथ सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं) :

II. उत्पाद और सेवाएं

14. व्यापार गतिविधियों का विवरण (कारोबार के 90% का लेखांकन)

क्र.सं.	प्रमुख गतिविधि का विवरण	व्यवसाय गतिविधि का विवरण	इकाई के कारोबार का %
	कीमती धातु की मदों की बिक्री	केजी बार्स, मेडालियन, आभूषण	**95.65%**

15. इकाई द्वारा बेची गए उत्पाद और सेवाएं) (कारोबार के 90% का लेखांकन)

क्र.सं.	उत्पाद / सेवा	एनआईसी कोड	% का कुल कारोबार योगदान
1	सोना (डीटीए)	0	22.81%
2	चांदी अलौय किलोग्राम में	0	0.42%
3	सोना	0	9.34%
4	साँची, चांदी के पदक और चांदी के आभूषण	0	6.01%
5	सोने के आभूषण	0	0.33%
6	गोल्ड जीएमएस योजना	0	57.15%

III. संचालन

16. लोकेशन की संख्या जहां इकाई के प्लांट और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं :

लोकेशन	प्लांट की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	0	11	11
अंतरराष्ट्रीय	0	1	1

17. इकाई द्वारा सेवित बाजारः

ए. लोकेशन की संख्या

लोकेशन	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	10 राज्य
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1 देश

बी. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत के रूप में क्या योगदान है?

सी. ग्राहकों के प्रकार पर सक्षिप्त विवरणः

सरकारी विभाग = 3 % पीएसयू = 11%, निजी पार्टियां = 86%

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विवरणः

ए. कर्मचारी और वर्कर्स (दिव्यांग सहित)

क्र.सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं.(बी)	% (बी/ए)	सं.(सी)	% (सी/ए)
		कर्मचारी				
1	स्थायी (डी)	522	415	79.50%	107	20.50%
2	स्थायी कर्मचारी के अलावा (ई)	0	0	0	0	0
3	कुल कर्मचारी (डी + ई)	522	415	79.50%	107	20.50%
		वर्कर				
4	स्थायी (एफ)	23	23	100%	0	0
5	स्थायी कर्मी के अलावा (ई)	0	0	0	0	0

बी. दिव्यांग कर्मचारी और वर्कर्स के अलावाः

क्र.सं.	विवरण	कुल ए	पुरुष		महिला	
			सं. बी	: बी/ए	सं. सी	: सी/ए
			दिव्यांग कर्मचारी			
1	स्थायी (डी)		12	12	100.00%	00.00%
2	स्थायी कर्मचारी के अलावा (इ)		0	0		00.00%
3	कुल कर्मचारी (डी + इ)		12	12	100.00%	00.00%
			दिव्यांग वर्कर्स			
4	स्थायी (एफ)		0	0	0.00%	00.00%
5	स्थायी कर्मी के अलावा (इ)		0	0	0.00%	00.00%
6	कुल वर्कर्स (एफ+जी)		0	0	0.00%	00.00%

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

विवरण	कुल ए	महिलाओं की संख्या और प्रतिशतता	
		सं. बी	% बी / ए
निदेशक मंडल	7	1	14.29%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	5	0	0

20. स्थायी कर्मचारी और वर्कर्स के लिए कारोबार दर

(पिछले ३ वर्षो के लिए प्रकटन रूझान)

	वित्तीय वर्ष 2022– 2023 (चालू वित्तीय वर्ष में कारोबारी दर)			वित्तीय वर्ष 2021–22 (पिछले वित्तीय वर्ष में कारोबारी दर)			वित्तीय वर्ष 2021–22 (पिछले वित्तीय वर्ष से पूर्व के वर्ष में कारोबारी दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	**13%**	**10.83%**	**12.56%**	**15.58%**	**12.41%**	**14.96%**	**9.31 %**	**15.95%**	**10.69%**
स्थायी वर्कर्स	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**4%**	**9%**	**0%**	**0%**	**0%**

V. होल्डिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियां(संयुक्त उद्यम शामिल हैं)

21. (ए) होल्डिंग/सहायक कंपनी/ एसोसिएट कंपनियां/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. स.	होल्डिंग/सहायक कंपनी/ एसोसिएट कंपनियां/संयुक्त उद्यमों के नाम	क्या होल्डिंग/सहायक कंपनी/ एसोसिएट कंपनियां/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई के पास शेयरों का %	क्या कॉलम ए में दर्शायी गई इकाई सूचीबद्ध इकाई के व्यवसाय दायित्व की पहल भागीदारी करती है? (हां नहीं)
1	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड	सहायक	**100%**	हाँ
2	एमएमटीसी पीएएमपी इंडिया प्रा. लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	**26%**	हाँ
4	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	**26%**	हाँ
5	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	**50%**	हाँ
6	सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	**26%**	हाँ

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत लागू है : हाँ

(ii) कारोबार (₹) 35284800000 (एमएमटीसी समेकित)

(iii) निवल मूल्य (₹) 14117600000 (एमएमटीसी समेकित)

VII. पारदर्शिता और प्रकटन अनुपालन

23. राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/व्यथा दायित्व व्यावसायिक आचरणः

स्टेकहोल्डर समूह से जिसको शिकायत मिली है	वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र हां/नही — यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेबलिंक उपलब्ध करायें	वित्तीय वर्ष 2022–23 चालू वित्तीय वर्ष: वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर हल के लिए लंबित शिकायतों की सं.	टिप्पणी	वित्तीय वर्ष 2021–22 पहले का वित्तीय वर्ष: वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की सं.	वर्ष की समाप्ति पर हल के लिए लंबित शिकायतों की सं.	टिप्पणी
समुदाय	नहीं	**0**	**0**		**0**	**0**	
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ	**0**	**0**		**0**	**0**	
शेयरधारकों	हाँ	**0**	**0**		**0**	**0**	

हितधारक समूह से किसको शिकायत है प्राप्त	वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र (हां/नहीं)	वित्तीय वर्ष 2022–23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2022–23 पहले का वित्तीय वर्ष		
	यदि हां, शिकायत निवारण नीति का वेबलिंक दें	वर्ष के दौरान दायर शिकायत की सं.	वर्ष के अंत में निपटान के लिए शिकायतों की सं0	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर शिकायत की सं.	वर्ष के अंत में निपटान के लिए शिकायतों की सं0	टिप्पणी
कर्मचारी और वर्कर	हाँ	22	0	-	16	0	-
ग्राहकों	नहीं	0	0	लागू नहीं	7	0	लागू नहीं
मूल्य श्रृंखला भागीदारों	नहीं	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य (कृपया उल्लिखित करना)					18	0	एनआईएनएल कर्मचारियों और कैंटीन कर्मियों से शिकायतें प्राप्त हुईं

24. अवलोकन का इकाई का ठोस दायित्व व्यवसाय आचरण मामलों की समीक्षा

कृपया नीचे दिये गये प्रारूप में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें और सामाजिक मामले जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उनकी पहचान करने का औचित्य, दृष्टिकोण को अनुकूल बनाना या कम करना जोखिम साथ में इसका वित्तीय आशय इंगित करें

क्र.सं.	भौतिक मुद्दा पहचान की	इंगित करें जोखिम हो या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए राशनेल	जोखिम के मामले में, अपनाने के लिए या कम करे	जोखिम या अवसरों में वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहित)

खंड बीः प्रबंध और प्रक्रिया खुलासे

इस खंड का उद्देश्य एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्यतत्वों का अपनाने की दिशा में विद्यमान व्यापारिक संरचना और प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान करना है

प्रकटन प्रश्न		पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ										
1. ए.	क्या आपकी ईकाई की नीति/नीतियों मे प्रत्येक सिद्धांत और एनजीआरबीसी के कोर घटक शामिल हैं (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
बी.	क्या नीति बोर्ड से अनुमत हैं (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
सी.	नीतियाँ का वेबलिंक, अगर उपलब्ध हैं									

बाहरी स्टेकहोल्डर से संबंधित सभी नीतियां एमएमटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सिद्धांतों के लिए विशिष्ट नीतियां उपलब्ध हैं।
हमारी नीतियां यहां उपलब्ध हैं:

1. **https://www.mmtclimited.com/pages/display/135-code-of-business-conduct**
2. **https://www.mmtclimited.com/files/MMTC% 20LIMITED%20CSR%20 POLICY%20ENG.pdf**
3. **https://www.mmtclimited.com/pages/display/361-vigil-mechanism-policy**

		पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
2.	क्या इकाई ने – नीति को प्रक्रियाओं में बदला है। हाँ/नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके वेल्यू चैन पार्टनर को उपलब्ध करायी जाती है (हां/नही)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ

खुलासा प्रश्न		पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
4.	राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोड/ प्रमाण/लेबल/ मानक अर्थात प्रबंध फोरेस्ट स्टुअर्ड कांउसिल फेयरट्रेड , रेनफोरेस्ट अलायंस, ट्रस्टिया) मानक (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस आपकी इकाई द्वारा प्रत्येक सिद्धांत-संपादित और मैप किया									
5.	विशिष्ट प्रतिबद्धताएँ, लक्ष्य और लक्ष्यों को तय करना द्वारा इकाई साथ परिभाषित समयसीमा, यदि कोई है									
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताएँ, लक्ष्य और लक्ष्यों के लिए इकाई का निष्पादन के साथ कारण यदि यह पूरा नही होता है									
	गवर्नेंस नेतृत्व और आवरसाईट									

7. व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों (सूचीबद्ध) पर प्रकाश डाला गया है इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)

8. व्यवसाय दायित्व नीति को ओवरसाईट करने और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार उच्च प्राधिकारी का विवरण — डी. आई संख्या

9. क्या इकाई के पास स्थिरता संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार निदेशकध्बोर्ड की विशेष समित है। हाँ / नहीं
यदि है। — डीआई सं.

नाम

पद का नाम

टेलीफोन नहीं

ईमेल पहचान

हां, हमारे पास सीएसआर और है स्थिरता विकास समिति के साथ जोखिम प्रबंधन समिति है।
स्थिरता वर्टिकल सीधे निदेशक(आपरेशन) को रिपोर्टिंग है।

विस्तृत संरचना मिल सकती है

10. विवरण समीक्षा का एनजीआरबीसी के द्वारा कंपनीः

समीक्षा के लिए विषय	क्या निदेशक / मंडल समिति कोई अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक / अर्ध वार्षिक / त्रैमासिक / – कृपया उल्लेख करें								
	पी1	**पी2**	**पी 3**	**पी4**	**पी 5**	**पी 6**	**पी7**	**पी8**	**पी 9**	**पी1**	**पी2**	**पी 3**	**पी4**	**पी 5**	**पी 6**	**पी7**	**पी8**	**पी 9**
उपरोक्त नीतियों और फोलो अप के विरूद्ध निष्पादन					नही													
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक अपेक्षा का अनुपालन और गेर अनुपालन में संशोधन					नही													

11.	**पी1**	**पी2**	**पी 3**	**पी4**	**पी 5**	**पी 6**	**पी7**	**पी8**	**पी 9**
क्या संस्था ने बाहरी एजेंसी द्वारा इसकी नीतियां के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है? (हां नहीं)। यदि हां तो नाम बताएं एजेंसी का			नही						

यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है अर्थात सभी सिद्धांत किसी पॉलिसी में शामिल नहीं हैं, तो कारण बताया जाना चाहिएः

<प्रश्न एमएमटीसी पर लागू नहीं होता क्योंकि सभी एनजीआरबीसी सिद्धांत हमारी नीतियों के अंतर्गत आते हैं>

खंड सीः सिद्धांतानुसार निष्पादन प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके निष्पादन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतकों का खुलासा स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1ः व्यवसायों को ईमानदारी से और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आचरण और शासन करना चाहिए

जरूरी संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज :

सेगमेंट	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय / सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	2	स्वतंत्र निदेशक के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम	25%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0	-	0%
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	16	कार्यात्मक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण	36.21%
वर्कर्स	0	-	0%

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों / केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना / दंड / दंड / पुरस्कार / कंपाउंडिंग शुल्क / निपटान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में (ध्यान दें: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी:

	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि(रू.में)	मामले का सक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई? (हां नहीं)
			मोनेटरी		
दंड / जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संचयी शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
			नॉन मोनेटरी		
जेल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए मामलों में से, उन मामलों का विवरण दे जिनमें अधिमानित अपील / संशोधन का विवरण मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।**

उपरोक्त प्रश्न 2 में कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया, इसलिए लागू नहीं है

4. **क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब–लिंक प्रदान करें।**

हां, एमएमटीसी के पास रिश्वत और भ्रष्टाचार विरोधी (एबीएसी) नीति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका व्यवसाय उच्चतम नैतिक मानकों के अनुसार संचालित हो। उसी के माध्यम से पहुँचा जा सकता है

5. **ऐसे निदेशकों / केएमपी / कर्मचारियों / कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वतखोरी / भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:**

	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2011–22 (पिछला वित्त वर्ष)
निदेशक	0	0
केएमपी	0	0
कर्मचारी	0	0
वर्कर्स	0	0

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरणः

	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)		वित्त वर्ष 2021–22 (पिछला वित्त वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	लागू नही	0	लागू नही
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	लागू नही	0	लागू नही

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

ऐसे किसी भी मुद्दे की पहचान नहीं होने के कारण कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गएः

   लागू नही

2. क्या इकाई के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

   हां, एमएमटीसी के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए एक मजबूत प्रणाली है।

सिद्धांत 2: व्यवसायों को सामान और सेवाएँ ऐसे तरीके से प्रदान करनी चाहिए जो स्थायी और सुरक्षित हो।

जरूरी संकेतक

1. इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत बतायें।

	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2021–22 (पिछला वित्त वर्ष)	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आरएंडडी	0%	0%	
केपेक्स	0%	0%	

2. ए. क्या इकाई के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद है ? हाँ

   बी. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किये गये थे ? 100%

3. (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई–कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट जीवन के अंत में पुनरू उपयोग, रिसाईक्लिंग और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें,

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम का विवरण दें।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी भी उत्पाद (विनिर्माण के लिए) उद्योग) या उसकी सेवाओं के लिए (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

नही

2. यदि आपके उत्पादोंध्सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें– इसे कम करने के लिए कार्रवाई की गई।

नही

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में रिसाईकिल या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इंपुट सामग्री बतायें	कुल सामग्री में रिसाईकिल या पुनः उपयोग की गई इंपुट	
	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021–22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
जल	**0%**	**0%**

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग की मात्रा (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटाई गईः

	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2011–22 (पिछला वित्त वर्ष)		
	पुनः उपयोग	रिसाईकिल	सुरक्षित निपटान	पुनः उपयोग	रिसाईकिल	सुरक्षित निपटान
प्लासिटक (पेकैजिंग शामिल)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ई वेस्ट	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
खतरनाक वेस्ट	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
अन्य वेस्ट	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।
ऊर्जा उत्पादन और पारेषण व्यवसाय में पैकेजिंग सामग्री को पुनः प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

सिद्धांत 3ः व्यवसायों को अपने मूल्य शृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का ध्यान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

जरूरी संकेतक

1. ए. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरणः

	शामिल कर्मचारियों का %										
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मैटरनीटी लाभ		पैटरनीटी लाभ		डेकेयर सुविधा	
	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (सी / ए)	संख्या ©	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ / ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरूष	415	0	0	415	100%	0	0	415	100%	0	0
महिला	107	0	0	107	100%	107	100%	0	0	0	0
कुल	522	0	0	522	100%	107	20.50%	415	79.50%	0	0
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरूष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

बी. वर्कर्स की भलाई के लिए उपायों का विवरणः

	शामिल कर्मचारियों का %										
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मैटरनीटी लाभ		पैटरनीटी लाभ		डेकेयर सुविधा	
	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (सी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ / ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरूष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरूष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2021–22 (पिछला वित्त वर्ष)		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कटौती करके प्राधिकारी के पास जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नही)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कटौती करके प्राधिकारी के पास जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	100%	100%	Y	100%	100%	Y
ग्रेचुअटी	100%	100%	Y	100%	100%	Y
ईएसआई	0%	0%	Y	0%	0%	Y
अन्य–स्पष्ट करें	0	0	लागू नही	0	0	लागू नही

3. कार्यस्थलों की पहुंच

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

हां, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, हमारे सभी कार्यालय विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं।

4. क्या इकाई के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी के लिए एक वेब–लिंक प्रदान करें।

   हां, हमारी समान अवसर नीति यहां देखी जा सकती है

   https://mmtclimited.com/files/MMTC%20Guidelines-Facilities%20for%20PwD%20Employees.pdf

5. स्थायी कर्मचारियों और पेरेंटल लीव लेने वाले श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दरें।

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मचारी	
लिंग	काम पर वापसी	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी	प्रतिधारण दर
पुरूष	100%	100%	0%	0%
महिला	100%	100%	0%	0%
कुल	100%	100%	0%	0%

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी वर्कर्स स्थायी वर्कर्स और स्थायी कर्मचारियों के अलावा	हां, कंपनी में एमएमटीसी कर्मचारी शिकायत निवारण प्रक्रिया 2008 (सहायता) लागू है जो वेतन वृद्धि, बकाया की वसूली, काम करने की स्थिति, क्वार्टर का आवंटन, वरिष्ठता, छुट्टी स्थानांतरण, वेतन निर्धारण, चिकित्सा सुविधा एवं नियमों की व्याख्या जैसे सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है। इस तंत्र के तहत, पहले चरण में एक कर्मचारी अपनी शिकायतों को मौखिक रूप से अपने तत्काल वरिष्ठ के पास या लिखित रूप में नामित कर्मचारी शिकायत अधिकारी के पास ले जा सकता है, जो मामले की जांच करता है और संबंधित अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख के साथ मामले को उठाता है, जानकारी एकत्र करता है और प्रस्तुत करता है। संबंधित कर्मचारी को जवाब देता है। दूसरे चरण में, यदि कर्मचारी कर्मचारी शिकायत अधिकारी से प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है या निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त करने में विफल रहता है, तो वह मामले को कॉर्पोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। शिकायत समिति मामले की जांच करती है और निर्णय कर्मचारी को बता दिया जाता है। यदि कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, तो वह कॉर्पोरेट कार्यालय में एपेक्स समिति में अपील कर सकता है। एपेक्स समिति में निदेशक (पी), निदेशक (एफ) और निदेशक (विपणन) शामिल हैं। शीर्ष समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यताः

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2021–22 (पिछला वित्त वर्ष)		
	संबंधित श्रेणी (ए) में कुल कर्मचारी / कर्मचारी(ए)	संबंधित श्रेणी (ए) में कुल कर्मचारियों / वर्कर्स की सं. जो संघों / यूनियनों का भाग हैं (बी)	% (बी / ए)	संबंधित श्रेणी (सी) में कुल कर्मचारी / कर्मचारी	संबंधित श्रेणी (ए) में कुल कर्मचारियों / वर्कर्स की सं. जो संघों / यूनियनों का भाग हैं (डी)	%(डी / सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	522	481	92.15%	597	546	0
पुरूष	415	375	90.36%	477	427	0
महिला	107	106	99.07%	120	119	0
कुल स्थायी वर्कर्स	0	0	0	0	0	0
पुरूष	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरणः

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2021–22 (पिछला वित्त वर्ष)				
	कुल(ए)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल विकास पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल विकास पर	
		सं.(बी)	% (बी / ए)	सं.(सी))	% (सी / ए)		सं.(ई)	% (ई / डी)	सं.(एफ)	% (एफ / डी)
					कर्मचारी					
पुरूष	77	0	100%	77	100%	116	0	0	116	100%
महिला	112	0	100%	112	100%	89	0	0	89	100%
कुल	189	0	100%	189	100%	205	0	0	205	100%
					वर्कर्स					
पुरूष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. कर्मचारियों और वर्कर्स के और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरणः

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)			वित्त वर्ष 2021–22 (पिछला वित्त वर्ष)		
	कुल(ए)	सं.(बी)	% (बी / ए)	कुल(सी)	सं.(डी)	% (डी / सी)
			कर्मचारी			
पुरूष	415	415	100%	477	477	0%
महिला	107	107	100%	120	120	0%
कुल	522	522	100%	597	597	0%
			वर्कर्स			
पुरूष	0	0	100%	0	0	0%
महिला	0	0	100%	0	0	0%
कुल	0	0	100%	0	0	0%

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालीः

ए. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है?

(हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली की कवरेज क्या है?

नही

बी. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

नही

सी. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं।

नहीं

डी. क्या इकाई के कर्मचारियोंध्कर्मचारियों को गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं?

नहीं

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2021–22 (पिछले वित्त वर्ष)
बीते समय की चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख–व्यक्ति घंटे काम)	कर्मचारी	0	0
	वर्कर्स	0	0
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कर्मचारी	0	0
	वर्कर्स	0	0
घातक मामलों की संख्या	कर्मचारी	0	0
	वर्कर्स	0	0
उच्च परिणाम कार्य–संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मामलों को छोड़कर)	कर्मचारी	0	0
	वर्कर्स	0	0

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का विवरण दें। ?

लागू नही

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्याः

	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष))			वित्त वर्ष 2021–22 (पिछले वित्त वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के दौरान लंबित निपटान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के दौरान लंबित निपटान	टिप्पणी
वर्किंग कंडीशन	0	0	लागू नही	0	0	लागू नही
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	लागू नही	0	0	लागू नही

14. वर्ष के लिए निर्धारणः

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रेक्टिस	0%
वर्किंग कंडीशन	0%

*हमारे सभी कार्यालय ओएचएसएचए/आईएसओ प्रमाणित हैं

15. सुरक्षा–संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को सुधारने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रेक्टिस और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिम/चिंताएँ।

लागू नही

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई मुआवजा पैकेज प्रदान करती है

(ए) कर्मचारीः हाँ

(बी) वर्कर्सः हाँ

2. यह सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा वैधानिक बकाया की कटौरी मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा की गई है और जमा कर दिया गया है।

लागू नही

3. उन कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या बतायें जिन्हें काम से संबंधित चोट/खराब स्वास्थ्य/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के क्यू11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया हैः

	प्रभावित कर्मचारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2021–22 (पिछले वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2021–22 (पिछले वित्त वर्ष)
कर्मचारी	0	0	0	0
वर्कर्स	0	0	0	0

4. क्या इकाई निरंतर रोजगार की सुविधा के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर समाप्ति का प्रबंधन? (हां नहीं)

हाँ

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरणः

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रेक्टिस	0%
वर्किंग कंडीशन	0%

* हमारे पास स्थिरता सोर्सिंग नीतियों के साथ–साथ हमारे जीसीसी में अनुभाग भी हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे सभी आपूर्तिकर्ताओं के पास प्रासंगिक आईएसओ और ओएचएसएएस प्रमाणन है।

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता की पहचान नहीं होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

सिद्धांत 4: व्यवसाय में अपने सभी स्टेकहोल्डर के हितों का ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख स्टेकहोल्डर समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

   लागू नही

2. आपकी इकाई के लिए महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक स्टेकहोल्डर समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति बताएं।

स्टेकहोल्डर समूह	क्या संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है और उपेक्षित समूह में डाल दिया गया (हां/नहीं)	संचार का माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, अन्य)	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य– कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं के बारे में बतायें या यदि परामर्श सौंपा गया है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।

   लागू नही

2. क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए किया जाता है (हां /नहीं)। यदि हां, तो उदाहरणों के बारे में बतायें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।

   लागू नही

3. कमजोर व्यक्तियों/उपेक्षित हितधारक समूह की चिंताओं को दूर करने के लिए के उदाहरणों और की गई कार्रवाइयों का विवरण दें।

   लागू नही

सिद्धांत 5: व्यवसायों में मानवाधिकारों का ध्यान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. जिन कर्मचारियों और श्रमिकों को निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष))			वित्त वर्ष (पिछले वित्त वर्ष))		
श्रेणी	कुल(ए)	शामिल किए गए कर्मचारियों / वर्कर्स की संख्या (बी)	% (बी / ए)	कुल(सी)	शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या (डी)	% (डी / सी)
			कर्मचारी			
स्थायी	522	0	0%	597	0	0%
स्थायी के अलावा	0	0	0%	0	0	0%
कुल कर्मचारी	522	0	0%	597	0	0%
			वर्कर्स			
स्थायी	0	0	0	0	0	0
स्थायी के अलावा	0	0	0	0	0	0
कुल वर्कर्स	0	0	0	0	0	0

2. कर्मचारियों एवं वर्कर्स को दिये जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में

	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)					वित्त वर्ष 2021–22 (पिछले वित्त वर्ष)				
श्रेणी	कुल (ए)	न्यूनतम के बराबर वेतन		न्यूनतम से अधिक वेतन		कुल (डी)	न्यूनतम के बराबर वेतन		न्यूनतम से अधिक वेतन	
		सं.(बी)	% (बी / ए)	सं.(सी)	% (सी / ए)		सं.(ई)	% (ई / डी)	सं.(एफ)	% (एफ / डी)
					कर्मचारी					
स्थायी	522	522	100%	522	100%	597	597	100%	597	100%
पुरूष	415	415	100%	415	100%	477	477	100%	477	100%
महिला	107	107	100%	107	100%	120	120	100%	120	100%
स्थायी के अलावा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
पुरूष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
					वर्कर्स					
स्थायी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पुरूष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स्थायी के अलावा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पुरूष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

	पुरूष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/ संबंधित श्रेणी की मजदूरी	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/ संबंधित श्रेणी की मजदूरी
निदेशक मंडल(बीओडी)	5*	15149223	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	1	2156159	-	-
बीओडी और केएमपी के अलावा कर्मचारी	415	639350128	107	164844490
वर्कर्स	0	0	0	-

* केवल कार्यात्मक निदेशक

4. क्या आपके पास मानवाधिकारों के प्रभावों के निपटान के लिए जिम्मेदार कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है या व्यवसाय के कारण उत्पन्न या योगदान देने वाले मुद्दे हैं?

हाँ

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

भारत सरकार की कंपनी होने के नाते, एमएमटीसी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखती है, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने का संकल्प लेता है और जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में सुविचारित मौलिक मानव अधिकारों को भी शामिल करता है। एमएमटीसी अपने कार्यस्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित मानवाधिकारों की सुरक्षा का समर्थन और सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके कर्मचारी मौलिक मानवाधिकारों का प्रयोग करें। एमएमटीसी के पास कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए 3 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणालियाँ हैं जिन्हें "सहायता" कहा जाता है। एमएमटीसी के प्रबंधन प्रणाली में स्वास्थ्य, सुरक्षा और आवास के प्रावधान हैं। इन सभी पहलुओं को व्यापक रूप से कवर करते हुए, एमएमटीसी के पास उपयुक्त प्रणालियाँ हैं।

6. कर्मचारियों और वर्कर्स द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या

	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष 2022–23)			(पिछला वित्त वर्ष 2021–22)		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	0	0	-	0	0	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	-	0	0	-
बाल श्रम	0	0	-	0	0	-
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	-	0	0	-
वेतन	0	0	-	0	0	-
मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	0	0	-	0	0	-

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र

एमएमटीसी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नीति बनाई है। शिकायतों के निवारण के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं?

हाँ, मानवाधिकार आवश्यकताएँ हमारे सभी व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं

9. वर्ष के लिए आकलनः

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	0%
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0%
यौन उत्पीड़न	0%
कार्यस्थल पर भेदभाव	0%
वेतन	0%
अन्य – कृपया विवरण दें	0%

10. उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें उपरोक्त प्रश्न 9 के आकलन से।

कोई महत्वपूर्ण जोखिम की पहचान नहीं होने के कारण कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण/शिकायतें.

बिजनेस मॉडल को संशोधित नहीं किया गया है

2. किसी भी मानवाधिकार संबंधी उचित परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण।

100%

3. संस्था का परिसर/कार्यालय आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016?

हाँ

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरणः

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जो आकलन थे
बाल श्रम	0%
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0%
यौन उत्पीड़न	0%
कार्यस्थल पर भेदभाव	0%
वेतन	0%
अन्य – कृपया विवरण दें	0%

* एमएमटीसी के सभी वेंडर्स मानवाधिकार नीति का पालन करते हैं जो इसके जीसीसी के अंतर्गत आती है

5. उपरोक्त प्रश्न 4 के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता की पहचान नहीं होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सिद्धांत 6: व्यवसायों में पर्यावरण की सुरक्षा और उसे बहाल करने का सम्मान करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण :

पैरामीटर	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष 2022–23)	वित्त वर्ष (पिछला वित्त वर्ष 2021–22)
कुल बिजली खपत (ए)	0	0
कुल ईंधन खपत (बी)	0	0
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	0	0
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	0	0
प्रति रुपये टर्नओवर में ऊर्जा तीव्रता		
(कुल ऊर्जा खपत / कारोबार रुपये में)	0	0
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है	0	0

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें

लागू नहीं

2. क्या इकाई के पास भारत सरकार के निष्पादन , उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

लागू नहीं

3. जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करेंः

पैरामीटर	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष 2022–23)	वित्त वर्ष (पिछला वित्त वर्ष 2021–22)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	0	0
(ii) भूजल	0	0
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	0	0
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	0	0
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	0	0
प्रति रुपए टर्नओवर में जल की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	0	0
प्रति रुपए टर्नओवर में जल की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	0	0

नोटः क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें।

लागू नहीं

4. क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

5. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष 2022–23)	वित्त वर्ष (पिछला वित्त वर्ष 2021–22)

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नही

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	यूनिट	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष 2022–23)	वित्त वर्ष (पिछला वित्त वर्ष 2021–22)
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें।

लागू नहीं

7. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

8. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष 2022–23)	वित्त वर्ष (पिछला वित्त वर्ष 2021–22)
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक कचरा (ए)	**0**	**0**
ई–कचरा (बी)	**0**	**0**
जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	**0**	**0**
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)	**0**	**0**
बैटरी अपशिष्ट (ई)	**0**	**0**
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	**0**	**0**
अन्य खतरनाक अपशिष्ट. कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो (खर्च किया हुआ रेसिन, प्रयुक्त चिकनाई वाला तेल, खतरनाक कचरे के कंटेनर, इन्सुलेशन अपशिष्ट, एफओ कीचड़)। (जी)	**0**	**0**

पैरामीटर	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष 2022–23)	वित्त वर्ष (पिछला वित्त वर्ष 2021–22)
लागू नही		
कुल (एबी+ सी+ डी+ ई+एफ+जी+एच)	**0**	**0**
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	**0**	**0**
(ii) पुनः उपयोग किया गया	**0**	**0**
(iii) अन्य रिकवरी परिचालन	**0**	**0**
कुल	**0**	**0**
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	**0**	**0**
(ii) लैंडफिलिंग	**0**	**0**
(iii) अन्य निपटान कार्य	**0**	**0**
कुल	**0**	**0**

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नही

9. आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रेक्टिस का वर्णन करें।

लागू नही

10. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/आस–पास परिचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र. सं.	परिचालन/कार्यालयों का स्थान	परिचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और यदि, कोई हो, तो सुधारात्मक कार्रवाई से अवगत करायें ।
1	लागू नही	लागू नही	लागू नही

11. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण: वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कोई ईआईए मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि कोई नया संयंत्र का निर्माण नहीं किया गया था।

12. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नही)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:
हां, एमएमटीसी भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है

क्र. सं.	उस कानून/विनियम/ दिशा–निर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया	गैर–अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा किया गया कोई भी जुर्माना/जुर्माना/कार्रवाई	यदि कोई हो तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नेतृत्व संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में नवीकरणीय और गैर–नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष 2022–23)	वित्त वर्ष (पिछला वित्त वर्ष 2021–22)
	नवीकरणीय स्रोतों से	
कुल बिजली खपत (ए)	**0**	**0**
कुल ईंधन खपत (बी)	**0**	**0**
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	-	-

पैरामीटर	(वर्तमान वित्तीय वर्ष) वित्तीय वर्ष 2022–23	(पिछला वित्तीय वर्ष) वित्तीय वर्ष 2021–22
नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	0	0
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत (डी) (टीजे)	0	0
कुल ईंधन खपत (ई)	0	0
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ)	0	0
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	0	0

नोटः क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें

हां, केपीएमजी द्वारा आश्वासन दिया गया है।

2. छोड़े गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करेंः

पैरामीटर	(वर्तमान वित्तीय वर्ष) वित्तीय वर्ष 2022–23	(पिछला वित्तीय वर्ष) वित्तीय वर्ष 2021–22
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए	0	0
– कोई उपचार नहीं	0	0
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(ii) भूजल के लिए	0	0
– कोई उपचार नहीं	0	0
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iii) समुद्री जल को	0	0
– कोई उपचार नहीं	0	0
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया	0	0
– कोई उपचार नहीं	0	0
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(v) अन्य	0	0
– कोई उपचार नहीं	0	0
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)	0	0

नोटः क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें।

3. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नामः

(ii) संचालन की प्रकृतिः

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहनः

पैरामीटर	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष 2022–23)	वित्त वर्ष (पिछला वित्त वर्ष 2021–22)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	-	-
(ii) भूजल	-	-
(iii) अन्य पक्ष का पानी	-	-
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
प्रति रुपए टर्नओवर में पानी की तीव्रता (पानी की खपत /	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) –संगत मीट्रिक इकाई द्वारा चयनित की जा सकती है	-	
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में		
– कोई उपचार नहीं	0	-
– उपचार के साथ – प्राथमिक और माध्यमिक उपचार	0	-
(ii) भूजल में		
– कोई उपचार नहीं	0	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	-
(iii) समुद्री जल में		
– कोई उपचार नहीं	0	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	-
(iv) अन्य पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं	0	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	-
(v) अन्य		
– कोई उपचार नहीं	0	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	0	-
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)	0	-

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(iv) क्षेत्र का नामः

(v) संचालन की प्रकृतिः

(vi) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहनः

पैरामीटर	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष 2022–23)	वित्त वर्ष (पिछला वित्त वर्ष 2021–22)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	-	-
(ii) भूजल	-	-
(iii) अन्य पक्ष का पानी	-	-
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
प्रति रुपए टर्नओवर में पानी की तीव्रता (पानी की खपत /	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) – संगत मीट्रिक इकाई द्वारा चयनित की जा सकती है	-	-
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में		
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – प्राथमिक और माध्यमिक उपचार	-	-
(ii) भूजल में		
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iii) समुद्री जल में	-	
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iv) अन्य पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(v) अन्य	-	
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)	-	-

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(vii) क्षेत्र का नामः

(viii) संचालन की प्रकृतिः

(ix) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहनः

पैरामीटर	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष 2022–23)	वित्त वर्ष (पिछला वित्त वर्ष 2021–22)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	-	-
(ii) भूजल	-	-
(iii) अन्य पक्ष का पानी	-	-
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
प्रति रुपए टर्नओवर में पानी की तीव्रता (पानी की खपत /	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) – संगत मीट्रिक इकाई द्वारा चयनित की जा सकती है	-	-
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में		
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – प्राथमिक और माध्यमिक उपचार	-	-
(ii) भूजल में		
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iii) समुद्री जल में	-	
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iv) अन्य पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(v) अन्य	-	
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)	-	-

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(x) क्षेत्र का नामः

(xi) संचालन की प्रकृतिः

(xii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहनः

पैरामीटर	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष 2022–23)	वित्त वर्ष (पिछला वित्त वर्ष 2021–22)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	-	-
(ii) भूजल	-	-
(iii) अन्य पक्ष का पानी	-	-
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
प्रति रुपए टर्नओवर में पानी की तीव्रता (पानी की खपत /	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) – संगत मीट्रिक इकाई द्वारा चयनित की जा सकती है	-	-
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में		
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – प्राथमिक और माध्यमिक उपचार	-	-
(ii) भूजल में		
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iii) समुद्री जल में	-	
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iv) अन्य पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(v) अन्य	-	
– कोई उपचार नहीं	-	-
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)	-	-

नोटः क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें।

लागू नही

4. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	यूनिट	(वर्तमान वित्तीय वर्ष) वित्तीय वर्ष 2022–23	(पिछला वित्तीय वर्ष) वित्तीय वर्ष 2021–22
-	-	-	-

नोटः क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें।

लागू नही

5. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ–साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण करें।

लागू नही

6. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन /उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया उसके विवरण के साथ–साथ ऐसी पहल के परिणाम भी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें।

लागू नही

क्या इकाई के पास व्यवसाय सततता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में विवरण दें/वेब लिंक दें।

लागू नही

7. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

लागू नही

8. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) बतायें जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था।

लागू नही

सिद्धांत 7: व्यवसायों को, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. ए. व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ संबंधों की संख्या।

लागू नही

बी. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों की सूची दें जिनके साथ (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) संस्था सदस्य/संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	-	राष्ट्रीय
2	-	राष्ट्रीय
3	-	राष्ट्रीय
4	-	राष्ट्रीय
5	-	राष्ट्रीय
6	-	राष्ट्रीय
7	-	राष्ट्रीय
8	-	राष्ट्रीय
9	-	राष्ट्रीय
10	-	राष्ट्रीय

2. नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. इकाई द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण दें:

लागू नहीं

सिद्धांत 8: व्यवसाय के माध्यम से समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव के आकलन (एसआईए) का विवरण।
लागू नही

2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) किया जा रहा है:

क्र. सं	परियोजना का नाम जिसके लिए आरएंडआर जारी है	राज्य	जिला	परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या (पीएएफ)	आर एंड आर द्वारा कवर किए गए पीएएफ का %	वित्तीय वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
-	-	-	-	-	-	-

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने वाले तंत्र का वर्णन करें।

लागू नही

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट का इनपुट):

पैरामीटर	(वर्तमान वित्तीय वर्ष) वित्तीय वर्ष 2022–23	(पिछला वित्तीय वर्ष) वित्तीय वर्ष 2021–22
-	-	-

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भः उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

2022–2023 के अंतिम वर्ष के दौरान कोई एसआईए नहीं किया गया, क्योंकि एमएमटीसी परियोजना के लिए जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया है।

2. सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए निर्दिष्ट आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिलों	खर्च की गई राशि(रूपये में)
1	-	-	-

3. (ए) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं

हां, एमएमटीसी भारत सरकार की सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति द्वारा शासित है। जो खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों और 3% स्वामित्व महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% के उप–लक्ष्य के साथ एमएसई विक्रेताओं से 40% न्यूनतम खरीद अनिवार्य रूप से करता है।

(बी) आप किस उपेक्षित / कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

एमएमटीसी ने उपेक्षित समुदायों के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 87.9% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली से 7.26% वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का लक्ष्य रखा है।

(सी) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरणः

लागू नही

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में जिसमें पारंपरिक ज्ञान शामिल है कोई प्रतिकूल आदेश नहीं होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरणः

क्र.स.	सीएसआर रिपोर्ट	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और उपेक्षित समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
1	स्वास्थ्य	-	-
2	शिक्षा	-	-
3	स्वच्छता	-	-
4	पानी	-	-
5	ग्रामीण विकास	-	-
6	व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं महिला सशक्तिकरण	-	-
7	पीसीपी, कला एवं संस्कृति, खेल एवं अन्य	-	-

सिद्धांत 9: व्यवसाय के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्योरा दें।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर के बारे में जानकारी:

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड,	0
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	0

. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2022–23 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2021–22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
डाटा प्राइवेसी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विज्ञापन देना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रेक्टिस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुचित व्यापार आचरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण:

	संख्या	वापस मंगाने का कारण
स्वैच्छिक रीकॉल	लागू नही	लागू नही
जबरन रिकॉल	लागू नही	लागू नही

5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध है, तो पॉलिसी का एक वेब–लिंक प्रदान करें।

लागू नहीं

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों, ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयताय उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुद्दे जैसेः ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक अधिकारियों द्वारा की गई जुर्माना/कार्रवाई की नहीं होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई।

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी तक पहुंचा जा सकता है (वेब प्रदान करें)।

   लिंक, यदि उपलब्ध हो)

   लागू नहीं

2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

   लागू नहीं

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र।

   लागू नहीं

4. क्या इकाई उत्पाद पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी से अधिक जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)

   लागू नहीं

5. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

   (ए) प्रभाव सहित डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्याः शून्य

   (बी) ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशतः शून्य

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/–

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 04.09.2023

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-I/15(9)/वार्षिक लेखापरीक्षा/
एमएमटीसी(2022-23)/2023-24/175
दिनांक: 28 JUL 2023

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
एमएमटीसी लिमिटेड,
कोर 1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस॰ए॰पंडा
(एस. आह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने का दायित्व है।यह उनके द्वारा दिनांक 30 मई 2023 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

1, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत एक पूरक लेखा–परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्य–पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों की पूछताछ लेखापरीक्षक और कंपनी कर्मियों और कुछ लेखा अभिलेखों की एक चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक का कारण बने।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(एस.एहलादीनी पांडा)
लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
(उद्योग एवं कारपोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई 2023

दशक एक नजर में

(करोड़ रूपये)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
हमारी देनदारियां											
इक्विटी शेयर पूंजी	**150**	150	150	150	150	100	100	100	100	100	100
अन्य इक्विटी	**1115**	43	272	1034	1339	1349	1334	1278	1259	1242	1241
	1265	193	422	1184	1489	1449	1434	1378	1359	1342	1341
उधार	**43**	2551	2364	3732	922	519	440	272	287	413	1478
अन्य दीर्घकालीन देयताएं	**5**	4	4	6	-	-	-	19	20	10	19
दीर्घकालीन प्रावधान	**43**	38	44	45	189	184	188	179	177	183	170
	1356	**2786**	**2834**	**4967**	**2600**	**2152**	**2062**	**1847**	**1843**	**1947**	**3008**
हमारी परिसंपत्तियां											
स्थिर परिसंपत्तियां	**70**	71	71	72	67	65	65	209	206	212	211
घटाएं :मूल्यह्रास	**40**	37	33	29	22	17	12	152	148	130	119
निबल स्थिर परिसंपत्तियां	**30**	34	38	43	45	48	52	58	58	82	92
निवेश परिसंपत्तियां	**4**	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
निवेश	**26**	32	23	22	452	453	485	460	446	446	470
बिक्री के लिए परिसंपत्तियों	**-**	459	467	467	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय परिसंपतियों सहित अन्य गैर परिसंपत्तियां	**74**	72	75	78	74	94	219	146	134	78	115
चालू पूंजी (ए+बी)	**1068**	1971	1672	4122	1794	1317	1070	955	977	1115	2187
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**154**	214	555	231	231	236	233	229	228	226	145
	1356	**2786**	**2834**	**4967**	**2600**	**2152**	**2062**	**1847**	**1843**	**1947**	**3008**
हमारी निवल आय											
बिक्री	**272**	7841	26365	24056	28293	15757	11593	12460	18242	25075	28416
निर्यात	**4**	34	1805	1802	1104	1795	1580	673	2301	4127	2980
आयात	**59**	7071	20697	19074	21625	11878	8480	10296	14530	18714	20954
घरेलू	**209**	736	3863	3180	5564	2084	1533	1492	1411	2234	4482
अर्जित ब्याज	**84**	4	5	11	4	17	28	125	100	138	280
अन्य आय	**17**	603	54	100	701	740	130	71	68	280	221
	373	**8448**	**26424**	**24167**	**28998**	**16514**	**11751**	**12656**	**18409**	**25492**	**28916**
हमारे व्यय											
बिक्री लागत	**258**	7800	26269	23961	28506	16118	11489	12374	18076	24924	28299
स्थापना व्यय	**104**	114	135	194	221	259	196	202	192	190	203
प्रशासनिक व्यय	**31**	46	28	56	55	48	52	53	51	47	48
वित्तीय लागत (प्रदत्त ब्याज सहित)	**111**	206	198	139	65	17	21	30	17	67	220
मूल्यह्रास व ऋणमुक्ति	**4**	5	5	6	6	5	7	5	18	12	12
ऋण/दावे/रिटन बट्टे खाते में डाले गए/वापस लिए गए	**0**	-	6	-	1	0	1	0	30	1	0
बट्टे खाते में डाले गए/वापस लिए गए ऋण/दावे/अग्रिम के लिए स्वीकृत	**3**	1	1	1	16	-	1	0	1	1	6
असाधारण मदें				-	-	-	-	-	-	210	244
आपवादिक मदें'	**(1417)**	155	876	37	9	8	(96)	(66)	(37)	23	13
	(906)	**8327**	**27518**	**24394**	**28879**	**16455**	**11669**	**12597**	**18348**	**25476**	**29045**

31 मार्च को समाप्त वर्ष	**2023**	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
हमारी बचत											
वर्ष के लिए लाभ	**1279**	121	(1094)	(227)	119	59	81	59	62	16	(128)
कराधान के लिए प्रावधान	**203**	363	(324)	-	37	10	24	3	12	(4)	(57)
कर पश्चात लाभ (पूर्वावधि समायोजन से पूर्व)	**1076**	(242)	(770)	(227)	82	49	57	56	50	20	(71)
पूर्वावधि समायोजन	**-**	-	-	-	-	-	-	1	2	2	(1)
उपयोग हेतु उपलब्ध लाभ	**1076**	(242)	(770)	(227)	82	49	57	55	48	19	(71)
लाभांश	**-**	-	-	45	30	30	30	30	25	15	10
लाभांश पर कर	**-**	-	-	9	6	6	6	6	5	3	0
रिटेंड अर्जन	**1076**	(242)	(770)	(281)	46	13	21	19	18	1	(81)
सकल लाभ	**15**	593	113	174	474	333	220	130	208	346	300
कर पूर्व लाभ	**1279**	121	(1094)	(227)	119	59	81	58	60	14	(128)
कर पश्चात लाभ	**1076**	(242)	(770)	(227)	82	49	57	55	48	19	(71)
नेट वर्थ	**1265**	193	422	1184	1489	1449	1434	1378	1359	1342	1341
नियोजित पूंजी	**1055**	546	654	433	917	846	682	740	748	784	800
कार्यशील पूंजी	**1068**	1971	1672	4122	1794	1317	1070	955	977	1115	2187
अनुपात											
बिक्री के अनुपात खर्च **%**	**49.63**	2.04	0.62	1.04	0.98	1.95	2.14	2.04	1.33	0.94	0.88
स्टॉक के अनुपात में बिक्री **%**	**0.37**	0.38	0.17	0.91	0.99	10.86	20.42	3.22	1.75	1.23	3.13
बिक्री के अनुपात में व्यापारिक लाभ **%**	**5.51**	7.56	0.43	0.72	1.68	2.11	1.90	1.04	1.14	1.38	1.05
बिक्री के अनुपात में कर पूर्व लाभ **%**	**470.22**	1.54	(4.15)	(0.94)	0.42	0.37	0.70	0.46	0.33	0.06	(0.45)
बिक्री के अनुपात में कर पश्चात लाभ **%**	**395.59**	(3.09)	(2.92)	(0.94)	0.29	0.31	0.49	0.44	0.26	0.07	(0.25)
बिक्री के अनुपात में देनदारी **%**	**49.26**	1.72	2.11	8.00	0.98	2.24	4.36	6.64	16.64	6.92	7.83
कार्यशील पूंजी के अनुपात में बिक्री **%**	**392.65**	25.14	6.34	17.14	6.34	8.36	9.23	7.66	5.36	4.45	7.69
बिक्री के अनुपात में कार्यशील पूंजी(गुणा)	**0.25**	3.98	15.77	5.84	15.77	11.96	10.84	13.05	18.67	22.48	13.00
नियोजित पूंजी से वर्ष के लिए लाभ**%**	**121.23**	(22.16)	167.28	(52.42)	12.98	6.97	11.90	7.90	8.23	2.04	(16.04)
नियोजित पूंजी से कर पश्चात लाभ **%**	**101.99**	44.32	117.74	(52.42)	8.94	5.79	8.36	7.42	6.41	2.37	(8.82)
नेटवर्थ से वर्ष के लिए लाभ **%**	**101.11**	62.69	(259.24)	(19.17)	7.99	4.07	5.66	4.25	4.53	1.19	(9.58)
नेटवर्थ पर कर पश्चात लाभ **%**	**85.06**	(125.39)	(182.46)	(19.17)	5.51	3.38	3.97	3.98	3.53	1.39	(5.27)
कर्मचारियों की संख्या	**522**	597	702	786	943	1117	1226	1334	1439	1530	1605
प्रति कर्मचारी बिक्री	**0.52**	13.13	37.56	30.61	30.00	14.11	9.46	9.34	12.68	16.39	17.70

***** वर्ष 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 तथा 2015 के लिए आपवादिक मदों से बट्टे खाते में डाली गई इन्वेंट्रीज में निवल वसूली योग्य मूल्य शामिल नहीं हैं।

निधियो का स्त्रोत और उपयोग

(करोड़ रूपये)

	2022-23	2021-22	2020-21
स्त्रोत			
आंतरिक उत्पत्ति			
कर पश्चात लाभ	1076	(238)	(770)
आस्थगित कर समायोजन	60	341	(325)
मूल्यह्रास	41	38	34
प्रावधान	712	707	707
इक्विटी	150	150	150
रिजर्व	39	281	1042
बाह्य उत्पत्ति			
बैंक	43	2551	2364
वर्तमान देयताएं	689	874	1746
अन्य देयताएं	1276	1144	974
कुल स्रोत	**4086**	**5848**	**5922**
उपयोग			
स्थायी परिसंपत्तियां	75	75	75
निवेश	81	540	540
व्यापारिक ऋण	524	525	946
इन्वेंट्रीज	1	30	46
ऋण व अग्रिम	1877	4062	3919
नकद व बैंक शेष	1314	61	166
आस्थगित कर	214	555	230
कुल उपयोगिता	**4086**	**5848**	**5922**

वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण

(करोड़ रूपये)

निधियों के स्त्रोत	2022-23		2021-22		2020-21	
आंतरिक अर्जन						
कर पश्चात लाभ	1076		(242)		(770)	
मुल्यह्रास	4	1080	5	(237)	5	(765)
आस्थगित कर समायोजन		214		555		231
उधारियां						
ऋण निधि		(2508)		187		(1,368)
कुल स्त्रोत		**(1,214)**		**505**		**(1,902)**
निधि का अनप्रयोग						
स्थायी परिसंपति		-		-		
निवंश		(465)		1		1
आस्थगित कर परिसंपति		154		214		555
अंतिम लाभांश		-		-		-
लाभांश कर		-		-		-
इंवेन्ट्री		(29)		(16)		(172)
व्यापार प्राप्य		(1)		(421)		(1,370)
ऋण व अन्य परिसंपति		(2184)		142		103
नगद व बैंक शेष		1254		(105)		46
देयताएं		58		851		(183)
प्रावधान		(1)		(161)		(882)
निधि का कुल अनप्रयोग		**(1,214)**		**505**		**(1,902)**

मूल्य वर्धित

(करोड़ रूपये)

विवरण	2022-23		2021-22		2020-21	
मूल्य वर्धित						
बिक्री एवं अन्य व्यापारिक अर्जन	273		8,393		26,382	
जमा : अन्य आय	19		73		37	
	292		8467		26419	
घटा : प्रयुक्त माल और सेवाओं की लागत	253		7,404		25,186	
कुल मूल्यवर्धन	**39**		**1063**		**1233**	
मूल्य वितरण						
परिचालन व्यय	5	14.05	396	37.26	1,081	87.70
रोजगार लागत	104	269.01	114	10.77	135	10.95
प्रशासन लागत	33	84.51	225	21.13	912	73.94
प्रावधान	2	4.45	1	0.10	1	0.09
मूल्यह्रास	5	11.67	5	0.43	5	0.40
ब्याज (निबल)	27	69.24	202	18.97	193	15.68
निवेश की बिक्री पर लाभ	(1,416)	(3,661.67)	-	-	-	-
आय कर	203	525.32	363	34.11	(325)	(26.32)
रिटेंड अर्जन	1,076	2,783.42	(242)	(22.76)	(770)	(62.43)
कुल मूल्य वितरण	**39**	**100**	**1,063**	**100**	**1,233**	**100**
विश्लेषण						
कर्मचारियों की संख्या	522		597		702	
प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धन	0.07		1.78		1.76	
नेट वर्थ	1,264		193		422	
नेट वर्थ का प्रति रूपये मूल्य वर्धन	0.03		5.51		2.92	

कमोडिटी–वार निष्पादन

(करोड़ रूपये)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
निर्यात											
लौह अयस्क	**-**	-	1792	1602	564	1091	923	361	1,401	1,670	989
मैंगनीज अयस्क / आक्साइड	**-**	25	5	9	10		-	-	7	14	23
क्रोम ओर / कंसन्ट्रेट	**-**	-	-	74	126	191	350	82	34	353	378
पिग आयरन	**-**	-	-	110	375	401	242	230	629	1,099	289
स्लैग	**-**	-	-	-	8	1	-	-	-	2	-
उर्वरक उत्पाद	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	235	153
कृषि उत्पाद	**-**	-	-	-	-	-	-	-	229	754	1,148
हीरा / जेम	**4**	-		-	-	0	0	-	-	-	-
आभूषण / सोना											
मर्चेंटिंग व्यापार	**-**	-	-	-	-	61	21	-	-	-	-
सामान्य व्यापार	**-**	9	8	7	21	50	45	-	-	-	-
कुल निर्यात	**4**	**34**	**1805**	**1802**	**1104**	**1795**	**1580**	**673**	**2301**	**4127**	**2980**
आयात											
मेटल्स / आईआरएम											
कॉपर / कॉपर कैथोड्स	**-**		-	-	-	1	166	-	-	-	10
जिंक	**-**	12	-	95	136	147	-	101	56	62	84
लैड	**-**		73	1	0	0	-	0	3	2	5
टिन	**-**		-	8	8	45	39	18	20	39	42
निकल	**-**		-	32	23	26	58	18	72	75	57
एंटीमनी मैटल	**-**		-	-	-	1	4	4	5	7	6
अन्य	**-**		-	21	25	26	10	-	-	-	11
अनुयोग	**-**	**12**	**73**	**157**	**192**	**246**	**278**	**141**	**156**	**185**	**214**
उर्वरक											
सल्फर	**-**		6	6	17	14	6	16	23	23	23
यूरिया	**-**	1454	9180	11091	10111	1823	2,418	2,611	7,797	3,597	1,170
एमओपी	**-**		-	-	-	-	158	-	176	128	560
फोस्फिोरिक एसिड	**-**		-	-	-	-	46	-	-	-	-
अन्य	**-**		-	-	-	1	24	97	-	-	-
अनुयोग	**-**	**1454**	**9186**	**11097**	**10128**	**1838**	**2652**	**2725**	**7996**	**3747**	**1754**
हीरे / सोना / एमरेल्ड	**59**	5580	11364	7072	9581	8939	4,874	6,342	4,334	8,412	13,137
कृषि उत्पाद	**-**		-	96	610	529	106	58	70	1,214	1,378
हाईड्रोकार्बन	**-**	2	74	646	1097	323	570	1,013	1,948	5,151	4,469
अन्य	**-**	23	-	5	17	3	-	17	26	5	3
कुल आयात	**59**	**7071**	**20697**	**19073**	**21625**	**11878**	**8480**	**10296**	**14530**	**18713**	**20955**
घरेलू											
कॉपर / जिंक / ब्रास / अल्युमीनियम	**1**	1	1	5	1		-	0	-	-	-
पिग आइरन / स्लैग / स्टील	**-**	18	1	558	1488	417	174	187	176	234	980
उर्वरक	**-**		-	3	5	2	0	160	86	5	8
कृषि उत्पाद	**-**	73	644	660	370	20	103	298	-	502	1,604
जेम्स एंड ज्वेलरी / सिल्वर	**198**	433	2701	1232	3206	1168	1,165	708	812	761	538
हाईड्रोकार्बन	**-**	201	510	692	356	439	69	114	176	446	1,166
अन्य	**10**	10	6	31	138	38	22	24	161	287	186
कुल घरेलु	**209**	**736**	**3863**	**3181**	**5564**	**2084**	**1533**	**1492**	**1411**	**2234**	**4482**
कुल कारोबार	**272**	**7841**	**26365**	**24056**	**28293**	**15757**	**11593**	**12460**	**18242**	**25075**	**28416**

देशवार निर्यात

(करोड़ रूपये)

31 मार्च को समाप्त	2023	2022	2021
एशिया			
चीन	-	9	8
हांगकांग	-	20	5
जापान	-	-	1393
कोरिया	-	-	399
ईंडोनेशिया	-	5	-
सेज(जयपुर)	4	-	-
कुल निर्यात	**4**	**34**	**1805**

देशवार आयात

(करोड़ रूपये)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2023	2022	2021
अफ्रीका			
इजिप्ट	-	253	1113
दक्षिण अफ्रीका	-	43	83
	-	**296**	**1,196**
एशिया			
चाइना	-	155	3207
वियतनाम	-	-	98
इंडोनेशिया	-	6	424
कोरिया	-	-	2
मलेशिया	-	-	94
दक्षिण कोरिया	-	3	-
रशिया	-	33	249
	-	**197**	**4074**
पूर्वी यूरोप			
कजाखिस्तान	-	4	-
युक्रेन	-	289	1110
	-	**293**	**1110**
मिडिल ईस्ट			
बेहरीन	-	126	336
ओमान	-	505	1278
कतार	-	-	83
टर्की	-	-	4642
यूएई	60	2346	-
	60	**2977**	**6339**
उत्तरी अमेरिका			
यूएसए	-	-	5
	-	-	5
दक्षिण अमरिका			
ब्राजिल	-	-	1
	-	-	1
ओशीनिया			
आस्ट्रेलिया	-	5	94
	-	**5**	**94**
पश्चिमी यूरोप			
फिनलैंड	-	-	204
नीदरलैंड	-	-	6
स्विटजरलैंड	-	2344	4844
यूके	-	556	1667
ईटली	1	18	11
	1	**2918**	**6732**
कुल आयात	**61**	**6686**	**19551**

राजकोष में योगदान

(करोड़ रूपये)

	2022-23	2021-22	2020-21
निर्यात शुल्क	-	-	182
आयात शुल्क	-	388	1,073
जीएसटी	3	64	163
आयकर(लाभांश पर आयकर शामिल)/टीडीएस	152	7	21
लाभांश		2	-
कुल	**155**	**461**	**1,439**
रेलवे/पोर्ट को प्लाट का किराया	-	-	3
कुल	-	-	3
जीएसटी	1	53	143
कुल	**1**	**53**	**143**
कुल योग	**156**	**514**	**1,585**

निष्पादन एक नजर में

(करोड़ रूपये)

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	2023	2022	2021
कुल बिक्री	272	7841	26365
इसमें शामिल है			
निर्यात	4	34	1805
आयात	59	7071	20697
घरेलू	209	736	3863
व्यापारिक लाभ	15	593	113
अन्य स्त्रोतों से आय	43		
कर पश्चात आय	**1,076**	**(242)**	**(770)**
वर्ष के अंत में			
कुल परिसंपत्तियां	3273	4763	5507
शेयर पूंजी	150	150	150
नेट वर्थ	1265	193	422
प्रति शेयर (रूपये)			
अर्जन	7.17	(1.61)	(5.13)
लाभांश	-	-	-
शेयर पूंजी पर नेट वर्थ (गुणा)	8.43	1.29	2.81
नियोजित पूंजी पर कर पश्चात लाभ (%)	101.99	44.32	117.74
नेट वर्थ पर कर पश्चात लाभ (%)	85.06	(125.39)	(182.46)
प्रति कर्मचारी बिक्री (रू.)	0.52	13.13	37.56

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यों को

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश तथा इक्विटी में परिवर्तन और नगद प्रवाह विवरण शामिल हैं । इसमें इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश तथा व्याख्यात्म सूचना (इसके बाद वित्तीय विवरण कहा जाये) सहित वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियां शामिल हैं। कंपनी के मुबई, विजाग, चेन्नै, हैदराबाद, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय के वित्तीय विवरण भी शामिल हैं जिनका आडिट शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, इसके संशोधित, ("इंड एएस") और अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप देखें, जो आमतौर पर भारत में राज्य में स्वीकार किए जाते हैं। 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों का विवरण, लाभ और कुल व्यापक आय (शुद्ध लाभ और कुल व्यापक लाभ सहित), इक्विटी में परिवर्तन और इसका नकदी प्रवाह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

योग्य राय के लिए आधार

1. हम संलग्न वित्तीय विवरण के नोट संख्या 40(एफ)(ए) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ ("पीबीटी") का 1.5% की देयता 01.012007 (क्लोज्ड ग्रुप) को भाामिल किया गया है, भले ही कंपनी ने सामर्थ्य के अनुसार 1279.16 करोड रू(पि.वर्ष 120.60 करोड़)., के पीबीटी की सूचना दी हो। साथ ही, कंपनी ने सेवारत कर्मचारियों के लिए बेसिक और डीए के 4.5% की दर से पीआरएमबीएस (ओपन ग्रुप) फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया है। पिछले वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 से संबंधित 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में प्रावधान इन पिछले वर्षों के दौरान नुकसान के कारण वापस ले लिया गया है। प्रबंधन अगले वित्तीय वर्ष में उपरोक्त की समीक्षा करेगा। उपरोक्त योजनाओं के अनुसार प्रावधान को भाामिल नही किया गया है जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों से अलग करती है। प्रबंधन द्वारा आकलित 19.18 करोड़(पि.वर्ष 1. 81 करोड़ रू. (पीबीटी का 1.5%) और 1.63 करोड़(पि.वर्ष 3.29 करोड़ (बेसिक और डीए का 4.5%), की राशि को लेखांकन मानकों के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, पीआरएमबीएस के प्रावधान में 20.81 करोड़ (पि.वर्ष 5.10 करोड़ रू) वृद्धि की गई और शुद्ध आय और शेयरधारकों की निधि इस राशि से कम हो गई।

   हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधान और बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

   हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा ने मामले को कैसे हल किया है।

ह मने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है। हमने इन मामलों के संबंध में, हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन इंड – एएस वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वों में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों के हमारे आकलन का जवाब देने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल था। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, नीचे दिए गए मामलों को संबोधित करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाओं सहित, साथ में स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करते हैं।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1.	संदर्भ नोट नं 34 दावों पर ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसमें लंबित कानूनी मामलों के दावों को शामिल किया गया है। विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इन कानूनी मामलों में उन विवादों के संभावित परिणाम और मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र कानूनी मूल्यांकन का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। विशेष गतिविधि के लेखांकन सहित व्यापार गतिविधियों को संभालने के लिए कंपनी के 5 क्षेत्रीय कार्यालयए एक उप क्षेत्रीय कार्यालय और विभिन्न प्रभाग हैं। हालाँकि, बहुत से मामलों में कानूनी मामलों को कॉरपोरेट कार्यालय स्तर पर निपटाया जाता है, जबकि संबंधित वित्तीय जानकारी / लेनदेन को क्षे.का. स्तर पर निपटाया जाता है, जिससे लेनदेन को व्यापक और समग्र उपाय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	हमने 31 मार्च 2023 को कॉरपोरेट ऑफिस विधि प्रभाग में निपटाए गए सभी लंबित कानूनी मामलों की सूची पिछले साल की तुलना में मामलों की स्थिति में बदलाव पर प्रबंधन से एक नोट के साथ प्राप्त की। हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के प्रभाव पर विचार किया और कंपनी के वित्तीय दायित्व के प्रभाव का विश्लेषण किया। वित्तीय विवरण में रिपोर्टिंग में स्पष्टता रखने के लिए प्रबंधन को यह सुझाव दिया गया था कि कानूनी मामले और वित्तीय दायित्व एक ही स्थान पर हों।
2.	सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश की हानि का आकलन (नोट संख्या 6 देखें) 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के पास गैर–चालू और चालू निवेश हैं।	हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन हम इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: हानि संकेतक और नियंत्रण के डिजाइन और परीक्षण संचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया और प्रबंधन प्रक्रिया की समझ प्राप्त की। इसके संबंध में प्रबंधन से व्यापक चर्चा की। निवेश की पुनर्प्राप्ति का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धति का मूल्यांकन किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि यह लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

मामलों पर जोर

पुनर्रचना और ऋण चुकौती में चूक

हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 29 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 31.3.2022 तक 2551.44 करोड़ रुपये का भुगतान मूलधन और सामान्य सहमत ब्याज के लिए 31.3.2022 तक किया गया है। 106.41 करोड़ रु. की राशि में से 63.68 करोड़ 01.04.2022 से 31.03.2023 तक ब्याज से संबंधित है और शेष राशि रु. 42.73 करोड़ रुपये बैंकों के साथ अंतिम निपटान के अधीन आरटीआर के तहत अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों से संबंधित हैं। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ मामला अब बंद हो गया है। अन्य ऋणदाता बैंक भी अपना मामला उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठा रहे हैं। प्रबंधन का विचार है कि शेष बैंक यदि कोई रियायत है तो उस पर विचार करेंगे और कोई अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सेबी के विनियम 33 और अधिरियम के भाग 49 का अपालन

हम वित्तीय विवरणों के साथ में नोट संख्या 34 (vii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने सेबी के नियम 33 का अनुपालन नही होने के संबंध मे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा उठाई गई मांग के कारण 0.07 करोड़ रूपये(पि.वर्ष 0.07 करोड़ रूपये) की आकस्मिक देयता सृजित की है प्रबंधन इन मांगों को माफ करने की प्रक्रिया में है और इस प्रकार वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अधिनियम की धारा 149 का अपालन

हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 34 (vii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बताया गया है तय समय में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं करने पर 0.01 करोड़ रूपये की राशि का जुर्माना शामिल है। प्रबंधन संबंधित मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, इसलिए वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विदेशी देनदारों का बट्टे खाते में डालना

हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36 (एन) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से बीस वर्षों से अधिक समय से बकाया विदेशी देनदारों के 0.10 करोड़ रुपये की राशि माफ कर दी गई और खराब और संदिग्ध ऋणों/दावों/ऋणों के लिए पहले बनाए गए प्रावधानों को वापस ले लिया गया। कंपनी का प्रबंधन एक विशेषज्ञ के माध्यम से फेमा दिशानिर्देशों पर राय लेने की प्रक्रिया में है और तदनुसार कार्रवाई (यदि कोई हो) की जाएगी।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य मामले

1. हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की कुल संपत्ति को दर्शाती है। 31 मार्च, 2023 तक 375.47 करोड़ रू. और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 230. 62 करोड़ रुपये का कुल राजस्व, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर से आधारित है।

2. भुवनेश्वर के उप–क्षेत्रीय कार्यालय ने एक योग्य राय दी है और बताया है कि एसआरओ ने 0.25 करोड़ रू. की आय की पहचान की है जो ईएमडी की जब्ती के कारण हुई है क्योंकि पार्टी निविदा के नियमों और शर्तो का पालन करने में विफल रही। निविदा जारी करने, अनुबंध के निष्पादन और भुगतान जमा करने में विफलता के लिए पार्टियों को आवंटित लॉट को रद्द करने और ईएमडी जब्त करने के निर्णय से शुरू होने वाली सभी गतिविधियां वित्त वर्ष 2021–22 से संबंधित हैं।

   चूंकि यह जब्ती वित्त वर्ष 2021–22 से संबंधित है, ऐसी आय वित्त वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरण में एक पूर्व अवधि की मद है जिसका खुलासा आईएनडीएएस 8 की अपेक्षाओं – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटिया के अनुसार किया जाना चाहिए। इस तरह की चूक से वित्त वर्ष 2022–23 का घाटा 0.25 करोड रू कम हो गया और वित्त वर्ष 2022–23 में अन्य वित्तीय देनदारियों के तहत ईएमडी राशि 0.25 करोड़ रुपये और कम कर दी गई। आईएनडीएएस 8 की अपेक्षाओं के अनुसार 0.25 करोड़ रुपय की विविध आय को वित्तीय विवरणों में पूर्वव्यापी रूप से सही किया जाना चाहिए था और तदनुसार वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरण और पिछली अवधि की तुलनात्मक राशि को फिर से दिखाया जाना चाहिए था।

   लेखांकन मानक को केवल तभी पूर्वव्यापी समायोजन की आवश्यकता होती है जब राशि महत्वपूर्ण हो। 0.25 करोड़ रू.की राशि एसआरओ स्तर पर महत्वपूर्ण है लेकिन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में दी गई राशि महत्वपूर्ण नहीं है और इस प्रकार संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 48 में प्रदान की गई पूर्व अवधि की त्रुटियों के माध्यम से समायोजित किया गया है।

   उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

3. मामले के पैरा के तहत मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया है कि साडा लीज लैंड, गोवा से संबंधित एक विवाद है जिसके कारण वर्ष 2005 से 2022 तक लीज किराये में पूर्वव्यापी परिवर्तन हुआ है। निम्नलिखित तरीके से लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया:
   पूर्व वर्षो का लीज रेंट – 274.83 लाख
   लीज पर ब्याज– 46.91 लाख
   आरओयू संपत्तियों पर मूल्यह्रास – 0.85 लाख

   इसके बाद 2021–25 के ब्लॉक के लिए लीज किराये को संशोधित नहीं किया गया है। अंतिम संशोधन 2015–20 के ब्लॉक में किया गया था। इस अवधि के बाद, आज तक संशोधन लंबित है और आरओ ने 2015–20 के संशोधन के आधार पर खर्चो की पहचान की है।

   उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे पर्याप्त रिकार्ड का रखरखाव शामिल है जो आवश्यक है कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी रोकने तथा धोखाधड़ी व अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन करने तथा उनको अपनाने, ऐसे निणय लेने तथा आकलन करने जो तर्कसंगत तथा उचित हो, ऐसा पर्याप्त अंतरिम वित्ती्य नियंत्रण तैयार करने, लागू करने जो लेखा रिकार्ड एक्युरेसी तथा पूर्णतया को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करते हों, ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने जो लेखों की सही तथा सत्य स्थिति प्रस्तुत करते हों तथा लेखा विवरण धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हुई बड़ी चूक से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय मैनेजमेंट का यह दायित्व होता है कि वह कंपनी की गोईंग कंसर्न की योग्यता का निर्धारण करे, गोईंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करे तथा अकाऊंटिंग के लिए गोईंग कंसर्न की व्यवस्था उस स्थिति तक अपनाए जब तक कि मैनेजमेंट कंपनी का निस्तातरण न कर दे अथवा परिचालन न बंद कर दे अथवा कोई विकल्प ही न बचा हो।

निदेशक मंडल का यह दायित्व है कि वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर भी नजर रखे।

वित्तीय विवरणों की ऑडिट के बारे में लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करे कि वित्तीय विवरणों में किसी भी सूचना एवं तथ्यों को गलत तौर पर नहीं दिया गया है, चाहे गलत जानकारी किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण क्यों न दी गई हो। इसके बाद हम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें हम अपनी राय शामिल करते हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु वह इस बात की गारंटी नहीं होती है कि एसएज के अनुसार किया गया ऑडिट सदा ही किसी गलत तथ्य एवं सूचना का पता लगा सके। गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा किसी गलती से उत्पन्न हो सकते हैं तथा उन्हें एकल रूप से अथवा समग्र रूप से इतना महत्वपूर्ण अथवा प्रभावी माना जाता है कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्णयों की इससे पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की आशंका हो।

एसएज के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर के तौर पर निर्णय लेते हैं तथा अपनी ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेहवाद को अपनाते हैं। हम यह भी करते : हैं

- वित्तीय वितरणों में दी गई गलत जानकारी, त्रुटि चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती से हुई हो, का पता लगाते हैं तथा संबंधित जोखिम का निर्धारण करते हैं। साथ ही हम ऑडिट की ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो उन जोखिम के लिए रिस्पोंसिव हो। इसके अलावा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय अथवा मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार होता है। धोखाधड़ी से दी गई गलत जानकारी का जोखिम त्रुटि की तुलना में अधिक होता है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना हो सकती है।
- ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्त नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त आडिट प्रकियाएं तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अंतर्गत हमारा यह भी दायित्व होता है कि हम यह देखें कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा यह प्रणाली नियंत्रण के लिए कारगर है ।
- प्रयोग में लाई गई लेखानीतियां तथा लेखा अनुमानों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- इस बात का निश्कर्श निकालते हैं कि लेखांकन के लिए प्रबंधतंत्र द्वारा प्रयोग किया गया गोईंग कंसर्न उचित है, प्राप्त किए गए आडिट साक्ष्य के अनुसार क्या ऐसी घटनाओं अथवा परिस्थितियों के बारे में अनि चतता विद्यमान है जिनके कारण कंपनी की एक गोईंग कंसर्न की निरंतरता कायम रहने की योग्यता पर पर्याप्त संदेह बनता हो। यदि हमें यह पता चलता है कि इस बारे में पर्याप्त अनिश्चितता है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर सकती है जिनके कारण कंपनी के लिए गोइंग कंसर्न बने रहना संभव न हो।
- प्रकटनों सहित समग्र प्रस्तुति संरचना तथा वित्तीय विवरणों के सार का मूल्यांकन तथा क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा इवेंट्स का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे सही प्रस्तुति की श्रेणी में आते हैं ।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं।

आडिट की समयसारणी तथा विस्तार क्षेत्र की योजना तथा महत्वपूर्ण आडिट परिणाम तथा आंतरिक नियंत्रण में हमें अपने आडिट के दौरान जिन कमियों का पता चलता है उनके बारे में हम संबंधित कार्मिकों से संवाद करते हैं ।

हम अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के मामले में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों जिनमें संवाद किया गया है तथा जो स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में आवश्यक है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनीज (आडिटर रिपोर्ट) ('आदेश') 2020 के द्वारा अपेक्षित हम **अनुलग्नक –ए** में जैसा लागू है, आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण दे रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं :–

ए) हमने ऐसी उपरोक्त वित्तीय विवरणों की सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास में लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे ।

बी) हमारी राय में बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है कि कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित खाता बहियां बनाई गई हैं

सी) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं

डी) हमारे विचार में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसके साथ यथासंशोधित कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 पठनीय है में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

ई) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) अधिनियम की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा इस प्रकार के नियंत्रण के परिचालन प्रभाव के लिए **''अनुलग्नक बी''** में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें ।

जी) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार निदेशक को पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

एच) यथा संशोधित कंपनीज (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में हमारी राय तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

I) बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद भुल्क से संबंधित मामलों सहित लंबित मुकदमें जिनका खुलासा आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है – एकल वित्तीय विवरण के नोट 34 और 36 का संदर्भ लें । इसके प्रभाव का निर्धारण करना संभव नहीं है चूंकि मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।

ii) कंपनी के पास डेरीवेटिव करारों सहित कोई दीर्घावधि करार नही है जिसके लिए कोई ठोस हानि की संभावना हैं ।

iii) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी;

iv) (ए) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) एडवांस दिया गया या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से) या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को, जिसमें विदेशी इकाई (फंडिंग पार्टी") भी शामिल है, कंपनी द्वारा इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में या फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज़ प्रदान की गई (नोट 50 (ई) देखें)।

(बी) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) एडवांस दिया गया या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से) या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को, जिसमें विदेशी इकाई (फंडिंग पार्टी") भी शामिल है, कंपनी द्वारा इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में या फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज़ प्रदान की गई(नोट 50 (एफ) देखें)।

(सी) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (प) और (पप) के तहत अभ्यावेदन), जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत दिया गया है, इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

v कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

vi अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा पुस्तिका बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है। और तदनुसार, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

3. भारत के सीएजी द्वारा कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों के तहत हमने अपनी रिपोर्ट **अनुलग्नक –सी** में प्रस्तुत की है।

कृते
एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

चार्टर्ड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023
यूडीआईएन 22095584BGWCXX3321

एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक –ए

"अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकता" के अंतर्गत पैराग्राफ 4 में संदर्भित हम रिपोर्ट करते हैं कि :

I.

i. कंपनी ने अपने संपत्ति संयंत्र और उपकरण अचल संपत्तियों के संबंध में उचित रिकॉर्ड रखा है जिसमें मात्रात्मक विवरण और संपत्ति संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाया गया है।

ii. कंपनी ने स्थायी अमूर्त परिसंपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाया है।

बी. हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को प्रदान की गई अचल संपत्तियों को छोड़कर उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा रूप से सत्यापित किया गया है।

सी. जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है उसका संपत्ति कर प्राप्तियों और लीज समझौते की हमारी जांच के आधार पर, पंजीकृत बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख/कन्वेयंस विलेख जो हमें प्रदान की गई, के आधार पर हम इसकी रिपोर्ट करते हैं कि स्व–निर्मित इमारतों के संबंध में टाईटल और अन्य सभी अचल संपत्तियों के टाईटल डीड (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है), संपत्ति के तहत शामिल वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है। तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार संयंत्र और उपकरण कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

नीचे दिए गए मामलों के अतिरिक्त अचल परिसंपत्ति की टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर हैः

क्षेत्र/कार्यालय	परिसंपत्ति का विवरण	सकल मूल्य	किसके नाम पर है	क्या प्रोमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी है	अवधि	टिप्पणियां
कारपोरेट कार्यालय	लीजहोल्ड भूमि (स्कोप) कार्यालय भवन(स्कोप)	1.04 करोड़ 5.74 करोड़	स्कोप कॉम्पलेक्स	नही	99 वर्ष	लीज डीड स्कोप के नाम पर है जिसे कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाता है ।

इसके अलावा एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्राइवेट लिमिटेड के साथ विवाद के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के पास 36 टाईटल डीड जमा किए गए हैं।

डी. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ई. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान 31 मार्च 2023 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii.

ए. प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है और प्रत्येक वर्ग की सूची के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एमएमटीसी लिमिटेड के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में प्रबंधन द्वारा अपनाई जाने वाली सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है।

बी. कंपनी को वर्श के दौरान किसी भी समय चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों ने कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नही की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(बी) के तहत कंपनी पर रिपोर्टिंग लागू नही है।

iii. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है ऋण या स्थायी गारंटी की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है या कंपनियों फर्मो सीमित देयता भागीदारी या पार्टियों को किसी भी अन्य ऋण के लिए सुरक्षा सुरक्षित या असुरक्षित प्रदान किया है और इसलिए आदेश के खंड 3((iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अलावा हमारी राय में कंपनी ने ऋण गारंटी और सुरक्षा के संबंध में धारा 185 और 186 के तहत कवर किए गए किसी भी लेनदेन में दखल नहीं किया है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है या ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनियों (जमा की स्वीकृति) और नियम, 2014 (संशोधित के अर्थ में जमा माना गया है।)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती

vi हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा कंपनी के लिए लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया गया है। तदनुसार, खंड 3(vi) या आदेश के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

vii ए. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा सत्यापित रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी आयकर, भविष्य निधि बकाया, व्यावसायिक कर, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर और माल एवं सेवा सहित अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित नहीं रही है। उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ कर, आयकर, भविष्य निधि बकाया, व्यावसायिक कर, जीएसटी, मूल्य वर्धित कर और सेवा कर और अन्य वैधानिक बकाया के संबंध में 31 मार्च 2023 तक उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक के लिए कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी।

बी. आयकर या बिक्री कर या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर या उपकर की बकाया राशि के मामले में जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, **"अनुलग्नक I"** के रूप में संलग्न हैं।

viii. पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

ix.

ए. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा सत्यापित रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने **"अनुलग्नक II"** में संलग्न विवरण के अनुसार किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है।

बी. कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

सी. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्श के दौरान आवधिक ऋण के द्वारा धन नही लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv)(सी) के तहत कंपनी पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

डी. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शर्तों के आधार पर कोई फंड नहीं जुटाया है। बकाया अल्पकालिक निधियों का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है।

इ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

एफ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

x.

ए. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या इसके बाद सार्वजनिक पेशकश (ऋण इंस्ट्रूमेंटस सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई आवंटन या निजी प्लेसमेंट या (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xi.

क. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नोटिस या रिपोर्ट नहीं की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रेक्टिस के अनुसार निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमें कंपनी या उसके अधिकारियों द्वारा या उसके द्वारा वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के कोई ऐसे मामले की सूचना दी गई है और न ही हमें प्रबंधन द्वारा कोई उदाहरण मिला है, जिस पर ध्यान दिया गया है या रिपोर्ट किया गया है।

बी. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में वर्ष के दौरान इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

ग. कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें किए गए प्रतिवेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेन–देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और ऐसे लेनदेन के संबंध में प्रासंगिक विवरण का उचित रूप से प्रासंगिक नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस–24 – "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में खुलासा किया गया है।

xiv.

क. हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ख. हमने लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान और अब तक जारी किए गए ऑडिट के तहत वर्ष के लिए आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv हमारी राय में, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi.

ए. हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

बी. हमारी राय में, कंपनी कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि मुख्य निवेश कंपनियों रिजर्व बैंक में परिभाषित है) निदेश, 2016 और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii. कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नही हुई है और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 89.35 करोड़ रू. की नकद हानि हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, एजिंग और स्टैंडअलोन वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और स्टैंडअलोन वित्तीय देनदारियों के भुगतान, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजना के अनुसार, हमारी राय है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी तुलन–पत्र की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है और जब वे तुलन–पत्र की तारीख से एक साल के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब कभी ं देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी डिस्चार्ज कर देगी।

xx. उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। . तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) और (बी) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

xxi. खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते
एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 002312एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023
यूडीआईएन 2309554BGWCXK3321

चार्टड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
एम सं. 095584

एमएमटीसी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 के खंड 7 (iii) का अनुलग्नक ''ए''

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	शामिल राशि	प्राधिकरण	कानून की प्रकृति
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1989–90	15,01,06,778	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील iv)	बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2001–02	45,03,961	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील I)	बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम
बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2004–05	42,00,789	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (बीएसटी अपील)	बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2008–09#	13,04,722	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल	महाराष्ट्र वैट, 2002
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2010–11#	45,01,471	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल	महाराष्ट्र वैट, 2002
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2009–10#	17,22,430	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल	महाराष्ट्र वैट, 2002
महाराष्ट्र वैट, 2002	बिक्री कर	2013–14	13,29,839	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)	महाराष्ट्र वैट, 2002
केंद्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2011–12	48,25,144*	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील vi)	केंद्रीय बिक्री कर, 1956
केंद्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2008–09#	51,81,979	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल	केंद्रीय बिक्री कर, 1956
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2007–08#	71,97,308	महाराष्ट्र बिक्री कर ट्रिब्यूनल	केंद्रीय बिक्री कर, 1956
कस्टम अधिनियम 1962	अंतरीय सीमा शुल्क	2012–13	23,98,53,708	सीमा शुल्क आयुक्त	कस्टम अधिनियम 1962

*दोनों अपील एक जैसे मामले के लिए कॉमन अपील अधिकारी के पास फाईल की गई है।
#संबंधित ट्रिब्यूनल से मई 2022 में आदेश प्राप्त हुआ है और संशोधित राशि अभी निर्धारित नहीं है।

चेन्नैई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथॉरिटी
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर जुर्माना व ब्याज	2001–02	1,78,566 (स्पेंडक्स यार्न)	वाणिज्यिक कर अपील के सहायक आयुक्त
टीएनवेट अधिनियम	बिक्री कर प्रदर्शनी रिटर्न और जुर्माना और ब्याज	1999–20	78,25,755*	हाईकोर्ट
टीएनवेट अधिनियम	बिक्री कर प्रदर्शनी रिटर्न और जुर्माना और ब्याज	2007–08, 2009–10, 2010–11	61,42,058	वाणिज्यिक कर अपील के संयुक्त आयुक्त

विज़ाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (रूपये में)	अथॉरिटी
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1968–69	9,28,162	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी *	एपीजीएसटी	1986–87	2,70,83,841	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी **	सीएसटी	2007–08	91,537	एडीसी
वैट	एपीवीएटी	2013–14	17,31,799	एडीसी
वैट	एपीवीएटी	2014–15	4,17,000	एडीसी
कस्टम ड्यूटी	कस्टम ड्यूटी	2009–10	92,92,463	सीईएसटीएटी हैदराबाद
कस्टम ड्यूटी	कस्टम ड्यूटी	2007–08	3,48,58,882	सीईएसटीएटी हैदराबाद
कस्टम ड्यूटी	कस्टम ड्यूटी	2014–15	1,91,21,170	सीईएसटीएटी हैदराबाद
कस्टम ड्यूटी	कस्टम ड्यूटी	2008–09	76,07,136	सीईएसटीएटी हैदराबाद
कस्टम ड्यूटी	कस्टम ड्यूटी	2013–14	76,07,136	सीईएसटीएटी हैदराबाद
कस्टम ड्यूटी	कस्टम ड्यूटी	2021–23	1,50,15,499	सीईएसटीएटी हैदराबाद

31.03.2023 तक एसटी और सीमा शुल्क पर ब्याज और जुर्माना – 8,37,92,745 रू.

*एपीजीएसटी / वैट / सीएसटी से संबंधित विवादित राशियों में से क्षे.का. ने 98,70,324 / – रुपये की राशि संबंधित अधिकारियों के पास जमा की है।
**सीमा शुल्क से संबंधित विवादित रकम में से क्षे.का. ने 76,07,136 / – रुपये की राशि संबंधित अधिकारियों के पास जमा की थी।

कोलकता क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	2013–14	46,07,728	कोलकाता उच्च न्यायालय
पश्चिम बंगाल, मूल्य संवर्धन कर अधिनियम	पश्चिम बंगाल वैट	2013–14	51,46,313	कोलकाता उच्च न्यायालय

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1989–90	1,49,770	एसटीएटी
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1991–92	24,02,576	एसटीएटी
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1992–93	13,96,269	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1993–94	17,62,687	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1993–94	6,30,615	एसटीएटी – विजाग
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1993–94	4,41,446	एसटीएटी – विजाग
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	1994–95	2,04,081	एसीएलटीयू विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1997–98	58,43,100	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1999–00	39,04,454	एसटीएटी – विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2000–01	2,52,926	एसटीएटी – विजाग
वैट	वैट	2006–07	6,76,058	एसीएलटीयूए एसटीएटी
वैट	वैट	2007–08	71,000	एसी ऑडिट
वैट	वैट	2008–09	7,84,474	सीटीएटी
वैट	वैट	2012–13	99,49,808	एडीसी (सीटीओ)
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	2013–14	4,40,000	एसटीएटी
एपीवीएटी–जेसी	वैट	2013–14	22,00,000	एपीवीएटी–जेसी
कस्टम	सीमा भुल्क	2021–22	46,47,711	तेलांगाना उच्च न्यायालय
कस्टम	सीमा भुल्क	2016–17	5,36,12,040	सीमा भुल्क आयुक्त चैन्नई

कारपोरेट कार्यालय

संविधि का नाम	संविधि का नाम	वर्ष (एवाई)	राशि(रूपये में)	फोरम
आयकर अधिनियम	आयकर	2018—19	2,09,96,930	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर	2017—18	1,59,36,207	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर	2016—17	3,24,12,680	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर	2015—16	6,71,494	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर	2013—14	3,11,55,608	उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2009—10	2,10,12,618	उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2009—10	3,39,770	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2008—09	52,75,829	सीआईटी(ए) / उच्चतम न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2005—06	4,51,65,330	उच्चतम न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	2004—05	3,58,34,174	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2003—04	1,08,96,834	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	2001—02	1,17,77,218	उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर	1999—00	2,85,69,897	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर	1998—99	58,90,533	आईटीएटी
	कुल		**26,59,35,121**	

उपरोक्त मांग के अलावा, कंपनी के द्वारा 20,45,10,551 / — रूपये की राशि जमा की गई ।

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथॉरिटी
यूपी – वैट	एलएसटी / सीएसटी	1990-91	6,17,588	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी – वैट	एलएसटी	1991-92	4,70,578	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी – वैट	एलएसटी	1992-93	2,64,037	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी – वैट	एलएसटी	1993-94	1,85,100	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी – वैट	एलएसटी	1987-88	16,35,160	संयुक्त आयुक्त (अपील), कानपुर
यूपी – वैट	वैट	1996-97	6,11,808	आयुक्त (अपील) यूपी वैट
यूपी – वैट	वैट फार्म 3 बी(स्वर्ण) और फार्म 3सी 1(मेंथा आयल) नही जमा कराने पर ब्याज	2007-08	62,457	आयुक्त (अपील) यूपी वैट
हरियाणा वैट	एलएसटी	1992-93	4,24,587	फरीदाबाद, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
एमपी – वैट	एलएसटी	1999-00	1,50,004	बिक्री कर प्राधिकरण, इंदौर
एमपी – वैट	एलएसटी	1998-99	47,30,692	निर्धारण प्राधिकरण, इंदौर
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क तथा एसोसिएट द्वारा गोल्ड लोन के लिए स्वर्ण आभूषण निर्यात नही करने पर ब्याज	1999-00	2,72,67,919	माननीय उच्चतम न्यायालय के निदे ाानुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित
आयकर	आयकर	2008-09	100	टीडीएस मांग
आयकर	आयकर	2010-11 to 2011-12	42,340	टीडीएस मांग

* उपरोक्त के विरोध में भुगतान की गई राशि 59,53,490 रुपये है।

जयपुर उप क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	अथॉरिटी
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2003-04	1,49,46,540	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर। (विरोध करते हुऐ 35.49 लाख रूपये जमा किया गया) कर बोर्ड में डीसी (अपील) के आदेश के खिलाफ बिक्री कर विभाग ने अपील किया।
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1999-00	26,07,605	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर आरएसटी अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत 4767 मीट्रीक टन डीएपी की मांग के कारण कर बोर्ड के पास लंबित।
आयकर	आयकर	2009-10 से 2017-18	23,030	टीडीएस मांग। 2009–10 से 2017–18
आयकर	आयकर	2018-19	1,330	टीडीएस की मांग
आयकर	आयकर	2020-21	590	टीडीएस की मांग

*विरोध के साथ कुल रूपये 35,49,446 जमा किया गया ।

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (राशि रुपये में)	अथॉरिटी
ओडिसा बिक्री कर	ब्याज जुर्माना	1978–79	26,50,388	उड़ीसा उच्च न्यायालय
ओडिसा बिक्री कर	ओडिसा बिक्री कर	1978–79	2,48,26,709	उड़ीसा उच्च न्यायालय
ओडिसा बिक्री कर	ओडिसा बिक्री कर	1978–79	12,41,336	उड़ीसा उच्च न्यायालय
ओडिसा बिक्री कर	ब्याज	1978–79	3,57,42,030	सीसीटी और जीएसटी के समक्ष फाईल याचिका डिस्पोस और एसएलपी के डिस्पोसल तक रोक
ओडिसा बिक्री कर	डीईपीबी	2006–09	23,62,76,042	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
ओडिसा बिक्री कर	डीईपीबी	2010–12	8,21,76,347	उड़ीसा उच्च न्यायालय
ओवीएटी	मूल्यवर्धन कर	2013–14	21,64,39,902	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सीएसटी(ओडिसा)	केंद्रीय बिक्री कर 1956	2013–14	91,08,96,791	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
ईटी(ओडिसा)	इंट्री टैक्स	2013–14	82,55,71,451	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सीएसटी(ओडिसा)	घोशणा फार्म जारी	2011–14	91,47,940	उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण
सेवाकर अधिनियम	सेवा कर	2003–05	48,785,949	कस्टम एक्साईज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राईब्यूनल
जीएसटी अधिनियम	आईटीसी अनुमत नही	2017–18	3,07,238	संयुक्त आयुक्त अपील
केन्द्रीय एक्साईज अधिनियम	सेवाकर	2010–11	6,21,25,560	माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 8.10.2020 को याचिका दायर की
केन्द्रीय एक्साईज अधिनियम	सेवाकर	2011–12	6,53,85,916	माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 8.10.2020 को याचिका दायर की
केन्द्रीय एक्साईज अधिनियम	सेवाकर	2009–12	5,65,784,201	माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 8.10.2020 को याचिका दायर की
केन्द्रीय एक्साईज अधिनियम	सेवाकर	2009–11	1,28,80,485	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय एक्साईज अधिनियम	सेवाकर	2012–13	64,14,797	माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 8.10.2020 को याचिका दायर की
केन्द्रीय एक्साईज अधिनियम	सेवाकर	2012–13	7,63,68,637	माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 8.10.2020 को याचिका दायर की
केन्द्रीय एक्साईज अधिनियम	सेवाकर	2013–14	9,94,263	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय एक्साईज अधिनियम	कस्टम	2012–13	1,49,02,87,738	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
केन्द्रीय एक्साईज एवं कस्टम अधिनियम	सेवाकर	2014–15	17,71,628	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त
केन्द्रीय एक्साईज एवं कस्टम अधिनियम	कस्टम ब्याज एवं जुर्माना	2017–18	1,32,576	सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त
केन्द्रीय एक्साईज अधिनियम	सेवाकर	2017–18	22,081	विभाग ने अपील दायर की है

एमएमटीसी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक ए के खंड 8 के अनुलग्नक– "II"

विवरण	तुलन–पत्र तिथि को चूक की राशि			चूक की अधिकतम अवधि ()		
त्रणदाता बैंकों के नाम	मूल (रूपये)	ब्याज (रूपये)		मूल	ब्याज (रूपये)	
		3 जुलाई 2023 तक	**4 से 31 मार्च 2023**		**3 जुलाई 2023 तक**	**4 से 31 मार्च 2023**
बैक आफ महाराष्ट्रा	1,60,00,00,000	4,09,55,960	3,72,84,304	95	95	270
पंजाब एंड सिंध बैंक	3,00,00,00,000	7,65,84,735	35,97,707	95	95	199
पंजाब नेशनल बैंक	5,00,00,00,000	12,82,99,946	11,26, 72,931	95	95	270
इंडियन बैंक(पूर्व इलाहाबाद बैक)	2,00,00,00,000	5,12,06,978	6,64,57,890	95	95	270
यूनियन बैंक आफ इंडिया(पूर्व कारपोरेशन बैंक)	5,00,00,00,000	12,65,01,739	11,37,46,250	95	95	270
स्टेट बैंक आफ इंडिया	3,09,25,00,000	12,73,44,795	-	95	95	-
कर्नाटका बैंक	3,00,00,00,000	8,22,60,741	9,71,76,153	95	95	270
कुल योग	**22,69,25,00,000**	**63,31,51,894**	**43,09,35,235**			

एमएमटीसी लिमिटेड के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक – बी

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143(3) (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल इंडएएस वित्तीय विवरणों के हमारे आडिट के साथ 31 मार्च 2023 से संबंधित एमएमटीसी लि.(कंपनी) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व :

कंपनी द्वारा इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आडिट पर दिशा निर्देश नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इसमें इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाईन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय को सक्षम और सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सुनिश्चित करने के प्रभावी तरीके से परिचालित हो रहे थे। इसमें अधिनियम 2013 के अंतर्गत संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और इसकी पहचान लेखा रिकार्डो की सटीकता और इसकी पूर्णता भी शामिल हैं।

आडिटरों का दायित्व :

हमारा दायित्व हमारे आडिट पर आधारित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है।

हमने लेखा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट पर दिशा निर्देशों के अनुसार आडिट किया है जो अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्धारित माना गया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों आंतरिक वित्तीय नियंव्रण ओर दोनों इंस्टीटश्रूट आफ चार्टर्ड एकांउटेंट आफ इंडिया दोनो द्वारा जारी दोनों पर लागू है, के आडिट पर लागू है। हम उन मानकों और दिशा–निर्देशों का नीतिपरक अपेक्षाओं और योजनाओं के साथ अनुपालन करते हैं और पर्याप्त आश्वासन लेने के लिए आडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित हो और इससे संबंधित सभी का प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण हो सके ।

हमारे आडिट में निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया है जिससे वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के आडिट प्रमाण मिल सके और उनकी संचालन प्रभावशीलता मिल सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ पैदा करने, मूर्त कमजोरी में जोखिम का पता लगाना और इसके जोखिम पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण के परिचालित प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया आडिट के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें ईंडएएस वित्तीय विवरण का ठोस गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो आडिट प्रमाण मिले हैं वे कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी आडिट राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय :

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्वांतों के अनुसार बाहय उददेश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में इन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है कि

(ए) रिकार्ड के रख रखाव से संबद्व जो उचित विवरण में कंपनी की संपत्तियों के लेन देन, प्रकृति को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

(बी) उचित आश्वासन देता है कि लेन देन को आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्वांतों के अनुसार ईंडएएस वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए आवश्यक रूप में रिकार्ड किया गया है और कंपनी के प्रबंधन और निवेशकों के अधिकारों के अनुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

(सी) रोकथाम या अनाधिकृत अधिग्रहण की समय पर खोज, उपयोग के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराता है या कंपनी की संपत्ति की प्रकृति जिसका ईंडएएस वित्तीय विवरण पर ठोस प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्विर्हित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित तरीके से प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, ठोस गलत विवरण जो त्रृटि या धोखाधड़ी के कारण हो सकता है इसमें शामिल है, जिसका पता न लग सके! भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरण के किसी मूल्यांकन के प्रोजेक्शन जोखिम पर निर्भर करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

<u>राय</u> :

हमारी राय में हमारी सूचना और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में सभी ठोस मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप में हैं और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 से प्रभावी रूप से संचालित है जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर मानदंड पर आधारित थे। इनकी स्थापना के समय इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आडिट पर दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रकों के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

चार्टड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023
यूडीआईएन 23095584BGWCXK3321

एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में सम तिथि को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – सी

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

क्र. सं	विवरण	टिप्पणी
i.	क्या कंपनी के पास सभी अकाउंटिग लेन–देन को आईटी सिस्टम के द्वारा करने की प्रणाली है, यदि हां तो वित्तीय लागू के साथ अकाउंट की संपूर्णता आई टी सिस्टम के बाहर अकाउंटिंग लेने की प्रक्रिया लागू है, यदि कोई है, तो दर्ज किया जाए ।	हां, कंपनी के पास सभी अकाउंटिग लेन–देन को एकल आईटी सिस्टम के द्वारा करने का सिस्टम है जिसमें आंकड़ा इसके ईआरपी सिस्टम को स्थानांतरण किया जाता है। यद्यपि आधुनिक पूर्ण आर पी सिस्टम की अनुपलब्धता में कुछ लेन देन आई टी सिस्टम में मैन्युली प्रविष्टी दर्ज किये जाते हैं। उन लेन-देन का न तो अकाउंट की पूर्णता पर न ही वित्तीय आशय पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे लेन देन जो कि आई टी सिस्टम में मैन्यूली पारित हुए हैं नीचे दिये गये हैं : हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर) परीक्षण के आधार पर) जहां कहीं भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर कामकाज पर आधारित होते हैं) खातों की सत्यनिष्ठा में कमी और कोई वित्तीय प्रभाव नोट/रिपोर्ट नहीं किया गया है।
ii.	कंपनी की असमर्थता के कारण लोन अदायगी के लिए कंपनी के ऋणदाता के द्वारा मौजूदा ऋण के पुनगर्ठन अथवा छूट के मामले/उधार/ऋण/ब्याज आदि के राईट ऑफ है ? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है?	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ऋण पुनर्गठन के लिए सभी ऋणदाताओं से संपर्क किया था और अंतिम ऋण पुनर्गठन समझौते को 2021–22 के दौरान अंतिम रूप दिया / हस्ताक्षरित किया गया था और 10 जून, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे, कंपनी को पुनर्गठन के कारण भारतीय रुपये 3.94 करोड़ का लाभ हुआ है। और पुस्तकों में इसका ठीक से लेखा दिया गया है।
iii.	क्या केन्द्रीय राज्य एजेंसियों के द्वारा विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियम एवं नियम एंव शर्तों के साथ इस्तेमाल होने के लिए उचित तरीके से हिसाब हुआ है । विचलन में मामलों की सूची बनायें ।	ऐसा कोई मामला नहीं है ।

ईआरपी प्रणाली में मैन्यूली पारित लेन–देन की सूची

क्रम सं.	लेखा क्षेत्र	लेखा गतिविधि	अखंडता एवं वित्तीय सभावनाओं पर प्रभाव
1.	आईजीसी सहित खुदरा वस्तु की बिक्री	खुदरा व्यापार में माल की बिक्री एवं स्वतंत्र साफ़टवेयर के माध्यम से की जाती है, जिसमें डेटा, मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना, ईआरपी में स्वचालित रूप से एकीकृत नहीं होता है !	कोई नहीं
2.	समापन सूची	कम लागत अथवा बाजार मूल्य पर समापन वस्तु सूची की कीमत मैन्यूली लगायी जाती है और जर्नल वाउचर के ईआरपी में प्रविष्ट की जाती है।	कोई नहीं
3.	मूल्यह्रास	कपंनी अधिनिय 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट के अनुसार मूल्यह्रास की गणना मैन्यूली की जाती है और सिस्टम में जर्नल वाउचर के द्वारा प्रविष्ट की जाती है ।	कोई नहीं
4.	हेजिंगं प्रविष्टियां	कपंनी अधिनिय 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट के अनुसार मूल्यह्रास की गणना मैन्यूली की जाती है और सिस्टम में जर्नल वाउचर के द्वारा प्रविष्ट की जाती है ।	कोई नहीं
5.	महीने की समाप्ति में खर्च का प्रावधान	प्रक्रिया मैन्यूली की जाती है और जर्नल वाउचर से ईआरपी में प्रविश्टि की जाता है ।	कोई नहीं

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

सीए आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023
यूडीआईएन 23095584BGWCXK3321

2022–23 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

पैरा सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधतंत्र का उत्तर
	योग्य राय	
1.	हम संलग्न वित्तीय विवरण के नोट संख्या 40 (एफ) (ए) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष के लिए कर–पूर्व लाभ का 1.5% ("पीबीटी") की देयता (बंद समूह) को शामिल नहीं किया गया है, भले ही कंपनी ने अफोडिबिलिटी के अनुसार 1279.16 करोड़ रू.(पि.वर्ष 120.60 करोड़, रू. के कर–पूर्व लाभ की सूचना दी हो। साथ ही, कंपनी ने सेवारत कर्मचारियों के लिए बेसिक और डीए के 4.5% की दर से फॉर्म पीआरएमबीएस (ओपन ग्रुप) उपलब्ध नहीं कराया है। पिछले वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 से संबंधित 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त होने के संबंध में प्रावधान इन पिछले वर्षों के दौरान नुकसान के कारण वापस ले लिया गया था। प्रबंधन अगले वित्तीय वर्ष में उपरोक्त की समीक्षा करेगा। उपर्युक्त योजनाओं के अनुसार प्रावधान को शामिल नही करना अधिनियम की धारा 133 के तहत इसे निर्धारित लेखांकन मानकों से अलग करती है। प्रबंधन द्वारा अनुमानित 19.18 करोड़ रू.(पि.वर्ष 1.81 करोड़ रू.) की राशि (पीबीटी का 1.5%) और 1.63 करोड़ रू. (पि.वर्ष 3.29 करोड़ रू.) (बेसिक और डीए का 4.5%), का लेखा मानकों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, पीआरएमबीएस के लिए प्रावधान में 20.81 करोड़ रू. (पि.वाई. 5.10 करोड़) की वृद्धि की गई होगी और शुद्ध आय और शेयरधारकों का फंड, दी गई राशि से कम हो गया होगा।	एमएमटीसी कर्मचारी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट (पीआरएमबीटी) का गठन 15.05.2019 को आयोजित 447वीं बीओडी बैठक के अनुमोदन के अनुसार किया गया है और इसे दिनांक 23.01.2023 के आदेश के अनुसार संचालित और कार्य करना शुरू कर दिया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एमएमटीसी दिसंबर, 2019 तक तिमाही खातों को बंद करने तक लाभ दिखा रहा था। हालांकि, एमएमटीसी ने अंततः वर्ष 2019–20 के लिए हानि की घोषणा की जब उसने अगस्त, 2020 में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने खातों को अपनाया। मार्च, 2020 के अंत में एनआईएनएल परिचालन बंद कर दिया गया था और एनआईएनएल के साथ लेनदेन के कारण संचय के आधार पर व्यावसायिक ब्याज आय को शामिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। नकारात्मक नकदी प्रवाह, व्यापार में कमी के साथ–साथ दुनिया भर में व्यापार के सभी पहलुओं को प्रभावित करने वाले कोविड के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। कंपनी की वित्तीय स्थिति नकारात्मक पीबीटी/किफायती, स्थिरता को देखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया। तदनुसार, एमएमटीसी निदेशक मंडल ने 08.07.2022 को आयोजित अपनी 471वीं बैठक में हानि वाले वर्ष 19–20 और 20–21 के लिए पीआरएमबीएस ट्रस्ट के प्रावधानों को उलटने और वित्त वर्ष 21–22 में शून्य पीआरएमबीएस प्रावधान को मंजूरी दे दी। पीआरएमबीएस ट्रस्ट को 2019 में किए गए 150 करोड़ रुपये से अधिक योगदान नही दिया जाये जब तक इसकी समीक्षा और अफोर्डिबिलिटी का पता न हो। इसलिए, इन लेखों के लिए कोई प्रावधान करना समझदारी नहीं होगी और हमारी लेखा पुस्तिकाओं में पिछले प्रावधानों, यदि कोई हों, को उलटने की जरूरत है। इसके अलावा, 20.09.2019 को हस्ताक्षरित एमएमटीसी पीआरएमबीटी ट्रस्ट डीड के सीएल 2.9 ("योगदान को बंद करने का कंपनी का अधिकार)" के अनुसार, कंपनी किसी भी समय, अफोर्डिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ट्रस्ट में अपना योगदान बंद कर सकती है। पीआरएमबीटी के मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट पहले ही जीएपी को प्रस्तुत की जा चुकी है और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है।
	प्रमुख आडिट मामले	
1.	नोट क्रमांक देखें 34 उन दावों पर जिन्हें लंबित कानूनी मामलों के कारण ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया हैं विभिन्न निर्णय प्राधिकरियों के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं इन कानूनी मामलों में विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और मामलें को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र कानूनी मूल्यांकन शामिल हैं कंपनी के पास 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 1 उप–क्षेत्रीय कार्यालय और उस विशेष गतिविधि के लेखांकन सहित व्यापारिक गतिविधियों को संभालने के लिए विभिन्न प्रभाग है। हालाँकि, कई मामलों में कानूनी मामलों को कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर आगे बढ़ाया जाता है जबकि संबंधित वित्तीय जानकारी/लेनदेन को क्षे.का. स्तर पर निपटाया जाता है, जिससे लेनदेन को व्यापक और होलिस्टिक उपचार देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (सीपीसी) के अनुसार कानूनी मामलों की संस्था अदालत के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करती है। क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से इस आधार पर निर्धारित किया जाता हैः ए) आर्थिक मूल्य बी) न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सी) विषय वस्तु इसी प्रकार अचल संपत्ति के मामले में वाद वहां स्थापित किया जाता है जहां अचल संपत्ति स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालय जिसने एक विशेष समझौते को निष्पादित किया है और जो अभिलेखों का रक्षक है, अदालत के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त और उपयुक्त है। हालाँकि जब मामले सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचते हैं, तो मामले को कॉर्पोरेट कार्यालय में निपटाया जाता है।

	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रियाः	प्रबंधतंत्र का उत्तर
	लेखा परीक्षकों का उत्तरः हमने 31 मार्च 2023 को कॉरपोरेट कार्यालय के विधि प्रभाग द्वारा देखे जा रहे सभी लंबित कानूनी मामलों की सूची प्राप्त की, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में मामलों की स्थिति में बदलाव पर प्रबंधन से एक नोट मिला। हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के प्रभाव पर विचार किया और कंपनी के वित्तीय दायित्व के प्रभाव का विश्लेषण किया। प्रबंधन को यह सुझाव दिया गया था कि वित्तीय विवरण में रिपोर्टिंग में स्पष्टता के लिए एक ही स्थान पर कानूनी मामले और वित्तीय दायित्व, यदि कोई हो, रखें।	
	मामलों पर जोर	
1.	**पुनर्गठन और ऋण पुनर्भुगतान में चूक** हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 29 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 31.3.2022 तक 2551.44 करोड़ रुपये का भुगतान मूलधन और सामान्य सहमत ब्याज के लिए 31. 3.2022 तक किया गया है। 106.41 करोड़ रु. की राि ा में से 63.68 करोड़ 01.04.2022 से 31.03.2023 तक ब्याज से संबंधित है और शेष राशि रु.42.73 करोड़ रुपये बैंकों के साथ अंतिम निपटान के अधीन आरटीआर के तहत अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों से संबंधित हैं। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ मामला अब बंद हो गया है। अन्य ऋणदाता बैंक भी अपना मामला उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठा रहे हैं। प्रबंधन का विचार है कि शेष बैंक यदि कोई रियायत है तो उस पर विचार करेंगे और कोई अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 31.3.2022 तक 2551.44 करोड़ की राशि का भुगतान 31.3.2022 तक मूलधन और सामान्य सहमत ब्याज के लिए किया गया है। जिसें 106.41 करोड़ रु. में से 63.68 करोड़ 01.04.2022 से 31.03.2023 तक ब्याज से संबंधित है और शेष राशि रु.42.73 करोड़ रुपये बैंकों के साथ अंतिम निपटान के अधीन आरटीआर के तहत अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों से संबंधित हैं। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक के साथ मामला अब बंद हो गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी सैद्धांतिक तौर पर रियायत को मंजूरी दे दी है. शेष ऋणदाता बैंक यानी कर्नाटक बैंक भी इस मामले को अपने उचित अधिकारियों के साथ उठा रहा है। वित्त वर्ष 2022–23 में किए गए दंड और अतिरिक्त ब्याज से संबंधित प्रावधान को तदनुसार उलट दिया गया है। प्रबंधन का मानना है कि शेष एक बैंक यानी. यदि कोई रियायत है तो कर्नाटक बैंक उस पर विचार करेगा और कोई अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।
2.	**सेबी के विनियमन 33 और अधिनियम की धारा 49 का अनुपालन न करना** हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 34(vii) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी द्वारा सेबी के विनियम 33 का अनुपालन नही होने पर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की गई मांग के कारण 0.07 करोड़ रू.(पि.वर्ष 0.07 करोड़ रू.) की आकस्मिक देयता बनाई है। प्रबंधन इन मांगों को माफ कराने की प्रक्रिया में है और इस प्रकार वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।	ये मांगें एमएमटीसी बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक न होने को लेकर थीं, जो एमएमटीसी के नियंत्रण से बाहर था। डिवीजन ने लगाए गए इन जुर्माने को माफ करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को लिखा है। एमओसीएंडआई ने एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है।
3.	**अधिनियम की धारा 149 का अनुपालन न करना** हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 34 (vii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि ष्छत्‍ की राशि। तय समय में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं करने पर 0.01 करोड़ का जुर्माना शामिल है. प्रबंधन संबंधित मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, इसलिए वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	एमओसी और मैंने एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। एनएमटीसी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में गैर–अनुपालन के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है जो एमएमटीसी के नियंत्रण से परे था।
4.	**विदेशी देनदारों का बट्टे खाते में डालना** हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36 (एन) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से बीस वर्षों से अधिक समय से बकाया विदेशी देनदारों के 0.10 करोड़ रुपये की राशि माफ कर दी गई और खराब और संदिग्ध ऋणों/दावों/ऋणों के लिए पहले बनाए गए प्रावधानों को वापस ले लिया गया। कंपनी का प्रबंधन एक विशेषज्ञ के माध्यम से फेमा दिशानिर्देशों पर राय लेने की प्रक्रिया में है और तदनुसार कार्रवाई (यदि कोई हो) की जाएगी। उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	सलाहकार की राय के अनुसार, चूंकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बट्टे खाते में डाला गया निर्यात कैलेंडर वर्ष 2021 में प्राप्त कुल निर्यात आय के 5% की सीमा से अधिक नहीं है और अन्य शर्तों की संतुष्टि पर, 9,66,172.86 रू. की विदेशी प्राप्य राशि का स्वयं बट्टे खाते में डालना फेमा कानून के तहत अनुपालन और अनुमति होनी चाहिए।

कृषि उत्पाद

कोयला और हाइड्रोकार्बन

उर्वरक और रसायन

धातुओं और औद्योगिक कच्चे माल

खनिज

पीएमडी रिटेल

बहुमूल्य धातुएं

प्रोजेक्ट एवं सामान्य व्यापार

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

वित्तीय विवरण

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(रुपए करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को	31.03.2022 को
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	3	**26.96**	30.57
संपति उपयोग का अधिकार	3	**2.84**	2.97
कार्यशील पूंजीगत	3	**-**	
निवेश संपत्ति	4	**3.55**	3.71
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	**0.12**	0.24
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6A	**25.62**	31.62
व्यापार प्राप्य	7A	**-**	-
ऋण	8	**1.49**	2.28
अन्य	9	**44.45**	45.36
स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	**154.43**	214.41
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	11A	**27.99**	24.04
चालू परिसंपत्तियां			
इन्वेंट्रीज	12	**1.16**	29.79
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6B	**-**	-
व्यापार प्राप्य	7B	**134.04**	135.10
नगद तथा नगद समतुल्य	13	**317.72**	43.36
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	14	**996.68**	17.46
ऋण	8	**0.53**	1.00
अन्य	9	**47.71**	8.82
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	**164.41**	3.61
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11B	**1,323.67**	3,709.51
बिक्री के लिए रोकी गई संपत्ति	6C	**-**	459.11
कुल परिसंपत्तियां		**3,273.37**	**4,762.96**
इक्विटी तथा देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16A	**150.00**	150.0
अन्य इक्विटी	16B	**1,114.83**	43.40
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
लीज देयताएं	19A	**5.05**	3.46
प्रावधान	20A	**43.03**	37.40
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17B	**42.73**	2,551.44
व्यापार प्राप्य	18		
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम बकाया देय			
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम से अलग देनदारी		**247.89**	269.71
लीज देयताएं	19B	**0.13**	0.13
अन्य वित्तीय देयताएं	19C	**163.48**	218.45
अन्य चालू देयताएं	21	**277.76**	385.54
प्रावधान	20B	**1,082.30**	1,081.75
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	22	**146.00**	21.50
कुल इक्विटी और देयता		**3,273.37**	**4,762.96**

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणीयों को देखें 1—56

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर सं.00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(अजय कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

(ज्योति प्रकाश)
अपर महाप्रबंधक (विवले)
एसीएस–11499

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक(विपणन)
डीआईएन : 06961483

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09778990

दिनांक : 30.05.2023
स्थान : नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
आय			
परिचालन से राजस्व	23	**272.55**	8,393.29
अन्य आय	24	**100.19**	54.44
कुल आय (I)		**372.74**	**8,447.73**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	**13.78**	107.40
व्यापार में स्टॉक की खरीद	26	**215.68**	7,284.64
तैयार माल की इंवेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड और वर्क इन में परिवर्तन	27	**23.40**	11.76
कर्मचारी लाभ व्यय	28	**104.04**	114.42
वित्तीय लागत	29	**111.21**	205.94
मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय	30	**4.44**	4.57
अन्य खर्च	31	**38.29**	443.20
कुल खर्च (II)		**510.84**	**8,171.93**
असाधारण मदों तथा टैक्स (I–II) से पूर्व लाभ /(हानि)		**(138.10)**	275.80
असाधारण मदें –व्यय/(आय)	32	**(1,417.26)**	155.20
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**1,279.16**	**120.60**
कर व्यय			
वर्तमान कर			
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन		**(2.47)**	-
आस्थगित कर		**59.98**	341.03
कुल कर व्यय		**203.09**	**358.37**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (ए)		**1,076.07**	**(237.77)**
अन्य व्यापक आय /(हानि)			
ऐसी मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगाः			
– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन		**1.79**	11.90
– अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स		**(6.01)**	0.97
– आयकर का प्रभाव		**(0.42)**	(4.16)
कुल अन्य व्यापक आय/(हानि)नेट आफ टेक्स (बी)		**(4.64)**	**8.71**
कुल अन्य व्यापक आय/(हानि)नेट आफ टेक्स(ए)+(बी)		**1,071.43**	**(229.06)**
प्रति इक्विटी शेयर से अर्जन			
बेसिक व डाइल्यूटेड (में)	43	**7.17**	**(1.59)**

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणीयों को देखें
हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर सं.00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(अजय कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

(ज्योति प्रकाश)
अपर महाप्रबंधक (विवले)
एसीएस–11499

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक(विपणन)
डीआईएन : 06961483

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09778990

एमएमटीसी लिमिटेड				
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण				
(करोड़ रु)				
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
ए. प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ/हानि		**1,279.16**		**120.60**
के लिए समायोजन :–				
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	**4.44**		0.01	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	**0.48**		4.57	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	**(0.38)**		(0.04)	
पीपीई और संपत्ति के उपयोग के अधिकार की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(1,415.60)**		-	
गैर चालू निवेश की मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**-**		0.01	
ब्याज आय	**(84.44)**		(4.30)	
लाभांश आय	**(7.88)**		(37.26)	
वित लागत	**110.42**		205.83	
लीज पर ब्याज खर्च	**0.79**		0.11	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/ दावे	**0.03**		0.02	
सीएसआर व्यय	**0.05**		0.05	
संदिग्ध ऋणों/ दावे व अग्रिमों के लिए भत्ता	**1.72**		1.05	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(3.19)**		(23.22)	
रिटन बैक देयताएं	**(2.98)**		(9.15)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	-		-	
		(1,396.54)		142.04
कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		**(117.38)**		**262.64**
के लिए समायोजन :–				
इन्वेंट्रीज	**28.64**		15.84	
व्यापार प्राप्ति योग्य	**2.03**		438.48	
ऋण व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**(36.72)**		21.50	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	**1,402.66**		(147.12)	
व्यापार प्राप्य	**(18.88)**		(486.06)	
अन्य वित्तीय देयताएं	**(53.38)**		9.61	
अन्य चालू व गैर चालू देयताएं	**(107.77)**		(386.70)	
प्रावधान	**7.49**	**1,224.07**	160.39	(374.06)
		1,106.69		(111.42)
प्रदत्त कर		**(179.41)**		(0.97)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**927.28**		**(112.39)**
बी. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(1.26)**		(0.05)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**1.23**		0.04	
निवेश की बिक्री/खरीद	**1,874.71**		0.00	
प्राप्त किया गया ब्याज	**84.44**		4.30	
प्राप्त किया गया लाभांश	**7.86**	**1,967.00**	37.26	41.55
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**1,967.00**		**41.55**
सी. वित गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	**(2,508.71)**		187.43	
वित्त लागत	**(110.42)**		(205.83)	
लीज (ब्याज)	**(0.79)**		(0.11)	
प्रदत्त लाभांश (लाभां ा वितरण कर)	**-**	**(2,619.92)**	-	(18.51)
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नगदी		**(2,619.92)**		**(18.51)**
डी . नगद व नगद समतुल्य में निवल परिवर्तन		**274.36**		**(89.35)**
ई. आरंभिक नगद व नगद समतुल्य(नोट संख्या 13)		**43.36**		**132.71**
एफ. अंतिम नगद व नगद समतुल्य(नोट संख्या 13)		**317.72**		**43.36**

टिप्पणी :

1. उपरोक्त नगद प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत जैसाकि नगद प्रवाह विवरण के विशय में इंड एएस–7 में बताया गया है के अनुसार तैयार किया गया है ।
2. भााखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कारपोरेट कार्यालय में एक्रूअल और डेफटल के लिए समायोजन
3. नगद तथा नगद समतुल्य में भाामिल है :–

(करोड़ रु)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
बैंकों में उपलब्ध शेष		
(ए) चालू खाते में	**0.63**	6.76
(बी) 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	**311.91**	15.57
(सी) कैश क्रेडिट खाते में डेबिट शेष	**5.18**	20.98
उपलब्ध चेक /ड्राफ्ट/स्टाम्प	**0.00**	0.00
उपलब्ध चेक /ड्राफ्ट/स्टाम्प	**0.00**	0.07
कुल	**317.72**	**43.36**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफण्आर सं.00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(अजय कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

(ज्योति प्रकाश)
अपर महाप्रबंधक (विवले)
एसीएस–11499

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक(विपणन)
डीआईएन : 06961483

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09778990

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तनों का समेकित विवरण

इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भोयरों की संख्या	राशि
01.04.2022 तक शेष	1,500,000,000	150.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2023 को शेष	1,500,000,000	150.00

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भोयरों की संख्या	राशि
01.04.2021 तक शेष	1,500,000,000	100.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2021 को शेष	1,500,000,000	150.00

बी. 31 मार्च, 2023 को अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

	लंबित आबंटन पर शेयर आवेदन राशि	रिजर्व एवं सरप्लस			ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिज का प्रभावी हिस्सा	मुद्रा विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स	कुल
		आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन					
1.4.2021 को शेष	-	-	596.97	(546.63)	(7.96)	-	-	1.02	**43.40**
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्श के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	1,076.07	(6.01)	-	-	1.37	**1,071.43**
लाभांश तथा डीडीटी'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.3.2023 को भोश	**-**	**-**	**596.97**	**529.44**	**(13.97)**	**-**	**-**	**2.39**	**1,114.83**

31 मार्च, 2022 को अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

	लंबित आबंटन पर शेयर आवेदन राशि	रिजर्व एवं सरप्लस			ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	कैश फ्लो हेजिज का प्रभावी हिस्सा	मुद्रा विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स	कुल
		आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन					
1.4.2021 को शेष	-	-	596.97	(308.86)	(8.93)	-	-	(6.72)	272.46
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	(237.77)	0.97	-	-	7.74	(229.06)
लाभांश तथा डीडीटी'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः माप	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.3.2022 को शेष	-	-	596.97	(546.63)	(7.96)	-	-	1.02	43.40

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर न पहचाना गया लाभांश **(करोड़ रुपए में)**

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रस्तावित लाभांश	––	––
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर सं.00002312 एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(अजय कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

(ज्योति प्रकाश)
अपर महाप्रबंधक (विवले)
एसीएस–11499

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक (विपणन)
डीआईएन : 06961483

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09778990

दिनांक : 30.05.2023
स्थान : नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. सामान्य सूचना

1963 में स्थापित और भारत में अधिवासित कंपनी एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीटयूनल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर में है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियों में खनिजों का निर्यात और कीमती धातुओं, अलौह धातुओं के आयात, उर्वरक, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन आदि का व्यवसाय शामिल हैं। कंपनी की व्यापार गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में फैली हुई है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 अनुपालन का विवरण और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) तथा इनमें बाद में हुए संशोधनों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी समयावधि के लिए लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है। वित्तीय विवरण एक्रुअल के आधार पर तैयार लेखा पुस्तिकाओं से ऐतिहासिक लागत समझौते के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय साधन, जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार होते हैं, इसके अपवाद हैं।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रूपए में तैयार किया गया है। यह कंपनी की फंक्शनल करेंसी है। वित्तीय विवरणों में इक्विटी शेयरों की संख्या और प्रति शेयर डेटा को छोडकर सभी राशियों को भारतीय रूपयों में दर्शाया गया है तथा जंहा कही ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है।

2.3 अनुमान और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता होती है जो

परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित की गई आकस्मिक देनदारियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर की पहचान उस अवधि में होती है जिसमें परिणाम ज्ञात/प्राप्त होते हैं।

2.4 राजस्व पहचान

i) ट्रेडिंग आय

निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए राजस्व का मूल्यांकन लेनदेन मूल्य (परिवर्तनीय प्रतिफल शुद्ध) की राशि पर उस निष्पादन दायित्व के लिए किया जाता है। बेची गई वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का लेनदेन मूल्य अनुबंध के हिस्से के रूप में कंपनी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छूटों और योजनाओं के कारण परिवर्तनीय प्रतिफल से अलग है।

खरीद व बिक्री

ए. कंपनी के माध्यम से सरणीकृत किये गये कुछ वस्तुओं के आयात के मामले मे जो आयात भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत पत्र के द्वारा 'सरकारी खाते' में किये जाते हैं, वह क्रय/विक्रय कंपनी के नाम पर बुक होता है।

बी. वस्तुओं का व्यापार कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से भी होता है। व्यापार के संबंध में विभिन्न कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है और इसके आधार पर माल की वास्तविक सुपुर्दगी होती है।

सी. सोने/चांदी को डिपोजिट के तहत रखा जाता हैः सोने/चांदी के आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवस्था के अनुसार धातु को आपूर्तिकर्ता द्वारा कंपनी के पास अनफिक्स्ड मूल्य आधार पर बाद में वापसी के लिए या आउटराईट क्रय के लिए रखा जाता है।

i) नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एक्जिम पॉलिसी की योजना के अनुसार, खरीद में आउटराईट खरीद के आधार पर आपूर्तिकार की जमा खेप से निकाला गया सोना/चांदी भाामिल हैं।

ii) वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को सप्लायरों के जमा सोने/चांदी की खेप से निकासी पर और आपूर्तिकारों के साथ मूल्य निर्धारण पर भाामिल किया जाता है। 'वर्ष के अंत में कंपनी में अंडर डिपॉजिट रखे गये स्टॉक को चालू परिसंपत्तियां स्टॉक के अंतर्गत 'बिना बीजक के खरीदारी के स्टाक के रूप में और चालू देयताओं के अंतर्गत वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन मूल्य पर बिना बीजक के खरीदारी के रूप में देय राशि में शामिल किया जाता है। हालांकि, जमा में शेष के संबंध में भुगतान सीमा शुल्क प्रीपेड खर्च में भाामिल किया जाता है।

iii) सोने/चांदी अंडर डिपॉजिट से ऋण आधार पर वापस लिये गये सोना/चांदी ग्राहकों को दिए गए ऋण के रूप में बुक किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत समूहबद्ध किया जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक की देनदारी को सकल लेनदार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ऋण/सकल लेनदार का समायोजन खरीद/बिक्री बुक किए जाने पर होता है।

डी. जब सोने की खरीद घरेलू बाजार से की जाती है तथा मूल्य निर्धारण को आस्थगित रखा जाता है, इस स्थिति में आरंभ में खरीद को सप्लायर से

प्राप्त इन्वायस के आधार पर रिकार्ड में लिखा जाता है। मूल्य फिक्स करने पर यदि कोई अंतर आता है तो इसे डेबिट/क्रेडिट नोट के माध्यम से हिसाब में लिया जाता है।

ई. भरपाई के आधार पर, मार्जिन धन देकर निर्यातक द्वारा बुक कराए गए सोने/चांदी खरीद विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत तय करने के बाद बुक की जाती है। हालांकि, बिक्री तब बुक की जाती है जब वास्तव में निर्यात पूरा होने के बाद माल की डिलीवरी की जाती है।

एफ. **हाईसीज सेल**

माल के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से आयात बिक्री के दौरान अर्थात हाई सीज बिक्री को माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तातंरण पर खरीदार के पक्ष में माल बुक किया जाता है जिससे माल पर केता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है। जिससे माल पर केता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिक्री आय को लेने की हकदार हो जाती है इससे पहले माल भारत के कस्टम सीमाओं से बाहर हो जाता है।

ii) **अन्य ऑपरेटिंग राजस्व**

कंपनी की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आय, जो बिक्री/सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में भाामिल नहीं होती है, उदाहरण के लिए अर्जित डिस्पैच, सब्सिडी, व्यापार लेनदेन पर होने वाले नुकसान के दावें क्रेडिट बिक्री पर ब्याज और व्यापार संबंधी अग्रिम (ओवरडयू के अलावा) आदि, जो व्यापार सहयोगी या संबंधित व्यापार संबंधी योजनाओं के साथ संबंधित व्यापार समझौतों की भार्तों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं को 'अन्य ऑपरेटिंग राजस्व' के अंतर्गत रखा जाता है।

iii) **दावे**

दावों की पहचान लाभ और हानि (किसी भी देय को घटाकर) के विवरण में अक्रुअल आधार पर होती है, जिसमें सरकार से मिली प्राप्तियां, सब्सिडी, नकद प्रोत्साहन, हानियां आदि की प्रतिपूर्ति भाामिल है जब अंतिम वसूली की संभावना होती है । दावों की पहचान की जाती है लेकिन बाद में संदिग्ध होने के कारण लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है। बीमा दावों को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने पर खातों में भाामिल किया जाता है। कमी/क्षति जिसमें तरल क्षतियां/मात्रा/गुणवत्ता में कमी इत्यादि को संबद्व संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार खातों में भाामिल किया जाता है। यदि वर्तमान संविदा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो संभावित दावा राशि की वसूली के अतिरिक्त पार्टी द्वारा स्वीकृति मिलने पर लेखों में शामिल किया जाता है। ऐसे दावों की पहचान होने पर उसी पार्टी को अग्रिम मिलने भुगतान योग्य दावे के एवज में वसूली की जाएगी/समंजन किया जाएगा।

iv) **सेवा आय**

कंपनी मुआवजे का हक देने के लिए सेवाओं में राजस्व बुक किया जाता है जब ग्राहक को वायदा की गई सेवाएं ट्रांसफर करने पर निष्पादन दायित्व पूरा हो जाए।

v) **लाभांश और ब्याज आय**

निवेश से लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है और यह संभव है कि लेनदेन से जुडे आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आय की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है।

ब्याज आय की पहचान बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर होती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों पर छूट की दर है।

vi) वास्तविक वसूली पर राजस्व की पहचान

राजस्व की पहचान अक्रुअल आधार पर नीचे दी गई मदों को छोडकर, इंड एएस–115 के प्रावधानों के अनुसार होती है। जिनकी गणना वास्तविक वसूली पर होती है क्योंकि ऐसी मदों की वसूली अनिश्चित होती है :–

ए) ड्यूटी क्रेडिट/लागू विदेश व्यापार नीति की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छूट, टैक्स क्रेडिट, सर्वेक्षण कमी के कारण कस्टम शुल्क की वापसी, और आयकर/सेवाकर/बिक्री–कर/वैट/जीएसटी तथा इस पर लगने वाले ब्याज आदि की वापसी।

बी) निष्पादन/विवादित देय राशि और उन पर देय ब्याज के लिए लंबित डिक्री, यदि कोई हो तोः

सी) अतिदेय वसूली पर ब्याज जहां वसूली अनिश्चित हो।

डी) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराईटरों को देय निर्णीत हर्जाना।

2.5 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत की पहचान परिसंपत्ति के रूप में होती है यदि, और केवल यदि ऐसी संभावना है कि मदों से संबंधित संभावी आर्थिक लाभ कंपनी के पक्ष में जाएंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पीपीई की मद की लागत पहचान तिथि को लागत के बराबर होती है। पीपीई की एक मद की लागत में भाामिल हैः

(I) खरीद मूल्य जिसमें व्यापार छूट और कटौती को घटाकर आयात शुल्क और गैर–वापसी खरीद कर भाामिल है।

(ii) लागत सीधे तौर पर पीपीई को उस स्थिति और स्थान पर लाने के लिए सहायक है जहां प्रबंधन द्वारा अपेक्षित तरीके से संचालन करने में सक्षम है।

(iii) वस्तु को विभाजित करने और हटाने की लागत का आरंभिक अनुमान और उस स्थान पर लौटाने के लिए जिस पर यह स्थित है, कंपनी जिस दायित्व के लिए खर्च करती है जब पीपीई लिया हो या विशेष अवधि के दौरान पीपीई के प्रयोग के परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान इंवेंट्री तैयार की गई हो।

कंपनी ने पहचान के लिए लागत माडल को चुना है और यह माडल पीपीई की पूरी श्रेणी पर लागू होता है। संपत्ति की पहचान के बाद पीपीई की एक मद इसकी लागत से कम किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि पर नुकसान होता है।

छोटे मूल्य की कुछ वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, दीवार घड़ी, रसोई के बर्तन, आदि जिनका उपयोगी जीवन बहुत ही सीमित है और लागत के रूप में इस तरह के आइटम के लिए 2000/– रूपये प्रत्येक मामले में खरीद के वर्ष में राजस्व के लिए सीधे शुल्क लिया जाता है। लागत के बावजूद मोबाइल हैंडसेट की कीमत भी राजस्व प्रभारित की जाती है चाहे लागत कुछ भी हो।

2.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

जब कंपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखती है तो पहचान योग्य अमूर्त संपत्तियों की पहचान की जाती है, ऐसी संभावना है कि परिसंपत्ति पर भविष्य में मिलने वाले आर्थिक लाभों का प्रवाह एक से अधिक आर्थिक अवधि में कंपनी के हित में होता है और संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पहली नजर में अमूर्त संपत्ति की पहचान लागत पर होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिसोधन सीधे तौर पर अनुमानित राशि पर उपयुक्त अवधि के लिए उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि से वे उपयोग के लिए उपलब्ध है। साफ्टवेयर्स को इनकी उपभोग अवधि में अमोर्टाइज किया जाता है । जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष अथवा लाइसेंस अवधि होती है, जैसा भी मान्य हो । प्रत्येक मामले में 2000/–रूपये तक अमूर्त परिसंपत्ति को सीधे राजस्व में चार्ज किया जाता है।

रिसर्च के द्वारा निकली अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती और खर्चे पर रिसर्च को सीधे लाभ व हानि खाते से कम किया जाता है, जब यह व्यय होता है विकास के द्वारा अर्जित अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान की जाती है यदि परिसंपत्ति इंडएएस के अनुसार पहचान के लिए कसौटी को पूरा करती है। अमूर्त परिसंपत्ति पर परिव्यय जिसकी पहचान शुरू में खर्चे के रूप में की गई थी वह अमूर्त संपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में बाद में की गई।

2.7 बिक्री के लिए गैर–उपयोगी परिसंपत्ति

कंपनी गैर–उपयोगी संपत्ति (या संपत्ति का निपटान समूह) जो बिक्री के लिए है यदि इसकी वर्तमान मूल्य की वसूली इसका उपयोग जारी रखने की बजाय बिक्री लेन–देन के माध्यम से इसकी वसूली सैद्धांतिक रूप से हुई हो तो उसका वर्गीकरण किया जाता है। गैर–उपयोगी संपत्ति को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जिसको वर्तमान से कम और बिक्री से कम लागत के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

2.8 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसची–II के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल्यहरास के बराबर है। संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है । पीपीई की प्रत्येक ईकाई का प्रत्येक भाग लागत के साथ संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन संपत्ति के शेष भाग से अलग है, ऐसे महत्वपूर्ण भाग पर अलग से मूल्यह्रास लगाया जाता है। सभी वस्तुओं पर मूल्यह्रास उस तिथि से लगाया जाता है जिस तिथि को ''उपयोग के लिए उपलब्ध''है और बिक्री पर निपटान की तिथि तक लगाया जाता है। इसमें अमूर्त संपत्ति और लीजहोल्ड संपत्ति का परिसोधन भाामिल है। फ्रीहोल्ड जमीन पर मूल्यह्रास नहीं निकाला जाता है। पीपीई की आइटम की पहचान नहीं की जाती जब या तो इसका निपटान किया गया है या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती।

सभी संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य 1/– रुपये माना जाता है। परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार लिया गया हैः –

परिसंपत्ति का नाम	अनुसूची II के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन
ए. सामान्य परिसंपत्ति	
फर्नीचर फिंटिंग्स	10
दफ्तर के उपकरण	5
वाहन – स्कूटर	10
वाहन – कार	8
कंप्यूटर्स– सर्वर्स और नेटवर्क	6
कंप्यूटर्स – अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण	3
लीज–होल्ड भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार
वैगन रेक्स	एग्रीमेंट/वैगन निवेश योजना के अनुसार
पंखों को छोड़कर इलैक्ट्रिक इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
सडकें	
कारपेटिड सड़क – आरसीसी	10
गार्डेड सड़क – आरसीसी के अलावा	5
गैर कारपोटिड सड़कें	3
पुलिया	30

इमारतें	
टारसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
आवासीय फ्लैट (तैयार)	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
अस्थायी संरचना और लकड़ी के पार्टिशन	3
वेयरहाउस / गोदाम	30
बी. विनिर्माण इकाई की परिसंपत्तियां	
फैक्टरी बिल्डिंग्स	30
पंखों को छोड़कर इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
मशीनरी एवं प्लांट	
एक शिफ्ट	15
दो शिफ्ट	10
तीन शिफ्ट	7.5
मशीनरी एवं संयंत्र – पवन उर्जा उत्पादन संयंत्र	22
सी. भूमि पर बनाई गई स्थायी परिसंपत्तियां तथा जो न ही स्थायी परिसंपत्तियां तथा न ही जमीन कंपनी की है **डी. अमूर्त संपत्ति का परिशोधन(अमोर्टाजशन)**	
सॉफ्टवेयर	5 साल या लाइसेंस अवधि जैसी भी स्थिति हो

2.9 हानि

यदि किसी संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य (या नगद–जनरेटिंग ईकाई) का अनुमान संपत्ति की मूल राशि (या नगद–सृजित ईकाई) से वसूली योग्य मूल्य से कम पर लगाया जाता है। हानि को लाभ या हानि में तुरंत दिखाया जाता है जब तक कि संबंद्ध संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता जिस मामले में हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी माना गया है।

वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य में से निपटान लागत और इसका मूल्य घटाकर निकाला जाता है। उपयोग में मूल्य के आकलन के लिए अनुमानित भविश्य नगद–प्रवाह को उसके वर्तमान लागत में लाया जाता है इसके लिए कर से पूर्व छूट का उपयोग किया जाता है ताकि यह धन का सामयिक मूल्य का चालू बाजार आकलन और संपत्ति पर जोखिम विशेष प्रतिबिंबित कर सके जिसके लिए भविष्य नगद प्रवाह आकलन का समायोजन नहीं किया गया है।

जब इसके फलस्वरूप हानि रिवर्स होती है तो संपत्ति की मूल राशि इसकी वसूली योग्य मूल्य के संशोधित आकलन तक बढ जाती है (या एक नगद–जनरेटिंग ईकाई) ताकि बढी हुई मूल राशि इसकी मूल राशि से अधिक न हो और यह माना गया है कि पिछले वर्षों में संपत्ति के लिए कोई हानि नहीं दिखाई गई है (या नगद–जनरेटिंग ईकाई)। जब तक संबंधित संपत्ति की पुनर्मूल्यांकन राशि नहीं निकाली जाती, हानि के रिवर्स को तुरंत लाभ या हानि में दिखाया जाता है जिस मामले में हानि में रिवर्स को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि माना गया है।

मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों में हानि होने के किन्हीं संकेतों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कंपनी उनकी कैरिंग लागत की पुनरीक्षा करती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है ताकि हानि (यदि कोई हो तो) के परिमाण का निर्धारण किया जा सके। जब किसी एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो जिस रोकड़ अर्जन इकाई से परिसंपत्ति संबंधित है कंपनी उसकी वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। जब आबंटन के तर्कसंगत एवं एक समान आधार की पहचान की जा सकती है तो अनिश्चित उपयोगी समय के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों एवं उपयोग के लिए अभी अनुपयुक्त अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि के लिए जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति में हानि हो सकती है तो वर्ष में न्यूनतम एक बार जांच की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति के सूचकों के लिए लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य(एफवीटीपीएल) के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक पहचान के पश्चात एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप निवेश के अनुमानित भविष्य में रोकड़ प्रवाह प्रभावित हुआ है तो ऐसे वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होने पर वित्तीय परिसंपत्ति में क्षति मानी जाती है। बिक्री हेतु उपलब्ध(एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिए प्रतिभूति की लागत से कम पर फेयर मूल्य में महत्वपूर्ण अथवा दीर्घकालीन गिरावट को क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:–

- जारीकर्त्ता अथवा प्रतिपक्ष(काउंटर पार्टी) की महत्वूपर्ण वित्तीय समस्या
- ब्याज अथवा मूल भुगतान में डिफाल्ट अथवा चूक के कारण करार भंग
- ऋण लेने वाले की दिवालिया अथवा वित्तीय पुनर्गठन अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक्टिव बाजार गायब होने की संभावना।

व्यापारिक प्राप्य जैसी वित्तीय परिसंत्तियों के कुछ वर्गो के लिए क्षति हेतु परिसंपत्तियों का निर्धारण वैयक्तिक आधार पर किया जाता है। भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का विगत अनुभव तथा शून्य दिन की औसत क्रेडिट अवधि के पश्चात पोर्टफोलियो में विलंबित भुगतान की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ वसूली योग्य राशि में चूक से संबंधित राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में दर्शनीय परिवर्तन वसूली योग्य राशि के पोर्टफोलियो में क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों में शामिल हो सकते हैं।

जिन वित्तीय परिसंपत्तियों को लागत पर लिया जाता है उनकी क्षति/हानि की राशि का आकलन उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्ति की वर्तमान मार्केट रेट आफ रिटर्न घटा कर अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति की कैरिंग लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है। ऐसी क्षति/हानि को तदंतर में रिवर्स नहीं किया जाएगा।

व्यापारिक प्राप्यों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति/हानि को सीधे ही वित्तीय परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि से कम कर दिया जाता है। संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए अलाउंस अकाउंट के प्रयोग द्वारा उक्त क्षति/हानि को कम किया जाता है। जब यह माना जाता है कि व्यापारिक प्राप्य संग्रहणीय नहीं है तो अलाउंस खाते के प्रति इसे बटटे खाते में डाला जाता है। पहले बटटे खाते में डाली गई राशि की वसूली को अलाउंस खाते के प्रति क्रेडिट किया जाता है। अलाउंस खाते की कैरिंग राशि की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि तदंतर में क्षति/हानि के परिमाण में कमी आती है तथा क्षति की पहचान होने के पश्चात घटी घटना से कमी को निष्पक्षता से संबंधित किया जाता है तो विगत में पहचानी गई क्षति/हानि को लाभ अथवा हानि द्वारा रिवर्स किया जाता है। यह उस सीमा तक किया जाता है कि रिवर्स की गई क्षति की तिथि को निवेश की कैरिंग राशि, यदि क्षति की पहचान न की जाती तो जो परिशोधित लागत होती, उससे अधिक न हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों की डी–रिकग्नीशन

जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह के संविदात्मक अधिकार निरस्त होते हैं अथवा जब वित्तीय परिसंपत्ति तथा इसके पश्चात स्वामित्व के जोखिम एवं रिकार्डस का किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरण करती है तो कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डी–रिकागनाईज कर देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा रिवार्डस को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उन्हें अपने पास रखती है तथा हस्तांतरित परिसंपत्ति का नियंत्रण रखती है तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने रिटेन्ड हितों की पहचान करती है तो राशि की संबंधित देयता का इसे वहन करना होगा। यदि हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के जोखिमों तथा रिकार्ड को काफी हद तक कंपनी अपने पास रखती है तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान करने के साथ–साथ प्राप्त मुनाफे के लिए कोलेटराइज्ड ऋण की भी पहचान करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति के पूर्णतः डी–रिकगनाईज होने पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि तथा प्राप्त हुए लाभ की राशि के अंतर को तथा वसूली योग्य एवं संचयी लाभ अथवा हानि जिसे अन्य आय में पहचाना गया है तथा इक्विटी में संचय किया गया है, को लाभ अथवा हानि में पहचाना जाता है।

2.10 ऋण लागत

कंपनी उस क्रय लागत को पूंजीगत बनाती है जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण या संपत्ति की लागत के भाग के रूप में क्वालिफाईंग संपत्ति के उत्पादन पर आरोप्य होता है।

कंपनी उस लागत की पहचान खर्चे के रूप में उस अवधि में करती है जिसमें यह खर्च की गई हो।

क्वालिफाइंग परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसको इसके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है।

2.11 विदेशी मुद्रा विनिमय

क्रियात्मक मुद्रा से अलग मुद्रा में लेनःदेन की पहचान लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित मौद्रिक मदें उस तिथि को प्रचलित दर पर पुनः मूल्यांकित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्य–वर्गित गैर–मौद्रिक मदें उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकित की जाती है जिस दर पर उस तिथि को उचित मूल्य निर्धारित हुआ था। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित की गई गैर–मौद्रिक मदों का ऐतिहासिक लागत पर पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाता है।

विदेशी करेंसी मौद्रिक मदों (अतिदेय वसूली योग्य जहां विश्वसनीयता अनिश्चित हो, को छोड़कर) को इंड एएस–21 में परिभाषित अंतिम दर को प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का प्रयोग करके ही जाती है। विनियम अंतर लाभ/हानि को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा की देयता को अंतिम दर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

2.12 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और कम लागत पर दर्शाया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के अनुमानित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूर्व अनुमानित लागत जो बिक्री के लिए आवश्यक है, भाामिल है। लागत और मूल्यांकन के निर्धारण की पद्धति नीचे दी गई है :–

(ए) निर्यात :

i) प्रत्यक्ष खर्चे जो स्टॉक के रखने की जगह तक किए गए हैं, को भाामिल करने के बाद निर्यात स्टाक निकाला गया है। इसी प्रकार बाजार मूल्य खर्चो को घटाकर वसूली योग्य मूल्य निकाला जाता है। इन खर्चों में वे खर्चे भी भाामिल हैं जो उस स्थान से बिक्री स्थान तक किए गए हैं।

ii) खनिज अयस्क के संबंध में अयस्क के वसूली मूल्य की गणना निर्यात करार के अनुसार अयस्क के ग्रेड के न्यूनतम एफई / एमएन मात्रा पर की जाती है और इसकी तुलना अयस्क के वेटिड औसत एफई / एमएन मात्रा / वेटिड औसत नमी की मात्रा पर क्रेटिड औसत लागत से की जाती है। इंवेन्ट्री से आयरन ओर के एमबेडिड स्टॉक को निकाल दिया है अतः इसका मूल्य नहीं लगाया गया है।

(बी) आयात :

i) आयातित स्टाक की लागत का मूल्यांकन वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत निकाल कर किया जाता है जिसमें अलौह धातु के लिए शामिल शेष स्टाक की वेटिड औसत लागत भाामिल नहीं है। इसमें उन खर्चों को शामिल माना जाता हैं जो रखे गये माल के स्थान तक किये गये हैं, तथापि जहां स्टाक विशेष रूप से पहचान योग्य होता है, वहां माल की वास्तविक लागत में वे खर्चें शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए गए हैं जहां माल रखा गया माना जाता है।

ii) प्रतिपूर्ति विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग करने पर विदेशी आपूर्तिकारों से सोना / चांदी खरीदा जाता है और वर्ष के अंत में सुपुर्द नहीं किए गए स्टाक को कंपनी के स्टाक में दिखाया जाता है और उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(सी) घरेलू

i) सोने / चांदी के मेडालियन और चांदी के सामान की लागत की गणना प्रतिवर्ष स्थान–वार सामान की भारित औसत लागत और आरंभिक स्टाक की लागत की गणना करके की जाती है। लागत में विनिर्माण / फैबरिकेशन चार्जेज, वेस्टेज तथा अन्य लागत खर्च शामिल है।

ii) कट और पालिश वाले पत्थरों और आभूषणों (तैयार, अर्ध–तैयार) के मामले में जहां स्टाक विशेष रूप से पहचाने जाने योग्य है, माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए जाते हैं जहां रखे गए माने जाते हैं। लागत में वेस्टेज और अन्य प्रत्यक्ष निर्माण लागत भाामिल है।

(डी) पैकिंग मैटिरियल

पैकिंग मैटिरियल का मूल्यांकन कम लागत या भाुद्ध वसूली मूल्य पर किया जाता है।

(ई) फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक

फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक को समायोजन होने तक कंपनी के स्टाक में लिया जाता है।

2.13 प्रावधान

पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) होने पर प्रावधानों की पहचान की जाती है, यह संभव है कि दायित्वों के समायोजन के लिए आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की आवश्यकता हो और दायित्वों की राशि से विश्वसनीय आकलन तैयार किया जा सके।

2.14 आकस्मिक देयताएं / परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है बल्कि इनकी सूचना लेखों की टिप्पणियों में दी जाती है जब कंपनी का संभावित दायित्व पिछली घटना और दायित्वों की विद्यमानता भविष्य की घटनाओं की पुनरावृत्ति और गैर–पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते।

आकस्मिक देनदारियों का मुल्यांकन निरंतर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अधिक संसाधनों का आउटफ्लो संभाव्य हो जाता है। यदि आउटफ्लो संभव हो जाता है तो संबंधित प्रावधान की पहचान वित्तीय विवरण में की जाती है।

जहां एक ईकाई एक दायित्व के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी है, उस दायित्व का हिस्सा जिसे अन्य पार्टियों द्वारा मिले जाने की उम्मीद है, उसे एक आकस्मिक दायित्व माना जाता है। ईकाई दायित्वों के भाग के लिए प्रावधानों की पहचान करती है जिसके लिए आर्थिक लाभों में भाामिल संसाधनों का आउटफ्लो संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, देयताओं के सामान्य टिप्पणियों के खातों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक परिसंपत्ति की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है। इस तरह की आकस्मिक संपत्ति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होने पर नोट्स में खुलासा किया जाता है। अगर यह वास्तव में नि चत है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो ऐसी संपत्तियां और संबंधित आय की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है।

2.15 लीज

संपत्ति लीज के तहत होती है जिसमें जोखिम और स्वामित्व का महत्वपूर्ण दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत होते हैं।

अन्य पट्टों को ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें जोखिम और स्वामित्व का दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदारों को स्थानांतरित किया जाता है।

कंपनी आमतौर पर ऑपरेटिंग पट्टों का निशपादन करती है, जो निम्नानुसार हैः–

i) परिचालन पट्टों से किराए की आय की पहचान सीधी रेखा के आधार पर संबद्ध पट्टे की भार्तों पर की जाती है।

ii) जब कंपनी पटटाधारी हो तो आरंभ में संपत्ति के अधिकार की तिथि को लागत और पटटे को भुगतान के वर्तमान मूल्य पर दिखाया जाता है

जिसको पटटे की देयता के रूप का भुगतान नहीं किया जता है तदंतर, संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन लागत माडल का उपयोग करते हुए पटटा देयता के पुर्नमूल्यांकन के लिए अपेक्षित किसी समायोजन के साथ किया जाता है और पटटा देयता का मूल्यांकन पटटा देयता पर ब्याज दर्शाने के लिए करेरिंग राशि की वृद्धि करके दिया जाता है कि जिससे भुगतान की गई पटटे की राशि की वृद्धि करके किया जाता है जिससे भुगतान की गई पटटे की राशि को दिखाने के लिए केरिंग राशि को कम किया जाता है और केरिंग राशि का पुनः मूल्यांकन किसी पुनःनिर्धारण या पटटे में संशोधन को दिखाने के लिए किया जाता है ।

(iii) एक व्यावहारिक समीक्षक के रूप में, अल्पावधि के पट्टे और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित संपत्ति 1,00,000/– रूपये प्रति माह के कम मूल्य की है या 1,00,000/– रूपये प्रति वर्ष दिए गए प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इंडस्ट्रीजै–116 (पट्टों) के तहत और पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2.16 कर्मचारी लाभ

i) ग्रेच्युटी, अवकाश मुआवजा और दीर्घ सेवा लाभ जैसे सेवा अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए परिवार लाभ योजना तथा माईका प्रभाग के कर्मचारियों को विशेष लाभ का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और इसमें प्रोजेक्टिड ईकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है। पुनर्मूल्यांकन, बीमांकिक जिसमें लाभ और हानि, संपत्ति सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन और योजना पंरसिपत्तियों (ब्याज को छोडकर) पर लाभ, वित्तीय स्थिति विवरणों में चार्ज और उस अवधि में व्यय जिसमें वे होते हैं अन्य व्यापक आय क्रेडिट के साथ तुरंत दिखाई देते हैं, उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। अन्य व्यापक आय में पहचाने गये पुनर्मूल्यांकन रोकी गई आय में प्रतिबिंबित होते हैं और उन्हें फिर से लाभ या हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता। और किसी योजना संशोधन, कटौती और वर्तमान सेवा लागत, निवल ब्याज, पिछली सेवालागत या समझौते के लिए लाभ या हानि के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है।

ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान परिभाषित अंशदान आधार पर किया जाता है।

iii) प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को प्रोविडेंट फंड का अंशदान अक्रूअल आधार पर किया जाता है।

iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक्स–ग्रेशिया और नोटिस वेतन के भुगतान को उस वर्ष के राजस्व में लिया जाता है।

v) एक परिभाशित अंशदान योजना, अधिवर्षिता योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)द्वारा किया जाता है। कंपनी प्रत्येक पात्र कर्मचारी के वेतन के निर्दिश्ट प्रतिशत के आधार पर अंशदान देती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

लघु अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों का आकलन बिना छूट आधार पर मापा जाता है और व्यय को संबंधित सेवा के रूप में दर्ज किया जाता है। पीएलआई/पीआरपी योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए दायित्व के रूप में पहचान की जाती है अगर कंपनी के कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सर्विस के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या तर्कसाध्य दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर की राशि को दर्शाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक आय/लाभ या हानि विवरण में दिखाये गए कर से पहले लाभ से भिन्न होता है क्योंकि आय या व्यय जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और जो आइटम कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है। कंपनी के चालू कर की गणना उस कर की दर से की जाती है जो लागू हो या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक में लागू हो।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशियों के बीच कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त वित्तीय विवरणों और संबंधित कर के बीच अस्थायी अंतर है। आस्थगित कर देनदारियों की पहचान आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान आमतौर पर उस सीमा तक की जाती है कि ऐसा संभव है कि कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उपलब्ध होंगे। इस तरह के आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की लेनदेन में पहचान नहीं की जाती है यदि उस लेनदेन में संपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है (एक व्यापार संयोजन के अलावा) जो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा, आस्थगित कर देनदारियों की पहचान नहीं की जाती यदि गुडविल की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है।

आस्थगित करों की पहचान जहां कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम है, को छोड़कर सहायक और सहयोगी और संयुक्त उद्‌यमों के हितों में देनदारियों में निवेश से संबंधित कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए की जाती है। और ऐसी संभवना है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर में रिवर्सल नहीं होगा। ऐसे निवेश और हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहां संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ का अस्थायी अंतरों के लिए लाभों का उपयोग हो सके और निकट भविष्य में इसका रिवर्सल होने की आशा हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियें की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम किया गया है कि यह अब संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से के लिए उपलब्ध होगा !

आस्थगित कर देयताएं और संपत्तियों का मूल्यांकन टैक्स दर से किया जाता है और ऐसी आशा की जाती है कि यह उस अवधि में लागू होगा जिसमें दायित्व का निर्वाह होता है या संपत्ति की वसूली होती है। यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू या मूल रूप से लागू कर दरों (और कर कानून) पर आधारित होता है।

वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान लाभ या हानि में की जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संगत किय जाते हैं जब उनकी पहचान क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में की जाती है। जब वर्तमान कर या आस्थगित कर प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तो कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है ।

लाभांश वितरण कर

कंपनी अन्य इक्विटी के अंतर्गत लाभांश के भुगतान पर देय लाभांश वितरण कर भी शामिल कर रही है क्योंकि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के फलस्वरूप भुगतान के देय लाभांश को अन्य इक्विटी के तहत भी प्रस्तुत किया जाता है।

आयकर ट्रीटमेंटस पर अनिश्चितता

ईंडएएस–12 के अंतर्गत जेब आयकर ट्रीटमेंट्स, पर अनिश्चितता हो तो कंपनी कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियां अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों पर विचार करते हुए, कंपनी आयकर प्राधिकारी द्वारा इसी ट्रीटमेंट को स्वीकार करने की संभावना पर विचार करती है और तुलनात्मक समायोजन के बिना ही पहले निवेदन पर इक्विटी समायोजन के द्वारा संचयी प्रभाव के साथ पूर्व प्रभाव के समायोजन के कारण परिवर्तन पर भी विचार करती है!

2.18 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्ति हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी में बढोतरी (ऐसे उद्देश्य के लिए निर्माणाधीन संपत्ति शामिल हैं) के लिए होती हैं। निवेश संपत्ति का मूल्यांकन आरंभ में लागत दर पर किया जाता है जिसमें लेन–देन लागत शामिल है। कंपनी की सभी संपत्तियां आपरेटिंग लीज के अंतर्गत किराया कमाने या पूंजी का विस्तार करने के उद्देश्य के लिए निवेश संपत्तियों के रूप में लेखों में शामिल की जाती हैं। आरंभिक पहचान के पश्चात कंपनी निवेश का मूल्यांकन लागत पर करती है।

जब कर निपटान किया जाता है या निवेश संपत्ति पूरी तरह से उपयोग से हटा ली जाती है और उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने की कोई उम्मीद होती है तो ऐसी निवेश संपत्ति की पहचान समाप्त हो जाती है। संपत्ति के निपटान से किसी लाभ या हानि को उस वर्ष की अवधि में लाभ अथवा हानि में लिया जाता है जिस वर्ष इसका निपटान होता है। (इसकी गणना भ्राुद्ध निपटान आय और संपत्ति की मूल राशि के अंतर पर की जाती है)।

निवेश संपत्ति पर मूल्यहृास संपत्ति की उस श्रेणी के अनुसार लगाया जाता है जिससे वह संबंध रखती है और संपत्ति की अवधि का अनुमान कंपनी की संपत्ति को उसी श्रेणी में लिया जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

इक्विटी धारकों पर आरोप्य सकल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर बेसिक प्रति शेयर अर्जन का आकलन किया जाता है। डाईल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन का आकलन कंपनी के इक्विटी धारकों पर अरोप्य लाभ को मूल(बेसिक) प्रति शेयर अर्जन ज्ञात करने के लिए उपयुक्त इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या के साथ साथ अगर सभी संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर यह शेयर जारी किए जाते तो उन इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यदि इक्विटी शेयरों को वास्वत में उचित मूल्य(अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किया जाता तो वसूली योग्य लाभ में संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है। जब तक शेयर बाद की तिथि को जारी नहीं किए जाते तो संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि के आरंभ में ही परिवर्तित माना जाता है। प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों का निर्धारण किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किए जाने से पूर्व किए गए प्रभावी परिवर्तनों सहित किसी शेयर विभाजन एवं जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए सभी अवधियों में प्रस्तुत किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या एवं संभावित डाईल्यूटिड इक्विटी शेयर्स को पूर्व प्रभावी रूप से समायोजित किया जाता है।

2.20 बंद किए गए प्रचालन

बंद किए गए प्रचालन कंपनी के व्यापार का एक घटक है जो अलग प्रकार के व्यापार को इंगित करता है जिसे बेचा जा रहा है अथवा बिक्री के लिए रखा गया है अथवा यह एक सहायक कंपनी है जिसे केवल पुनः बिक्री के उद्देश्य से अधिग्रहीत किया गया है। निपटान से पहले अथवा जब प्रचालन 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वगीकृत मापदण्ड को पूरा करता है तो 'बंद किए गए प्रचालन' के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है।

2.21 वित्तीय दस्तावेज

i) <u>गैर अमौलिक (नान डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज</u>

गैर अमौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- वित्तीय परिसंपत्तियां जिसमें रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, ट्रेड प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व, वित्त लीज प्राप्य, कर्मचारी एवं अन्य अग्रिम, इक्विटी में निवेश तथा ऋण प्रतिभूतियां एवं पात्र चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं।
- वित्तीय देयताएं जिसमें दीर्घ एवं लघु अवधि ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफट, ट्रेड देय, पात्र चालू एवं गैर चालू देयताएं शामिल हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं बराबर कर दी जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में रखा जाता है। यदि वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है जो शामिल राशि को बराबर कर देता है और निवल आधार पर सेटल करने की मंशा है। ताकि परिसंपत्ति की कानूनी और देयताओं का निपटान एक साथ हो सके।

गैर डेरिवेटिव वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स को शुरू में उचित मूल्य पर भाामिल किया जाता है, साथ ही एफवीटीपीएल में दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और रिवार्ड ट्रांसफर कर दिए गए हों। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और रिवार्ड न तो ट्रांसफर किए जाते हैं और न ही रखे जायें, वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार नहीं रखा हो।

आरंभिक पहचान के पश्चात गैर–मौलिक वित्तीय दस्तावेजों का आकलन निम्नलिखित हैः–

(ए) रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष

कैश फ्लो विवरण के उद्देश्य के लिए अपने पास(कैश इन हैंड), बैंकों में रोकड़ तथा बैंकों में डिमाण्ड डिपाजिट, मांग किए जाने पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवर ड्राफ्ट्स जिन्हें कंपनी के रोकड़ प्रबंधन सिस्टम का भाग माना जाता है आदि रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शामिल हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में बैंक ओवरड्राफ्ट्स को चालू देयताओं के अधीन उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(बी) लिक्विड म्यूचुअल फंडों, इक्विटी प्रतिभूतियों(सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम तथा एसोसिएट्स के अतिरिक्त) में निवेश का मूल्यांकन उनके फेयर मूल्य पर किया जाता है। इन निवेशों का आकलन फेयर मूल्य पर किया जाता है तथा इनमें क्षति/हानि के अतिरिक्त परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दर्शाने के साथ–साथ कर घटाकर इक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। क्षति/हानि, यदि कोई हो तो, को इक्विटी से आय के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। जब कोई वित्तीय परिसंपत्ति बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तो इसे डी–रिकग्नाईज कर दिया जाता है तथा इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी लाभ या हानि को आय के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

(सी) ऋण एवं प्राप्य

ऋण एवं प्राप्य स्थायी अथवा निर्धारण किए जाने योग्य वाली गैर मौलिक वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें सक्रिय बाजार में उदधृत नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 माह से अधिक समय पर परिपक्व होने वाली जिन्हें गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के अतिरिक्त इन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋण और प्राप्य को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही एफवीटीपीएल में दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है, हालांकि व्यापार प्राप्य जिसमें एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है, लेनदेन मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है और इसके बाद अमोर्टाजाईज्ड लागत पर जिसमें प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत, किसी भी हानि हानि को घटाकर मूल्यांकित किया जाता है। ऋण और प्राप्य में व्यापार प्राप्य, बिना बिल वाले राजस्व और अन्य संपत्तियां शामिल होती हैं।

ऐतिहासिक भुगतान तरीके, ग्राहकों पर ध्यान, ग्राहक की विश्वसनीयता तथा वर्तमान आर्थिक रूझानों का विश्लेषण करते हुए कंपनी वसूली योग्य खातों के संग्रह न किए जाने का अनुमान निर्धारित करती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति और खराब होती है तो अतिरिक्त भत्तों की आवश्यकता हो सकती है।

(डी) ट्रेड एवं अन्य प्राप्य

ट्रेड एवं अन्य प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है तथा इसके पश्चात प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है। वित्तीय दस्तावेजों की लघु अवधि परिपक्वता के कारण इनकी कैरिंग राशि उचित मूल्य के लगभग होती है।

(ई) सहायक कंपनी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रम में निवेश

सहायक कपनी एसोसिएटस में किए गए निवेश को निगम लागत पर खातों में लेता है।

कंपनी के नियंत्राधीन इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है।

भारत से बाहर की सहायक कंपनी में किए गए निवेश को अधिग्रहण की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है।

जिन निवेश पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है उनका वर्गीकरण एसोसिएट्स के रूप में किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशकर्ता द्वारा वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी की भाक्ति होती है परन्तु इन नीतियों पर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है ।

संयुक्त व्यवस्था जिसके द्वारा व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों का संयुक्त व्यवस्था की सकल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उन्हें संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था की हिस्सेदारी के लिए संविदात्मक रूप से की गई सहमति है जिसमें प्रासंगिक कार्यकलापों के विषय में निर्णयों के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी वाले पक्षों की एक मत से सहमति आवश्यक होती है।

ii) <u>डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज</u>

कंपनी को विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों, दायित्वों, विदेशी कार्यकलापों में भाुद्ध निवेश तथा विदेशी मुद्रा में मौद्रिकृत पूर्वानुमित रोकड़ प्रवाह में विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है।

कंपनी डेरिवेटिव के प्रयोग तथा स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए विदेशी मुद्रा दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव को सीमित किया जाता है। जहां दूसरा पक्ष मुख्यतः बैंक होता है वहां कंपनी डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज बनाती है।

डेरिवेटिव की पहचान एवं मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। नि चत लेन देन लागत की पहचान लागत की तरह आय के विवरण में की जाती है।

आरंभिक पहचान के पश्चात डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेजों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जाता है।

ए) रोकड़ प्रवाह हेजिज

रोकड़ प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव हेजिंग दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन की पहचान अन्य समेकित आय तथा रोकड़ प्रवाह हेजिंग अधिशेष, सकल कर एवं हेज के प्रभावी होने की सीमा तक इक्विटी के एक घटक के रूप में की जाती है। हेज के अप्रभावी होने की सीमा तक उचित

मूल्य की पहचान आय के विवरण में की जाती है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ/(हानि) प्रचालन के कार्यकलापों से प्राप्त निवल राशि दी जाती है। यदि हेजिंग दस्तावेज हेज एकाउटिंग की प्रणाली के अनुरूप नहीं होता है तो हैज एकाउंटिंग को बंद कर दिया जाता है। विगत में रोकड़ हेजिंग अधिशेष में पहचाने गए संचयी लाभ अथवा हानि को संबंधित अनुमानित लेनदेन किए जाने पर लाभ व हानि विवरण में अंतरित किया जाता है। यदि अनुमानित लेनदेन होने की संभावना नहीं होती है तो उक्त संचयी शेष की पहचान त्तकाल रूप से लाभ तथा हानि के विवरण में की जाती है।

बी) अन्य

न तो रोकड़ प्रवाह हेजिज और न ही विदेशी प्रचालनों में किए गए निवल निवेश की हेजिज के रूप में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन को आय के विवरण में पहचाने जाने के साथ–साथ प्रचालन के कार्यकलापों के परिणामस्वरूप निवल विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/(हानि) के अधीन सूचित किया जाता है।

उधार से संबंधित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंटस के निपटान पर अंकित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों तथा लाभ/(हानि), जिन्हें हेजिज नहीं माना गया है, को वित्तीय खर्चों में भाामिल किया गया है ।

2.22 खण्डवार सूचना

जैसा कि इंड एएस–108 'आपरेटिंग सेगमेंट्स' में परिभाषित किया गया है कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक(सीएमडी) की पहचान चीफ़ आपरेटिंग डिसीजन मेकर(सीओडीएम) के रूप में की जाती है। कंपनी के सीएमडी द्वारा ही राजस्व में वृद्धि तथा प्रचालन आय के आधार पर खंडों का मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने अपने आपरेटिंग सेगमेंट्स की पहचान खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला एवं हाईड्रोकार्बन, उर्वरक एवं सामान्य व्यापार/अन्य के रूप में की है।

कंपनी के व्यापार में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देयताओं जिन्हें किसी भी आपरेटिंग खण्ड में नहीं पहचाना गया है उन्हें आबंटन न की जाने वाली परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। प्रबंध तंत्र का यह विचार है कि उपलब्ध डाटा का अर्थपूर्ण विश्लेषण कठिन होने के कारण संपूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटन उपलब्ध करवाना अभी व्यवहार्य नहीं है चूंकि कुल परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परस्पर परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2.23 पूर्वावधि चूकें

पूर्वावधि(यों) से संबंधित गंभीर चूकों का प्रकटन पूर्वावधि चूकों की प्रकृति तथा बाद में प्रस्तुत किए गए उक्त प्रत्येक पूर्वावधि चूक के लिए किए गए सुधारों के एक नोट द्वारा किया जाता है और यह बेसिक एवं डाईल्यूटिड प्रतिशेयर अर्जन में परिवर्तन के साथ व्यवहार्य सीमा तक किया जाता है। तथापि किसी विशेष अवधि के लिए यदि अतीतलक्षीय पुनः विवरण व्यवहार्य नहीं होता है तो इस स्थिति के विद्यमान होने की परिस्थितियों एवं चूक को किस प्रकार एवं कहां से सुधारा गया है इसके विवरण का खुलासा नोट्स टू एकाउंटस में किया जाता है। कंपनी के व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि एक साथ आय/व्यय (निवल) की मदें कंपनी की बिक्री टर्न ओवर के 0.5 प्रतिशत से अधिक होती है तो पूर्वावधि चूकों को गंभीर माना जाता है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का नोट

3. संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2023 को सकल कैरिंग मूल्य	1 अप्रैल, 2022 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि हानि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2023 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2023 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2022 को नेट कैरिंग मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	0.37	-	-	**0.37**	-	-	-	**-**	**0.37**	**0.37**
– स्टॉफ क्वार्टर्स	0.13	-	-	**0.13**	-	-	-	**-**	**0.13**	**0.13**
लीज होल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	1.07	-	-	**1.07**	0.13	0.02	-	**0.15**	**0.92**	**0.94**
– स्टॉफ क्वार्टर्स	1.85	-	-	**1.85**	1.00	0.22	-	**1.21**	**0.64**	**0.85**
भवन										
– कार्यालय भवन	6.45	-	-	**6.45**	1.10	0.16	-	**1.27**	**5.18**	**5.34**
– स्टॉफ क्वार्टर्स / आवासीय फ्लैट्स	1.24	-	-	**1.24**	0.26	0.04	-	**0.29**	**0.95**	**0.99**
– जलापूर्ति, सीवरेज व ड्रेनेज	0.06	-	-	**0.06**	0.05	0.00	-	**0.06**	**0.00**	**0.01**
– विद्युत इंस्टॉलेशंस	3.07	-	(0.01)	**3.06**	2.01	0.06	(0.01)	**2.06**	**1.00**	**1.06**
– सड़कें व पुलियां	0.02	-	-	**0.02**	0.02	0.00	-	**0.02**	**0.01**	**0.01**
– ऑडियो / फायर / एयरकंडि ानिंग	0.06	-	-	**0.06**	0.06	0.00	-	**0.06**	**0.00**	**0.00**
प्लांट एवं उपकरण	40.59	-	-	**40.59**	20.73	2.87	-	**23.60**	**16.99**	**19.86**
फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स	-	-	-		-	-	-			
– पार्टिशंस	0.38	0.00	(0.04)	**0.35**	0.36	0.01	(0.03)	**0.34**	**0.01**	**0.02**
– अन्य	1.47	-	(0.04)	**1.42**	0.82	0.14	(0.02)	**0.93**	**0.49**	**0.65**
वाहन	0.48	0.09	(0.10)	**0.48**	0.34	0.06	(0.00)	**0.39**	**0.08**	**0.14**
कार्यालय उपकरण	1.71	0.07	(0.01)	**1.78**	1.59	0.07	(0.01)	**1.65**	**0.12**	**0.12**
अन्य :										
रेलवे वैगन रेक	0.00	-	-	**0.00**	0.00	-	-	**0.00**	**0.00**	**0.00**0
बीएन7एचटी पर रेलवे लूप लाइन	0.00	-	-	**0.00**	-	-	-	**-**	**0.00**	**0.00**
कम्प्यूटर / डाटा प्रोसेसर्स	2.28	0.04	(0.02)	**2.30**	2.20	0.05	(0.02)	**2.23**	**0.08**	**0.08**3
कुल	**61.23**	**0.21**	**(0.21)**	**61.23**	**30.66**	**3.69**	**(0.08)**	**34.27**	**26.96**	**30.57**
गत वर्ष	61.34	0.05	(0.16)	**61.23**	26.95	3.87	(0.16)	**30.66**	**30.57**	
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	**5.07**	**0.90**	**(0.96)**	**5.01**	**2.10**	**0.41**	**(0.34)**	**2.17**	**2.84**	**2.97**
गत वर्ष	5.06	0.01	-	**5.07**	1.71	0.39	-	**2.10**	**2.97**	
कार्य प्रगति पर पूंजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गत वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ए) दिल्ली स्थित स्टाफ क्वार्टर्स से संबंधित लीजहोल्ड भूमि, सडकें तथा पुलियां, सीवरेज, ड्रेनेज तथा जलापूर्ति में वह शामिल है जो पूर्व में कंपनी द्वारा 50:50 के आधार पर एसटीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से धारित थी। तथापि कंपनी ने वर्ष 2018–19 में डीडीए से अपने हिस्से की 16.16 एकड भूमि की अलग लीज डीड अपने नाम पर निष्पादित करा ली।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों में हुई हानि का निर्धारण कराया तथा तदनुसार पीपीई के मूल्य में वर्ष के दौरान हुई शून्य रूपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड रूपए) की हानि का प्रावधान किया गया है।

(सी) एमएमटीसी की ₹1515. 96 करोड़ (मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 के अनुसार) की 36 संपत्तियों के मूल शीर्षक पत्र रजिस्ट्रार जनरल, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जमा किए गए निर्देशों के आधार पर दिनांक 22 / 04 / 2019 और 22 / 05 / 2019 के आदेश के आधार पर जमा किए गए हैं।

(डी) नोट सं. 47 देखें

4. निवेश संपत्ति (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष के आरंभ में सकल कैरिंग मूल्य	**4.88**	4.88
वृद्धि	**-**	-
निपटान/समायोजन	**-**	-
वर्ष के अंत में सकल कैरिंग मूल्य	**4.88**	**4.88**
वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	**1.17**	1.00
वृद्धि	**0.16**	0.16
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	**1.33**	**1.17**
वर्ष के अंत में नेट कैरिंग मूल्य	**3.55**	**3.71**

निवेश संपत्तियों के लिए राशि लाभ अथवा हानि में दिखाई गई राशियां हैं । (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
किराया आय	**1.50**	1.50
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से लाभ	**1.50**	1.50
मूल्यह्रास	**0.08**	0.08
निवेश संपत्तियों से लाभ	**1.42**	**1.42**

लिजिंग व्यवस्था

कुछ निवेश परिसंपत्तियों को किराएदारों को दीर्घावृद्धि ओपरेटिंग लीज के तहत लीज पर दिया जाता है जिसके तहत मासिक आधार पर किराया देय होता है । निरस्त न की जाने वाली ओपरेटिंग लीज निवे ा संपत्तियों से प्राप्त होने वाली न्यूनतम लीज रा‍ि ा का विवरण नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
एक वर्ष के अंदर	**0.55**	1.81
एक वर्ष के बाद परंतु पांच वर्ष तक	**1.65**	2.50
पांच वर्ष के बाद	**-**	2.15
कुल	**2.20**	**6.46**

उचित मूल्य का अनुमान

निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित लागत मॉडल के अनुसार किया गया है। स्वतंत्र वैल्यूअर द्वारा निर्धारित किया गया निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य रुपए 111.37 करोड़ ;पिछले वर्ष 110.15 करोड़ रू) है।

5. अन्य अमूर्त संपत्तियां (करोड़ रुपए में)

विवरण	01 अप्रैल 2022 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 को सकल कैरिंग मूल्य	01 अप्रैल 2022 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि	निपटान/समायोजन	01 अप्रैल 2023 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2023 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2022 को नेट कैरिंग मूल्य
कंप्यूटर साफटवेयर	**4.23**	**0.16**	**(0.28)**	**4.11**	**4.00**	**0.17**	**(0.18)**	**3.99**	**0.12**	**0.24**
पिछले वर्ष	4.23	-	-	4.23	3.85	0.15	-	4.00	0.24	

नोट सं. 48 देखें

6. निवेश

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
ए. गैर चालू निवेश				
(ए). अमोटाईज्ड लागत पर इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स में निवेश –				
(i)सहायक कंपनी				
अनकोटिड				
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 1461502 (पिछले वर्ष 1461502) प्रत्येक 1 सिंगापुर + का पूर्णप्रदत्त इक्विटी भोयर		**3.14**		3.14
(ii) संयुक्त उपकम				
अनकोटिड				
एमएमटीसी गीतांजलि प्रा. लि. प्रत्येक 10/–रूपये मूल्य के 2987400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर(गत वर्ष 2987400) ।	**2.99**		2.99	
जमा/(कमी) : निवेश मूल्य में कमी	**(2.99)**	**0.00**	(2.99)	0.00
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 5000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5000) ।	**0.01**	**0.01**		
जमा/(कमी) : निवेश मूल्य में कमी	**(0.01)**	**0.00**	(0.01)	0.00
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 17446000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 17446000) ।		**17.45**		17.45
iii) अन्य				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
कोटिड				
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड 116883(गत वर्ष 116883) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर रुपए 2 प्रत्येक ।	**3.00**		3.00	
जमा/(कमी): अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**2.03**	**5.03**	8.03	**11.03**
अमोर्टाइज्ड लागत				
अनकोटिड				
इंडो फ्रेंच बायोटेक लिमिटेड प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 4750000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 4750000)	**4.75**		4.75	
जमा/(घटाएं): निवेश के मूल्य में कमी	**(4.75)**	**0.00**	**(4.75)**	0.00
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कुल निवेश		**25.62**		**31.62**

(करोड़ रुपए में)

कुल गैर चालू निवेश (सकल)		-		-
	सकल राशि	**बाजार मूल्य**	**सकल राशि**	**बाजार मूल्य**
कोटिड निवेश की सकल राशि तथा इसका बाजार मूल्य	**3.00**	**5.03**	3.00	11.03
अनकोटिड निवेश की सकल राशि	**28.33**	-	28.33	-
निवेश मूल्य में कमी की सकल राशि	**7.74**	-	7.74	-

विवरण	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
बी) चालू निवेश	–	–	–	–

विवरण 6.सी बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू निवेश	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
(क) अमोटाईज्ड लागत पर इक्विटी इस्ट्रूमेंट में निवेश **संयुक्त उपक्रम** **अनकोटिड**				
नीलाचल इस्पात निगम लि. 368762744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 289342744) प्रत्येक 10 रूपये मूल्य		-		459.11
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि. – प्रत्येक रु. 10/– मूल्य के 33800000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 33800000).	**33.80**		33.80	
जमा/(कमी):लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**(33.80)**	-	(33.80)	-
अन्य **अन्य व्यापाक आय के माध्यम से उचित मूल्य** **अनकोटिड**				
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. – प्रत्येक 5/– मूल्य के 32000000 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 32000000) ।	**16.00**		16.00	
जमा/(कमी):अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**(16.00)**	-	(16.00)	-
बिक्री के लिए रखा गया कुल निवेश			**-**	**459.11**

I- अनुषंगियों और संयुक्त उपक्रमों के इक्विटी लिखतों में सभी गैर–वर्तमान निवेश निवेश के मूल्य में कम हानि, यदि कोई हो, पर किए जाते हैं। दूसरों के इक्विटी लिखतों में निवेश उचित मूल्य पर किया जाता है।

ii- कंपनी ने कामराजार पोर्ट पर लौह अयस्क टर्मिनल के निर्माण और संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम,सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड में 26% इक्विटी के लिए ₹ 33.80 करोड़ (पि.वर्ष 33.80 करोड़ रू.) का निवेश किया था। टर्मिनल का निर्माण नवंबर 2010 तक पूरा हो गया था, इसे खनन, परिवहन और लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण चालू नहीं किया जा सका। नियत निविदा प्रक्रिया के बाद, कामराजार पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) ने एसआईओटीएल को आवश्यक संशोधनों के लिए आम उपयोगकर्ता कोयले को संभालने की अनुमति दी है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने 14.09.2016 को आयोजित अपनी 428वीं बैठक के दौरान जेवी से खुली निविदा तंत्र के माध्यम से एमएमटीसी के बाहर निकलने को मंजूरी दी। तदनुसार, एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की गई। निविदा प्रक्रिया में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, प्रमुख प्रमोटर (अर्थात मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड) ने एमएमटीसी की इक्विटी को 34.26 करोड़ रू. के आरक्षित मूल्य पर खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, शेयर खरीद समझौते (एसपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और समझौते के अनुसार मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने समझौते के प्रदर्शन के लिए एमएमटीसी के पास ₹ 0.50 करोड़ जमा किए हैं। एसपीए की शर्तों के अनुसार, मेसर्स एसआईओटीएल ने एनओसी/एमएमटीसी के संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने की अनुमति के लिए मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड को आवेदन किया। एनओसी अक्टूबर 2019 में प्राप्त हुई थी। हालांकि, अभी तक शेष भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से शेयर खरीद मूल्य की प्राप्ति में देरी और मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए, एसआईओटीएल पर निवेश के मूल्य में हानि के लिए ₹33.80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तदनुसार निवेश को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में दिखाया गया है। केपीएल ने 21.12.2020 को एसआईओटीएल को समाप्त करने के इरादे का नोटिस जारी किया। कंपनी ने 24.06.2021 को केपीएल द्वारा जारी टर्मिनेशन नोटिस के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। आदेश दिनांक 30.11.2021 के द्वारा, इस याचिका को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि रिट अदालत के समक्ष चलने योग्य नहीं है। एमएमटीसी ने दिनांक 30.11.2021 के आक्षेपित निर्णय आदेश को चुनौती देते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की है। इस बीच, एसआईओटीएल की मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही थी। कंपनी (एमएमटीसी) ने सिकल लॉजिस्टिक्स के सीआईआरपी के पास 34.26 करोड़ रू. का दावा दर्ज कराया। एसआईओटीएल में निवेश की सुरक्षा के लिए, मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स ने आईबीए/73/2020 की मुख्य सीआईआरपी कार्यवाही में आईए/574/सीई/2021 के समान एक समान आवेदन किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्यवाही में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, एमएमटीसी ने एक पक्ष के रूप में पक्षकार होने और किसी भी आदेश के पारित होने से पहले सुनवाई के लिए आईए/686/सीई/2021 के रूप में एक आवेदन दायर किया। आदेश दिनांक 11.03.2022 के द्वारा, एनसीएलटी चेन्नई ने क्षेत्राधिकार के अभाव में सिकाल के IA/574/Che/2021 को खारिज कर दिया। तदनुसार, आईए/574/चे/2021 में एमएमटीसी का आवेदन आईए/686/सीई/2021 बंद हो गया है। एसएलएल के आईआरपी ने अपने आदेश दिनांक 8.12.2022 के माध्यम से एनसीएलटी द्वारा विधिवत अनुमोदित एसएलएल के सफल समाधान के बारे में भी सूचित किया था। मेसर्स एसआईओटीएल के दो लेनदारों (1. मेसर्स पोर्टमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई 2. मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, मुंबई) ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत एनसीएलटी में एसआईओटीएल के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की। आदेश दिनांक 01.03.2022, के द्वारा एनसीएलटी चेन्नई ने उनके आवेदन स्वीकार कर लिए हैं और दोनों मामलों के लिए एक ही आईआरपी नियुक्त किया है। एसआईओटीएल के आरपी ने दिनांक 02.03.2023 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि लेनदारों की समिति (सीओसी) के सदस्यों ने कारपोरेट देनदार को लिक्विडेट करने का संकल्प लिया है और परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए माननीय एनसीएलटी के समक्ष आवेदन दायर किया गया है। इसलिए सीआईआरपी विनियमन और परिसमापन की शुरुआत के विनियमन 12 (2) के अनुसार अधोहस्ताक्षरी इस स्तर पर

एमएमटीसी के दावे पर विचार नहीं कर सकता है। विधि प्रभाग के परामर्श से निवेश राशि की प्राप्ति के लिए उपलब्ध अन्य विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।

iii. एनआईएनएल की विनिवेश प्रक्रिया डीआइपीएएम के माध्यम से 4.7.2022 को पूरी हो गई है। नोट सं. 36(सी) का संदर्भ लें।

iv. एमएमटीसी ने 2009–10 के दौरान आईसीईएक्स में 26 करोड़ रू. (5.20 करोड़ इक्विटी शेयर 5 रू. अंकित मूल्य) का निवेश किया था। आईसीईएक्स की आरंभिक इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रू. थी जिसे बाद में बढ़ाकर 266.75 करोड़ रू. कर दिया गया। हालांकि बाद में एमएमटीसी ने 2015–16 में 10 रू.प्रति शेयर की दर से 2 करोड़ शेयर का विनिवेश किया। इस विनिवेश के बाद एमएमटीसी की शेयरधारिता घटकर 16 करोड़ रू. (3.20 करोड़ शेयर/5 रू. अंकित मूल्य) हो गई जो कि 266.75 करोड़ रू. की कुल शेयर पूंजी का 6 प्रतिशत है। बाद में आईसीईएक्स के निवल मूल्य के क्षरण के कारण एमएमटीसी ने 2019–20 और 2021–22 में क्रमशः 8.16 करोड़ रू. और 7.84 करोड़ रू. का उचित मूल्य समायोजन प्रदान किया। इस तरह के समायोजन के बाद खातों की किताबों में शेयर मूल्य 31.03.2023 (पि.वर्ष शून्य करोड़) को शून्य करोड़ रुपये है।

आईसीईएक्स के शेयर 31.03.2023 को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध नहीं हैं। एमएमटीसी ने वित्त वर्ष 2017–18 और वि.वर्ष 2019–20 से 2021–22 में आईसीईएक्स में ईक्विटी बेचने का प्रयास किया लेकिन कोई खरीदार नही मिला।

सेबी ने 18.05.2022 को भारत के आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से आईसीईएक्स की मान्यता वापस लेने के लिए दिनांक 10.05.2022 को आदेश पारित किया। हालाँकि, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण(एसएटी) ने अपने आदेश दिनांक 13 जून 2022 द्वारा आईसीईएक्स की मान्यता रद्द करने वाले सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है और सेबी की संतुष्टि के अनुसार सभी अनुपालन पूरा करने के लिए आइसीईएक्स को 13.6.2022 से एक वर्ष का समय दिया है, इस अवधि के दौरान सभी व्यापारिक गतिविधियाँ निलंबित रहेंगी।.

फरवरी 2023 में आइसीईएक्स बोर्ड ने नियामक (सेबी) को एक्सचेंज के लाइसेंस/मान्यता के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण और कमोडिटी डेरिवेटिव व्यवसाय को बंद करने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा, आईसीईएक्स बोर्ड ने उचित समय पर व्यवसायों की नई श्रृंखला पर विचार करने का निर्णय लिया।

7 . प्राप्य व्यापार (करोड़ रुप्ए में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(i) अन्य व्यापार प्राप्य		
ए) अच्छे माने गये –सुरक्षित	**115.61**	102.47
बी) अच्छे माने गये –असुरक्षित	**18.43**	32.63
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	**-**	-
डी) क्रेडिट हानि	**390.22**	390.12
घटाएं : अ ोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	**390.22**	390.12
अनुयोग	**134.04**	**135.10**
कुल	**134.04**	**135.10**
गैर–चालू (ए)	**-**	-
चालू (बी)	**134.04**	135.10
कुल	**134.04**	**135.10**

उपरोक्त में से, कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा या तो अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ या फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय राशि जिसमें कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है शून्य करोड़ रू. (पि. वर्ष शून्य करोड रू.)।

संदर्भ नोट सं. 37.3 (बी) एजिंग के लिए ओर नोट सं.36(एच)(ii)

अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्तों में परिवर्तनः (करोड़ रुप्ए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष	**390.12**	390.02
वर्ष के दौरान वृद्धि	**0.36**	0.10
वर्ष के दौरान रिवर्सल	**(0.26)**	-
वर्ष के दौरान उपयोग	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष	**390.22**	390.12

08. ऋण (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
प्राप्ति योग्य– सुरक्षित				
संबंधित पार्टियों को गए ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.34**	**0.94**	**0.51**	1.90
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	**0.34**	**0.94**	**0.51**	1.90
प्राप्ति योग्य – असुरक्षित				
संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को ऋण	**0.19**	**0.55**	**0.49**	**0.38**
अन्य	-	-	-	-
अनुयोग	**0.19**	**0.55**	**0.49**	0.38
क्रेडिट में क्षति				
संबंधित पार्टियों को ऋण	-	-	-	-
कर्मचारियों को ऋण	-	-	-	-
अन्य	**0.03**	**0.14**	**0.03**	0.14
घटाएंः अ ोध्य तथा संदिग्ध ऋण	**0.03**	**0.14**	**0.03**	0.14
अनुयोग	-	-	-	-
योग	**0.53**	**1.49**	**1.00**	**2.28**

उपरोक्त में से, कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा या तो अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ या फर्मो या निजी कंपनियों द्वारा देय राशि शून्य करोड़ रू. (शून्य करोड रू.) जिसमें कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है ।
''कर्मचारियों की संपत्ति और अन्य संपत्तियों के दृष्टिबंधक / उपक्रम द्वारा सुरक्षित।

09. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
	चालू	गैर चालू	चालू	गैर चालू
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमा राशि	-	**11.39**	-	11.39
भुगतान नही किये गये लाभांश के लिए बैंक के पास शेष	-	**0.16**	-	0.19
एनएसईएल से प्राप्य (i)	-	**208.25**	-	208.25
प्राप्य डेमरेज तथा डिस्पैच	**2.62**	**6.81**	4.40	6.42
फारवार्ड संविदा प्राप्य	-	-	-	-
अन्य कंपनियों को दिए गए अग्रिम (ii)	-	**33.53**	-	33.53
अन्य	**0.26**	**9.00**	1.85	8.98
सिक्योरिटी जमा	**0.55**	**1.83**	4.00	2.13
निम्नलिखित पर उत्पन्न देय ब्याज / अदेय ब्याज				
– सावधिक जमा राशि	**44.77**	-	0.38	-
– कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.65**	**4.67**	0.58	6.20
– संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	**0.04**	**0.49**	-	-
– अन्य को दिए गए ऋण	-	**3.16**	-	2.25
अन्य	-	**9.91**	-	9.90
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध प्राप्यों में हानि / स्वीकार्यता	**1.18**	**244.75**	2.39	243.88
योग	**47.71**	**44.45**	**8.82**	**45.36**

(i) एनएसईएल के भुगतान दायित्व के चूक के कारण उत्पन्न होने वाले विभिन्न उधारकर्ताओं और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) से वसूली योग्य 208.25 करोड़ रू.(पि.वर्ष 208.25 करोड़ रू.) का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए पहले ही पूरा प्रावधान किया जा चुका है। कंपनी ने एनएसईएल और अन्य के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में कानूनी मुकदमा दायर किया है और सुनवाई जारी है। सीबीआई ने भी मामले की जांच की। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसईएल के एफटीआईएल के साथ समामेलन के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की संपत्तियों को संलग्न करने वाले एमपीआईडी अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचनाएं वैध हैं।
कंपनी द्वारा दायर किए गए मुकदमे को एलजे तन्ना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज द्वारा दायर 2014 के सूट नंबर 121 के साथ टैग किया गया है, जो नियमित रूप से माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के सीएमआईएस सिस्टम के अनुसार सुनवाई के लिए नहीं आया है। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है। कंपनी ने 18% प्रति वर्ष ब्याज के साथ मूल राशि की वसूली के लिए मुंबई में एमपीआईडी कोर्ट के समक्ष अपना दावा भी दायर किया है। ये मामले अदालत में विभिन्न चरणों में लंबित हैं।

(ii) वर्ष के दौरान एचएफटीडब्ल्यूपीएल और केएफटीडब्ल्यूपीएल को परियोजना विकास के लिए अग्रिम राशि के एवज में शून्य करोड़ रू. (पि.वर्ष शून्य करोड रू.) का प्रावधान किया गया है। 31.03.2023 को कुल प्रावधान 16.30 करोड़ रू. (पि.वर्ष 16.30 करोड़ रू.) है।

10. आस्थगित कर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	**(5.04)**	(6.99)
अनुयोग	**(5.04)**	**(6.99)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
सदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**(168.04)**	233.30
कर्मचारी लाभ व्यय के लिए प्रावधान	**(8.57)**	(11.90)
अनुयोग	**(159.47)**	**221.40**
आस्थगित कर संपत्तिया (निवल)*	**154.43**	**214.41**

आस्थगित कर आस्तियों को कंपनी की संभावित भावी कर योग्य आय के प्रति अपेक्षित उपयोग की सीमा तक भाामिल किया गया है।
कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 (ए.वाई. 2023–24) से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत शुरू की गई धारा 115 बीएए के तहत विकल्प के अनुसार नई आयकर दरों का विकल्प चुना है। इसलिए, धारा 115बीएए (25.167%) के तहत विकल्प के अनुसार नियमित आयकर दरों (34.944%) और दरों के बीच प्रभावी आयकर दरों में अंतर की सीमा तक *214.41 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्तियों के कैरी फॉरवर्ड शेष को समायोजित किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी ने शामिल अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए चालू और साथ ही पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान आगे ले जाने वाली हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों को रूढ़िवादी आधार पर मान्यता नहीं दी है।

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2022 को शेष	लाभ व हानि में शामिल	समायोजन	31 मार्च 2023 को शेष
आस्थगित कर देयता				
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(6.99)	-	1.95	**(5.04)**
अनुयोग	**(6.99)**	**-**	**1.95**	**(5.04)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	233.30	-	(65.26)	**168.04**
कर्मचारी लाभ व्यय के लिए प्रावधान	(11.90)	-	3.33	**(8.57)**
अनुयोग	**221.40**	**-**	**(61.93)**	**159.47**
कुल	**214.41**	**-**	**(59.98)**	**154.43**

पहचान की गई आस्थगित कर परिसंपतियां
निम्नलिखित के संबध में आस्थगित कर परिसंपतियां पहचान की गई

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
अस्थाई कटौती योग्य अंतर राशि	154.43	214.41
कुल	**154.43**	**214.41**

11. अन्य संपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
ए. गैर चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
–अन्य सप्लायर्स को अग्रिम	**4.07**	4.79
–अन्य अग्रिम	**16.94**	17.03
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(17.30)**	(18.27)
अन्य		
–वसूली योग्य प्रदत्त आयकर'	**24.24**	20.45
– अन्य	**0.04**	0.04
कुल	**27.99**	**24.04**
बी. चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
–संबंधित पार्टियों को अग्रिम	**-**	1,425.00
–संबंधित पार्टियों को व्यापार संबंधित अग्रिम	**-**	2,038.11
–अन्य आपूर्तिकारों को अग्रिम	**0.79**	0.79

– अन्य प्राप्य दावे	**169.53**	167.03
–बिना बिलों के की गई गोल्ड/सिल्वर स्टॉक की खरीद	**-**	24.96
–अन्य अग्रिम'	**1,113.94**	15.30
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(3.35)**	(3.36)
अन्य		
- आयकर रिफंड देय	**2.53**	3.51
–देय बिक्री कर रिफंड	**13.87**	14.48
–देय एक्साइज/कस्टम ड्यूटी रिफंड	**4.68**	4.68
–देय सेवाकर रिफंड	**3.98**	0.53
– अन्य	**17.70**	18.48
कुल	**1,323.67**	**3,709.51**

'इसमें 20.10 करोड़ (पि.वर्ष 14.68 करोड़) विवादाधीन है (नोट संख्या 34 (i) (बी) देखें)

(I) ''एंग्लो कोल मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय आदेश दिनांक 06.05.2022 और 07.07.2022 के संदर्भ में, *1088.62 करोड़ रू.की राशि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जमा की गई है और अंतिम राशि माननीय न्यायालय का निर्णय/स्पष्टीकरण के अधीन है। कंपनी की गणना के अनुसार 19.07.2022 तक ब्याज के साथ लेखा पुस्तिकाओं में 1054.77 करोड़ रू. (नोट संख्या 20 देखें) का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। सुनवाई की अगली तारीख 13.07.2023 है.

(ii) इसमें ट्रामो एजी बनाम एमएमटीसी लिमिटेड मामले के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा की गई 4.36 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसके लिए 4.36 करोड़ रू. (संदर्भ नोट संख्या 20) का प्रावधान लेखों में किया गया है।

(iii) इसमें सीईएसटीएटी के पास जमा की गई '0.60 करोड़ की राशि शामिल है, जो सेवाकर मांग के खिलाफ अपील दायर करने के लिए पूर्व शर्त है।

(iv) ओएमपी (ईएनजी) केआईएसपीएल बनाम एमएमटीसी लिमिटेड मामले के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा की गई 2.79 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। कंपनी ने 6.14 करोड़ रू. की आकस्मिक देनदारी को भाामिल किया है (नोट संख्या 34 देखें)

12. इन्वेंट्रीज

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को
कच्चा माल	**0.24**	5.09
तैयार माल	**0.92**	20.66
स्टॉक इन ट्रेड	**0.00**	3.65
(शून्य करोड. रू. (पिछले वर्ष शून्य करोड. रूपये मूल्य के गुड्स इन ट्रॉजिट		
अन्य–इंवेन्ट्री हेज समायोजन	**-**	0.39
योग	**1.16**	**29.79**

ए) जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया।

बी) 31 मार्च, 2023 तक पारगमन में माल सहित माल का मूल्यांकन लागत से कम या वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम होने के परिणामस्वरूप भाून्य करोड रू. (पि.वर्ष 0.1 करोड रू.) का नुकसान हुआ है।

सी) स्टॉक इन ट्रेड में निम्नलिखित भाामिल हैः–

(i) 9036 यूनिट्स (पी.वाई. 9036 यूनिट्स) प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर) का मूल्य 1 (पी.वाई.1) इंड एएस–2 'इन्वेंट्रीज' के अनुसार, लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य है।

(ii) शून्य इकाइयां (पी.वाई. शून्य इकाइयां) प्रमाणन के तहत सीईआर की संख्या।

(iii) उत्सर्जन न्यूनीकरण उपकरण के मूल्यह्रास, ओ एंड एम लागत के कारण 5.42 करोड़ (पि.वर्श 5.30 करोड़ रूप्ये) की राशि खर्च की गई है।

(डी) व्यापार में स्टॉक में प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत आयातित प्याज से संबंधित मूल्य पर मूल्य की एक सूची शामिल है। (नोट 36(ई) देखें।

13. नकद तथा नकद समतुल्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बैंक में उपलब्ध शेष		
ए) चालू खाते में	**0.63**	6.76
बी) सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने तक की है	**311.91**	15.57
सी) कैश क्रेडिट अकांउट में डेबिट शेष	**5.18**	20.96
चैक/ड्राफट/ऑन हैंड	**0.00**	0.00
कैश ऑन हैंड	**-**	0.07
कुल	**317.72**	**43.36**

14. उपरोक्त के अलावा बैंक शेष (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
मार्जिन मनी के रूप में/लियन पर	**28.73**	16.67
सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम है	**967.95**	0.79
कुल (ए)	**996.68**	**17.46**

15. वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल) (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	**164.41**	
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	**-**	3.61
कुल	**164.41**	**3.61**

16. ए . इक्विटी शेयर पूंजी (करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
अधिकृत			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर	संख्या	**2,00,00,00,000**	2,00,00,00,000
	राशि	**200.00**	200.00
निर्गत, खरीदे गए तथा पूर्ण प्रदत्त			
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर	संख्या	**1,50,00,00,000**	1,50,00,00,000
	राशि	**150.00**	150.00

शेयरों की संख्या जिनका मिलान किया गया

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
आरंभिक इक्विटी शेयर	**1,500,000,000**	1,500,000,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/खरीदे गए शेयरों की संख्या		
घटाए : कटौती	**-**	-
अंतिम शेष	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**

कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर के भोयरों की संख्या जिनकी 5 प्रतिशत से अधिक होल्डिंग है

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
– भारत के राष्ट्रपति	**1,348,903,143**	**1,348,903,143**

प्रोमोटर्स की शेयरहोल्डिंग

वर्ष के अंत में प्रोमोटर्स के पास शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान % परिवर्तन
प्रोमोटर का नाम	**शेयरों की संख्या**	**कुल शेयरों का %**	
– भारत के राष्ट्रपति	**1,348,903,143**	89.93%	शून्य

कंपनी के पास शेयर पूंजी का एक वर्ग है, जिसमें प्रत्येक के 1/– के साधारण शेयर शामिल हैं। कंपनी के अर्टिकल आफ एसोसिएशन और लागू कानून के अधीन, कंपनी के साधारण शेयर धारक को कंपनी की आम बैठकों में नोटिस प्राप्त करने और वोट देने का अधिकार प्रदान करते हैं, कंपनी के समापन पर किसी भी अधिशेष संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार, और साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार।

इक्विटी शेयर पूंजी में उतार–चढ़ावः वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई शेयर वापस नहीं खरीदा है। कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है।

पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति लेने के बाद पारित एक सामान्य प्रस्ताव के अनुसार, 2018–19 के दौरान, कंपनी ने 50 करोड़ इक्विटी शेयरों को 1:2 के अनुपात में पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में 50 करोड़ रू. की राशि के फ्री रिजर्व के पूंजीकरण के रूप में आवंटित किया है। तदनुसार कंपनी की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर 150/– करोड़ रू. हो गई है, जिसे 1/– रू. के 150 करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।

बी. अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
अनुसंधान व विकास रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	**596.97**	596.97
रिटेंड अर्जन	**529.44**	(546.63)
अन्य व्यापक आय रिजर्व	**(11.58)**	(6.94)
कुल अन्य इक्विटी	**1,114.83**	**43.40**

(i) अनुसंधान एवं विकास रिजर्व

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
आरंभिक शेष	-	-
सरप्लस से अंतरण	-	-
सामान्य रिजर्व से अंतरण	-	-
अंतिम शेष	**-**	**-**

(ii) सामान्य रिजर्व

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
आरंभिक शेष	**596.97**	596.97
सरप्लस/अन्य रिजर्व से अंतरण	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-
अंतिम शेष	**596.97**	596.97

(iii) रिटेंड रिजर्व

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
आरंभिक शेष	**(546.63)**	(308.86)
वर्ष के लिए निवल लाभ	**1076.07**	(237.77)
विनियोजन :–		
सामान्य रिजर्व	-	-
अंतिम शेष	**529.44**	**(546.63)**

(iv) अन्य रिजर्व

(करोड़ रुपए में)

विवरण	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	पुनर्मूल्यांकन– कर्मचारी लाभ योजना उपरांत	कुल अन्य रिजर्व
01 अप्रैल 2021 को	(8.93)	(6.72)	**(15.65)**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	7.74	**7.74**
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	0.97	-	**0.97**
31 मार्च 2022 को	**(7.96)**	**1.02**	**(6.94)**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन	-	1.37	**1.37**
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	(6.01)	-	**(6.01)**
31 मार्च, 2023 को	**(13.97)**	**2.39**	**(11.58)**

17. उधार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
गैर –चालू		
(i) टर्म ऋण (ए) बैंकों से – सुरक्षित – असुरक्षित	 - -	 - -
कुल	**-**	**-**
B. चालू		
(i) मांग पर प्रतिदेय ऋण (ए) बैंकों से – सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति) असुरक्षित	 **1.00** **41.73**	 **192.48** 2358.96
कुल	**42.73**	**2,551.44**

• किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।

• नोट सं. 29 देखें

18. व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
B. वर्तमान		
व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों का कुल देय बकाया (टिप्पणी 45 का संदर्भ ले)	**0.17**	0.18
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**247.87**	269.70
संबंधित पार्टियों को व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स कुल देय बकाया (टिप्पणी 45 का संदर्भ ले)	-	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**0.02**	0.02
कुल	**248.06**	**269.90**

अवधि बढ़ने के लिए नोट 37.3 (सी) देखें।

19. लीज देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
ए. गैर चालू		
लीज	**5.05**	3.46
कुल	**5.05**	**3.46**
बी –चालू		
लीज	**0.13**	0.13
कुल	**0.13**	**0.13**

19 सी. अन्य वित्तीय देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
वर्तमान		
देय – व्यापार के अलावा		
सूक्ष्म एवं लधु प्रतिष्ठानों का कुल देय बकाया (टिप्पणी 45 का संदर्भ ले)	**1.08**	0.10
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**5.90**	15.70
देय डिस्पेच/डेमरेज	**1.44**	2.43
वसूली गई राशि – पेंडिंग रेमिटेंस	**6.07**	11.79
उधार पर उत्पन्न ब्याज	**2.01**	1.99
सिक्युरिटी डिपॉजिट व ईएमडी	**9.89**	12.83
भुगतान न किया गया लाभांश	**0.16**	0.19
देय दावे	**38.77**	41.40
अन्य	**98.16**	132.02
कुल	**163.48**	**218.45**

नोट सं. 49 देखें।

20. प्रावधान (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
ए. गैर चालू		
कर्मचारी लाभ दायित्व		
ए) अर्जित अवकाश	**16.68**	15.39
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.05**	0.07
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त	**(1.18)**	(1.02)
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त	**3.83**	0.05
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**18.54**	16.60
ई) सेवा अवार्ड	**2.51**	2.87
एफ) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**1.78**	2.37
जी) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	**0.82**	1.07
कुल	**43.03**	**37.40**
बी. चालू		
कर्मचारी लाभ दायित्व		
ए) अर्जित अवकाश	**3.93**	3.17
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.03**	0.03
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी	**(1.06)**	(1.18)
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी	**0.08**	3.83
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**0.15**	3.55
ई) ग्रेचुअटी	**-**	0.15
एफ) सेवा अवॉर्ड	**0.81**	0.71
जी) बोनस/निष्पादन संबंधी वेतन	**3.16**	3.25
एच) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**0.35**	0.43
आई) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	**0.33**	0.42
अनुयोग	**7.78**	**14.36**
अन्य		
गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	**-**	-
मुकदमेंबाजी के निपटान के लिए प्रावधान	**1,074.52**	1,067.39
अनुयोग	**1,074.52**	**1,067.39**
कुल	**1,082.30**	**1,081.75**

'नोट सं. 11 का संदर्भ लें

21. अन्य देयताएं (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
चालू		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**273.40**	352.14
सांविधिक भुगतान योग्य देय	**2.32**	6.24
अनबिल्ड खरीदारी के लिए देय राशि	**-**	24.96
अन्य	**2.04**	2.20
कुल	**277.76**	**385.54**

22. वर्तमान कर देयताएं (निवल) (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए देय आयकर	146.00	-
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए देय आयकर	-	21.50
कुल	**146.00**	**21.50**

23.प्रचालन से राजस्व (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	**267.09**	7,836.28
सेवाओं की बिक्री	**4.68**	4.50
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	**0.00**	0.15
–अन्य व्यापार आय	**0.78**	552.36
कुल	**272.55**	**8,393.29**

24. अन्य आय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
– फिक्स्ड डिपोजिट से	**82.48**	2.93
– ग्राहकों की अतिदेय राशि से	**-**	0.00
– अन्य	**1.96**	1.37
लाभांश आय		
– सहायक/संयुक्त उद्यमों से	**7.72**	37.18
– अन्य से	**0.16**	0.08
अन्य गैर–प्रचालन राजस्व (ऐसी आय पर प्रत्यक्ष रूप से हुए खर्च को घटाकर)		
– स्टाफ क्वार्टर्स किराया	**0.71**	0.71
– रिटन बैक देयताएं	**2.98**	9.15
	0.01	0.00
– विविध प्राप्तियॉं *	**4.17**	3.02
कुल	**100.19**	**54.44**

* नोट सं.48 का संदर्भ लें

25. प्रयुक्त माल की लागत (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022को समाप्त वर्ष
कच्चे माल का आरंभिक स्टॉक	**5.09**	5.83
जोड़ें : क्रय से अंतरण	**8.92**	106.66
घटाएं:कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	**0.23**	5.09
प्रयुक्त माल की लागत	**13.78**	**107.40**
उपभोग वस्तुएँ	-	-

26. स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022को समाप्त वर्ष
क. क्रय		
बहुमूल्य धातुएं	**213.91**	5,480.78
धातुएं	**0.78**	27.45
उर्वरक	**-**	1,449.73
खनिज	**-**	24.66
कृषि उत्पाद	**-**	72.76
कोयला व हाईड्रोकार्बन	**-**	200.92
अन्य	**1.01**	28.38
ख. स्टॉक के रूप में प्राप्त/(जारी किया गया)		
बहुमूल्य धातुएं	**(0.02)**	(0.04)
कुल	**215.68**	**7,284.64**

27. इन्वेंट्रीज में परिवर्तन **(करोड़ रुपए में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क. तैयार माल		
आरंभिक शेष	**20.66**	22.25
अंतिम शेष	**0.91**	20.67
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**19.75**	**1.58**
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड		
आरंभिक शेष	**3.65**	13.83
अंतिम शेष	**0.00**	3.65
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**3.65**	**10.17**
निवल (वृद्धि) / कमी)	**23.40**	**11.76**

28. कर्मचारी लाभ व्यय **(करोड़ रुपए में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क) वेतन तथा पारिश्रमिक		
वेतन तथा भत्ते	82.15	87.68
छुट्टी नकदीकरण	6.42	8.18
बोनस	0.03	0.04
चिकित्सा व्यय	2.21	3.09
ग्रुप बीमा	-	-
वी आर खर्चे	-	0.00
ख) भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशदान		
भविष्य निधि	7.57	8.13
ग्रेच्युटी निधि	0.91	2.01
परिवार पेंशन योजना	0.63	0.73
अधिवर्षिता लाभ	3.48	4.06
ग) स्टाफ कल्याण व्यय	0.64	0.50
कुल	**104.04**	**114.42**

(i) पीआरपी उद्देश्य के लिए कंपनी के लाभ की गणना लेखा नीति संख्या 2.4 (ii) के अनुसार व्यापार से संबंधित अग्रिम (अतिदेय के अलावा) पर ब्याज आय को ध्यान में रखते हुए की गई है। डीपीई दिशानिर्देशों में अनिवार्य पारिश्रमिक समिति के अनुमोदन के लंबित होने के कारण, कर्मचारियों को पीआरपी अग्रिम दिया गया था। कर्मचारियों से उपरोक्त पीआरपी अग्रिम की वसूली का आदेश कर्मचारी एवं अधिकारी फोरम द्वारा विवादित है और संबंधित न्यायालयों में लंबित है।

(ii) कंपनी की खराब वित्तीय हालात के कारण दिनांक 20.10.2020 को आयोजित अपनी बैठक में एफ़एमसीओडी के निर्णय के अनुसार दिनांक 01.09. 2020 से अतिरिक्त भत्तों को स्थगित कर दिया गया है।

(iii) एमएमटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ ट्रस्ट, 2022–23 के दौरान चालू है। डीपीई आदेश में निर्धारित सामर्थ्य प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, पीआरएमबीएस ट्रस्ट को निधि देने का निर्णय विचाराधीन है।

(iv) दिसंबर 2021 से मार्च 2022 का बकाया सीपीएफ / पेंशन लंबित है ओर इसका भुगतान 5.7.2022 को भुगतान कर दिया है।

29. वित्त लागत **(करोड़ रुपए में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क. ब्याज व्यय'	**110.42**	205.83
ख. लीज पर व्याज व्यय	**0.79**	0.11
कुल	**111.21**	**205.94**

*4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 31.3.2022 तक 2551.44 करोड़ रू. की राशि मूलधन और 31.3.2022 तक सहमत ब्याज के लिए भुगतान की गई है। चालू बारह महीनों में ब्याज और प्रतिपूर्ति के अधिकार (आरटीआर) से संबंधित 106.41 करोड़ रू. की राशि प्रदान की गई है, जिसमें से 63.68 करोड़ रू. 01.04.2022 से 31.03.2023 तक ब्याज से संबंधित है और शेष राशि 42.73 करोड़ रू. है (नोट संख्या 16 देखें) बैंकों के साथ अंतिम निपटान के अधीन आरटीआर के तहत अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों से संबंधित है। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ मामला अब बंद हो गया है। अन्य ऋणदाता बैंक भी इस मामले को अपने उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठा रहे हैं। अधिशेष निधि का निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

इसमें ग्रेच्युटी पर चुकाया गया ब्याज *0.08 करोड़,रू.टीडीएस के देर से भुगतान पर ’0.10 करोड़ और आयकर के देर से भुगतान पर ब्याज ’1.39 करोड़ शामिल है।

30.मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय **(करोड़ रुपए में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
पीपीई पर मूल्यह्रास	4.11	3.94
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	0.16	0.48
अमूर्त परिसंपत्तियों पर अमोर्टाइजेशन*	0.17	0.15
कुल	**4.44**	**4.57**

*नोट सं.48 देंखें

31. अन्य व्यय **(करोड़ रुपए में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
ए. प्रचालन व्यय		
डेमरेज	**-**	(0.05)
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	**3.94**	5.63
एल/सी नेगोशिएशन एवं अन्य प्रभार	**0.05**	0.87
विदे ाी मुद्रा विनिमय में अंतर	**0.02**	0.10
सीमा शुल्क	**0.39**	388.11
पैकिंग सामग्री	**0.00**	0.23
बीमा	**0.00**	0.00
गोदाम बीमा	**1.03**	1.10
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**-**	0.01
अनुयोग(ए)	**5.43**	**396.00**
बी. प्रशासनिक व्यय :		
किराया	**4.37**	0.99
सुरक्षा खर्च	**2.71**	2.78
दरें एवं कर	**1.62**	1.89
बीमा	**0.31**	0.12
भवनों की मरम्मत	**3.71**	3.37
मशीनों की मरम्मत	**0.01**	0.03
मरम्मत एवं रखरखाव–कम्प्यूटर्स	**1.15**	1.50
मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	**0.39**	0.34
बिजली एव जल प्रभार	**2.68**	2.49
विज्ञापन एवं प्रचार	**0.08**	0.05
प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	**0.28**	0.20
पोस्टेज एवं कुरियर	**0.01**	0.08
टेलीफोन	**0.69**	0.79
टेलीकम्युनिकेशन	**0.05**	0.09
यात्रा	**0.68**	0.33
वाहन	**0.46**	0.55
मनोरंजन	**0.18**	0.13
विधिक	**4.36**	2.95
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (i)	**0.48**	0.58

बैंक प्रभार	**1.10**	15.78
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.00**	0.00
ट्रेड/बिक्री प्रोमोशन	**0.08**	0.15
सब्सक्रिपशन	**0.05**	0.11
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**0.01**	0.00
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	**1.51**	1.35
सीएसआर व्यय (ii)	**0.05**	0.05
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**0.47**	4.26
अंशदान	**0.01**	-
सेवा कर/जीएसटी	**0.80**	1.03
प्रदर्शनी एवं मेले	**0.01**	0.11
विविध व्यय*	**2.80**	4.03
अनुयोग (बी)	**31.11**	**46.14**
सी. अन्य :		
अशाध्य ऋण/दावे/परिसंपत्तियाँ रिटन ऑफ/ निकासी	**0.03**	0.02
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/दावे/अग्रिम के लिए अनुमति	**1.72**	1.05
अनुयोग(सी)	**1.75**	**1.07**
कुल (ए+बी+सी)	**38.29**	**443.20**

i) लेखापरीक्षा को दी गई राशि **(करोड़ रुपए में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षक के रूप में	**0.25**	0.31
कराधान मामले के लिए /कर लेखापरीक्षा	**0.12**	0.13
अन्य सेवाओं के लिए	**0.11**	0.12
व्यय की प्रतिपूर्ति	**(0.00)**	0.02
कुल	**0.48**	**0.58**

ii) सीएसआर के खर्चे के विवरण **(करोड़ रुपए में)**

	31 मार्च, 2023	**31 मार्च, 2022**	
ए) कंपनी के द्वारा खर्च की आवश्यकता की कुल राशि	-	-	
(पूर्व तीन वर्षों के दौरान के औसत कुल लाभ के 2% के बराबर)			
बी) वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यय की जाने वाली राशि	-		
सी) 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	**नगद**	**नगद भुगतान बाकी**	**कुल**
(I) किसी संपत्ति का निर्माण अधिग्रहण	0.05	-	0.05
(ii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य के अलावा	-	-	-
डी) 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	**नगद**	**नगद भुगतान बाकी**	**कुल**
(I) किसी संपत्ति का निर्माण अधिग्रहण	-		-
(ii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य के अलावा	0.05		0.05
ई) खर्च किये गये/खर्च नही किये गये दायित्व से संबंधित विवरण	**31 मार्च 2023**	**31 मार्च 2022**	
(I) पब्लिक ट्रस्ट को अंशदान	-		
(ii) चेरिटेबल ट्रस्ट को अंशदान	-	-	
(iii) से संबंधित खर्च नही की गई राशि:			
– चालू परियोजना	-	0.05	
– चालू परियोजना के अलावा	-	-	

(करोड़ रुपए में)

चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा का विवरण						
चालू परियोजना						
आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान खर्च के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		अंतिम शेष	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
-	0.05	0.05	-	0.05	-	-

चालू परियोजना के अलावा				
आरंभिक शेष	6 माह के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में जमा राशि	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	अंतिम शेष
-	-	-	-	-

खर्च की गई अधिक राशि			
आरंभिक शेष	**वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि**	**वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि**	**अंतिम शेष**
-	-	-	-

32. अपवाद मदें

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और उसका रिवर्सल करना निकालकर इन्वैंट्रीज राइट डाउन	**-**	0.01
परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	**(0.38)**	(0.04)
गैर चालू निवेश के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान (i)	**-**	0.01
निवेश से बिक्री पर लाभ (ii)	**(1,415.60)**	-
विलंभ भुगतान पर ब्याज	**0.04**	-
लिटिगेशन का निपटान	**1.87**	178.44
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(3.19)**	(23.22)
कुल	**(1,417.26)**	**155.20**

(I) फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी निवेश के प्रावधान का दिखाता करता है।

(ii) दीपम के माध्यम से एनआईएनएल के विनिवेश के परिणामस्वरूप, एनआईएनएल की निवेशक विक्री पर लाभ के रूप में 1415.60 करोड रू. शामिल हैं।

33. कर व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
वर्तमान वर्ष	**145.58**	17.34
पूर्वावधियों से संबंधित समायोजन	**(2.47)**	-
अनुयोग (ए)	**143.11**	17.34
आस्थगित कर व्यय		
अस्थाई अंतर राशि का ओरिजिनेशन तथा रिवर्सल	**59.98**	341.03
अनुयोग (बी)	**59.98**	341.03
कुल (ए+बी)	**203.09**	**358.37**

अन्य व्यापक आय में माना गया कर

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजना एक्चुरियल लाभ(हानि)	**0.42**	4.16
कुल	**0.42**	**4.16**

प्रभावी कर का मिलान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**1,279.16**	120.60
अधिनियमित कर दर'	**25.17**	34.94
गणना की गई अनुमानित कर खर्चे	**321.96**	42.14
कटौती मुक्त खर्चे	**2.43**	8.05
कर मुक्त आय/अन्य कोई कटौती अथवा अनुमति योग्य खर्च	**(163.53)**	(4.47)
पूर्वावधि से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	**(2.47)**	-
अन्य समायोजन	**(15.29)**	(28.38)
आस्थगित कर	**59.98**	341.03
वर्ष के लिए कर व्यय	**203.09**	**358.37**
समायोजन : ओसीआई पर कर प्रभाव	**0.42**	4.16
वर्ष के लिए निवल कर व्यय	**203.51**	**362.53**

*नोट सं. 10 का संदर्भ लें

34. आकस्मिक देयताएं एवं प्रकटन

i)

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31.03.2023 को	31.03.2022 को
(I)			
ए)	विदेशी मुद्रा दावे सहित कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है।	344.76	287.17
b)	विवादित आयकर मांग जिसके प्रति 14.68 करोड़ रू. (गत वर्ष 20.45 करोड़ रू.) जमा किए गए हैं।	26.59	33.38
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.00	0.00
डी)	विवादित बिक्री कर मांग जिसके विरूद्ध 19.33 करोड़ रू. (गत वर्ष 20.16 करोड़ रू.) जमा किए गए तथा बैंक गारंटी द्वारा 0.43 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.07 करोड़ रू.) कवर किए गए।	284.88	217.30
ई)	विवादित सेवा कर मांग	79.47	119.23
एफ)	विवादित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मांग के लिए 0.76 करोड़ रू.(पि.वर्ष 0.76 करोड़)	20.29	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	0.68	2.66
एच)	कस्टम्स बांड्स	182.05	317.98
आई)	बकाया जीआर–1 जिसके लिए 0.73 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.73 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी गई है।	1.60	1.60
	कुल (I)	**940.32**	**999.60**
II)	**अन्य बैक टु बैक आधार पर असोसिएट के अकाउंट में यदि कोई देयता बनती है**		
ए)	कस्टम्स डयूटी/ब्याज/पेनल्टी इत्यादि की अंतर राशि	184.49	184.49
	कुल(II)	**184.49**	**184.49**

क्रमांक 1 में उल्लिखित मदों के संबंध में संचलन ए) से जे)

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2022 को शेष	वर्श के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्श 2022–23 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2023 को शेष
ए)	विदेशी मुद्रा के दावों सहित कंपनी के विरूद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	287.17	0.21	57.80	344.76
बी)	विवादित आयकर मांग	33.38	6.78	-	26.59
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.00	-	-	0.00
डी)	विवादित बिक्री कर मांग	217.30	23.85	91.43	284.88
ई)	विवादित सेवाकर मांग	119.23	44.29	4.54	79.47
एफ)	विवादित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांग	20.29	-	-	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.66	2.24	0.26	0.68
एच)	कस्टम्स बांड्स	317.98	138.54	2.60	182.05
आई)	बकाया जीआर–1	1.60	-	-	1.60
	कुल	**999.60**	**215.90**	**156.62**	**940.32**

क्रमांक II ए में उल्लिखित मदों के संबंध में संचलन

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष के संबंध में कटौती	वर्ष 2022–23 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2023 को शेष
ए)	कस्टम्स ड्यूटी / ब्याज / पेनल्टी आदि की अंतर राशि	184.49	-	-	184.49
	कुल	**184.49**	**-**	**-**	**184.49**

ए) संविदा के निष्पादन के प्रति कंपनी की ओर से ग्राहक के पक्ष में बैंकों ने 13.69 करोड़ रु. (गत वर्ष 13.95 करोड़ रु.) की गारंटियां जारी हैं जिनकी एवज में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं से शून्य करोड़ रुपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रुपए) की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गईं हैं।

ii) कंपनी द्वारा खोली गई एल / सीज के तहत शून्य करोड़ रु. की शेष बकाया है (गत वर्ष 9.33 करोड़ रु.)।

iii) कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की ओर से संबंधित वित्तीय संस्थानों / बैंकों के पक्ष में शून्य करोड़ रूपए (गत वर्ष 1345.82 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटियां दी हैं।

iv) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के (खाते में कि, वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

v) यदि कर निर्धारण हो जाने पर बिक्री कर की मांग, कुछ कर्मचारियों के विवादित मामले, हैंडलिंग एजेंट्स / ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करना, विवादित किराया तथा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी राशि के संबंध में ब्याज / दण्ड / विधिक लागत आदि के प्रति यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इसका निर्धारण करना संभव नही है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

vi) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसमें एमएमटीसी कर्मचारी सहकारी कैंटीन सोसाइटी के लिए आरपीएफसी द्वारा 2.18 करोड़ रू.(पि.वर्ष 0.69 करोड़) की मांग शामिल है।

vii) क) उपरोक्त में सेबी के विनियम 33 के गैर–अनुपालन के संबंध में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा उठाई गई मांग के कारण 0.07 करोड़ रू. (पि.वर्ष 0.07 करोड़) की राशि शामिल है। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुपालन नही करने पर 0.01 करोड़ . की राशि शामिल है।

35. वचनबद्धताएं :

पूंजीगत वचनबद्धताएं : विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित ऐसी संविदाओं की अग्रिम राशि घटाकर अनुमानित राशि जिनका निष्पादन कैपिटल अकाउंट में किया जाना है तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है ऐसी राशि 'शून्य' करोड़ रूपए है (गत वर्ष शून्य' करोड रु.)।

36. सामान्य प्रकटन :

ए) कंपनी ने बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास रखा है जिसको अन्य चालू परिसंपत्तियों को (टिप्पणी संख्या 11(बी)) तथा अन्य चालू देयताओं को (टिप्पणी संख्या 21) में दिखाया गया है।

मदें	31/03/2023		31/03/2022	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सोना (कि.ग्रा.)	-	-	**53.00**	**24.96**
स्वर्ण आभूशण(ग्राम)	-	-	-	-
चांदी(कि.ग्रा.)	-	-	-	-
कुल .	-	**53.00**	**24.96**	

(बी) श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से शून्य कि.ग्र. (पि.वर्ष शून्य). अशोधित चाँदी 31.3.2023 से डीआरओ में रखी है।

(सी) नीलाचल इस्पात निगम लिटिड (एनआईएनएल)– संयुक्त उद्यम कंपनी की विनिवेश प्रकिया 4.7.2022 को पूरी हो गई है।

i.एनआईएनएल विनिवेश पर विस्तृत नोट 2021–22 में दिया गया था और इसके बाद सरकारी आकस्मिक देनदारियों के लिए एमएमटीसी के हिस्से 911.16 करोड़(36.77 करोड़ – गैर कर देनदारियां और 874.39 करोड़ – कर देनदारियां) में से 484.14 करोड़ को ब्याज वाले एस्क्रो खाते में बकाया राशि रखा गया है जिसे विक्रेताओं को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में दिया जाएगा, यदि इन बकाया राशि के खिलाफ दावा नहीं किया गया है प्रतिधारण अवधि के अंत तक भुगतान किया गया (गैर–कर देनदारियों के लिए 2 वर्ष और कर देनदारियों के लिए 3 वर्ष)। इसके अलावा चूंकि उपरोक्त घटना संभावित भविष्य के परिणाम पर आधारित है, इसके लिए राजस्व को शामिल नहीं किया गया है और इस आस्थगित राशि को आकस्मिक संपत्ति के रूप में माना गया है, जो कि 484.13 करोड़ रू. के आकस्मिक राशि पर पूंजीगत लाभ कर देयता के लिए कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार है।

ऊपर उल्लिखित 911.16 करोड़ में से 82.96 करोड़ की राशि 1.24 करोड़ रू. (विक्रेताओं और क्रेता द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति के अनुसार) के भुगतान के विरुद्ध अप्रैल, 2023 के महीने में निपटान की गई थी और शेष 81.72 करोड़ विक्रेताओं को उनके शेयरधारिता अनुपात में वितरित किए गए हैं, जिसमें से एमएमटीसी को 25.04.2023 को 43.42 करोड़ रू. प्राप्त हुए थे। शेष राशि 828.20 करोड़ रू. (एमएमटीसी शेयर 440.72 करोड़ रू.) ब्याज वाले एस्क्रो खाते में है।

ii एनआईएनएल के कारण एमएमटीसी द्वारा दी गई सभी कॉर्पोरेट गारंटी (सीजी) रिलीज कर दी गई हैं।

iii एनआईएनएल के विनिवेश के लिए शेयर खरीद समझौते (एसपीए) के खंड के अनुसार, विनिवेश के बाद एनआईएनएल पर किसी भी अप्रत्याशित देनदारी को एसपीए के वारंटी खंड के अनुसार विक्रेताओं / प्रमोटरों द्वारा वहन किया जाएगा और विक्रेताओं और प्रमोटरों की कुल देनदारी बिक्री की राशि और उनके संबंधित विक्रेता ऋण के निर्वहन के माध्यम से प्राप्त विक्रेताओं द्वारा बोली राशि से 20% से अधिक नहीं हो सकती है। इस संबंध में एमएमटीसी की अधिकतम देनदारी, यदि कोई हो, 1060 करोड़ बैठती है।

डी) मिंट बिक्री लेन देन के विषय में कंपनी ने मैसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 31.40 करोड़ रुपए(गत वर्ष 31.40 करोड़ रुपए), जिसमें 2.95 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2.95 करोड़ रुपए) का विलम्बित ब्याज भी शामिल है, की वसूली के लिए दावा किया है जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में आया है। मैसर्स एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध 167.20 करोड़ रू. (गत वर्ष 167.20 करोड़ रू.) की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया है जो कानूनी राय के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

ई) भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्याज का बफर स्टाक बनाने के लिए एमएमटीसी ने जुलाई 2020 से दिनांक 31.3.2021 तक प्याज का आयात किया। योजना के अनुसार एमएमटीसी के ट्रेडिंग मार्जिन को बिक्री के समय सी एण्ड एफ लागत पर 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया तथा आयात से संबंधित सभी व्ययों का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। बिक्री उगाही और एमएमटीसी के मार्जिन सहित सरकार से प्राप्त दावे के रूप में दिखाया गया है जो कि माल के परिसमापन को सरकार से प्राप्त अग्रिम के साथ समायोजित कर दिया जाएगा।

एफ) आयातित पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोशिएट के विरूद्ध 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य देयों को ध्यान में रखते हुए लेखों में 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम से इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लंबित है। एसोसिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर गया किया गया है।

जी) वर्ष 2011–12 के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल(तांबा) की आपूर्ति किए बिना 4.13 करोड़ रूपए (गत वर्ष 4.13 करोड़ रूपए) का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चैनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के वचन पत्र के साथ साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से भारतीय बैंक को रोके रखने के लिए कंपनी ने अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है । इसी आपूर्तिकर्ता ने धोखे से तांबे की एक अन्य खेप के मास्टर बिल ऑफ लैडिंग को अपने अधिकार में लिया हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई 8.60 करोड़ रूपए (गत वर्ष 8.60 करोड़ रूपए) मूल्य के माल की सुपुर्दगी तथा अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा ईएमडी एवं अन्य देयों के समायोजन के पश्चात् वर्ष 2014–15 के दौरान शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

एच) हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालयः

i) वर्ष 2011–12 के दौरान बैकिंग चैनलों के माध्यम से 3.75 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.75 करोड़ रुपए) मूल्य के कॉपर की दो शिपमेंट्स के जाली बिल ऑफ लैडिंग प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया गया। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है। इस लेन–देन के संबंध में स्थानीय खरीदार से पूर्ण व अंतिम निपटान की 4.44 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो गई है। इस राशि में अन्य गैर चालू देयताओं के तहत ग्राहक से प्राप्त एडवांस रा ा भी भाामिल है।

ii) एमबीएस ग्रुप से 226.82 करोड़ की इनट्रेड प्राप्य राशि जिसके लिए 100ः प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इस मामले में एमबीएस ग्रुप द्वारा 2012–13 के दौरान आरओ हैदराबाद के पास जमा किय गये जड़ित आभूषण कार्यालय की तिजोरी में पड़े हैं। एमबीएस समूह द्वारा दावा किए गए मूल्यांकन और कंपनी द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन में असामान्य अंतर के कारण विभिन्न अदालतों/मंचों के समक्ष लंबित यह प्रमुख कानूनी मामला है। साथ ही यह भी कहा कि आज तक मामले की जांच सीबीआई/ईडी कर रही है।

आई) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंपनी को है। कोयला आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध एक विदेशी पक्ष द्वारा दायर डिक्री निष्पादन से संबंधित एक मामले में एमएमटीसी से उनकी लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार कंपनी के कोयला आपूर्तिकर्ताओं में से एक द्वारा प्राप्य 39.62 करोड़ रू. (पि.वर्ष 39.62 करोड़ रू.) जमा करने का निर्देश दिया था। एमएमटीसी ने आवेदन और जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि आपूर्तिकर्ता के अनुबंध संबंधी दायित्वों का निर्वहन अभी तक नहीं हुआ है और एमएमटीसी इस स्तर पर कोई भी राशि जमा करने में असमर्थ है। सभी मुद्दों के समाधान के बाद आपूर्तिकर्ता को देय कोई भी राशि, एमएमटीसी पर किसी भी दायित्व के बिना आपूर्तिकर्ता को जारी करने के बजाय अदालत में जमा की जाएगी। सुनवाई जारी है और सुनवाई की अगली तारीख 22.08.2023 है।

जे) एफसीआई ने मार्च 2019 में एमएमटीसी के खिलाफ सीपीएसई विवाद (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र शुरू करने के लिए एमओसीएंडए, एफएंडपीडी से संपर्क किया, जिसमें ब्याज सहित 92.18 करोड़ रू. की राशि शामिल थी, क्योंकि एमएमटीसी ने एफसीआई के भुगतान से मई 2014 में 60.99 करोड़ रू. की राशि काट ली थी। इसमे से 1.13 करोड़ रू. का प्रावधान 31.3.2022 को किया गया था। 91.05 करोड़ की भोश रा ा के लिए आकस्मिक देयता का प्रावधान किया गया। एमएमटीसी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि 1991 के बाद से कई लेन–देन से उत्पन्न एफसीआई से एमएमटीसी की देय राशि की वसूली के लिए 2014 में गेहूं के निर्यात से 60.99 करोड़ रू. की राशि काटी गई थी। मामले को एएमआरसीडी के तहत समाधान के लिए स्वीकार किया गया था। एएमआरसीडी समिति ने 22 मई 2020 को हुई अपनी बैठक में एमएमटीसी और एफसीआई दोनों को खातों का मिलान करने का निर्देश दिया। एमएमटीसी और एफसीआई ने दावों और काउंटर दावों के समाधान की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। एमएमटीसी और एफसीआई के बीच कई दौर की चर्चाएं हुई हैं, जिसमें दोनों पक्षों के बीच क्रमशः अपने दावों और काउंटर दावों को स्थापित करने के लिए सहायक दस्तावेजों का आदान–प्रदान किया गया है। आदेश जुलाई 2022 में, एमएमटीसी ने डीओसी और डीओसीए, एफ एंड पीडी को प्रतियों के साथ दावों और प्रतिदावों पर एफसीआई को लेख प्रस्तुत किया। नवंबर 2022 में, डीओएफएंडपी एमएमटीसी और एफसीआई से दावों और प्रतिदावों पर जानकारी मांगी। एमएमटीसी ने नवंबर 2022 में डीओएफएंड पी डी को जानकारी प्रदान की।

के) कंपनी ने 01.04.2023 से मौजूदा ईआरपी पैकेज को टैली प्राइम पैकेज से बदलने का निर्णय लिया है।

एल) कंपनी के कार्यालयों को छोटा करने/व्यवसाय में कटौती के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, योग्यता मानदंड के साथ 16.03.2023 को वीआरएस पेश किया गया है, जिसमें सेवाओं में समय की पाबंदी हटाते हुए स्टाफ कैडर और प्रबंधन कैडर के सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। 95 कर्मचारियों का वीआरएस स्वीकृत हो चुका है।

एम) प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एमएमटीसी को विभिन्न जेवी से बाहर निकलने तथा कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बिजनेस ऑपरेशन से बाहर निकलने का भी निर्देश दिया गया है. सरकार ने अभी तक एमएमटीसी को

बंद करने का निर्णय नही लिया है। एमएमटीसी को बंद करने के लिए मंत्रालय से कोई संचार नहीं मिला है, इसलिए चालू स्थिति की यथास्थिति बनाए रखी जा रही है। 4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के बाद, बैंकों को 31.3.2022 तक उधारी की चुकता के लिए मूलधन और सहमत ब्याज के लिए 2551.44 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार अधिशेष धनराशि का निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी तत्काल खर्चों को कम करने और अपनी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की स्थिति में है। इस स्तर पर, कंपनी के अनुमान और अपेक्षाएँ भविष्योन्मुखी हो सकती हैं। जो कंपनी के संचालन में महत्वपूर्ण कारक अंतर ला सकते हैं, उनमें मांग/आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां और घरेलू और विदेशी बाजारों में कीमत की स्थिति, जहां कंपनी संचालित होती है, सरकारी नीतियों में बदलाव, अन्य मानक और अन्य आकस्मिक कारक शामिल हैं।

एन) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एमएमटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के अनुमोदन से बीस वर्षों से अधिक के बकाया विदेशी देनदारों के खाते में 0.10 करोड़ रू. की राशि और खराब और संदिग्ध ऋणों/दावों/ ऋण वापसी के लिए पहले बनाए गए प्रावधानों को हटा दिया गया था।

प्रबंधन एक विशेषज्ञ के माध्यम से फेमा दिशानिर्देशों पर राय लेने की प्रक्रिया में है और तदनुसार कार्रवाई (यदि कोई हो) की जाएगी।

37. वित्तीय दस्तावेज – उचित मूल्य तथा जोखिम प्रबंधन

37.1 श्रेणीवार वित्तीय दस्तावेज

निम्नलिखित तालिका में कैटगरीज की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की कैरिंग राशि तथा उचित मूल्य को दर्शाया गया है । यदि कैरिंग राशि उचित मूल्य का पर्याप्त अनुमान है तो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर नहीं आंका गया है तथा उचित मूल्य सूचना भी इसमें शामिल नहीं है।

(31 मार्च 2023 को करोड़ रुपये में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	ओसीआई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्याः 6)			5.03	5.03	5.03
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्याः 13)	317.72			317.72	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्याः 7)	134.04			134.04	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	2.02			2.02	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8	-			0.00	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्याः 9)	92.16			92.16	
देयताएं					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्याः 18)	248.06			248.06	
उधार (संदर्भ नोट संख्याः 17)	42.73			42.73	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्याः 19)	168.66			168.66	

श्रेणियों के अनुसार वित्तीय लिखतों का वहन मूल्य और उचित मूल्य 31 मार्च 2022 को निम्नानुसार था,

(31 मार्च 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	ओसीआई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्याः 6)			11.03	11.03	11.03
रोकड़ एवं रोकड समकक्ष (संदर्भ नोट संख्याः 13)	43.36			43.36	
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्याः 7)	135.10			135.10	
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	3.28			3.28	
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	-			-	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्याः 9)	54.18			54.18	
देयताएं					
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्याः 18)	**269.90**			**269.90**	
उधार (संदर्भ नोट संख्याः 17)	2551.44			2551.44	
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्याः 19)	222.04			222.04	

37.2 उचित मूल्य अनुकम

स्तर 1. वर्गीकरण के स्तर 1 में सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित) का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है ।

स्तर 2.वर्गीकरण के स्तर 2 में ऐसे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स भाामिल हैं जिनका मूल्यांकन कोटेड मूल्यों से इतर किया गया है। साथ ही इसमें ऐसी परिसंपत्तियां अथवा देयताएं भी भाामिल हैं जो या तो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों के अनुसार) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) रूप में सुस्पष्ट हैं।

स्तर 3.वर्गीकरण के स्तर 3 में सुस्पष्ट बाजार डाटा (अस्पष्ट इनपुट्स) पर अनाधारित इनपुट्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर आकलन की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य के अनुकम को प्रस्तुत करती है

(31 मार्च 2023 को करोड़ रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	5.03			5.03		उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			-	-	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल	**5.03**	**-**	**-**	**5.03**		

(31 मार्च 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश						
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	11.03			11.03		उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)			-	-	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल	**11.03**	**-**	**-**	**11.03**		

37.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन, उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के कार्यकलापों में निम्नलिखित वित्तीय जोखिम भाामिल हैः–

–बाजार जोखिम

–क्रेडिट जोखिम तथा

–तरलता जोखिम

कंपनी ने ऐसे किसी फंड की व्यवस्था नहीं की जिसमें ब्याज दर जोखिम भाामिल हो ।

क) बाजार जोखिम

(I) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का आयात व निर्यात का व्यापार है जिसके कारण इसे मुख्यतः अमरीकी डालर के संबंध में विदेशी मुद्रा का जोखिम है। कंपनी ने दीर्घावधि उधार द्वारा निधियों की व्यवस्था नहीं की है। बैंकों से लिए गए लघु अवधि विदेशी मुद्रा ऋण (क्रेता के क्रेडिट) स्थिर ब्याज दर के ऋण होते हैं। परिणामस्वरूप कंपनी को किसी प्रकार का ब्याज दर जोखिम नहीं है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचाव (हेज) के लिए हेजिंग दस्तावेजों को प्रयोग करने की है ।

अपने विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा में फारवर्ड कांट्रेक्ट्स का प्रयोग करती है। संबंधित स्पॉट माक्रिट विनिमय दर के संदर्भ में कंपनी द्वारा फारवर्ड कांट्रेक्ट्स के स्पॉट घटक को विनिर्दिष्ट किया जाता है। कांट्रेक्ट्स फारवर्ड तथा स्पॉट मार्केट विनिमय दर के बीच के अंतर को फारवर्ड घटक कहते हैं। हेजिंग दस्तावेज की स्पॉट विनिमय दर में परिवर्तनों, जो कि हेज की गई मद से संबंधित होते हैं, को रोकड़ प्रवाह हेज अधिशेश में स्थगित किया जाता है तथा इसकी पहचान तब की जाती है जब संबंधित हेज किए गए लेनदेन की श्रेणी में आ जाता है। फारवर्ड विनिमय दर कांट्रेक्ट के फारवर्ड घटक को हैजिंग अधिशेष की लागत में स्थगित किया जाता है तथा जब लेन–देन किया जाता है तो उस समय फारवर्ड घटक में परिवर्तन की सीमा तक इसकी पहचान की जाती है।

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय दस्तावेजों से कंपनी को होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के मात्रात्मक डाटा का सारांश रुपयों में दर्शाया गया है।

(31 मार्च 2023 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (भारतीय रू. समतुल्य में)	अन्य मुद्राएं (भारतीय रू. समतुल्य में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	0.01	-	0.01
ट्रेड प्राप्य	-	-	-
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	5.41	-	5.41
अन्य प्राप्य	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**5.42**	**-**	**5.42**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	-	-	-
ट्रेड देय	-	-	-
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	1.33	-	1.33
मुकदमों के निपटान के लिए प्रावधान	-	-	-
अन्य	1,058.15	-	1,058.15
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**1,059.48**	**-**	**1,059.48**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य / देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है चूंकि हानि / लाभ एसोसिएट आपूर्तिकर्ता / ग्राहक के खाते में होगा । इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं ।

(31 मार्च 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (भारतीय रू. समतुल्य में)	अन्य मुद्राएं (भारतीय रू. समतुल्य में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	4.50	-	4.50
ट्रेड प्राप्य	-	-	-
डेमरेज / डिस्पैच प्राप्य	4.98	-	4.98
अन्य प्राप्य	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**9.48**	**-**	**9.48**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	-	-	-
ट्रेड देय	7.43	-	7.43
देय भाड़ा डेमरेज / डिस्पैच	1.19	-	1.19
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	-		
अन्य	1,054.87	-	1,054.87
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**1,063.50**	**-**	**1,063.50**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य / देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है। इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं ।

संवेदनशीलता

31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को हमारी फंक्शनल मुद्रा की तुलना में संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हमारे कर पूर्व लाभ पर क्रमशः शून्य करोड रूपये एवं शून्य करोड रूपये का प्रभाव डालेगी।

(I) मूल्य जोखिम

कंपनी के इक्विटी प्रतिभूतियों के मूल्य जोखिम कंपनी द्वारा किए गए निवेश से होते है तथा इसे तुलन पत्र में अन्य समेकित आय द्वारा उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी द्वारा दो प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में एक एनएसई पर सूचीबद्ध है तथा दूसरा (आईसीईएक्स) सूचीबद्ध नहीं है ।

31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को संबंधित इक्विटी मूल्यों में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी इक्विटी के अन्य घटकों पर क्रमशः लगभग 0.05 करोड़ रुपये एवं 0.11 करोड़ रुपये का प्रभाव डालेगी। इसका लाभ व हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अभिप्राय दूसरे पक्ष (काउंटर पार्टी) द्वारा अपने दायित्वों में की गई चूक, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है, के जोखिम से है। रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ट्रेड प्राप्यों से होता है। तदनुसार, ट्रेड प्राप्यों से होने वाले क्रेडिट जोखिम का अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों से अलग निम्नलिखित पैराग्राफ में मूल्यांकन किया गया है।

ट्रेड प्राप्य

संयुक्त उपक्रमों तथा भारत सरकार को छोड़कर कंपनी के बकाया ट्रेड प्राप्य अधिकांशतः साख पत्र / बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है ।

इंड एएस – 109 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रेड प्राप्यों में हानि की पहचान संभावित क्रेडिट हानि के आधार पर की जाती है । संभावित क्रेडिट हानि के उद्देश्य से कंपनी के ग्राहकों का ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों एवं ग्राहकों के वर्तमान निष्पादन, इंडस्ट्री के भावी परिदृश्य को ध्यान में रखा जाता है ।

(31 मार्च 2023 को करोड़ रुपये में)

	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					
विवरण	6 माह से कम	6 माह –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	4.67	0.06	7.59	3.43	118.11	133.86
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य –जिसमें केडिट जोखिम ज्यादा हो						
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य –क्रेडिट हानि	-	-	-	-	8.20	8.20
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	-	-	-	-	0.18	0.18
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें केडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट हानि	-	-	-	-	382.02	382.02
उप योग	**4.67**	**0.06**	**7.59**	**3.43**	**508.52**	**524.26**
कमी : क्रेडिट हानि के लिए अनुमत						390.12
कुल					**134.04**	

(31 मार्च 2022 को करोड़ रूपये में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	7.33	2.88	5.15	3.17	116.39	134.92
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य –जिसमें केडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य –क्रेडिट हानि	-	-	-	-	8.30	8.30
(iv))विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	-	-	-	-	0.18	0.18
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें केडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट हानि	-	-	-	-	381.82	381.82
उप योग	**7.33**	**2.88**	**5.15**	**3.17**	**506.69**	**525.22**
कमी : क्रेडिट हानि के लिए अनुमत						390.12
कुल					**135.10**	

प्रत्येक ट्रेड प्राप्यों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर जब वसूली को संदिग्ध माना जाता है तथा राशि को वसूली योग्य माने जाने तक देय तिथि (सरकारी देयों के अतिरिक्त) के तीन वर्षों के पश्चात ट्रेड प्राप्यों में सामान्यतः क्रेडिट हानि मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों जिनमें हानि नहीं हुई है परंतु ओवरडयू है, वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं।

कुछ लेन–देनों के ट्रेड प्राप्यों के संबंध में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी द्वारा समकक्ष ट्रेड देय भी है जो ट्रेड प्राप्यों की वसूली के पश्चात देय होंगे । उक्त ट्रेड प्राप्यों को देय तिथि के पश्चात इम्पेयर्ड नहीं माना जाता है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

चूंकि हमारा दूसरा पक्ष बैंक है इसलिए रोकड़ व रोकड़ समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना गया है। अनुसूचित बैंकों के पास साविध जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक की निगरानी में है, अतः इसे हम गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं तथा ऑनगोईंग आधार पर हम इन बैंकिंग संबंधों की पुनरीक्षा करते हैं। चूंकि कर्मचारियों को दिए गए गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण आदि सम्पत्ति के प्रति सुरक्षित हैं इसलिए कर्मचारियों के ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को हम नगण्य मानते हैं। अन्य कर्मचारी ऋणों को संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक गारंटी के साथ साथ अन्य सेवारत कर्मचारी के जमानत बाण्ड द्वारा कवर किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किसी प्रकार की हानि का प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि को हम अच्छी गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं ।

ग) तरलता जोखिम

हमारी तरलता आवश्यकताओं को मासिक एवं वार्षिक अनुमानों के आधार पर मानीटर किया जाता है। रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, प्रचालनों से अर्जित रोकड़ तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि द्वारा वित्तपोषण की उपलब्धता कंपनी का मुख्य तरलता स्रोत है।

आधारभूत व्यापार की सक्रिय प्रकृति के कारण प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण के लिए कंपनी द्वारा लचीलापन अपनाया जाता है ।

लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की मुख्यतः विविध लेनदार, देय व्यय, सामान्य व्यापार के दौरान होने वाले कर्मचारी देय भाामिल हैं। लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में पर्याप्त शेष बनाकर रखती है।

कंपनी द्वारा दीर्घावधि की तरलता आवश्यकताओं का नियतकालिक आधार पर आकलन किया जाता है तथा आंतरिक संग्रहण एवं प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता से संबंधित विवरणों को दर्शाती है। जब कंपनी को भुगतान करना आवश्यक है तो उस अतिशीघ्र तारीख पर आधारित वित्तीय देयताओं के प्रकटन न किए गए रोकड़ प्रवाह के आधार पर यह तालिका बनाई गई है। इस तालिका में मूल एवं ब्याज रोकड़ प्रवाह दोनों शामिल किए गए हैं :–

(31 मार्च, 2023 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(I) एमएसएमई	0.17	-	-	-	-	0.17
(ii) अन्य	40.82	1.43	0.00	0.93	204.23	247.41
(iii) विवादित देय –एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय –अन्य	-	-	-	-	0.48	0.48
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**248.06**

(31 मार्च, 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(I) एमएसएमई	0.18	-	-	-	-	0.18
(ii) अन्य	49.51	0.90	0.81	5.97	212.12	269.31
(iii) विवादित देय –एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय –अन्य	-	-	-	-	0.40	0.40
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**269.90**

38. हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

38.1 कैश फ्लो हेज

31 मार्च 2023 को कंपनी का कोई भी हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट बकाया नहीं था।

38.2 उचित मूल्य हेज

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, कंपनी सोने और चांदी की इंवेंट्री की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव के प्रति हेज करने के लिए कमोडिटी एक्सचेंजों के साथ फारवर्ड कांट्रेक्ट करती है। हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि माना जाता है। हेज किए गए आइटम पर होने वाले हेजिंग लाभ अथवा हानि को समायोजित करते हुए हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि ली जाती है तथा उसे लाभ अथवा हानि माना जाता है।

ए) हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा

(31 मार्च, 2023 को करोड़ रू. में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
<u>मूल्य जोखिम</u>					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट					

(31 मार्च, 2022 को रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
<u>मूल्य जोखिम</u>					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट	10.99			30	0.21
चांदी की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट	12.81			240	018

बी.) हेज्ड आइटम्स के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च, 2023 को रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी भामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम भामिल है	हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि(इंडःएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
<u>मूल्य जोखिम</u>						
सोने की इन्वेट्री	-	-	-	इन्वेट्रीज	-	-

(31 मार्च, 2022 को रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी भामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम भामिल है	हेज निश्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि(इंडःएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
<u>मूल्य जोखिम</u>						
सोने की इन्वेट्री	-	-	-	इन्वेट्रीज	-	-

39 भारतीय लेखा मानक (इंड एएसं)–36 के संबंध में प्रकटीकरण "परिसंपत्तियों की हानि"

वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति की हानि/क्षति का निर्धारण किया तथा तदनुसार वर्श के दौरान पीपीई के मूल्य में 'शून्य' करोड़ (गत वर्ष 0. शून्य' करोड़ रू) की हानि का प्रावधान किया गया है।

40 भारतीय लेखा मानक (इंड एएसं)–19 के संबंध में प्रकटीकरण "कर्मचारी लाभ"

40.1 विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं के सामान्य विवरण इस प्रकार हैं :

ए) ग्रेच्युटी :

ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर सेवानिवृत्ति/सेप्रेशन पर सभी कर्मचारियों को किया जाता है। योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका संचालन एलआईसी के माध्यम से एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों के लिए कंपनी इस योजना का संचालन सीधे एलआईसी के माध्यम से करती है। कंपनी इस योजना का वित पोषण करती है तथा इसमें देयता का निर्धारण बीमाकर्ता को दिए जाने वाले अंशदान के आधार पर किया जाता है अर्थात भारतीय बीमा निगम, हालांकि, इंड एएस–19 के अधीन अपेक्षित सूचना का खुलासा एक्चुएरल मूल्यांकन के अनुसार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड अंशदान का एक्चुएरल मूल्यांकन का अनुमान रूपए 1.97 करोड़ रू. है (गत वर्ष 2.42 करोड़ रुपए)। हालांकि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जाने वाली मांग के अनुसार फंड में योगदान करती है।

बी) अवकाश मुआवजा :

सेप्रेशन पर पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा संचित किए गए अर्जित तथा अर्ध वेतन अवकाश का मुआवजा देय होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है जो वर्ष के दौरान दो बार कराया जा सकता है बशर्ते कर्मचारी के खाते में नकदीकरण के बाद कम से कम 15 अवकाश शेष रहने चाहिए।

इस खाते में देयता का निर्धारण एक्चुएरल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

सी) लंबे सेवाकाल का लाभ : कर्मचारियों को देय लबी अवधि सेवाकाल के लाभ का विवरण निम्नानुसार है :

(I) सेवा पुरस्कार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पूरे किए गए सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपए 3500/– के हिसाब से सेवा पुरस्कार की राशि देय होती है।

(ii) अनुकंपा ग्रेच्युटी

सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 50000/– रू की एक–मुश्त राशि अनुकंपा ग्रेच्युटी के रूप में देय होती है।

(iii) कर्मचारी परिवार लाभ योजना

यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो उसके आश्रितों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना के तहत भुगतान उस तारीख तक देय होता है जो उसकी सेवानिवृत्ति की नोशनल तारीख है। यदि कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के समय तक 20 वर्षों से कम अवधि की सेवा की है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 40 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है तथा यदि कर्मचारी ने 20 वर्ष अथवा इससे अधिक का सेवाकाल पूरा कर लिया है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 50 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000/– रू है।

(iv) अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों को विशेष लाभ : सेवानिवृत्ति पर अधिकारी को 5,00,000/– रू, स्टाफ को 4,00,000/– तथा कामगार को 3,00,000/– रूपए की राशि देय होती है।

लाभ व हानि, अन्य कम्प्रीहेंसिव इनकम(ओसीआई) तथा तुलनपत्र तथा अन्य प्रकटन में दिए गए विभिन्न लाभों की संक्षेप स्थिति निम्नानुसार है :

नेट परिभाषित लाभ देयता (रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ देयता	सी.वाई.	62.29	20.61	18.69	3.31	1.14	0.09	2.13
	पी.वाई.	69.26	18.57	20.15	3.58	1.49	0.10	2.80
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	सी.वाई.	64.50	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.	70.35	-	-	-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति / {अधिशेष / (घाटा)}	सी.वाई.		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.		-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	सी.वाई.		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.		-	-	-	-	-	-
नेट परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयताएं)	सी.वाई.	2.22	(20.61)	(18.69)	(3.31)	(1.14)	(0.09)	(2.13)
	पी.वाई.	1.09	(18.57)	(20.15)	(3.58)	(1.49)	(0.10)	(2.80)

परिभाषित लाभ देयता का चलन

(रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के शुरू में	सी.वाई.	69.26	18.57	20.15	3.58	1.49	0.10	2.80
	पी.वाई.	90.85	16.01	20.59	4.35	1.85	0.12	3.63
चालू सेवा लागत	सी.वाई.	1.10	1.06	1.01	0.11	0.03	-	-
	पी.वाई.	1.40	0.83	0.78	0.12	0.04	-	-
विगत सेवा लागत	सी.वाई.	0.00	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.	0.00	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	सी.वाई.	4.63	1.24	1.35	0.28	0.10	-	-
	पी.वाई.	5.83	1.03	1.32	0.28	0.12	-	-
प्रदत्त लाभ	सी.वाई.	(11.04)	(3.57)	(2.13)	(0.74)	(0.42)	-	-
	पी.वाई.	(17.59)	(3.04)	(2.94)	(0.36)	(0.41)	-	-
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएल हानि/(लाभ)	सी.वाई.	(1.66)	3.31	(1.68)	0.08	(0.06)	(0.01)	(0.67)
	पी.वाई.	(11.23)	3.74	0.40	(0.80)	(0.11)	(0.02)	(0.84)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के अंत में	सी.वाई.	62.29	20.61	18.69	3.31	1.14	0.09	2.13
	पी.वाई.	69.26	18.57	20.15	3.58	1.49	0.10	2.80

योजना परिसंपत्ति का चलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
	31.03.2023	**31.03.2022**
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	70.35	82.45
ब्याज आय	4.91	5.50
नियोक्ता अंशदान	0.22	0.00
प्रदत्त लाभ	(11.04)	(17.59)
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएयल हानि/(लाभ)	0.07	(0.00)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	64.50	70.35

लाभ व हानि विवरण में शामिल की गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	सी.वाई.	1.10	1.06	1.01	0.11	0.03	-	-
	पी.वाई.	1.40	0.83	0.78	0.12	0.04	-	-
पूर्व सेवा लागत– प्लान संशोधन	सी.वाई.	0.00	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.	-	-	-	-	-	-	-
सेवा लागत (ए)	सी.वाई.	1.10	1.06	1.01	0.11	0.03	-	-
	पी.वाई.	1.40	0.83	0.78	0.12	0.04	-	-
नेट परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) (बी	सी.वाई.	(0.14)	1.24	1.35	0.28	0.10	-	-
	पी.वाई.	0.54	1.03	1.32	0.28	0.12	-	-
अवधि में माने गए नेट एक्चुरियअल (लाभ)/हानि	सी.वाई.	-	3.31	(1.68)	0.08	(0.06)	(0.01)	(0.67)
	पी.वाई.	-	3.74	0.40	-	-	(0.02)	(0.84)
पी एण्ड एल में मानी गई लागत (ए+बी	सी.वाई.	0.95	5.61	0.67	0.46	0.07	(0.01)	(0.67)
	पी.वाई.	1.94	5.60	2.50	0.04	0.05	(0.02)	(0.84)

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल की गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरिएयल लाभ/(हानि)	सी.वाई.	(1.66)	-	-	0.03	(0.03)		
	पी.वाई.	(11.23)	-	-	(0.19)	0.07	-	-
अनुमानित परिवर्तनों के कारण एक्चुएरियल लाभ/(हानि)	सी.वाई.	-	-		0.05	(0.03)	-	-
	पी.वाई.	-	-	-	(0.17)	(0.18)	-	-
अवधि के दौरान हुए एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए)	सी.वाई.	(1.66)	-	-	0.08	(0.06)	-	-
	पी.वाई.	(11.23)	-	-	(3.36)	(0.11)	-	-
प्लान परिसंपत्ति पर रिर्टन जो डिस्काउंट रेट से (अधिक)/कम है (बी)	सी.वाई.	(0.15)	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.	(0.20)	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में मानी गई एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए+बी)	सी.वाई.	(0.81)	-	-	0.08	(0.06)	-	-
	पी.वाई.	(11.44)	-	-	(0.36)	(0.11)	-	-

संवेदनशील विश्लेशण (31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट	0.50%	(1.24)	(0.47)	(0.37)	(0.06)	(0.03)	-	-
	-0.50%	1.37	0.50	0.38	0.06	0.03	-	-
वेतनवृद्धि दर	0.50%	0.24	0.50	0.39	0.06	-	-	-
	-0.50%	(0.28)	(0.48)	(0.37)	(0.06)	-	-	-

(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट	0.50%	(1.49)	(0.42)	(0.46)	(0.08)	(0.04)	-	
	-0.50%	1.57	0.49	0.46	0.07	0.04	-	
वेतनवृद्धि दर	0.50%	0.36	0.49	0.46	-	-	-	
	-0.50%	(0.41)	(0.47)	0.44	-	-	-	

एक्चुएरियल अनुमान

अनुमान		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
प्रयोग में लाई गई पद्धति	सी.वाई.	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट
	पी.वाई.	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट
डिस्काउंट रेट	सी.वाई.	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%
	पी.वाई.	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%
वेतनवृद्धि दर	सी.वाई.	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
	पी.वाई.	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
मृत्यु दर	सी.वाई.	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)
	पी.वाई.	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)

संभावित लाभ भुगतान (रु. करोड़ में)

क्रम सं.	भुगतान वर्ष		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
			(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
1	0 से 1 साल		13.47	3.93	0.15	0.81	0.33	-	-
2	1 से 2 साल		9.23	2.98	6.27	0.54	0.27	-	-
3	2 से 3 साल		6.60	2.03	2.24	0.34	0.30	-	-
4	3 से 4 साल		7.55	2.68	2.36	0.40	0.13	-	-
5	4 से 5 साल		6.16	2.30	2.22	0.35	0.00	-	-
6	5 से 6 साल		5.08	1.65	1.42	0.26	0.06	-	-
7	6 साल से उपर		14.20	5.04	4.03	0.62	0.06	-	-

प्लान परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत
बीमाकृत लाभ	100 प्रतिशत

डी) **भविष्य निधि :** कंपनी का योगदान देय वर्ष के दौरान भविष्य निधि और देयताओं के लिए भुगतान किए गए/भुगतान योग्य राशि की पहचान अक्रुएल आधार पर की जाती है। कंपनी का भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान एक्ट, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। जिन भार्तों के तहत छूट दी गई है उनमें प्रावधान है कि नियोक्ता ट्रस्ट द्वारा घोषित की गई ब्याज दर तथा वैधानिक दर में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में उसकी पूर्ति करेगा। फंड की परिसंपत्तियों तथा किए गए निवेश पर आने वाले रिटर्न को देखते हुए कंपनी को लगता है कि निकट भविष्य में किसी और देयता के उत्पन्न होने की आशा नहीं है।

ई) सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ – कंपनी ने वर्ष के दौरान परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए रू 3.48 करोड़ (गत वर्ष रू 4.06 करोड़) लाभ व हानि विवरण में शामिल किए हैं।

एफ) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ : 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इनपेशंट इलाज तथा आपीडी इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

ए. 1.1.2007 (बंद समूह) से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष के लिए पीबीटी की 1.50 प्रतिशत देयता को सामर्थ्य के आधार पर वित्त वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए नही दिखाया गया है, भले ही कंपनी ने 1279.16 करोड़ (पि.वर्ष 120.60 करोड़ रू) के कर–पूर्व लाभ की सूचना दी हो। साथ ही, कंपनी ने सेवारत कर्मचारियों के लिए खुले समूह / 4.50% बेसिक डीए के लिए पीआरएमबीएस प्रदान नहीं किया है।

बी कंपनी ने फंड के प्रबंधन के लिए पीआरएमबीएस ट्रस्ट बनाया है और योजना के प्रति कंपनी की देनदारी के लिए 2019–20 में ट्रस्ट को 150.00 करोड़ रू. का भुगतान किया है। ट्रस्ट 2022–23 के दौरान ओपरेशनल है।

41. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–108 के संबंध में प्रकटन : ''ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स''

जैसाकि इंड एएस–108 में परिभाषित किया गया है ''मैनेजमेंट अप्रोच'' के आधार पर चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है तथा बिजनेस सेग्मेंट्स के विभिन्न कार्यनिष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन करता है। तदनुसार प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट के बारे में सूचना दी गई है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों को प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट का राजस्व तथा व्यय रिकार्ड करने के लिए निरंतर इस्तेमाल किया गया है तथा इन्हें महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों में भी शामिल किया गया है। कंपनी के बिजनेस सेग्मेंट हैं :– बहुमूल्य धातुएं, धातुएं, खनिज, कोल तथा हाइड्रोकार्बन, कृषि उत्पाद, उर्वरक तथा अन्य।

सेग्मेंट राजस्व तथा व्यय

प्रत्येक खंड के संबंध में राजस्व और व्यय के विवरण का खुलासा किया जाना चाहिए

सेग्मेंट परिसंपत्तियों में सभी ओपरेटिंग परिसंत्तियां शामिल हैं जिसमें नेट स्थिर परिसंपत्तियां तथा वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम इत्यादि शामिल हैं। कारेपोरेट तथा निर्माण से संबंधित परिसंपत्तियों को अनअलोकेटिड सेग्मेंट्स में शामिल किया गया है। सेग्मेंट देयताओं में संबंधित सेग्मेंट की देयताएं तथा प्रावधान शामिल हैं।

सेग्मेंट राजस्व परिणाम **(31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)**

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	265.98	0.91	-	-	-	-	5.66	272.55
भारत से बाहर	-	-	-	-	-	-	-	-
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	265.98	0.91	-	-	-	-	5.66	272.55
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	11.14	0.11	-	-	-	-	3.01	14.26
भारत से बाहर	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सेग्मेंटनल परिणाम अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :	11.14	0.11	-	-	-	-	3.01	14.26
ब्याज व्यय (नेट)								26.77
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								(1,291.67)
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								1,279.16

(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	6,013.01	30.33	0.01	751.09	75.60	1,459.83	28.53	8,358.41
भारत से बाहर	-	-	25.98	-	-	-	8.89	34.88
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	6,013.01	30.33	26.00	751.09	75.60	1,459.83	37.42	8,393.29
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	27.73	0.18	0.01	547.84	2.74	10.11	3.27	591.88
भारत से बाहर	-	-	1.26	-	-	-	0.37	1.63
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	27.73	0.18	1.27	547.84	2.74	10.11	3.64	593.51
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								201.65
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								271.26
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								120.60

परिसंपत्तियों व देयताओं का सेग्मेंट

(31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 **सेग्मेंट परिसंपत्तियां**								
परिसंपत्तियां	26.20	10.13	23.25	1,145.67	204.41	31.39	415.98	1,857.03
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								1,416.34
कुल परिसंपत्तियां								3,273.37
ए.02 सेग्मेंट देयताएं								
देयताएं	55.88	11.66	23.33	1,344.48	250.22	22.65	11.32	1,719.54
अनअलोकेटिड देयताएं								289.00
कुल देयताए								2,008.54

(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 **सेग्मेंट परिसंपत्तियां**								
परिसंपत्तियां	87.55	7.73	23.58	3,695.73	200.32	18.26	416.46	4,449.63
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								313.33
कुल परिसंपत्तियां								4,762.96
ए.02 सेग्मेंट देयताएं								
देयताएं	109.54	24.20	26.66	1,353.66	268.16	31.33	17.35	1,830.90
अनअलोकेटिड देयताएं								2,738.66
कुल देयताए								4,569.56

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

बाहरी एकल ऐसे ग्राहकों, जिनके साथ हुए लेनदेन में कंपनी को कुल राजस्व का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, के बारे में सूचना नीचे दी गई है ।

प्रमुख ग्राहक (ग्राहक जिसका 10 प्रतिशत से अधिक राजस्व है)	2022-23	2021-22
कुल राजस्व	147.56	1458.90
ग्राहकों की संख्या	1	1
कुल राजस्व का प्रतिशत	54.14%	17.38%
उत्पाद सेग्मेंट	कीमती धातु	उर्वरक

42. भारतीय लेखा मानक 24"संबंधित पार्टी प्रकटन" के संबंध में प्रकटन

42.1 गैर–सरकारी संबंधी संगठन के लिए प्रकटन

ए. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों की सूची

नाम	पदनाम
I. श्री विभु नायर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (01.03.2022 से 31.08..2022 तक)
ii. श्री हरदीप पुरी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (27.10.2022 से)
iii. श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी)
iv. श्री जे. रवि शंकर	निदेशक
v. श्री आर. आर. सिन्हा	निदेशक(कार्मिक)

बी) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

सी) संयुक्त उद्यम

i. फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
ii. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
iii. एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
iv. सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

डी. सरकार तथा इससे संबंधित संगठन

I. भारत सरकार के पास कंपनी के 89.93 प्रतिशत इक्विटी शेयर्स हैं तथा उसका कंपनी पर नियंत्रण है।
ii. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिस पर भारत सरकार का नियंत्रण है।

ई. रोजगारोपरांत लाभ योजना

I. एमएमटीसी लिमिटेड सीपीएफ ट्रस्ट
ii. एमएमटीसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट
iii. एमएमटीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट
iv. एमएमटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट

एफ. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों के लिए मुआवजा **(रुपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ	1.21	1.08
रोजगारोपरांत लाभ	0.31	0.28
अन्य दीर्घावधि लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
ट्रमिनेशन लाभ	-	-
कुल	**1.51**	**1.36**
वर्ष के दौरान ऋणों व अग्रिमों की वसूली	-	0.00
वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम		
31.03.2023 को ऋणों व अग्रिमों का अंतिम शेष	-	0.00

जी. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		अन्य	
	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22
माल एवं सेवाओं की बिक्री	-	-	-	2.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कच्चे माल/वस्तु तथा सेवाओं की खरीद	-	-	8.92	78.54	-	-	-	-	-	0.91	-	232.36	-	-	-	-
कंपनी की ओर से भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.30	88.05
अन्य लेन–देन	-	-	-	-	-	-	-	-	7.72	37.18	-	1.49	-	-	31.38	19.47

एच. वस्तु/सेवाओं की बिक्री/खरीद से उत्पन्न बकाया शेष

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22
देय व्यापार	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-

आई. संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिया गया अग्रिम ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त/समायोजित अदायगी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जे. संयुक्त उद्यमों को दिए गए अग्रिम

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि.		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		हाल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		कांडला फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22	मार्च /23	मार्च /22
दिए गए अग्रिम	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3ए463ण11	.	.	.	.	.	.

के. आईएण्डडी एस 27 के अनुसार, अलग वित्तीय विवरण का प्रकटन

ए) सहायक कंपनी में निवेश

कंपनी का नाम	निगमन का देश	स्वामित्ववाली कंपनी का प्रतिशत	
		मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड	सिंगापुर	100%	100%

बी) संयुक्त उद्यम में निवेश

कंपनी का नाम	निगमन का देश	स्वामित्ववाली कंपनी का प्रतिशत	
		मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
1. फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	भारत	50	50
2. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	भारत	26	26
3. सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	भारत	26	26
4. एमएमटीसी गीताजंलि लि.	भारत	26	26

एल. केएमपी को ऋण

विवरण	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	-	-
दिया गया अग्रिम ऋण	-	-
प्राप्त अदायगी	-	-
लगाया गया ब्याज	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	-	-

एम. संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण अल्पावधि के होते हैं तथा केएमपी को दिए गए वेलफेयर अग्रिम की प्रकृति के होते हैं। इन पर लिया जाने वाला ब्याज समय–समय पर प्रचलित बाजार दरों पर होता है।

एन. सरकार तथा सरकारी संगठनों के साथ हुए लेन–देन का प्रकटन

क्र. सं.	सरकार/सरकारी संगठन का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	मूल्य	बकाया शेष 31.03.2023 को	
					प्राप्य	देनदारियां
1	उर्वरक विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की बिक्री	-	11.89	-
2	उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	दालों का आयात	-	-	36.03
3	भारत सरकार के अन्य विभाग	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	154.89	13.70	0.32
4.	सीपीएसईज	भारत सरकार के माध्यम से	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	18.18	1.65	5.57

42.2 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–116 "लीज" के संबंध में प्रकटन

42.3 पट्टेदार के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़

(करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	संपत्ति के उपयोग के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.41	0.43
2	पट्टे देनदारी पर ब्याज खर्च	1.01	0.33
3	अल्पावधि पट्टे पर खर्च	-	-
4	कम मूल्य संपत्ति पर खर्च	-	-
5	पट्टा देनदारी के माप खर्च रहित विभिन्न पट्टा भुगतान से संबंधित खर्च		
6	संपत्ति उपयोग के पट्टा उधार अधिकार से प्राप्त आय	-	-
7	पट्टे के लिए नकद का कुल बर्हिगमन	0.91	0.72
8	संपत्ति के उपयोग के अधिकार के अलावा	0.90	0.01
9	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति के उपयोग के अधिकार के कैरिंग राशि	2.84	3.14

पट्टे देनदारी की परिपक्वता विश्लेषण (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	0.13	0.11
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	0.59	0.42
5 वर्षों के बाद	4.46	3.12

सी) कंपनी अपने व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार का प्रयोग कर रही है।

डी) आईएण्डडी एएस – 116 (पट्टे) के प्रावधान के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से, कम अवधि वाले पट्टे (12 महीने या उससे कम समय के लिए) और पट्टे जिसकी परिसंपत्ति कम मूल्य रू. 1,00,000/– प्रति महीने और रूपये 12,00,000/– प्रति वर्ष तक के हैं मान्य नहीं किए जाते हैं।

42.4 पट्टादाता के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़

रद्द न किए जाने वाले आपरेटिंग पट्टों के तहत भावी न्यूनतम लीज़ प्राप्य (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के अंदर	2.90	1.73
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	1.82	2.16
5 वर्षों के बाद	-	-

43. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–33 "प्रति शेयर अर्जन(ईपीएस)" के संबंध में प्रकटन

ए. बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस

बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस तथा बेसिक ईपीएस की गणना में साधारण शेयरों की संख्या में निम्नलिखित औसत आय व अधिमान अपनाया गया : (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के स्वामियों को वर्ष के दौरान हुए लाभ (हानि)	**1,076.07**	**(237.77)**
प्रति शेयर बेसिक आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की वेटिड औसत	1,500,000,000	1,500,000,000
बेसिक व डायल्युटिड ईपीएएस (रू. में)	**7.17**	(1.59)

44. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटन

(रुपए करोड़ में)

प्रावधान के विवरण	01.04.22 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	31.03.23 को अंतिम शेष
बोनस/पीआरपी	3.25	0.12	0.03	3.16
मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधान	1067.39	(5.26)	1.87	1,074.52

45. सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के विवरण, जिनके बकाये के 31 मार्च 2023 के अनुसार कंपनी देनदार है, निम्न है :

(करोड़ में)

		2022-23	2021-22
ए.	(I) लेखा–वर्ष की समाप्ति में किसी आपूर्तिकर्ता की शेष अदत्त मूलधन राशि	1.25	0.28
	(ii) उपरोक्त पर देय व्याज	-	-
	कुल (i) और (ii) (नोट 18 व 19 के अंतर्गत सम्मिलित)	1.25	0.28
बी	अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई व्याज की राशि	-	-
सी)	भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए देय व्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान अंतिम तिथि के बाद किया गया है) परंतु कानून के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए व्याज को बिना जोड़े किया गया है	-	-
डी)	प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर प्रोद्भूत और शेष देय ब्याज की राशि	0.01	-
ई)	अनुवर्ती वर्षों में भी आगे का व्याज की राशि शेष और भुगतान करना है, अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती की गई खर्च की अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए जब तक लघु उद्यम को उक्त व्याज राशि वास्तविक में भुगतान किया गया है।	-	-

46. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–115 'ग्राहकों के साथ हुई संविदा से राजस्व' के बारे में प्रकटन
प्रकटन

ए(1) ग्राहकों के साथ संविदाएं

ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से निम्नलिखित को प्राप्त राजस्व माना हैः

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	**267.09**	7836.28
सेवाओं की बिक्री	**4.68**	4.50
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	**0.00**	0.15
–सब्सिडी	-	-
–अर्जित डिस्पैच	-	-
–अन्य व्यापार आय	**0.78**	552.36
कुल	**272.55**	**8393.29**

बी. कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि अथवा ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली संविदा परिसंपत्तियों के विरूद्ध होने वाली हानि की राशि माना गया है, जो निम्नानुसार हैः–

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
हानि की क्षति	–	–

(ii) राजस्व का विभाजन

कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट की खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोल व हाईड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार/अन्य के रूप मे पहचान की है। ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से अर्जित हुए सेगमेंटवाइज राजस्व तथा उसका कुल राजस्व में अनुपात निम्नानुसार हैः–

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत
बहुमूल्य धातुए	**265.98**	**97.57%**	6013.01	71.64%
धातुएं	**0.91**	**0.33%**	30.33	0.36%
खनिज	**-**	**0.00%**	26.00	0.31%
कोल व हाइड्रोकार्बन	**-**	**0.00%**	751.09	8.95%
कृशि उत्पाद	**-**	**0.00%**	75.60	0.90%
उर्वरक	**-**	**0.00%**	1459.83	17.39%
अन्य	**5.66**	**2.08%**	37.42	0.45%
कुल	**272.55**	**100%**	8393.29	100%

(iii) (ii) संविदा शेष

(ए) प्राप्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
आरंभिक शेष	**525.22**	945.71
वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी	**(0.96)**	(420.49)
अंतिम शेष	**524.26**	**525.22**

बी) संविदा परिसंपत्तियां

कंपनी संविदा परिसंपत्तियों की पहचान तब करती है जब इसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि इसने ग्राहक को माल अथवा सेवाओं के ट्रांसफर करने के दायित्व को पूरा कर दिया है तथा प्रतिफल के प्राप्त होने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है। इसके लिए कंपनी को प्रतिफल प्राप्त होने से पूर्व कुछ शर्ते पूरी करनी होती है। एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी को अपने ग्राहकों को उस माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करना होता है जिसके लिए इसने अपनी वचनबद्धता दी है। कंपनी की ऐसी कोई देयता नहीं है जिसको इसने पूरा नहीं किया है।

सी) संविदा देयताएं

ग्राहकों के साथ संविदा हो जाने के बाद कंपनी को ग्राहकों से प्राप्त होने वाली ईएमडी, सिक्युरिटी डिपोजिट, मार्जिन राशि, कस्टम डयूटी इत्यादि के भुगतान के लिए एडवांस को ''अन्य वित्तीय देयताएं तथा अन्य देनदारियों '' के अंतर्गत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

(करोड रू.में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक शेष	**364.98**	462.26
जोड़ें :वर्ष के दौरान वृद्धि	28.26	26.41
घटाएंः कटौती (रिफंड/समायोजन)	**109.95**	108.40
घटाएंः राजस्व जिसे वर्ष के दौरान आरंभिक शेष का हिस्सा माना गया है	**-**	15.28
अंतिम शेष	**283.29**	**364.98**

वर्ष के दौरान पूर्व अवधि से संबंधित ग्राहकों को डेबिट/क्रेडिट नोट्स बनाकर कार्यनिष्पादन की देयता को पूरा किया हुआ दिखाकर राजस्व की प्राप्ति 'शून्य' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रूपए) दर्शाया गया है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान डिस्काउंट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य छूट, कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन बोनस इत्यादि की राशि राजस्व में शून्य" करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) माना है जिसके लिए संविदा राजस्व के विरूद्ध शून्य" करोड' रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) का समायोजन किया है।

(डी) व्यवहारिक दृष्टिकोण

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ कुछ ऐसी बिक्री संविदाएं की है जिनके कुछ हिस्से का निष्पादन किया जाना शेष है, इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार की संविदा की अवधि एक वर्ष से कम है अथवा प्रतिफल की प्राप्ति का अधिकार कंपनी द्वारा परफार्मेस पूरी करने के बाद उत्पन्न होगा।

(बी) इस मानक के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण निर्णय

(i) कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान उस स्थिति में की जाती है जब कंपनी अपने ग्राहकों के साथ किए गए वादे के अनुसार माल अथवा सेवा देने के कार्य को पूरा करती है। परिसंपत्ति/माल सेवाओं को तब ट्रांसफर किया हुआ माना जाता है जब ग्राहक संबंधित परिसंपत्ति/माल/सेवाओं पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

(ii) कंपनी अपने लेन देन के मूल्य का निर्धारण अनुबंध की शर्तों तथा परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार करती है। लेन देन का मूल्य वह प्रतिफल होता है जो एक कंपनी ग्राहक को वादे के अनुसार माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करने के बाद अधिकार प्राप्त करती है। इस मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से प्राप्त की गई राशि(उदाहरणार्थ जीएसटी इत्यादि) शामिल नहीं होती है ।

(iii) ग्राहक के साथ तय की गई संविदा में तय किए गए प्रतिफल की राशि निश्चित अथवा परिवर्तनशील अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि इसमें किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ग्राहक के नाम पर डेबिट/क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिफल की स्थिति में लेनदेन मूल्य पर पडने वाले प्रभाव का निर्धारण करते समय परिवर्तनशील प्रतिफल के अनुमान संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय कम्पोनेंट, गैर नकदी प्रतिफल तथा ग्राहक को देय प्रतिफल पर भी विचार किया जाता है।

(iv) वर्ष के दौरान संविदा के मूल्य में कुछेक समायोजन किए गए हैं जो राशि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष महत्व के नहीं है।

सी. ग्राहक के साथ की गई संविदा को प्राप्त करने अथवा उसे पूरा करने की लागत को परिसंपत्ति माना गया।

एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि निश्चित प्रकृति की होती है अतः ग्राहक के साथ की जाने वाली संविदा अथवा संविदा के दायित्व को पूरा करने में इस राशि में कोई बढोत्तरी नहीं होती है। इस स्थिति में एक प्रेक्टिकल दृष्टिकोण के तहत लाभ तथा हानि विवरण में शमिल किया जाता है।

47. कंपनी के नाम पर अचल संपत्ति के टाइटल डीडः

तुलन पत्र में संबंधित लाईन मद	परिसंपति की मद का विवरण	सकल कैरिंग मूल्य	नाम पर टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर के कर्मचारी, प्रमोटर/निदेशक के रिश्तेदार हैं	परिसंपति किस तिथि/आबंटन तिथि से स्वामित्व में है	कंपनी के नाम नही होने का कारण
पीपीई	भूमि	1.04	स्कोप, नई दिल्ली	-	13.12.2000	स्कोप का एसएंडडीओ के साथ लीज एग्रीमेंट किया जाना बाकी है
पीपीई	भवन	5.74	स्कोप, नई दिल्ली	-	13.12.2000	स्कोप का एसएंडडीओ के साथ लीज एग्रीमेंट किया जाना बाकी है

48. पूर्व अवधि त्रुटि

विवरण			
ईक्विटी ओर देयताएंः	समायोजन से पूर्व राशि	समायोजन	समायोजित मूल्य
31.03.2023 को (सिक्योरिटी जमा और ईएमडी)	10.14	(0.25)	9.89
परिसंपतियां			
31.03.2023 को समाप्त वर्ष(सकल ब्लाक)	3.95	0.16	4.11
31.03.2023 को समाप्त वर्ष(लेखा मूल्यह्रास)	3.96	0.03	3.99
वित्तीय परिणामों की राशि			
लाभ व हानि की मदें			
31.03.2023 को समाप्त वर्ष(विविध रसीदें)	3.92	0.25	4.17
31.03.2023 को समाप्त वर्ष(विविध व्यय)	2.96	(0.16)	2.80
31.03.2023 को समाप्त वर्ष(अमोर्टाइजेशन)	0.14	0.03	0.17

49. वित्तीय अनुपातः

विवरण	न्यूमरेटर	डिनोमिनेटर	31.3.23 को राशि	31.3.23 को राशि
चालू अनुपात(गुणक में)[1]	चालू परिसंपतियां	चालू देयताएं	1.52	0.87
डेट ईक्विटी अनुपात(गुणक में)[1]	कुल डेट	भोयरहोल्डर ईक्विटी	0.03	13.19
डेट सर्विस कवरेज अनुपात(गुणक में)[1]	डेट सर्विस के लिए उपलब्ध अर्जन	डेट सर्विस	10.71	(0.13)
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न(% में) [2]	कर के बाद शुद्ध लाभ	औसत भोयरहोल्डर्स इक्विटी	1.48	(0.77)
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात(गुणक में)[3]	नेट क्रेडिट क्रय	औसत व्यापार प्राप्य	0.98	14.31
शुद्ध लाभ अनुपात (%में)[2]	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	3.96	(0.03)
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%में)[2]	ब्याज और कर से पूर्व अर्जन	नियोजित पूंजी	1.06	0.12
निवल पूंजी कारोबार अनुपात(गुणक में)[4]	शुद्ध बिक्री	कार्यशील पूंजी	0.27	(13.52)
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (गुणक में)[4]	नेट क्रेडिट बिक्री	औसत लेखा प्राप्य	2.02	22.70
निवेश पर रिटर्न(% में)[5]	निवेश से आय	समय भारित औसत निवेश	3.23	1.53
इंवेन्ट्री टर्नओवर अनुपात(गुणक में)[4]	बेचे गये या बिके सामान की लागत	औसत इंनेन्ट्री	17.56	207.88

1 देय उधार का पुनर्भगुतान
2 निवेश बिक्री पर लाभ के कारण
2 वर्ष के दौरान खरीद में कमी के कारण।
3 वर्ष के दौरान बिक्री में कमी के कारण।
4 वर्ष के दौरान सावधि जमा से व्याज आय में कमी के कारण

50. अन्य वैधानिक सूचना–

ए) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

बी) कंपनी का बंद कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है

सी) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक आरओसी के साथ वैधानिक अवधि के बाद पंजीकृत नहीं है

डी) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है

ई) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) को इस सोच के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थः
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें उधार दे या
अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

एफ) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनीः

–प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या किसी भी तरह से पहचान में उधार या निवेश करें या

–अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की अन्य सुविधाएं प्रदान करें

जी) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार कंपनी का ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं है।

एच) कंपनी अधिनियम की धारा 2(87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या के उल्लंघन में नहीं है

आई) कंपनी अधिनियम की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यवस्था की योजना में शामिल नहीं हुई है

जे) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है

51. कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, लघु और दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, अन्य गैर–चालू और चालू संपत्ति के खाते पुष्टि / समाधान और समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। प्रबंधन चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों को प्रभावित करने वाले किसी भी ठोस अंतर की अपेक्षा नहीं करता है।

प्रबंधन की राय में, संपत्ति संयंत्र और उपकरण के अलावा अन्य संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और गैर–चालू निवेश से उस राशि की वसूली की उम्मीद की जाती है जिस पर उन्हें बताया गया है, अगर व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में और सभी ज्ञात देनदारियों के प्रावधान के लिए लेखा पुस्तकों में पर्याप्त रूप से किया गया है।

52. कंपनी ने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में निम्नानुसार कुछ बदलाव किए हैः

(i) लेखांकन नीति सं. 2.4 i) "माल की बिक्री से राजस्व प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न और भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के शुद्ध मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व को तब शामिल किया जाता है जब कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और ग्राहक उस पर नियंत्रण प्राप्त करता है और यह संभव है कि कंपनी उस प्रतिफल को लेगी जिसके लिए वह सामान के बदले में हकदार है या सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित की जाती हैं" को निम्न से बदल दिया गया हैः

"निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए राजस्व का उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य (परिवर्तनीय प्रतिफल का शुद्ध) की मात्रा पर मापा जाता है। बेची गई वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का लेन–देन मूल्य अनुबंध के हिस्से के रूप में कंपनी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छूटों और योजनाओं के कारण परिवर्तनीय प्रतिफल है।"

(ii) लेखांकन नीति संख्या 2.21 i) "किसी भी सीधे आरोप्य लेनदेन लागत सहित" को एफवीटीपीएल में दर्ज नहीं की गई वित्तीय संपत्तियों के मामले में "प्लस" शब्द जोड़ने के लिए, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण लेनदेन लागत।" से बदल दिया गया है,

(iii) लेखांकन नीति संख्या 2.21 i) सी) "प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लेनदेन लागत" को बदलकर "एफवीटीपीएल में दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए आरोप्य लेनदेन लागत, हालांकि व्यापार प्राप्य है, हालाकि, इसमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है जिसे लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है" कर दिया गया है।"

जैसा कि ऊपर बताया गया है, उपरोक्त परिवर्तनों को छोड़कर कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

53. सार्वजनिक उद्यम विभाग (जीओआई) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार फुल–टाईम निदेशकों को प्रति माह 1,000 किमी तक निजी उपयोग के लिए स्टाफ कारों के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

54. संलग्न लेखा नीतियां तथा नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है ।

55. वित्तीय विवरणों में राशि प्रति शेयर डेटा को छोड़कर और अन्यथा बताए अनुसार करोड़ (दो दशमलव तक) में प्रस्तुत की जाती है। कुछ छोटी राशियाँ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं हो सकती हैं। पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

56. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें दिनांक 30.05.2023 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृते एम. एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 00002312 एन

(सीए. आर. सी. गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584 095584

(अजय कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव
एसीएस-11499

(ज्योति प्रकाश)
अपर महाप्रबंधक(वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन 08751137

दिनांक : 30.05.2023
स्थान : नई दिल्ली

(जे रवि शंकर)
निदेशक (विपणन)
डीआईएन 06961483

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09778990

निदेशकों का कथन और
लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या : 199407265एम)

31 मार्च 2023

TKNP INTERNATIONAL

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकों को 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड ("कंपनी") के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ सदस्यों को अपना विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें एकमात्र कॉर्पोरेट शेयरधारक शामिल है ।

1. निदेशकों की राय

निदेशकों की राय में,

(i) कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं ताकि 31 मार्च 2023 को कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकदी प्रवाह में समाप्त वर्ष के लिए एक सही और निष्पक्ष परिदृश्य प्रस्तुत किया जा सके; तथा

(ii) इस कथन की तिथि पर, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि कंपनी जब भी देय हो गए अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम होगी

2. निदेशक गण

इस कथन की तिथि को कार्यालय में कंपनी के निम्नलिखित निदेशक हैंः

देवाशीष नायक
राजीव रंजन सिन्हा
रवि शंकर जनार्दन
थिम्मासारथी श्रीनिवास राव

3. निदेशकों को शेयर या डिबेंचर हासिल करने में सक्षम बनाने की व्यवस्था

न तो अंत में और न ही वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी किसी भी व्यवस्था के लिए एक पार्टी थी जिसका उद्देश्य है, या जिसका उद्देश्य कंपनी के निदेशकों को शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, या कंपनी या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के डिबेंचर।

4. शेयरों या डिबेंचर में निदेशकों की रुचियां

सिंगापुर कंपनी अधिनियम 1967 ("अधिनियम") की धारा 164 के तहत कंपनी द्वारा रखे गए निदेशकों की शेयरधारिता के रजिस्टर के अनुसार, कंपनी के निदेशक, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यालय में थे, शेयरों में कोई रुचि नहीं थी या वित्तीय वर्ष की शुरुआत या अंत में कंपनी और उसके संबंधित निगमों के डिबेंचर।

5. शेयर विकल्प

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के गैर–निर्गमित शेयरों की सदस्यता के लिए कोई शेयर विकल्प नहीं दिया गया था।

कंपनी के गैर–निर्गमित शेयरों को लेने के विकल्पों के प्रयोग के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शेयर जारी नहीं किए गए थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में विकल्प के तहत कंपनी के कोई भी गैर–निर्गमित शेयर नहीं थे।

6. लेखा परीक्षक

ऑडिटर्स, टीकेएनपी इंटरनेशनल, पब्लिक अकाउंटेंट्स और सिंगापुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ऑडिटर के रूप में फिर से नियुक्ति को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की है।

निदेशक मंडल की ओर से,

....	....
थिम्मासारथी श्रीनिवास राव	**देवाशीष नायक**
निदेशक	निदेशक

दिनांकः 22.05.2023

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

स्वतंत्र लेखपरीक्षकों की रिपोर्ट
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

एमएमटीसी ट्रांसनैशनल पीटीई लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। लिमिटेड (कंपनी), जिसमें 31 मार्च 2023 तक वित्तीय स्थिति का विवरण, और लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस वर्ष समाप्त होने वाले नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं।

हमारी राय में, साथ में वित्तीय विवरण सिंगापुर कंपनी अधिनियम 1967 ("अधिनियम") और सिंगापुर में वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एफ़आरएस) के प्रावधानों के अनुसार ठीक से तैयार किए गए हैं ताकि वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके। 31 मार्च 2022 को कंपनी की स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन को दर्शाता है।

राय के लिए आधार

हमने सिंगापुर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसएसए) के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम लेखा और कॉर्पोरेट नियामक प्राधिकरण (एसीआरए) के व्यावसायिक आचरण और सार्वजनिक लेखाकारों और लेखा संस्थाओं (एसीआरए कोड) के लिए नैतिकता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। सिंगापुर, और हमने इन आवश्यकताओं और एसीआरए कोड के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य सूचना

अन्य जानकारी के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में पृष्ठ 1 से 2 पर दिए गए निदेशकों का विवरण शामिल है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी, या अन्यथा भौतिक रूप से प्रतीत होती है गलत बताया यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशकों की जिम्मेदारियां

प्रबंधन वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम और एफआरएस के प्रावधानों के अनुसार एक सही और निष्पक्ष दृश्य देता है, और एक उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक लेखा नियंत्रण की एक प्रणाली तैयार करने और बनाए रखने के लिए कि संपत्ति को नुकसान के खिलाफ सुरक्षित किया जाता है। अनधिकृत उपयोग या स्वभाव से; और लेन–देन उचित रूप से अधिकृत हैं और उन्हें सही और निष्पक्ष वित्तीय विवरण तैयार करने और परिसंपत्तियों की जवाबदेही बनाए रखने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चल रहे चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता के आधार का उपयोग करना है। संचालन या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशकों की जिम्मेदारियों में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करना शामिल है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर शंका बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी कारोबारी के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में निदेशकों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हमारी राय में, अधिनियम द्वारा कंपनी द्वारा रखे जाने वाले लेखांकन और अन्य अभिलेखों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से रखा गया है।

इस स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में संलग्न भागीदार ओंग लियन वान है।

टीकेएनपी इंटरनेशनल
सार्वजनिक लेखाकार और
चार्टर्ड अकाउंटेंट
सिंगापुर

दिनांक: 22.05.2023

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	नोट	2023	2022
		यूएस$	यूएस$
परिसंपत्तियां			
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	4	**895**	1,868
उपयोग का अधिकार संपत्ति	5	**184,837**	87,821
अन्य परिसंपत्तियां	6	**28,006**	27,265
		213,738	116,954
वर्तमान संपत्ति			
नकद और नकदी के समतुल्य	7	**3,844,372**	18,624,350
व्यापार और अन्य प्राप्तियां	8	**32,978,958**	35,203,691
		36,823,330	53,828,041
कुल संपत्ति		**37,037,068**	53,944,995
देयताएं और इक्विटी			
गैर चालू देयताएं			
लीज देयताएं	12	**95,909**	-
वर्तमान देनदारियां			
व्यापार और अन्य देनदारियां	9	**12,151,512**	35,070,243
अन्य देनदारियां	10	**289,508**	3,247,358
उधारी	11	**18,638,880**	9,269,000
लीज देनदारियां	12	**88,928**	90,629
आयकर खर्च		**94,695**	102,513
		31,263,523	47,779,743
कुल देयताएं		**31,359,432**	47,779,743
ईक्विटी			
शेयर पूंजी	13	**1,000,000**	1,000,000
प्रतिधारित कमाई		**4,677,636**	5,165,252
		5,677,636	6,165,252
कुल देनदारियां और इक्विटी		**37,037,068**	53,944,995

वित्तीय स्टेटमेंट के लिए साथ देने वाले नोट देखें

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	नोट	2023 यूएस$	2022 यूएस$
राजस्व आय	14	**405,149,441**	456,575,465
अन्य आय	15	**79,891**	254,520
विदेशी मुद्रा अंतर		**(7,555)**	(8,286)
खर्च और लागत			
– वस्तुओं की खरीद		**395,596,006**	446,209,592
– माल ढुलाई लागत		**6,785,850**	8,259,362
– कर्मचारी मुआवजा	16	**642,281**	658,866
– संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	4	**1,302**	2,782
– उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास	5	**87,821**	87,821
– बैंक शुल्क		**240,382**	316,954
– वित्तीय खर्च	17	**1,196,065**	400,818
– अन्य खर्चे	18	**65,529**	70,300
		(404,615,236)	(456,006,495)
कर पूर्व लाभ		**606,541**	815,204
आयकर खर्च	**19**	**(94,157)**	(124,720)
वर्ष के लिए लाभ, वर्ष के लिए व्यापक कुल आय का प्रतिनिधित्व		**512,384**	690,484

वित्तीय स्टेटमेंट के लिए साथ देने वाले नोट देखें

	नोट	शेयर पूंजी यूएस$	प्रतिधारित अर्जन यूएस$	कुल यूएस$
1 अप्रैल 2021 को		1,000,000	9,474,768	10,474,768
लाभांश प्रदत्त	21	-	(5,000,000)	(5,000,000)
वर्ष के लिए लाभ, वर्ष के लिए व्यापक कुल आय का प्रतिनिधित्व		-	690,484	690,484
31 मार्च 2022 को		1,000,000	5,165,252	6,165,252
1 अप्रैल 2022		1,000,000	5,165,252	6,165,252
प्रदत्त ब्याज	21	-	(1,000,000)	(1,000,000)
वर्ष के लिए लाभ, वर्ष के लिए व्यापक कुल आय का प्रतिनिधित्व		-	512,384	512,384
31 मार्च 2023		1,000,000	4,677,636	5,677,636

वित्तीय स्टेटमेंट के लिए साथ देने वाले नोट देखें

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	नोट	2023 यूएस$	2022 यूएस$
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़			
कर देने से पूर्व लाभ		**606,541**	815,204
के लिए समायोजनः			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	4	**1,302**	2,782
उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास	5	**87,821**	87,821
विदेशी मुद्रा		**(1,511)**	2,941
ब्याज व्यय	17	**1,196,065**	400,818
ब्याज आय	15	**(67,102)**	(53,308)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**1,823,116**	1,256,258
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनः			
व्यापार और अन्य प्राप्तियों में कमी		**2,224,733**	2,831,635
अन्य संपत्तियों में(वृद्धि)			(189)-
व्यापार और अन्य देय प्राप्यों में (कमी)/वृद्धि		**(22,918,731)**	3,069,007
अन्य देयताओं में (कमी)/वृद्धि		**(2,957,850)**	3,247,358
उधारी से आय		**9,369,880**	1,942,516
परिचालन से उत्पन्न नकद(यूज्ड इन)		**(12,459,041)**	12,346,774
आयकर का भुगतान		**(124,181)**	(223,952)
आयकर रिफंड			22,207-
ब्याज भुगतान		**(1,194,836)**	(396,958)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी		**(13,755,851)**	11,725,864
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण	4	**(329)**	(1,341)
प्राप्त ब्याज		**67,102**	53,308
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी		**66,773**	51,967
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
लाभांश का भुगतान	21	**(1,000,000)**	(5,000,000)
जमा गिरवी	A	**500,372**	4,682,157
साख पत्र पर मार्जन		**14,189,475**	(12,189,475)
लीज देयताओं का पुर्नभुगतान	A	**(89,671)**	(87,940)
ब्याज भुगतान		**(1,229)**	(3,860)
निवल नकद (में इस्तेमाल) वित्तीय गतिविधियां		**13,598,947**	(12,599,118)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध(कमी)		**(90,131)**	(821,287)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**212,102**	1,033,389
साल के अंत में नकद और नकद समकक्ष	7	**121,971**	212,102

नोट एः
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का मिलान इस प्रकार हैः

			गैर–नकद परिवर्तन				
	1 अप्रैल 2022	**नकदी प्रवाह**	**ब्याज खर्च**	**अधिग्रहण**	**हितों की वृद्धि**	**विदेशी मुद्रा**	**31 मार्च 2023**
	यूएस$	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**
उधारी	9,269,000	9,369,880	(1,194,836)	-	1,194,836	-	18,638,880
लीज देनदारियां	90,629	(89,671)	(1,229)	184,837	1,229	(958)	184,837
गिरवी रखी गई सावधि जमा	4,222,773	(500,372)	-	-	-	-	3,722,401

						गैर–नकद परिवर्तन	
	1 अप्रैल 2021	**नकदी प्रवाह**	**ब्याज खर्च**	**अधिग्रहण**	**हितों की वृद्धि**	**विदेशी मुद्रा**	**31 मार्च 2022**
	यूएस$	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**	**यूएस$**
उधारी	7,326,484	1,942,516	(396,958)	-	396,958	-	9,269,000
लीज देनदारियां	-	(87,940)	(3,860)	175,642	3,860	2,927	90,629
गिरवी रखी गई सावधि जमा	(8,904,930)	4,682,157	-	-	-	-	4,222,773

वित्तीय स्टेटमेंट के लिए संलग्न नोट देखें
ये नोट एक अभिन्न हिस्सा है और इन्हें संलग्न वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

1. कॉरपोरेट जानकारी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड ("कंपनी") एक निजी कंपनी है जो शेयरों द्वारा सीमित है जो सिंगापुर में निगमित और अधिवासित है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और व्यवसाय का प्रमुख स्थान 3 रैफल्स प्लेस, 08–01, भारत बिल्डिंग, सिंगापुर 048617 पर स्थित है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियाँ खनिज, धातु, उर्वरक, कृषि उत्पाद, कोयला, सोना और हाइड्रोकार्बन उत्पाद, आभूषण और अन्य वस्तुओं का व्यापार करना है। वित्तीय वर्ष के दौरान इन गतिविधियों की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

तत्काल और अंतिम होल्डिंग कंपनी एमएमटीसी लिमिटेड है, जिसे भारत गणराज्य में स्थापित किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

2.1) तैयारी का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण सिंगापुर में वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों ("एफआरएस") के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में बताए गए के अनुसार।

वित्तीय विवरण यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ("यूएस डालर") में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

एफआरएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अपने निर्णय का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों और मान्यताओं के उपयोग की भी आवश्यकता होती है। हालांकि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, वास्तविक परिणाम अंततः उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों में अनुमान और अनुमान वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण हैं, उन्हें वित्तीय विवरणों के नोट 3 में प्रकट किया गया है।

2.2) नए और संशोधित मानकों और व्याख्याओं को अपनाना

अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वित्तीय वर्ष के अनुरूप हैं, सिवाय इसके कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में, कंपनी ने सभी नए और संशोधित एफआरएस को अपनाया है जो प्रासंगिक एफआरएस में बताई गई प्रभावी तिथि से अनिवार्य हैं।

2.3) मानक जारी किया गया लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है

	आरंभ में या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी
• एफआरएस 1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में संशोधनःचालू या गैर चालू के रूप में देयताओं को वर्गीकरण	1 जनवरी 2023
• एफआरएस 1 वित्तीय विवरणों और एफआरएस प्रेक्टिस विवरण 2 में संशोधनः लेखा नीतिओं को प्रकटन	1 जनवरी 2023
• एफआरएस 8 लेखा नीतिओं, लेखा आकलन और ऋुटियों में परिवर्तनः लेखा आकलनों की परिभाषा	1 जनवरी 2023
• एफआरएस 12 आयकर में संशोधनः एकल लेनदेन से निकली परिसंपतियों और देयताओं से संबंधित आस्थगित कर	1 जनवरी 2023
• एफआरएस 117 बीमा कांट्रेक्ट	1 जनवरी 2024
• एफआरएस 116 लीज में संशोधनः बिक्री और लीजबेक में लीज देयता	1 जनवरी 2024
• एफआरएस 1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति संविदा के साथ गैर चालू देयताएं	1 जनवरी 2024
• ,फआरएस 110 समेकित वित्तीय विवरण और एफआरएस 28 एफआरएस 28 एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश में संशोधन : एक निवेशक और उसके सहयोगी या संयुक्त उद्यम के बीच संपत्ति की बिक्री या योगदान	1 जनवरी 2024

निदेशकों को उम्मीद है कि उपरोक्त मानकों को अपनाने से प्रारंभिक आवेदन के वर्ष में वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2.4) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सभी वस्तुओं को शुरू में लागत पर दर्ज किया जाता है। मान्यता के बाद, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत कम संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि पर मापा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में इसकी खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल होती है जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक होती है। यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्राप्त करने या उपयोग करने के परिणामस्वरूप विघटन, हटाने या बहाली की बाध्यता होती है, तो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के हिस्से के रूप में विघटन, हटाने या बहाली की लागत शामिल होती है।

मूल्यह्रास की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास राशि आवंटित करने के लिए स्ट्रेट लाइन मैथड का उपयोग करके की जाती है। अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार हैं :

	उपयोगी जीवन
लीजहोल्ड सुधार	3 वर्ष
फर्नीचर और फिटिंग	3 वर्ष
कंप्यूटर उपकरण	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3 वर्ष

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपतियों की मान्यता समाप्त करने पर किसी लाभ या हानि को उस वर्ष के लाभ या हानि में शामिल किया जाता है जिस वर्ष परिसंपत्ति को शामिल किया जाता है।

2.5) गैर–वित्तीय परिसंपतियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति की हानि हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है।

एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई के उचित मूल्य से अधिक होती है जिसमें निपटान की लागत कम होती है और इसका उपयोग में मूल्य होता है और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य से उन लोगों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। संपत्ति या संपत्ति का समूह। जहां किसी परिसंपत्ति या नकद–उत्पादक इकाई की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, परिसंपत्ति को कम हुआ माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है ।

नुकसान हानि को लाभ या हानि में दिखाया जाता है।

पहले से मान्यता प्राप्त हानि की कमी को केवल तभी उलट दिया जाता है जब पिछली हानि हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो। यदि ऐसा है, तो परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दिया जाता है। वह वृद्धि वहन राशि से अधिक नहीं हो सकती है जो निर्धारित की गई होगी, मूल्यह्रास का शुद्ध, पहले से कोई हानि हानि नहीं पहचानी गई थी। इस तरह के उलटफेर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.6) वित्तीय दस्तावेज

वित्तीय परिसंपत्ति

प्रारंभिक मान्यता और मूल्यांकन

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब और केवल तभी मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है।

प्रारंभिक संज्ञान पर, कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य प्लस पर मुल्यांकन करती है, वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में लाभ या हानि (एफवीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं, लेनदेन लागत जो सीधे वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। एफवीपीएल में की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ या हानि में खर्च किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियों का मूल्यांकन उस प्रतिफल की राशि पर किया जाता है, जिस पर कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है, इसमें अन्य पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है।

अनुगामी मूल्यांकन

ऋण विलेख में निवेश

ऋण विलेखों का परवर्ती माप परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल और परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं पर निर्भर करता है। ऋण लिखतों के वर्गीकरण के लिए तीन माप श्रेणियां परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) और एफवीपीएल के माध्यम से उचित मूल्य हैं। कंपनी के पास केवल परिशोधन लागत पर ऋण लिखत हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाती हैं, जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्याज को परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज पद्धति, कम हानि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब संपत्ति की पहचान या हानि होती है, और परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से।

अमान्यता

एक वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है जहां परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गया है। किसी वित्तीय परिसंपत्ति की संपूर्णता में मान्यता समाप्त होने पर, अग्रणीत राशि और प्राप्त प्रतिफल के योग और किसी भी संचयी लाभ या हानि के बीच का अंतर जिसे ऋण लिखतों के लिए अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी, को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक मान्यता और मूल्यांकन

वित्तीय देनदारियों को मान्यता दी जाती है, जब और केवल जब, कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है। कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर अपनी वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है।

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर और वित्तीय देनदारियों के मामले में एफवीपीएल पर नहीं, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों के मामले में मान्यता दी जाती है।

अनुगामी मूल्यांकन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियां जिन्हें एफवीपीएल में नहीं किया जाता है, बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है, और परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से।

अमान्यता

एक वित्तीय दायित्व को अमान्य कर दिया जाता है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। मान्यता समाप्त होने पर, अग्रणीत राशि और भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.7) वित्तीय परिसंपतियों की हानि

कंपनी एफवीपीएल में नहीं रखे गए सभी ऋण उपकरणों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के लिए एक भत्ता को मान्यता देती है। ईसीएल अनुबंध के अनुसार देय संविदात्मक नकदी प्रवाह और कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले सभी नकदी प्रवाह के बीच अंतर पर आधारित हैं, जो मूल प्रभावी ब्याज दर के अनुमान पर छूट दी गई है। अपेक्षित नकदी प्रवाह में धारित कोलेट्रल की बिक्री से नकदी प्रवाह या अन्य क्रेडिट संवर्द्धन शामिल होंगे जो संविदात्मक शर्तों के अभिन्न अंग हैं।

ईसीएल को दो चरणों में पहचाना जाता है। क्रेडिट एक्सपोज़र के लिए, जिसके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, ईसीएल को क्रेडिट हानियों के लिए प्रदान किया जाता है जो कि डिफ़ॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो अगले 12 महीनों (एक 12–महीने की ईसीएल) के भीतर संभव है। उन क्रेडिट एक्सपोज़र के लिए, जिनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, डिफ़ॉल्ट के समय (एक आजीवन ईसीएल) के बावजूद, एक्सपोज़र के शेष जीवन में अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए एक हानि भत्ता को मान्यता दी जाती है।

व्यापार प्राप्तियों के लिए, कंपनी ईसीएल की गणना में एक सरलीकृत दृष्टिकोण लागू करती है। इसलिए, कंपनी क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक नहीं करती है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को पहचानती है। कंपनी ने एक प्रावधान मैट्रिक्स की स्थापना की है जो अपने ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव पर आधारित है, जो देनदारों के लिए विशिष्ट दूरंदेशी कारकों और आर्थिक वातावरण के लिए समायोजित है जो देनदारों की भुगतान करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को डिफ़ॉल्ट मानती है जब संविदात्मक भुगतान 180 दिन पहले देय होता है। हालांकि, कुछ मामलों में, कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को डिफ़ॉल्ट रूप से मान सकती है जब आंतरिक या बाहरी जानकारी इंगित करती है कि कंपनी द्वारा धारित किसी भी क्रेडिट वृद्धि को ध्यान में रखने से पहले कंपनी को बकाया संविदात्मक राशियों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की संभावना नहीं है। एक वित्तीय परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब संविदात्मक नकदी प्रवाह की वसूली की कोई उचित अपेक्षा नहीं होती है।

2.8) अनुबंध संतुलन

अनुबंध परिसंपत्ति

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक को भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शित करती है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो कि सशर्त है।

अनुबंध देयताएं

एक अनुबंध दायित्व एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को वस्तु या सेवाएं हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) एक अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.9) नकद और नकदी के समतुल्य

नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकदी शामिल है और मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

2.10) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा।

जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, खर्च की जाती है। जब अनुदान एक परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो उचित मूल्य को वित्तीय स्थिति के विवरण पर आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है और संबंधित परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर समान मात्रा में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.11) शेयर पूंजी

साधारण शेयर जारी करने से प्राप्त आय को इक्विटी में शेयर पूंजी के रूप में मान्यता दी जाती है। साधारण शेयरों को जारी करने के कारण सीधे तौर पर होने वाली वृद्धिशील लागतों को शेयर पूंजी की एवज में काट दिया जाता है।

2.12) पट्टे

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में मूल्यांकन करती है कि क्या अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। अर्थात्, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

लीज के रूप में

कंपनी कम मूल्य की संपत्ति के अल्पकालिक पट्टों और पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण अपनाती है। कंपनी लीज भुगतान करने के लिए दायित्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली लीज देनदारियों को पहचानती है और उपयोग की जाने वाली संपत्तियां अंतर्निहित पट्टे पर दी गई संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती हैं।

परिसंपति के उपयोग का अधिकार

कंपनी लीज की आरंभ तिथि (अर्थात अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि) पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति को पहचानती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि हानियों को कम किया जाता है, और लीज की देनदारियों के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त लीज़ देनदारियों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए लीज़ भुगतान में से कोई भी लीज़ प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उपयोग की जाने वाली संपत्ति का मूल्यह्रास एक सीधी रेखा के आधार पर लीज की अवधि से कम और संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है।

यदि लीज की अवधि के अंत में लीज पर दी गई संपत्ति का स्वामित्व कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है या लागत खरीद विकल्प के प्रयोग को दर्शाती है, तो मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का उपयोग करके की जाती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति भी हानि के अधीन हैं। हानि के लिए लेखांकन नीति का खुलासा नोट 2.5 में किया गया है ।

वित्तीय विवरणों में कंपनी के उपयोग के अधिकार का खुलासा नोट 5 में किया गया है ।

लीज देयताएं

लीज की शुरुआत की तारीख में, कंपनी लीज अवधि में किए जाने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई लीज देनदारियों को पहचानती है। लीज भुगतान में निश्चित भुगतान (इन–सबस्टेंस फिक्स्ड पेमेंट्स सहित) किसी भी लीज इंसेंटिव को घटाकर, वैरिएबल लीज पेमेंट्स जो एक इंडेक्स या रेट पर निर्भर करता है, और रकम अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान किए जाने की उम्मीद है। लीज भुगतान में कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले खरीद विकल्प के एक्सरसाईज़ मूल्य और लीज को समाप्त करने के लिए दंड के भुगतान भी शामिल हैं, यदि लीज अवधि कंपनी को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करने को दर्शाती है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं (जब तक कि वे इन्वेंट्री का उत्पादन करने के लिए खर्च नहीं किए जाते हैं) जिस अवधि में भुगतान को ट्रिगर करने वाली घटना या स्थिति होती है।

लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना में, कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि लीज में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है। प्रारंभ तिथि के बाद, लीज देनदारियों की राशि ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ा दी जाती है और लीज भुगतान के लिए कम कर दी जाती है। इसके अलावा, लीज की देनदारियों की वहन राशि पुनर्मूल्यांकन जाता है यदि कोई संशोधन होता है, लीज की अवधि में बदलाव, लीज के भुगतान में बदलाव (उदाहरण के लिए भविष्य के भुगतान में परिवर्तन एक सूचकांक या दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होता है जो इस तरह के लीज को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है) भुगतान या अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन होता है।

कंपनी की लीज देनदारियों का खुलासा नोट 11 में वित्तीय विवरणों में किया गया है।

2.13) राजस्व मान्यता

राजस्व को उस विचार के आधार पर मापा जाता है जिसके लिए कंपनी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है।

राजस्व तब पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को एक वादा किए गए अच्छे या सेवा को स्थानांतरित करके एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है, जो तब होता है जब ग्राहक अच्छी या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है। एक प्रदर्शन दायित्व एक समय में या समय के साथ संतुष्ट हो सकता है। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित राशि है।

कमोडिटी की बिक्री

बिक्री को मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं का नियंत्रण अपने ग्राहकों को स्थानांतरित कर दिया जाता है (अर्थात समय पर)। अप्रचलन और हानि का जोखिम ग्राहकों को हस्तांतरित कर दिया गया है, और या तो ग्राहकों ने बिक्री अनुबंध के अनुसार माल स्वीकार कर लिया है,

स्वीकृति प्रावधान समाप्त हो गए हैं, या कंपनी के पास वस्तुनिष्ठ प्रमाण हैं कि स्वीकृति के सभी मानदंड संतुष्ट हैं। वित्तपोषण का कोई भी तत्व मौजूद नहीं माना जाता है क्योंकि बिक्री 30 से 180 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ की जाती है, जो बाजार प्रेक्टिस के अनुरूप है।

ब्याज आय

डैमरेज और प्रेषण आय

आय ब्याज आय एक समय के आधार पर बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में अर्जित की जाती है।

विलंब शुल्क और प्रेषण आय को मान्यता दी जाती है यदि इसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जाता है, और यह संभव है कि इसे प्राप्त कर लिया जाएगा।

2.14) सम्बंधित पार्टी

एक संबंधित पार्टी एक व्यक्ति या संस्था है जो कंपनी से संबंधित है और इसमें शामिल हैं:

(ए) एक व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का कोई करीबी सदस्य रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित है यदि वह व्यक्तिः

i) रिपोर्टिंग इकाई पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है;

(ii)रिपोर्टिंग इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है; या

(iii) रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई के माता–पिता के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का सदस्य है।

(बी) यदि निम्न में से कोई भी शर्त लागू होती है तो एक इकाई एक रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित होती है:

(i) इकाई और रिपोर्टिंग इकाई एक ही समूह के सदस्य हैं (जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पेरेंट, सहायक और साथी सहायक अन्य से संबंधित हैं)।

(ii) एक इकाई दूसरी इकाई का सहयोगी या संयुक्त उद्यम है (या किसी समूह के सदस्य का सहयोगी या संयुक्त उद्यम जिसका अन्य इकाई सदस्य है)।

(iii) दोनों संस्थाएं एक ही तीसरे पक्ष के संयुक्त उद्यम हैं।

(iv) एक इकाई तीसरी इकाई का संयुक्त उद्यम है और दूसरी इकाई तीसरी इकाई का सहयोगी है।

(v) इकाई या तो रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित इकाई के कर्मचारियों के लाभ के लिए रोजगार के बाद लाभ योजना है। यदि रिपोर्टिंग इकाई स्वयं ऐसी योजना है, तो प्रायोजक नियोक्ता भी रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित होते हैं।

(iv) इकाई (ए) में पहचाने गए व्यक्ति द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित होती है।

(vii) (ए) (i) में पहचाने गए व्यक्ति का इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव है या वह इकाई के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (या इकाई के पेरेंट) का सदस्य है।

(viii) इकाई, या समूह का कोई भी सदस्य जिसका वह हिस्सा है, रिपोर्टिंग इकाई या रिपोर्टिंग इकाई के पेरेंट को प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की सेवाएं प्रदान करता है।

निम्नलिखित आवश्यक रूप से संबंधित पक्ष नहीं हैं:

(ए) दो संस्थाएं केवल इसलिए कि उनके पास एक निदेशक या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के अन्य सदस्य समान हैं;

(बी) दो उद्यमकर्ता केवल इसलिए कि वे एक संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण साझा करते हैं।

प्रमुख प्रबंधन कर्मी वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास कंपनी की गतिविधियों की योजना बनाने, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार और जिम्मेदारी होती है।

2.15) आयकर

<u>वर्तमान आयकर</u>

चालू वर्ष और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान आयकर आस्तियों और देनदारियों को उस राशि पर मापा जाता है, जिसकी वसूली या कर प्राधिकरण को भुगतान किए जाने की उम्मीद है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

वर्तमान आय करों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि कर लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, या तो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में। प्रबंधन समय–समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन उन स्थितियों के संबंध में करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करते हैं ।

<u>आस्थगित कर</u>

आस्थगित कर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधार और उनकी वहन राशियों के बीच रिपोर्टिंग तिथि पर अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है जो उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब संपत्ति का एहसास होता है या देयता का निपटारा होता है, कर दरों और कर कानूनों के आधार पर जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते है।

आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियां ऑफसेट हैं, यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार वर्तमान आयकर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों को सेट करने के लिए मौजूद है और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और समान कर क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं।

माल और सेवा कर (जीएसटी)

राजस्व, व्यय और संपत्ति को जीएसटी की राशि को निम्नलिखित के अलावा शामिल किया जाता है:

- जहां संपत्ति या सेवाओं की खरीद पर किया गया जीएसटी कराधान प्राधिकरण से वसूली योग्य नहीं है, उस स्थिति में जीएसटी को संपत्ति के अधिग्रहण की लागत के हिस्से के रूप में या लागू व्यय मद के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है; तथा
- प्राप्य और देय राशि जो जीएसटी की राशि के साथ बताई गई है, शामिल हैं।

कर प्राधिकरण से वसूली योग्य या देय जीएसटी की शुद्ध राशि को वित्तीय स्थिति के विवरण में प्राप्य या देय राशि के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

2.16) उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ या हानि में शामिल किया जाता है जिसमें वे प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके खर्च किए जाते हैं।

2.17 विदेशी मुद्रा लेनदेन और शेष राशि

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में मापा जाता है और लेनदेन की तारीखों पर निर्णय लेने वालों की विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्ग की मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय निर्णय की दर से बदला जाता है। गैर–मौद्रिक आइटम जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, को प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों के अनुसार विनिमय दरों का उपयोग करके किया जाता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौद्रिक मदों के निपटान या मौद्रिक मदों के अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ या हानि में दिखाया जाता है।

2.18) कर्मचारी लाभ

परिभाषित योगदान योजनाएं

कंपनी सिंगापुर में केंद्रीय भविष्य निधि योजना, एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में योगदान करती है। परिभाषित योगदान पेंशन योजनाओं में योगदान को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवा की जाती है। एक बार योगदान का भुगतान करने के बाद कंपनी की कोई और बाध्यता नहीं है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने पर इसका विस्तार किया जाता है। भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक दायित्व की पहचान की जाती है यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है, और दायित्व का अनुमान मज़बूती से लगाया जा सकता है ।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन अनुमानों और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्ति या देयता की अग्रणीत राशि के लिए सामग्री समायोजन की आवश्यकता होती है।

3.1) लेखांकन नीतियों को लागू करने में लिए गए निर्णय

प्रबंधन की राय है कि लेखांकन अनुमानों और नीतियों को लागू करने में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है जिससे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है ।

3.2) अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख मान्यताओं पर नीचे चर्चा की गई है। वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया है। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, बाजार परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से बाहर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस तरह के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

व्यापार प्राप्तियों की अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

कंपनी व्यापार प्राप्तियों के लिए ईसीएल की गणना के लिए एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रावधान दरें विभिन्न ग्राहक खंडों के समूहों के कारण पिछले दिनों पर आधारित होती हैं जिनमें समान हानि पैटर्न होते हैं।

प्रावधान मैट्रिक्स शुरू में कंपनी की ऐतिहासिक अवलोकित डिफ़ॉल्ट दरों पर आधारित है। कंपनी भविष्योन्मुखी जानकारी के साथ ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को समायोजित करने के लिए मैट्रिक्स को कैलिब्रेट करेगी। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, ऐतिहासिक डिफ़ॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और भविष्योन्मुखी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है।

ऐतिहासिक अवलोकित डिफ़ॉल्ट दरों, पूर्वानुमानित आर्थिक स्थितियों और ईसीएल के बीच सहसंबंध का आकलन एक महत्वपूर्ण अनुमान है। ईसीएल की राशि परिस्थितियों में बदलाव और आर्थिक स्थितियों के पूर्वानुमान के प्रति संवेदनशील है। कंपनी का ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव और आर्थिक स्थितियों का पूर्वानुमान भी भविष्य में ग्राहक के वास्तविक डिफ़ॉल्ट का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। कंपनी के व्यापार प्राप्तियों पर ईसीएल के बारे में जानकारी वित्तीय विवरणों के नोट 22 में प्रकट की गई है।

31 मार्च 2023 तक कंपनी के व्यापार प्राप्तियों की अग्रणीत राशि वित्तीय विवरणों के नोट 8 में प्रकट की गई है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के उपयोगी जीवन का अनुमान उस समय लगाया जाता है जब संपत्ति अर्जित की जाती है और समान संपत्ति के साथ ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित होती है और प्रत्याशित तकनीकी या अन्य परिवर्तनों को ध्यान में रखती है। यदि

परिवर्तन प्रत्याशित से अधिक तेजी से होते हैं या परिसंपत्ति में अप्रत्याशित स्तर पर टूट–फूट का पता चलता है, तो उपयोगी जीवन को तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

31 मार्च 2023 तक कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अग्रणीत राशि वित्तीय विवरणों के नोट 4 में प्रकट की गई है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की हानि

कंपनी सालाना आकलन करती है कि क्या संपत्ति, संयंत्र और उपकरण हानि का कोई संकेत प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मामलों में जहां हानि के संकेत हैं, संयंत्र और उपकरणों की वसूली योग्य मात्रा का निर्धारण मूल्य–में–उपयोग गणना के आधार पर किया जाएगा। इन गणनाओं के लिए निर्णय और अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है।

31 मार्च 2023 तक कंपनी की संपत्ति संयंत्र और उपकरण की अग्रणीत राशि वित्तीय विवरणों के नोट 4 में प्रकट की गई है।

कोविड–19

वैश्विक स्तर पर और सिंगापुर में कोविड –19 महामारी का प्रकोप आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक अपने वित्तीय विवरण के संबंध में परिसंपत्तियों, देनदारियों या प्रावधान विभिन्न अनुमानों को अंतिम रूप देते समय आंतरिक और बाहरी सूचनाओं पर विचार किया है और परिसंपति, देयताओं या प्रावधानों की कैरिंग मूल्य पर कोई ठोस प्रभाव नही पाया है।

हालाँकि, इसकी प्रकृति और अवधि से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए कोविड –19 का प्रभाव का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कंपनी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन के आधार पर उचित कार्रवाई करेगी।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

	लीजहोल्ड सुधार	फर्नीचर और फिटिंग	कम्प्यूटर उपकरण	कार्यालय उपकरण	कुल
	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$
लागत					
1 अप्रैल 2021	121,394	41,200	51,565	26,239	240,398
वृद्धि	-	-	1,341	-	1,341
31 मार्च 2022	121,394	41,200	52,906	26,239	241,739
वृद्धि	-	-	329	-	329
31 मार्च 2023	121,394	41,200	53,235	26,239	242,068
संचित मूल्यह्रास					
1 अप्रैल 2021	121,394	41,108	48,627	25,960	237,089
मूल्यह्रास शुल्क	-	92	2,411	279	2,782
31 मार्च 2022	121,394	41,200	51,038	26,239	239,871
मूल्यह्रास शुल्क	-	-	1,302	-	1,302
31 मार्च 2023	121,394	41,200	52,340	26,239	241,173
कैरिंग राशि					
31 मार्च 2023	-	-	895	-	895
31 मार्च 2022	-	-	1,868	-	1,868

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

5. उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति

कंपनी के पास कार्यालय परिसर के लिए पट्टे के अनुबंध हैं। कंपनी को पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को सौंपने और उपठेका देने से प्रतिबंधित किया गया है।

वर्गीकृत उपयोग के अधिकार की संपत्ति की कैरिंग राशि नीचे दी गई हैः –

	2023 यूएस$	2022 यूएस$
कार्यालय परिसर		
1 अप्रैल को	87,821	-
वृद्धि	184,837	175,642
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	(87,821)	(87,821)
31 मार्च को	184,837	87,821

6. अन्य परिसंपत्तियां

	2023 **यूएस$**	**2022** **यूएस$**
<u>गैर चालू</u>		
वापसी योग्य जमा	28,006	27,265

अन्य परिसंपत्तियां सिंगापुर डॉलर में मूल्यवर्गित हैं।

7. नकद और नकद समकक्ष

	2023 **यूएस$**	**2022** **यूएस$**
बैंकों में नकद	121,938	14,401,073
नगद	33	504
सावधि जमा	3,722,401	4,222,773
	3,844,372	18,624,350

नकद और नकद समकक्ष निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैः

	2023 **यूएस$**	**2022** **यूएस$**
यूनाइटेड स्टेट डॉलर	3,834,520	18,605,420
सिंगापुर का डॉलर	9,852	18,930
	3,844,372	18,624,350

रिपोर्टिंग तिथि को सावधि जमा पर 12 महीने (2022ः 12 महीने) की परिपक्वता अवधि के साथ प्रति वर्ष 0.55% से 4.8%(2022ः 0.40% से 0.55%) तक ब्याज दरें होती हैं। भारित औसत प्रभावी ब्याज दर 2.88% (2022ः 0.46%) प्रति वर्ष है।

रिपोर्टिंग तिथि को, यूएस$3,722,401(2022ः यूएस$ 4,222,773) की सावधि जमा को उधार के लिए दी गई सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया है (नोट 11)।

7. नकद और नकद समकक्ष (जारी)

नकदी प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, नकद और नकद समकक्ष में निम्नलिखित शामिल हैंः

	2023 यूएस$	2022 यूएस$
नकद और नकद समकक्ष (यथोक्त)	3,844,372	18,624,350
सावधि जमा	(3,722,401)	(4,222,773)
साख पत्र पर मार्जन	-	(14,189,475)
	121,971	**212,102**

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

8. व्यापार और अन्य प्राप्तियां

	2023	2022
	यूएस$	यूएस$
व्यापार प्राप्तियां		
अन्य पार्टियां	32,931,459	35,190,427
होल्डिंग कंपनी अन्य प्राप्य		
सावधि जमा से प्राप्य ब्याज	44,634	10,672
जीएसटी प्राप्य	2,856	2,592
अन्य	9	-
	47,499	13,264
कुल व्यापार और अन्य प्राप्तियां	32,978,958	35,203,691

व्यापार प्राप्य 30 से 180 दिनों (2022: 30 से 180 दिन) तक के ग्राहकों को दी गई सामान्य व्यापार ऋण शर्तों के भीतर गैर–ब्याज वाले और चुकाने योग्य हैं।
व्यापार और अन्य प्राप्तियां निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं:

	2023	2022
	यूएस$	यूएस$
यूनाइटेड स्टेट डॉलर	32,976,102	35,201,099
सिंगापुर डॉलर	2,856	2,592
	32,978,958	35,203,691

9. व्यापार और अन्य देनदारियां

	2023	2022
	यूएस$	यूएस$
व्यापार देनदारियां		
अन्य पार्टियां	11,892,390	34,954,502
अन्य देनदारियां		
एक्रुअल्स	259,122	115,741
कुल व्यापार और अन्य देनदारियां	12,151,512	35,070,243

व्यापार देय 30 दिनों (2022: 30 दिनों) के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई व्यापार ऋण शर्तों के भीतर गैर–ब्याज वाले और चुकाने योग्य हैं।
व्यापार और अन्य भुगतान निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं:

	2023	2022
	यूएस$	यूएस$
यूनाइटेड स्टेट डॉलर	11,929,306	34,954,502
सिंगापुर डॉलर	222,206	115,741
	12,151,512	35,070,243

10. अन्य दायित्व	2023	2022
	यूएस$	यूएस$
अनुबंध देयताएं	289,508	3,247,358

देनदारियों को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के लिए शामिल किया जाता है और और जब निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है तो इसे निकाल दिया जाता है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

11 उधारी

	2023	2022
	यूएस$	यूएस$
ट्रस्ट रसीदें	14,223,354	6,270,000
अल्पकालिक ऋण	484,933	2,999,000
बिल्स डिसकांउटिंग	3,930,593	-
	18,638,880	9,269,000

रिपोर्टिंग तिथि को यूएस$ 8,551,354 (2022: यूएस$ 4,970,000) की ट्रस्ट प्राप्तियों पर 26 से 60 दिन (2022: 64 दिन) की परिपक्वता के साथ प्रति वर्ष 7.33%–7.58% (2022: 3.06%) की ब्याज दर पर ब्याज लगाया जाएगा। रिपोर्टिंग तिथि पर यूएस$ 3,912,000 (2022: शून्य) की राशि की अन्य ट्रस्ट प्राप्तियों पर रिपोर्टिंग तिथि से 20 दिन (2022: शून्य) की परिपक्वता के साथ प्रति वर्ष 7.21: (2022: शून्य) की ब्याज दर लागू होगी। और शेष ट्रस्ट प्राप्तियों की राशि रिपोर्टिंग तिथि पर यूएस$ 1,760,000 (2022: यूएस$ 1,300,000) है, जिसमें रिपोर्टिंग तिथि से 41 दिन (2022: 70 दिन) की परिपक्वता के साथ प्रति वर्ष 6.79% (2022: 2.77%) ब्याज दर शामिल है।

रिपोर्टिंग तिथि पर अल्पकालिक ऋण पर प्रति वर्ष 7.38% (2022: 3.06% – 3.33%) की प्रभावी ब्याज दर होती है। अल्पकालिक ऋण की परिपक्वता अवधि रिपोर्टिंग तिथि से 90 दिनों (2021: 90 दिन) की होती है।

यूएस$ 3,930,593 की राशि के बिल डिस्काउंटिंग पर प्रति वर्ष 6.68% –6.77% (2022: शून्य) की प्रभावी ब्याज दर लागू होती है। रिपोर्टिंग तिथि के लिए बिल डिस्काउंटिंग की परिपक्वता अवधि 4 से 11 दिन (2022: शून्य) है।

यूएस$ 18,638,880 (2022: यूएस$ 9,296,000 की उधारी बैंक द्वारा वित्तपोषित वस्तुओं और प्राप्तियों पर सुरक्षित है और कंपनी की यूएस$ 3,722,401 (2022: यूएस$ 4,222,773) की सावधि जमा (नोट 7)पर डीड आफ चार्ज है।

उधारियां अमरीकी डॉलर के मूल्यवर्ग में हैं।

12 लीज देयताएं

	2023	2022
	यूएस$	यूएस$
गैर–चालू		
लीज देयतायें	95,909	-
चालू		
लीज देयतायें	88,928	90,629
	184,837	90,629

ए) लाभ या हानि में शामिल राशि

	2023	2022
	US$	US$
परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास	87,821	87,821
लीज देयता पर ब्याज व्यय	1,229	3,860
लाभ या हानि में शामिल की गई कुल राशि	89,050	91,681

बी) कुल नकद बर्हिगमन

कंपनी के पास कुल यूएस$ 89,671(2022: यूएस$ 87,940 की लीज देनदारियों के लिए कुल नकद बहिर्वाह था।

लीज देयता सिंगापुर डॉलर में मूल्यवर्गित है।

13. शेयर पूंजी

	2023	2022	2023	2022
	साधारण शेयरों की संख्या		यूएस$	यूएस$
जारी किए गए और पूरी तरह से भुगतान किए गए साधारण शेयर				
1 अप्रैल और 31 मार्च	1,461,502	1,461,502	1,000,000	1,000,000

साधारण शेयरों के धारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश प्राप्त करने के हकदार होते हैं। सभी साधारण शेयरों में बिना किसी प्रतिबंध के प्रति शेयर एक वोट होता है। साधारण शेयरों का कोई सममूल्य मूल्य नहीं होता है ।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

14. राजस्व आय

	2023 यूएस$	2022 यूएस$
वस्तुओं की बिक्री		
– अन्य पार्टियां	405,149,441	456,453,965
– होल्डिंग कंपनी	-	121,500
	405,149,441	456,575,465

सभी बिक्री एक समय में पहचानी जाती हैं।

15. अन्य आय

	2023 यूएस$	2022 यूएस$
डेमरेज और प्रेषण	-	191,655
बैंक जमा पर ब्याज आय	53,602	34,651
अन्य पार्टियों से ब्याज आय	13,500	18,657
	67,102	53,308
विविध आय	12,789	9,557
	79,891	254,520

16. कर्मचारी मुआवजा

	2023 यूएस$	2022 यूएस$
निदेशकों का पारिश्रमिक (नोट 20बी)	232,421	241,049
निदेशकों के लाभ (नोट 20 बी)	121,678	120,075
परिभाषित योगदान योजना में निदेशकों का योगदान केंद्रीय भविष्य निधि और एसडीएल सहित (नोट 20 बी)	17,670	18,364
कर्मचारियों का वेतन और तनखाह	220,908	223,975
स्टाफ बोनस	8,401	16,401
कर्मचारी कल्याण	10,002	7,401
परिभाषित योगदान योजना में नियोक्ता का योगदान केंद्रीय भविष्य निधि और एसडीएल सहित	31,201	31,601
	642,281	658,866

17. वित्त लागत

	2023 यूएस$	2022 यूएस$
इस पर ब्याज खर्चः		
– लीज देयताए	1,229	3,860
– बिल छूट	454,581	17,893
– अल्पकालिक ऋण	42,146	84,918
– ट्रस्ट प्राप्तियों पर ब्याज	698,109	294,147
	1,196,065	400,818

18. अन्य खर्चे

	2023 यूएस$	2022 यूएस$
स्थानीय वाहन – अन्य	7,788	7,973
कार्यालय का व्यय	13,130	15,153
व्यावसायिक फीस	14,716	12,463
अन्य खर्चे	29,895	34,711
	65,529	70,300

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

19. आयकर खर्च

31 मार्च 2023 और 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक इस प्रकार थेः

	2023 यूएस$	2022 यूएस$
वर्तमान आयकर		
– वर्तमान साल	90,533	124,720
– पूर्व वर्षों के संबंध में प्रावधान के तहत	3,624	-
	94,157	124,720

कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच संबंध

31 मार्च 2023 और 2022 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए लागू कॉर्पोरेट कर की दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ के उत्पाद के बीच मिलान इस प्रकार था :

	2023 यूएस$	2022 यूएस$
कर पूर्व लाभ	606,541	815,204
17% (2021: 17%) की कर वैधानिक दर का उपयोग आयकर	103,112	138,585
समायोजनः		
– कोई कटौती योग्य खर्च नहीं	117	453
– आयकर के अधीन नहीं है	-	(1,398)
– आयकर छूट	(12,696)	(12,920)
– पूर्व वर्षों के संबंध में प्रावधान के तहत	3,624	-
	94,157	124,720

20. महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन

(ए) वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रकट की गई संबंधित पार्टी की जानकारी के अलावा, कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच निम्नलिखित महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन वित्तीय वर्ष के दौरान पार्टियों के बीच सहमत शर्तों पर हुएः

	2023 यूएस$	2022 यूएस$
होल्डिंग कंपनी को बिक्री	-	121,500

(बी) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को दिया गया मुआवजा

	2023 यूएस$	2022 यूएस$
वेतन, तनखाह और बोनस	232,421	241,049
रोजगार के बाद के लाभ – योगदान		
परिभाषित योगदान योजनाएं	17,670	18,364
कृपा के रूप में लाभ	121,678	120,075
	371,769	379,488

21. लाभांश

	2023 यूएस$	2022 यूएस$
प्रदत्त लाभांश		
चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में किया गया पहला अंतरिम लाभांश भुगतान 100 सेंट (2022 रूपये 200सेंट) प्रति शेयर	1,000,000	2,000,000
चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में किया गया दुसरा अंतरिम लाभांश भुगतान शून्य सेंट (2022 रूपये 200 सेंट) प्रति शेयर	-	2,000,000
चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में किया गया तीसरा अंतरिम लाभांश शून्य सेंट (2022 रूपये 100 सेंट) प्रति शेयर	-	1,000,000
	1,000,000	5,000,000

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

22 .वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियां इसके संचालन से विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती है। प्रमुख वित्तीय जोखिमों में क्रेडिट जोखिम, बाजार जेखिम (ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम सहित) और तरलता जोखिम शामिल है।

निदेशक इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हैं और सहमत होते हैं, जिन्हें प्रबंधन टीम द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह कंपनी की नीति है, और पूरे चालू और पिछले वित्तीय वर्ष में रही है कि सट्टा उद्देश्यों के लिए डेरिवेटिव में कोई व्यापार नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित अनुभाग उपर्युक्त वित्तीय जोखिमों के लिए कंपनी के जोखिम और इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में विवरण प्रदान करते हैं।

इन वित्तीय जोखिमों के प्रति कंपनी के जोखिम में या जिस तरीके से वह जोखिमों का प्रबंधन और माप करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है।

ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम को संदर्भित करता है जो प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों पर चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को नुकसान होगा। क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से व्यापार और अन्य प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (नकद और नकद समकक्षों सहित) के लिए, कंपनी विशेष रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग समकक्षों के साथ व्यवहार करके क्रेडिट जोखिम को कम करती है।

कंपनी ने केवल साख योग्य प्रतिपक्षकारों के साथ व्यापार करने की नीति अपनाई है। कंपनी अपने प्रतिपक्षकारों की वित्तीय स्थिति का निरंतर क्रेडिट मूल्यांकन करती है और आम तौर पर कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है।

कंपनी परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर डिफ़ॉल्ट की संभावना पर विचार करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निरंतर आधार पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफ़ॉल्ट घटना का निर्धारण किया है जब आंतरिक और/या बाहरी जानकारी इंगित करती है कि वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त होने की संभावना नहीं है, जिसमें 180 दिनों से अधिक के लिए संविदात्मक भुगतान की चूक शामिल हो सकती है या इसमें प्रतिपक्ष को बहुत बड़ी कठिनाई होती है।

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट के जोखिम की डिग्री के अनुसार एक्सपोजर को वर्गीकृत करने के लिए कंपनी के क्रेडिट जोखिम ग्रेडिंग को विकसित और बनाए रखा है। क्रेडिट रेटिंग जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय जानकारी और कंपनी के अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड द्वारा अपने प्रमुख ग्राहकों और अन्य देनदारों को रेट करने के लिए प्रदान की जाती है। कंपनी उपलब्ध उचित और सहायक भविष्योन्मुखी जानकारी पर विचार करती है जिसमें निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं:

- आंतरिक क्रेडिट रेटिंग
- बाहरी क्रेडिट रेटिंग
- व्यवसाय, वित्तीय या आर्थिक स्थितियों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन, जिनसे देनदार की अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की उम्मीद है
- देनदार के परिचालन परिणामों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण परिवर्तन
- एक ही देनदार के अन्य वित्तीय साधनों पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि
- देनदार के अपेक्षित प्रदर्शन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, समूह में देनदारों की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और देनदार के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सहित।

उपरोक्त विश्लेषण के बावजूद, ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि को माना जाता है यदि कोई देनदार संविदात्मक भुगतान करने के कारण 90 दिनों से अधिक समय से पहले है।

कंपनी ने निर्धारित किया कि उसकी वित्तीय संपत्ति के क्रेडिट में कमी आई है जबः

- देनदार को अधिक परेशानी हुई
- अनुबंध का उल्लंघन, जैसे कि डिफ़ॉल्ट या पिछले देय घटना
- यह संभव हो रहा है कि देनदार दिवालिएपन या अन्य वित्तीय पुनर्गठन में प्रवेश करेगा
- वित्तीय कठिनाई के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक सक्रिय बाजार गायब हो गया

कंपनी संभावित राइट–ऑफ के लिए प्राप्य को वर्गीकृत करती है जब कोई देनदार देय 360 दिनों से अधिक समय से संविदात्मक भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब यह संकेत मिलता है कि देनदार गंभीर वित्तीय कठिनाई में है और देनदार के पास वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।

कंपनी के वर्तमान क्रेडिट जोखिम ग्रेडिंग ढांचे में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

श्रेणी	श्रेणी की परिभाषा	अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को पहचानने का आधार(ईसीएल)
I	प्रतिपक्ष के पास डिफ़ॉल्ट का कम जोखिम होता है और उसके पास कोई पिछली देय राशि नहीं होती है।	12 महीने का ईसीएल
II	पिछली राशि 90 दिन पहले देय है या प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	लाइफटाइम ईसीएल – क्रेडिट की हानि नही
III	पिछली राशि 180 दिन पहले देय है या इस बात का सबूत है कि परिसंपत्ति क्रेडिट हानि (डिफाल्ट में) की है	लाइफटाइम ईसीएल – क्रेडिट की हानि
IV	इस बात के प्रमाण हैं कि देनदार गंभीर वित्तीय कठिनाई में है और देनदार के पास वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है	राशि बट्टे खाते में डाली जाती है

	नोट	श्रेणी	12–महीने या आजीवन ईसीएल	सकल वहन राशि यूएस$	हानि भत्ता यूएस$	शुद्ध वहन राशि यूएस$
31 मार्च 2023						
व्यापार प्राप्तियां	8	नोट 1	लाइफटाइम ईसीएल (आसान किया)	32,931,459	-	32,931,459
अन्य प्राप्तिया(i)	8	I	12 महीने का ईसीएल	44,643	-	44,643
					-	
31 मार्च 2022						
व्यापार प्राप्तियां (I)	8	नोट1	लाइफटाइम ईसीएल (आसान किया)	35,190,427	-	35,190,427
अन्य प्राप्तिया	8	I	12 महीने का ईसीएल	10,672	-	10,672
					-	

(i) इन राशियों में जीएसटी प्राप्तियां शामिल नहीं हैं।

व्यापार प्राप्य (नोट 1)

व्यापार प्राप्तियों के लिए, कंपनी ने आजीवन ईसीएल पर हानि भत्ते को मापने के लिए एफआरएस 109 में सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। कंपनी प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करके ईसीएल का निर्धारण करती है, जो कि देनदारों की पिछली देय स्थिति के आधार पर ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव के आधार पर अनुमानित है, जिसे वर्तमान स्थितियों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों के अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयुक्त के रूप में समायोजित किया गया है। तदनुसार, व्यापार प्राप्तियों का क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल प्रावधान मैट्रिक्स के संदर्भ में उनकी पिछली देय स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

कंपनी का मानना है कि सभी प्राप्य ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहकों की साख के आधार पर प्राप्त योग्य हैं।

<u>अत्यधिक जोखिम एकाग्रता</u>

एकाग्रता तब उत्पन्न होती है जब कई प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या ऐसी आर्थिक विशेषताएं होती हैं जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से समान रूप से प्रभावित होने वाली संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। कंसंट्रेशन किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास के लिए कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

<u>क्रेडिट जोखिम के लिए एक्सपोजर</u>

कंपनी के पास तीसरे पक्ष के ग्राहकों के साथ शेष राशि के अलावा अन्य कोई क्रेडिट जोखिम नहीं है। कंपनी के पास अपने क्रेडिट जोखिम जोखिम को कम करने के लिए क्रेडिट नीतियां और प्रक्रियाएं हैं।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

अन्य प्राप्तियां

कंपनी ने प्रतिपक्षकारों के नवीनतम निष्पादन और वित्तीय स्थिति का आकलन किया, उद्योग के भविष्य के दृष्टिकोण के लिए समायोजित किया जिसमें प्रतिपक्षी काम करते हैं और निष्कर्ष निकाला है कि वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। तदनुसार, कंपनी ने 12–महीने के ईसीएल का उपयोग करके हानि की कमी का मूल्यांकन किया और निर्धारित किया कि ईसीएल महत्वहीन है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो इस तरह के ब्याज दर और विदेशी विनिमय दरों के रूप में बाजार की कीमतों, में आने वाले बदलाव कंपनी की आय को प्रभावित करेगा है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रबंधन करने के लिए और स्वीकार्य मापदंडों के भीतर नियंत्रण बाजार जोखिम है, जबकि जोखिम पर वापसी के अनुकूलन है।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण कंपनी के वित्तीय साधनों के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से सावधि जमा और उधार से उत्पन्न होता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी के ब्याज–असर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफ़ाइल इस प्रकार थीः

	2023	2022
	यूएस$	यूएस$
परिवर्तनीय दर इंट्रूमेंटस्		
वित्तीय परिसंपति	3,722,401	4,222,773
वित्तीय देयताए	(18,638,880)	(9,296,000)
	(14,916,479)	(5,073,227)

कंपनी वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज वाले वित्तीय साधनों पर ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तनों के प्रभावों से उत्पन्न होने वाले कंपनी के लाभ या हानि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं करती है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, यदि ब्याज दरें 0.5% (2022: 0.5%) अधिक या कम होतीं और अन्य सभी परिवर्ती राशि स्थिर होते, तो कंपनी का कर पूर्व लाभ या हानि यूएस$ 74,582(2022 यूएस$ 25,366 निम्नतर) हो गया होता, मुख्य रूप से उच्च या निम्न ब्याज आय या बैंक में फ्लोटिंग रेट कैश और फ्लोटिंग रेट बैंक उधार पर खर्च के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए आधार बिंदुओं में अनुमानित गति वर्तमान में देखे जा सकने वाले बाजार के माहौल पर आधारित है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम मुख्य रूप से नकद विदेशी मुद्राओं के मूल्यवर्ग में लेनदेन के प्रवाह का परिणाम है। वर्तमान में, कंपनी मुद्रा जोखिम के लिए हेजिंग के लिए कोई औपचारिक नीति नहीं है। कंपनी यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जोखिम खरीद या स्थान दरों, जहां आवश्यक हो, अल्पावधि असंतुलन को संबोधित करने पर विदेशी मुद्राओं की बिक्री के द्वारा एक स्वीकार्य स्तर तक रखा जाता है।

कंपनी के पास बिक्री या खरीद से उत्पन्न होने वाले लेन–देन मुद्रा जोखिम हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा, मुख्य रूप से सिंगापुर डॉलर (एसजीडी) के अलावा किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं।

रिपोर्टिंग तिथि पर एसजीडी के प्रति कंपनी का मुद्रा एक्सपोजर इस प्रकार थाः

	सिंगापुर $
	यूएस$
2023	
वित्तीय संपत्ति	
नकद और नकदी के समतुल्य	9,852
अन्य परिसंपत्तियां	28,006
	37,858
वित्तीय देनदारियां	
व्यापार और अन्य देनदारियां	222,206
लीज देनदारियां	184,837
	(407,043)
शुद्ध वित्तीय देयताएं मुद्रा एक्सपोजर	(369,185)

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

2022	
वित्तीय परिसंपत्ति	
नकद और नकदी के समतुल्य	18,930
अन्य परिसंपत्तियां	27,265
	46,195
वित्तीय देनदारियां	
व्यापार और अन्य देनदारियां	115,741
लीज़ देनदारियां	90,629
	(206,370)
शुद्ध वित्तीय देयताएं मुद्रा एक्सपोजर	(160,175)

विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 5 प्रतिशत (2022 : 5 प्रतिशत) के मुकाबले एसजीडी में एक उचित संभावित बदलाव के लिए कर के बाद कंपनी के लाभ की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है जिसमें कर की दर सहित अन्य सभी स्थिर रहते हैं और शुद्ध वित्तीय देयता स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रभाव होंगे इस प्रकार हो:

	लाभ या हानि (कर के बाद)	
	2023	2022
	यूएस$	यूएस$
यूएस$ की तुलना में एसजीडी		
– मजबूत	(15,321)	(6,647)
– कमजोर	15,321	6,647

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जो कंपनी को धन की कमी के कारण अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लिक्विडीटी जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता के बेमेल होने से उत्पन्न होता है। इसका प्रबंधन भुगतान और प्राप्ति चक्रों का मिलान करके किया जाता है। कंपनी का उद्देश्य फंडिंग की निरंतरता बनाए रखना है। कंपनी संचालन से उत्पन्न धन के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करती है। निदेशक संतुष्ट हैं कि कंपनी के संचालन के वित्तपोषण के लिए धन उपलब्ध है।

शेष संविदात्मक परिपक्वताओं द्वारा वित्तीय साधनों का विश्लेषण

नीचे दी गई तालिका संविदात्मक बिना छूट वाली चुकौती दायित्वों के आधार पर रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को सारांशित करती है।

	केरिंग राशि	संविदात्मक नकदी प्रवाह	एक साल या कम	एक से पांच साल
	यूएस$	यूएस$	यूएस$	यूएस$
2023				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
अन्य परिसंपत्तियां	28,006	28,006	-	28,006
नगद व नगद समकक्ष	3,844,372	3,844,372	3,844,372	-
व्यापार व अन्य प्राप्य	32,976,102	32,976,102	32,976,102	-
कुल गैर–छूट वाली वित्तीय परिसंपत्तियां	36,848,480	36,848,480	36,820,474	28,006
वित्तीय देयताएं				
व्यापार व अन्य प्राप्य	12,151,512	12,151,512	12,151,512	-
उधारी	18,638,880	18,772,711	18,772,711	-
लीज़ देयताएं	184,837	198,530	99,265	99,265
कुल गैर–छूट वाली वित्तीय देयताएं	(30,975,229)	(31,122,753)	(31,023,488)	(99,265)
कुल गैर–छूट वाली वित्तीय परिसंपत्तियां	5,873,251	5,725,727	5,796,986	(71,259)

(i) इन राशियों में जीएसटी प्राप्य शामिल नहीं है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	केरिंग राशि यूएस$	संविदात्मक नकदी प्रवाह यूएस$	एक साल या कम यूएस$	एक से पांच साल यूएस$
2022				
वित्तीय संपत्ति				
अन्य परिसंपत्तियां	27,265	27,265	-	27,265
नकद और नकदी के समतुल्य	18,624,350	18,624,350	18,624,350	-
व्यापार और अन्य प्राप्य (i)	35,201,099	35,201,099	35,201,099	-
कुल बिना छूट वाला वित्तीय परिसंपत्तियां	53,852,714	53,852,714	53,825,449	27,265
वित्तीय देनदारियां				
व्यापार और अन्य देनदारियां	35,070,243	35,070,243	35,070,243	-
उधारी	9,269,000	9,286,996	9,286,996	-
लीज देयताएं	90,629	91,879	91,879	-
कुल बिना छूट वाला वित्तीय देनदारियों	(44,429,872)	(44,449,118)	(44,449,118)	-
कुल शुद्ध बिना छूट वित्तीय परिसंपत्ति	9,422,842	9,403,596	9,376,331	27,265

(i) इन राशियों में जीएसटी प्राप्य शामिल नही है

23. वित्तीय साधनों का उचित मूल्य

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपतियां और देनदारियां

एक वित्तीय साधन का उचित मूल्य वह राशि है जिस पर साधन का आदान–प्रदान किया जा सकता है या जानकार और इच्छुक पार्टियों के बीच आपसी लेन–देन हा सके, एक फोर्सड् या लिक्वीडेशन बिक्री इसका अपवाद है।

वित्तीय साधनों के प्रत्येक वर्ग के उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए उस मूल्य का अनुमान लगाना व्यावहारिक है।

नकद और नकद समकक्ष, अन्य प्राप्य, अन्य देय राशि

इन शेष राशियों की वहन राशि इन शेष राशियों की अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों का अनुमान लगाती है।

यापार प्राप्य और व्यापार देय राशि

इन प्राप्य और देय राशियों की वहन राशि उनके उचित मूल्यों का अनुमान लगाती है क्योंकि वे सामान्य व्यापार ऋण शर्तों के अधीन हैं।

उधार

उधार की वहन राशि उनके उचित मूल्यों का अनुमान लगाती है क्योंकि वे वित्तीय संस्थानों के साथ समान व्यवस्था के लिए ब्याज की बाजार दर के करीब ब्याज दरों के अधीन हैं।

24. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह अपने व्यवसाय का समर्थन करने और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए एक मजबूत क्रेडिट रेटिंग और शुद्ध वर्तमान संपत्ति की स्थिति बनाए रखे। कंपनी की पूंजी संरचना में जारी शेयर पूंजी और प्रतिधारित आय शामिल है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में बदलाव के आलोक में उसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी किसी बाहरी रूप से लगाई गई पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षों के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

25. श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

रिपोर्टिंग तिथि पर, परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की कुल कैरिंग राशि इस प्रकार थीः

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
(कंपनी पंजीकरण संख्या :199407265एम)

निदेशक का कथन
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	2023	2022
	यूएस$	यूएस$
परिशोधन लागत पर मुल्यांकित वित्तीय परिसंपत्तियां		
अन्य परिसंपत्तियां	28,006	27,265
नकद और नकदी के समतुल्य	3,844,372	18,624,350
व्यापार और अन्य प्राप्य (i)	32,976,102	35,201,099
	36,848,480	53,852,714
परिशोधन लागत पर मुल्यांकित वित्तीय देनदारियां		
व्यापार और अन्य देनदारियां	12,151,512	35,070,243
उधारी	18,638,880	9,269,000
	30,790,392	44,339,243

(i) इन राशियों में जीएसटी प्राप्तियां शामिल नहीं हैं

26. वित्तीय विवरणों को जारी करने का प्राधिकार

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी के निदेशक मंडल के एक संकल्प के अनुसार निदेशकों के वक्तव्य की तारीख के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत थे।

एमएमटीसी लिमिटिड

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-I/15(8)/ एमएमटीसी (सीएफएस)/
वार्षिक लेखा/ (2022-23)/2023-24/75
दिनांक: 03 AUG 2023

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम् एम् टी सी लिमिटेड,
कोर – 1, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003

विषय: **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के साथ धारा 129(4) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एम् एम् टी सी लिमिटेड के समेकित वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के साथ धारा 129(4) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लिए एम् एम् टी सी लिमिटेड के समेकित वार्षिक लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस. आ. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने का दायित्व है।यह उनके द्वारा दिनांक 30 मई 2023 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

1, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के साथ पठित धारा 129(4) के तहत एक पूरक लेखा–परीक्षा की है। हमने एमएमटीसी लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा की है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139 (5) और 143 (6) (ए) पांच संयुक्त उपक्रमों/सहायक कंपनियों (अनुबंध) पर लागू नहीं हैं, जो कि संबंधित कानूनों के तहत विदेशों में निगमित निजी संस्थाएं/इकाई हैं, लेखा परीक्षक और पूरक लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ने न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इन कंपनियों की पूरक लेखा–परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्य–पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों की पूछताछ लेखापरीक्षक और कंपनी कर्मियों और कुछ लेखा अभिलेखों की एक चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक का कारण बने।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(एस.एहलादीनी पांडा)
लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
(उद्योग एवं कारपोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03 अगस्त, 2023

अनुलग्नक

एमएमटीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	जेवी/सहायक कंपनी	स्थिति
1	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
3	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
4	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	प्राईवेट कंपनी
5	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा.लि.	सहायक कंपनी	विदेश में निगमित

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यों को
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (इसके बाद "होल्डिंग कंपनी" के रूप में जाना जाता है), और इसकी सहायक कंपनी (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ "समूह" के रूप में जाना जाता है), और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी जिनमें उसके समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। 31 मार्च, 2023 को समेकित तुलनपत्र, और लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), और नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, और समेकित नोट्स महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरण (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में जाना जाता है) शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और इसके अनुरूप एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। 31 मार्च, 2023 तक समूह और इसकी संयुक्त उद्यम संस्थाओं के मामलों की समेकित स्थिति, समेकित लाभ और इसकी कुल व्यापक आय (शुद्ध लाभ और कुल व्यापक आय को मिलाकर) और उसके बाद समाप्त हुए वर्ष के लिए इसका समेकित नकदी प्रवाह इक्विटी में समेकित परिवर्तन के लेखांकन सिद्धांत आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं।

योग्य राय का आधार

1. हम संलग्न समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 40(एफ)(ए) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ ("पीबीटी") का 1.5% की देयता 01.012007 (क्लोज्ड ग्रुप) को भाामिल किया गया है, भले ही कंपनी ने सामर्थ्य के अनुसार 1279.16 करोड रू(पि.वर्ष 120.60 करोड़) के पीबीटी की सूचना दी हो। साथ ही, कंपनी ने सेवारत कर्मचारियों के लिए बेसिक और डीए के 4.5% की दर से पीआरएमबीएस (ओपन ग्रुप) फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया है। पिछले वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 से संबंधित 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में प्रावधान इन पिछले वर्षों के दौरान नुकसान के कारण वापस ले लिया गया है। प्रबंधन अगले वित्तीय वर्ष में उपरोक्त की समीक्षा करेगा। उपरोक्त योजनाओं के अनुसार प्रावधान को शामिल नही किया गया है जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों से अलग करती है। प्रबंधन द्वारा आकलित 19.18 करोड़ (पि.वर्ष 1.81 करोड़ रू. (पीबीटी का 1.5%) और 1.63 करोड़(पि.वर्ष 3.29 करोड़ (बेसिक और डीए का 4.5%), की राशि को लेखांकन मानकों के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, पीआरएमबीएस के प्रावधान में 20.81 करोड़(पि.वर्ष 5.10 करोड़ रू) वृद्धि की गई और शुद्ध आय और शेयरधारकों की निधि इस राशि से कम हो गई।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार अपना ऑडिट किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों का हमारी रिपोर्ट में आगे वर्णन किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में भारत में समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह और इसकी संयुक्त उद्यम संस्थाओं से स्वतंत्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1.	मौजूदा पुराने ईआरपी को एकीकृत और नवीनतम ईआरपी सिस्टम से बदलने के संबंधर में नोट 36(के) देखें। इसके अभाव में, कंपनी अधिनियम में मूल्यह्रास अनुसूची, जीएसटी की शुरूआत आदि जैसे कानूनों में हाल के बदलावों को सिस्टम में निर्बाध रूप से नही आ रहा है।	हमने यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तार से निम्नलिखित परीक्षण किया कि विभिन्न लेखांकन पैकेजों/सॉफ्टवेयर में पारित सभी प्रविष्टियों को तुलनपत्र की तारीख के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने में विधिवत मैप किया गया है: कट ऑफ प्रक्रिया निष्पादित की गई विभिन्न प्लेटफार्मों में पारित प्रविष्टियों का मिलान किया गया
2.	संदर्भ नोट नं 34 दावों पर ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसमें लंबित कानूनी मामलों के दावों को शामिल किया गया है। विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इन कानूनी मामलों में उन विवादों के संभावित परिणाम और मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र कानूनी मूल्यांकन का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।	हमने 31 मार्च 2023 को कॉरपोरेट ऑफिस विधि प्रभाग में निपटाए गए सभी लंबित कानूनी मामलों की सूची पिछले साल की तुलना में मामलों की स्थिति में बदलाव पर प्रबंधन से एक नोट के साथ प्राप्त की। हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के प्रभाव पर विचार किया और कंपनी के वित्तीय दायित्व के प्रभाव का विश्लेषण किया।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों का उत्तर
	विशेष गतिविधि के लेखांकन सहित व्यापार गतिविधियों को संभालने के लिए होल्डिंग कंपनी के 5 क्षेत्रीय कार्यालयए एक उप क्षेत्रीय कार्यालय और विभिन्न प्रभाग हैं। हालाँकि, बहुत से मामलों में कानूनी मामलों को कॉरपोरेट कार्यालय स्तर पर निपटाया जाता है, जबकि संबंधित वित्तीय जानकारी / लेनदेन को क्षे.का. स्तर पर निपटाया जाता है, जिससे लेनदेन को व्यापक और समग्र उपाय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	वित्तीय विवरण में रिपोर्टिंग में स्पष्टता रखने के लिए प्रबंधन को यह सुझाव दिया गया था कि कानूनी मामले और वित्तीय दायित्व एक ही स्थान पर हों।
3.	सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश की हानि का आकलन (नोट संख्या 6 देखें) 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के पास गैर–चालू और चालू निवेश हैं।	हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन हम इन्हीं तक सीमित नहीं हैंः हानि संकेतक और नियंत्रण के डिजाइन और परीक्षण संचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया और प्रबंधन प्रक्रिया की समझ प्राप्त की। इसके संबंध में प्रबंधन से व्यापक चर्चा की। निवेश की पुनर्प्राप्ति का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धति का मूल्यांकन किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि यह लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप है।
4.	एंग्लोकोल पर प्रावधान पर नोट सं. 11 देखें	मामले के महत्व को देखते हुए, हमने निम्नलिखित ऑडिट प्रक्रियाएं लागू कीः एंग्लो कोल के मामलों के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों को प्राप्त किया और समझा। संभावित प्रभाव के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा की गई और वित्तीय विवरण में दिखाया गया।

मामलों पर जोर

पुनर्रचना और ऋण पुनर्भगतान में चूक

हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 29 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 31.3.2022 तक 2551.44 करोड़ रुपये का भुगतान मूलधन और सामान्य सहमत ब्याज के लिए 31.3.2022 तक किया गया है। 106.41 करोड़ रु. की राशि में से 63.68 करोड़ 01.04.2022 से 31.03.2023 तक ब्याज से संबंधित है और शेष राशि रु. 42.73 करोड़ रुपये बैंकों के साथ अंतिम निपटान के अधीन आरटीआर के तहत अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों से संबंधित हैं। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ मामला अब बंद हो गया है। अन्य ऋणदाता बैंक भी अपना मामला उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठा रहे हैं। प्रबंधन का विचार है कि शेष बैंक यदि कोई रियायत है तो उस पर विचार करेंगे और कोई अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सेबी के विनियम 33 और अधिरियम के भाग 49 का अपालन

हम वित्तीय विवरणों के साथ में नोट संख्या 34 (vii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने सेबी के नियम 33 का अनुपालन नही होने के संबंध मे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा उठाई गई मांग के कारण 0.07 करोड़ रूपये (पि.वर्ष 0.07 करोड़ रूपये) की आकस्मिक देयता सृजित की है प्रबंधन इन मांगों को माफ करने की प्रक्रिया में है और इस प्रकार वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अधिनियम की धारा 149 का अपालन

हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 34 (vii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बताया गया है तय समय में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं करने पर 0.01 करोड़ रूपये की राशि का जुर्माना शामिल है। प्रबंधन संबंधित मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, इसलिए वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विदेशी देनदारों का बट्टे खाते में डालना

हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36 (एन) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से बीस वर्षों से अधिक समय से बकाया विदेशी देनदारों के 0.10 करोड़ रुपये की राशि माफ कर दी गई और खराब और संदिग्ध ऋणों/दावों/ऋणों के लिए पहले बनाए गए प्रावधानों को वापस ले लिया गया। कंपनी का प्रबंधन एक विशेषज्ञ के माध्यम से फेमा दिशानिर्देशों पर राय लेने की प्रक्रिया में है और तदनुसार कार्रवाई (यदि कोई हो) की जाएगी।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षाओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय कंपनियों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम की धारा 133 के तहत भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार समूह के संयुक्त उद्यम इकाईयों के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निश्पादन और समेकित नगद प्रवाह का सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण देते हैं। समूह में शामिल कंपनी और इसकी संयुक्त उद्यम संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य को रोकने और अनियमितताएँ को पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव ; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और प्रभावी ढंग से काम सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कार्यान्वयन और रखरखाव, समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों और सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और ठोस रूप से गलत बयान से मुक्त हों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिसका उपयोग उपर्युक्त के अनुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनी और उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निदेशक मंडल से संबंधित निदेशक मंडल और उसके संयुक्त उद्यम कंपनी को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने खुलासा करने, यथा लागू करने, आकलन करने कंसर्न से संबंधित मामले और गोइंग कंसर्न आधार का उपयोग करते हुए, जब तक कि निदेशक मंडल या तो समूह को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता, या ऐसा करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है.

ग्रुप में शामिल कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम सोसायटी के संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की समीक्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए ऑडिटर का दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करे कि समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी सूचना एवं तथ्यों को गलत तौर पर नहीं दिया गया है, चाहे गलत जानकारी किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण क्यों न दी गई हो। इसके बाद हम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें हम अपनी राय शामिल करते हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु वह इस बात की गारंटी नहीं होती है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट सदा ही किसी गलत तथ्य एवं सूचना का पता लगा सके। गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा किसी गलती से उत्पन्न हो सकते हैं तथा उन्हें एकल रूप से अथवा समग्र रूप से इतना महत्वपूर्ण अथवा प्रभावी माना जाता है कि इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्णयों की इससे पर्याप्त रूप से प्रभावित होने की आशंका हो।

एसएज के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर के तौर पर निर्णय लेते हैं तथा अपनी ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेहवाद को अपनाते हैं। हम यह भी करते : हैं

- समेकित वित्तीय वितरणों में दी गई गलत जानकारी, त्रुटि चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती से हुई हो, का पता लगाते हैं तथा संबंधित जोखिम का निर्धारण करते हैं। साथ ही हम ऑडिट की ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो उन जोखिम के लिए जवाबदेही हो। इसके अलावा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय अथवा मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार होता है। धोखाधड़ी से दी गई गलत जानकारी का जोखिम त्रुटि की तुलना में अधिक होता है चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना हो सकती है।
- ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्त नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त आडिट प्रकियाएं तैयार की जा सकें। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा यह भी दायित्व होता है कि हम यह देखें कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा यह प्रणाली नियंत्रण के लिए कारगर है ।
- प्रयोग में लाई गई लेखानीतियां तथा लेखा अनुमानों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है जो गोइंग कंसर्न के रूप में समूह और इसकी संयुक्त उद्यम संस्थाओं की क्षमता पर संदेह पैदा कर सकती है।यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान देने की जरूरत है या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह और उसकी संयुक्त उद्यम इकाइयाँ एक गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहना बंद कर सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह प्रस्तुत किया ताकि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और इसकी संयुक्त उद्यम संस्थाओं के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के ऑडिट के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका ऑडिट अन्य ऑडिटरों द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य ऑडिटर उनके द्वारा किए गए ऑडिट के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी ऑडिट राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

हम होल्डिंग कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी अन्य इकाई के गवरनेंस के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिनके हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में वैधानिक ऑडिटर नहीं हैं। इसके अलावा हमद आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम गवरनेंस का प्रभार वाले लोगों को एक स्टेटमेंट भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामले जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के साथ संवाद करते हैं।

गवरनेंस के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से अपेक्षित होंगे। ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं।

अन्य मामले

1. हमने सिंगापुर में निगमित एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का ऑडिट नहीं किया है जिसका वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 तक 302.81 करोड रू., शुद्ध संपत्ति 45.20 करोड रू. ओर उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 3248.55 करोड़ रू. और शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह 0.74 करोड़ रुपये और 3.98 करोड़ रु. का कुल शुद्ध लाभ को दर्शाता है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।
2. समेकित वित्तीय विवरणों में समूह का 30.91 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) का हिस्सा भी शामिल है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जैसा कि संयुक्त उद्यम मेसर्स एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। इसके अलावा वित्तीय विवरणों में समूह के शुद्ध लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) और मेसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड ("एनआईएनएल") का दीपम के माध्यम से 04.07.2022 को एनआईएनएल पर विनिवेश के कारण 459.11 करोड़.रू. का व्यय का हिस्सा भी शामिल है।
3. समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम कंपनी, मेसर्स फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड, टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड, एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड समूह के लाभ/हानि का हिस्सा शामिल नहीं है क्योकि समूह के संचित हानि का हिस्सा होल्डिंग कंपनी के संबंधित उपरोक्त संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्य से अधिक हो गया है। इन संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाओं का न तो हमारे द्वारा ऑडिट किया गया है और न ही होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा कोई वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षित/अनऑडिटेड) हमें प्रस्तुत किया गया है! और जहां तक यह है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय सहायक और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है, और हमारी रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के संदर्भ में, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनी से संबंधित है और संयुक्त उद्यम पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। सिंगापुर में सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समायोजित किया गया है।
4. समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कंपनियों की (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और वित्तीय विवरणों/वित्तीय पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं :–

ए) हमने ऐसी उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास में लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे ।

बी) योग्य राय पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक लेखों की उचित पुस्तकों में अब तक रखी गई है जैसा कि उनकी हमारी जांच से पता चलता है अन्य लेखा परीक्षकों की पुस्तकें और रिपोर्ट से पता चलता है।

सी) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के उद्देश्य से बनाए गए लेखों की प्रासंगिक पुस्तकों के साथ मेल खाता है।

डी) योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखे) नियमों के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत , 2014 के तहत प्रासंगिक नियम जारी किए गए निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ई) ऊपर दिए गए 'योग्य राय के आधार' और 'मामले पर जोर' पैराग्राफ में वर्णित मामले, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं;

एफ) भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी पर लागू नहीं हैं।

जी) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक –1" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

एच) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद भुल्क से संबंधित मामलों सहित लंबित मुकदमें जिनका खुलासा आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है – समेकित वित्तीय विवरण के नोट 34 का संदर्भ लें । इसके प्रभाव का निर्धारण करना संभव नहीं है चूंकि मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।

ii. डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो अनुमानित हानि के लिए, लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक समेकित वित्तीय विवरण में प्रावधान किया गया है।

iii. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी पर 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई बकाया नहीं है।

iv. .(ए) प्रबंधन ने बताया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को, जिसमें विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") भी शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा। या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज़ प्रदान करती हैं (नोट 52 (ई) देखें)।

(बी) प्रबंधन ने बताया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी इकाई सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगी (नोट 52(एफ देखें))

(सी) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और ठीक माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (प) और (पप) के तहत अभ्यावेदन), जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत दिया गया है, इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

v. कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

vi. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा पुस्तिका बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है। और तदनुसार, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

सीान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023
यूडीआईएन 23095584BGWCXL2685

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

चार्टर्ड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक – I कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143(3) (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे आडिट के साथ 31 मार्च 2023 से संबंधित एमएमटीसी लि.(कंपनी) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व :

होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनी, उसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के निदेशक मंडल, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, ''चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान(आईसीआईए) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण" के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और इनको तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। ''इन जिम्मेदारियों में डिजाइन शामिल है, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन और इसका मेंटेंन करना शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, सटीकता और सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

आडिटरों का दायित्व :

हमारा दायित्व हमारे आडिट पर आधारित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है।

हमने आईसीआईए द्वारा जारी लेखा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर दिशा निर्देशों के अनुसार आडिट किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्धारित माना गया है, वह आईसीआईए द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तक और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दोनो पर लागू है। हम उन मानकों और दिशा –निर्देशों का नीतिपरक अपेक्षाओं और योजनाओं के साथ अनुपालन करते हैं और पर्याप्त आश्वासन लेने के लिए आडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित हो और इससे संबंधित सभी का प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण हो सके ।

हमारे आडिट में निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया है जिससे वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के आडिट प्रमाण मिल सके और उनकी संचालन प्रभावशीलता मिल सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ पैदा करने, मेटेरियल वीकनेस में जोखिम का पता लगाना और इसके जोखिम पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण के परिचालित प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया आडिट के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें ईंडएएस वित्तीय विवरण का ठोस गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो आडिट प्रमाण मिले हैं और नीचे दिये गये अन्य मामलों में दिय गये रिपोर्ट के अनुसार अन्य आडिटर द्वारा लिये गये आडिट साक्ष्य कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी आडिट राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्वांतों के अनुसार बाहय उददेश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में इन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है कि

(1) रिकार्ड के रख रखाव से संबद्व जो उचित विवरण में कंपनी की संपत्तियों के लेन देन, प्रकृति को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।

(2) उचित आश्वासन देता है कि लेन देन को आमतौर पर स्वीकार्य सिद्वांतों के अनुसार ईंडएएस वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए आवश्यक रूप में रिकार्ड किया गया है और कंपनी के प्रबंधन और निवेशकों के अधिकारों के अनुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

(3) रोकथाम या अनाधिकृत अधिग्रहण की समय पर खोज, उपयोग के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराता है या कंपनी की संपत्ति की प्रकृति जिसका वित्तीय विवरण पर ठोस प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तविर्हित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतनिर्हित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित तरीके से प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, ठोस गलत विवरण जो त्रृटि या धोखाधड़ी के कारण हो सकता है इसमें शामिल है, जिसका पता न लग सके। भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरण के किसी मूल्यांकन के प्रोजेक्शन जोखिम पर निर्भर करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

अन्य मामले

1. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट चार संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों के आधार पर है।

2. हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं, जहां तक यह एक संयुक्त उद्यम से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और ऐसी भारत में निगमित कंपनियों के लेखा परीक्षकों की समतुल्य रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई है.

उपरोक्त मामलों पर हमारी रिपोर्ट संशोधित नहीं है।

राय :

हमारी राय में हाल्डिंग कपंनी और इसके संयुक्त उद्यम जो भारत में निगमित हुई हैं, सभी ठोस मामलों मे, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप में हैं और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 से प्रभावी रूप से संचालित है जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर मानदंड पर आधारित थे। इनकी स्थापना के समय इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आडिट पर दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रकों के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

कृते एम एल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2023
यूडीआईएन 23095584BGWCXL2685

चार्टर्ड एकाउंटेंट आर सी गुप्ता
भागीदार
सदस्य सं. 095584

2022–23 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

पैरा सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी ?	प्रबंधतंत्र का उत्तर
	योग्य राय	
	हम संलग्न वित्तीय विवरण के नोट संख्या 40(एफ)(ए) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 01.01. 2007 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ ("पीबीटी") का 1.5% की दर पर देयता (बंद समूह) को भाामिल नही किया गया, भले ही कंपनी ने अफोर्डिबिलिटी के आधार पर 1279.16 करोड़ (पि. वर्ष 120.60 करोड़)। के पीबीटी की सूचना दी हो। साथ ही, कंपनी ने सेवारत कर्मचारियों के लिए बेसिक और डीए के 4.5% की दर से पीआरएमबीएस (ओपन ग्रुप) फॉर्म भी उपलब्ध नहीं कराया है। पिछले वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 से संबंधित 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में प्रावधान इन पिछले वर्षों के दौरान नुकसान के कारण वापस ले लिया गया था। प्रबंधन अगले वित्तीय वर्ष में इसकी समीक्षा करेगा उपरोक्त योजनाओं के अनुसार प्रावधान को शामिल नहीं करना अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों से विचलन है। प्रबंधन द्वारा अनुमानित 19.18 करोड़ रू. (पि.वर्ष 1.81 करोड़) (पीबीटी का 1.5%) और 1.63 करोड़ (पी.वाई. 3.29 करोड़) (बेसिक और डीए का 4.5%) को लेखांकन मानकों के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए था। तदनुसार, पीआरएमबीएस के लिए प्रावधान मे 20.81 करोड़ (पी.वाई. 5.10 करोड़) की वृद्धि की गई होगी और शुद्ध आय और शेयरधारकों का फंड, दी गई राशि से कम हो गया होगा।	एमएमटीसी कर्मचारी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट (पीआरएमबीटी) का गठन 15.05.2019 को बीओडी की 447वीं बैठक में किये अनुमोदन के अनुसार किया गया है और इसे दिनांक 23.01. 2023 के आदेश के अनुसार संचालित और कार्य करना शुरू कर दिया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एमएमटीसी दिसंबर, 2019 तक तिमाही खातों को बंद करने तक लाभ दिखा रहा था। हालांकि, एमएमटीसी ने अंततः वर्ष 2019–20 के लिए हानि की घोषणा की जब उसने अगस्त, 2020 में अपने खातों को अपनाया, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एनआईएनएल मार्च, 2020 के अंत में परिचालन बंद कर दिया गया और एनआईएनएल के साथ लेनदेन के कारण संचय के आधार पर व्यावसायिक ब्याज आय को शामिल करने की अनुमति नहीं दी गई। नकारात्मक नकदी प्रवाह, व्यापार में कमी के साथ–साथ दुनिया भर में व्यापार के सभी पहलुओं को प्रभावित करने वाले कोविड के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। कंपनी की वित्तीय स्थिति नकारात्मक पीबीटी/अफोर्डिबिलिटी, स्थिरता को देखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया। तदनुसार, एमएमटीसी निदेशक मंडल ने 08.07.2022 को आयोजित अपनी 471वीं बैठक में हानि वाले वर्ष 19–20 और 20–21 के लिए पीआरएमबीएस ट्रस्ट के प्रावधानों को उलटने और वित्त वर्ष 21–22 में शून्य पीआरएमबीएस प्रावधान को मंजूरी दे दी। पीआरएमबीएस ट्रस्ट को 2019 में किए गए 150 करोड़ रुपये से अधिक योगदान को समीक्षा और अफोर्डिबिलिटी तक रोक दिया गया। इसलिए, इन लेखों पर कोई प्रावधान करना समझदारी नहीं होगी और लेखा पुस्तिकाओं में पिछले प्रावधानों, यदि कोई हों, को उलटने की जरूरत है। इसके अलावा, 20.09.2019 को हस्ताक्षरित एमएमटीसी पीआरएमबीटी ट्रस्ट डीड के सीएल 2.9 ("योगदान को बंद करने का कंपनी का अधिकार)" के अनुसार, कंपनी किसी भी समय, अफोर्डिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ट्रस्ट में अपना योगदान बंद कर सकती है। पीआरएमबीटी के मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट पहले ही जीएपी को प्रस्तुत की जा चुकी है और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है।

	प्रमुख आडिट मामले	
	नोट क्रमांक देखें. 34 उन दावों पर जिन्हें लंबित कानूनी मामलों के कारण ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। विभिन्न निर्णय प्राधिकारियों के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इन कानूनी मामलों में उन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र कानूनी मूल्यांकन शामिल है। कंपनी के पास 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 1 उप–क्षेत्रीय कार्यालय और उस विशेष गतिविधि के लेखांकन सहित व्यापारिक गतिविधियों को चलाने के लिए विभिन्न प्रभाग हैं। हालाँकि, कई मामलों में कानूनी मामलों को कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर आगे बढ़ाया जाता है जबकि संबंधित वित्तीय जानकारी / लेनदेन को क्षे.का. स्तर पर निपटाया जाता है, जिससे लेनदेन को व्यापक और होलिस्टिक उपचार देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। **<u>लेखापरीक्षक की प्रतिक्रियाः</u>** हमने 31 मार्च 2023 को कॉरपोरेट कार्यालय के विधि प्रभाग में हैंडल किए गए सभी लंबित कानूनी मामलों की सूची पिछले वर्ष की तुलना में मामलों की स्थिति में बदलाव पर प्रबंधन से एक नोट के साथ प्राप्त की। हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के प्रभाव पर विचार किया और कंपनी के वित्तीय दायित्व के प्रभाव का विश्लेषण किया। वित्तीय विवरण में रिपोर्टिंग में स्पष्टता लाने के लिए प्रबंधन को कानूनी मामलों और वित्तीय दायित्वों, यदि कोई हों, को एक ही स्थान पर रखने का सुझाव दिया गया था।	सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (सीपीसी) के अनुसार कानूनी मामलों की संस्था अदालत के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करती है। क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से इस आधार पर निर्धारित किया जाता हैः ए) आर्थिक मूल्य बी) न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सी) विषय वस्तु इसी प्रकार अचल संपत्ति के मामले में वाद वहां स्थापित किया जाता है जहां अचल संपत्ति स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालय जिसने एक विशेष समझौते को निष्पादित किया है और जो अभिलेखों का रक्षक है, अदालत के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त और सही है। हालाँकि जब मामले सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचते हैं, तो मामले को कॉरपोरेट कार्यालय में निपटाया जाता है।
1.	**<u>पुनर्गठन और ऋण पुनर्भुगतान में चूक</u>** हम हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 29 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 31.3.2022 तक 2551.44 करोड़ रुपये का भुगतान मूलधन और सामान्य सहमत ब्याज के लिए 31.3.2022 तक किया गया है। 106.41 करोड़ रु. में से 63.68 करोड़ 01.04.2022 से 31.03.2023 तक ब्याज से संबंधित है और शेष राशि 42.73 करोड़ रुपये बैंकों के साथ अंतिम निपटान के अधीन आरटीआर के तहत अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों से संबंधित हैं। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ मामला अब बंद हो गया है। अन्य ऋणदाता बैंक भी अपना मामला उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठा रहे हैं। प्रबंधन का विचार है कि शेष बैंक, यदि कोई, रियायत देते है तो उस पर विचार करेंगे और कोई अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 31.3.2022 तक 2551.44 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान मूलधन और सामान्य सहमत ब्याज के लिए 31.3.2022 तक किया गया है। जिसमें 106.41 करोड़ रु. में से 63.68 करोड़ 01.04.2022 से 31.03.2023 तक ब्याज से संबंधित है और शेष राशि रु. 42.73 करोड़ रुपये बैंकों के साथ अंतिम निपटान के अधीन आरटीआर के तहत अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों से संबंधित हैं। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक के साथ मामला अब बंद हो गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी सैद्धांतिक तौर पर रियायत को मंजूरी दे दी है. शेष ऋणदाता बैंक यानी कर्नाटक बैंक भी इस मामले को अपने उचित अधिकारियों के साथ उठा रहा है। वित्त वर्ष 2022–23 में किए गए दंड और अतिरिक्त ब्याज से संबंधित प्रावधान को तदनुसार उलट दिया गया है। प्रबंधन का मानना है कि शेष एक बैंक यानी कर्नाटक बैंक इस पर विचार करेगा

2.	**<u>सेबी के विनियम 33 ओर अधिनियम की धारा 49 का अनुपालन नही होना</u>** हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 34 (vii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारा उठाई गई मांग के कारण 0.07 करोड़ रुपये (पी.वाई. 0.07 करोड़) की आकस्मिक देनदारी बनाई है। सेबी के विनियम 33 का अनुपालन न करने के संबंध में प्रबंधन इन मांगों को माफ करने की प्रक्रिया में है और इस प्रकार वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	ये मांगें एमएमटीसी बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक न होने को लेकर थीं, जो एमएमटीसी के नियंत्रण से बाहर था। प्रभाग ने लगाए गए इन जुर्माने को माफ करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को लिखा है। एमओसीएंडआई ने एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है।
3.	**<u>अधिनियम की धारा 149 का अनुपालन न करना</u>** हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 34 (अपप) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि तय समय में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं करने पर 0.01 करोड़ रु. का जुर्माना शामिल है. प्रबंधन संबंधित मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, इसलिए वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	एमओसीएंडआई ने एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। एमएमटीसी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में गैर–अनुपालन के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है जो एमएमटीसी के नियंत्रण से बाहर था।
4.	**<u>विदेशी देनदारों का बट्टे खाते में डालना</u>** हम संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 36 (एन) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से बीस वर्षों से अधिक समय से बकाया विदेशी देनदारों के 0.10 करोड़ रुपये की राशि माफ कर दी गई और खराब और संदिग्ध ऋणों/दावों/ऋणों के लिए पहले बनाए गए प्रावधानों को वापस ले लिया गया। कंपनी का प्रबंधन एक विशेषज्ञ के माध्यम से फेमा दिशानिर्देशों पर राय लेने की प्रक्रिया में है और तदनुसार कार्रवाई (यदि कोई हो) की जाएगी। उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	सलाहकार की राय के अनुसार, चूंकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बट्टे खाते में डाला गया निर्यात कैलेंडर वर्ष 2021 में प्राप्त कुल निर्यात आय के 5% की सीमा से अधिक नहीं है और अन्य शर्तों की संतुष्टि पर, 9,66,172.86 रू. की विदेशी प्राप्य राशि का स्वयं बट्टे खाते में डालना फेमा कानून के तहत अनुपालन और अनुमति होनी चाहिए।

एमएमटीसी लिमिटेड
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र

(रुपए करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को	31.03.2022 को
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	3	**27.05**	30.69
संपति उपयोग का अधिकार	3	**2.85**	3.65
कार्यशील पूंजीगत	3	**-**	-
निवेश संपत्ति	4	**3.55**	3.70
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	**0.12**	0.23
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए गणना किया गया निवेश	6A	**122.33**	91.42
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6B	**5.03**	11.03
व्यापार प्राप्य	7A	**-**	-
ऋण	8	**1.49**	2.27
अन्य	9	**44.68**	45.58
स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	**154.43**	214.41
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	11A	**27.99**	24.04
चालू परिसंपत्तियां			
इन्वेंट्रीज	12	**1.15**	29.80
वित्तीय परिसंपत्तियां			
निवेश	6C	**-**	-
व्यापार प्राप्य	7B	**404.56**	401.65
नगद तथा नगद समतुल्य	13	**318.71**	152.44
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	14	**1,027.26**	49.45
ऋण	8	**0.52**	0.99
अन्य	9	**48.08**	8.90
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल	15	**164.41**	3.61
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11B	**1,323.70**	3,709.53
बिक्री के लिए रोकी गई संपत्ति	6D	**-**	-
कुल परिसंपत्तियां		**3,677.91**	**4,783.39**
इक्विटी तथा देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16A	**150.00**	150.00
अन्य इक्विटी	16B	**1,261.76**	(298.09)
अनियंत्रित ब्याज	-	**-**	
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17A	**-**	-
लीज देयताएं	19A	**5.84**	4.14
प्रावधान	20A	**43.03**	37.40
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	17B	**195.84**	2,621.65
व्यापार प्राप्य	18		
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम बकाया देय		**0.17**	0.18
कुल सुक्ष्म और लघु उद्यम से अलग देनदारी		**345.58**	534.20
लीज देयताएं	19B	**0.86**	0.13
अन्य वित्तीय देयताएं	19C	**165.40**	219.37
अन्य चालू देयताएं	21	**280.21**	410.13
प्रावधान	20B	**1,082.44**	1,082.00
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	22	**146.78**	22.28
कुल इक्विटी और देयता		**3,677.91**	**4,783.39**

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणीयों को देख **1 से 59** **निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर. सं 002312एन

सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 095584

(अजय कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव
एसीएस–11499

(ज्योति प्रकाश)
अपर महाप्रबंधक (विवले)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक(विपणन)
डीआईएन : 06961483

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09778990

दिनांक : 30.05.2023
स्थान : नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड
31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022को समाप्त वर्ष
आय			
परिचालन से राजस्व	23	**3,528.18**	11,796.24
अन्य आय	24	**93.11**	17.73
कुल आय (I)		**3,621.29**	**11,813.97**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	**13.77**	107.40
व्यापार में स्टॉक की खरीद	26	**3,366.14**	10,544.17
तैयार माल की इंवेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड और प्रगति पर कार्य में परिवर्तन	27	**23.38**	11.75
कर्मचारी लाभ व्यय	28	**109.20**	119.32
वित्तीय लागत	29	**120.82**	208.93
मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय	30	**5.29**	5.31
अन्य खर्च	31	**123.80**	572.46
कुल खर्च (II)		**3,762.40**	**11,569.34**
असाधारण मदों तथा टैक्स (I&II) से पूर्व लाभ /(हानि)		**(141.11)**	244.63
असाधारण मदें –व्यय/(आय)	32	**(1,417.27)**	155.20
कर पूर्व लाभ व इक्विटी लेखित निवेश		**1,276.16**	89.43
इक्विटी का प्रयोग करते हुए संयुक्त उपक्रम के लाभ/(हानि) का शेयर (आय घटाकर)		**489.95**	11.65
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**1,766.11**	101.08
कर व्यय	33		
I) वर्तमान कर		**146.33**	18.27
ii) पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन		**(2.47)**	-
iii) आस्थगित कर		**59.98**	341.03
कुल कर व्यय		**203.84**	359.30
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (ए)		**1,562.27**	(258.22)
अरोप्य वर्ष के लिए लाभ/(हानि)			
मूल कंपनी के स्वामी		**1,562.27**	(258.22)
अनियंत्रित ब्याज		**-**	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**1,562.27**	(258.22)
अन्य व्यापक आय /(हानि)			
ऐसी मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगाः			
– परिभाशित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन		**1.79**	11.90
– अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स		**(6.01)**	0.97
– आयकर का प्रभाव		**(0.42)**	(4.16)
–संयुक्त उपक्रमों में अन्य व्यापक आय का शेयर (कर घटाकर)		**0.07**	(0.10)
लाभ या हानि को पुनः श्रेणीकृत बनाने वाली मदें		**-**	-
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर		**2.15**	1.78
कुल अन्य व्यापक आय /(हानि) नेट आफ टेक्स (बी)		**(2.42)**	10.39
कुल अन्य व्यापक आय/(हानि) नेट आफ टेक्स(ए)+(बी)		**1,559.85**	**(247.83)**
कुल व्यापक आय/(हानि) आरोप्यः			
मूल कंपनी के मालिक		**1,559.85**	(247.83)
अनियंत्रित ब्याज		**-**	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		**1,559.85**	**(247.83)**
प्रति इक्विटी शेयर से अर्जन			
बेसिक व डाइल्यूटेड (में)	46	**10.42**	**(1.72)**

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणी देखें 1 से 59
हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर सं 002312एन

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

सीए. आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 095584

(अजय कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव
एसीएस–11499

(ज्योति प्रकाश)
अपर महाप्रबंधक (विवले)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक(विपणन)
डीआईएन : 06961483

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09778990

दिनांक : 30.05.2023
स्थान : नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
ए. प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ/हानि		**1,766.11**		**101.08**
के लिए समायोजन :–				
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	**-**		0.01	
मूल्यहरास तथा परिशोधन व्यय	**5.29**		5.31	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	**0.54**		4.42	
पीपीई और परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(0.38)**		(0.04)	
गैर चालू निवेश की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(1,415.60)**			
गैर चालू निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**-**		0.01	
ब्याज आय	**(84.44)**		(4.16)	
लाभांश आय	**(0.16)**		(0.08)	
वित लागत	**120.03**		208.82	
लीज पर ब्याज खर्च	**0.79**		0.11	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दावे	**0.03**		0.02	
सीएसआर व्यय	**0.05**		0.05	
संदिग्ध ऋणों/ दावे व अग्रिमों के लिए भत्ता	**1.72**		1.05	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(3.19)**		(23.22)	
रिटन बैक देयताएं	**(2.98)**		(9.15)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	**-**		-	
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए संयुक्त उपक्रमों के (लाभ)/हानि की गणना का शयेर (आयकर घटाकर)	**(489.95)**		(11.65)	
		(1,868.25)		171.50
कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		**(102.14)**		**272.58**
के लिए समायोजन :–				
इन्वेंट्रीज	**28.65**		15.84	
व्यापार प्राप्ति योग्य	**(1.99)**		450.29	
ऋण व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**(37.03)**		21.62	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	**1,406.22**		(111.72)	
व्यापार प्राप्य	**(185.67)**		(454.88)	
अन्य वित्तीय देयताएं	**(52.27)**		10.60	
अन्य चालू व गैर चालू देयताएं	**(129.19)**		(362.31)	
प्रावधान	**7.81**	**1,036.53**	160.25	(270.31)
		934.39		2.27
प्रदत्त कर		**(180.58)**		(2.60)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**753.81**		**(0.33)**
बी. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(0.25)**		(1.39)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.04**		0.04	
निवेश की बिक्री/खरीद	**1874.70**		0.01	
प्राप्त किया गया ब्याज	**84.44**		4.16	
प्राप्त किया गया लाभांश	**0.16**	**1,959.09**	0.08	2.90
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**1,959.09**		**2.90**
सी. वित गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
उधार	**(2,425.81)**		203.80	
वित्त लागत	**(120.03)**		(208.82)	
लीज (ब्याज)	**(0.79)**		(0.11)	
प्रदत्त लाभांश (लाभां ा वितरण कर)	-	**(2,546.63)**	-	(5.13)
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नगदी		**(2,546.63)**		**(5.13)**
डी. नगद व नगद समकक्ष में निवल परिवर्तन		**166.27**		(2.56)
ई. आरंभिक नगद व नगद समकक्ष (नोट सं. 13)		**152.44**		**155.00**
एफ. अंतिम नगद व नगद समकक्ष (नोट सं. 13)		**318.71**		**152.44**

टिप्पणी :

1. उपरोक्त नगद प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत जैसा कि नगद प्रवाह विवरण के विषय में इंड एएस–7 में बताया गया है के अनुसार तैयार किया गया है ।

2. नगद तथा नगद समतुल्य में भाामिल है :–

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
बैंकों में उपलब्ध शेष		
(ए) चालू खाते में	1.63	115.84
(बी)3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	311.91	15.57
(सी) कैश क्रेडिट खाते में डेबिट शेष	5.17	20.96
उपलब्ध चेक /ड्राफ्ट/स्टाम्प	-	-
उपलब्ध रोकड़	-	0.07
कुल	**318.71**	**152.44**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफण्आर सं 002312एन

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

सीए. (आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 095584

(अजय कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव
एसीएस–11499

(ज्योति प्रकाश)
अपर महाप्रबंधक (विवले)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक(विपणन)
डीआईएन : 06961483

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09778990

दिनांक : 30.05.2023
स्थान : नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड

31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तनों का समेकित विवरण

इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2022 तक शेष	1,500,000,000	150.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2023 को शेष	1,500,000,000	150.00

(रुपए करोड़ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2021 तक भोष	1,500,000,000	150.00
वर्श के दौरान इक्विटी भोयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31.03.2022 को शेष	1,500,000,000	150.00

बी. 31 मार्च, 2023 की अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

	संचयी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी घटक	रिजर्व एवं सरप्लस			व्यापक आय की अन्य मदें				मूल कंपनी के मालिकों को अरोप्य	कुल
		बांड रिडिंपशन रिर्जव	आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन	ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण बदलने पर विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स		
1.4.2022 को शेष	1.13	8.30	-	598.89	(915.42)	(7.96)	15.92	1.05	(298.09)	(298.09)
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्श के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	1,562.27	(6.01)	2.15	1.44	1,559.85	1,559.85
लाभांश तथा डीडीटी'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.3.2023 को शेष	1.13	8.30	-	598.89	646.85	(13.97)	18.07	2.49	1,261.76	1,261.76

बी. 31 मार्च, 2022 की अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

	संचयी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी घटक	रिजर्व एवं सरप्लस			व्यापक आय की अन्य मदें				मूल कंपनी के मालिकों को अरोप्य	कुल
		बांड रिडिंपशन रिर्जव	आरएंडडी रिजर्व	सामान्य रिजर्व	रिटेंड अर्जन	ओसीआई द्वारा इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	विदशी परिचालन के वित्तीय विवरण बदलने पर विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य आइटम्स		
1.4.2021 को शेष	1.13	8.30	-	598.89	(657.20)	(8.93)	14.14	(6.59)	(50.26)	(50.26)
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	(258.22)	0.97	1.78	7.64	(247.83)	
(247.83)लाभांश तथा डीडीटी'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन में मदों की सीधे पहचान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.3.2022 को शेष	1.13	8.30	-	598.89	(915.42)	(7.96)	15.92	1.05	(298.09)	(298.09)

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर शामिल नही किया गया लाभांश (रुप्ए करोड़ में)

	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रस्तावित लाभांश	-	-

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
एम एल पुरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआर नंबर 002312एन

कृत्ते एम.एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफण्आर सं 002312एन

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

सीए (आर.सी.गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 095584

(अजय कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव
एसीएस–11499

(ज्योति प्रकाश)
अपर महाप्रबंधक (विवले)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 08751137

(जे. रवि शंकर)
निदेशक(विपणन)
डीआईएन : 06961483

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09778990

दिनांक : 30.05.2023
स्थान : नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. सामान्य सूचना

1963 में स्थापित और भारत में अधिवासित कंपनी एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीटयूनल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर में है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियों में खनिजों का निर्यात और कीमती धातुओं, अलौह धातुओं के आयात, उर्वरक, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन आदिका व्यवसाय शामिल हैं। कंपनी की व्यापार गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में फैली हुई है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 ए) अनुपालन का विवरण और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) तथा इनमें बाद में हुए संशोधनों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी समयावधि के लिए लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है। वित्तीय विवरण एक्रुअल के आधार पर तैयार लेखा पुस्तिकाओं से ऐतिहासिक लागत समझौते के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय साधन, जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार होते हैं, इसके अपवाद हैं।

बी) समेकन का आधार

एमएमटीसी लिमिटेड को उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के साथ इसके बाद 'समूह' के रूप में जाना जाता है। कंपनी इंड एएस–110 के प्रावधानों के अनुसार उन संस्थाओं को समेकित करती है जिनका स्वामित्व या नियंत्रण उसके पास है। समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। समूह की कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन–दर–लाइन आधार पर समेकित किया जाता है और ऐसे लेनदेन से अप्राप्त लाभ/हानि सहित इंट्रा–ग्रुप शेष और लेनदेन को समेकन पर समाप्त कर दिया जाता है। ये वित्तीय विवरण समूह में उपयोग में आने वाली समान लेखांकन नीतियों को लागू करके तैयार किए जाते हैं। गैर–नियंत्रित हित जो शुद्ध लाभ या हानि और सहायक कंपनियों की शुद्ध संपत्ति का हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समूह के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।

एसोसिएट वे संस्थाएँ हैं जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव तो है लेकिन नियंत्रण नहीं है। संयुक्त उद्यम ऐसी इकाइयाँ हैं जिनमें समूह का संयुक्त नियंत्रण होता है और इकाई की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार होता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश का हिसाब इंड एएस–28 के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। निवेश को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है, और अधिग्रहण की तारीख के बाद निवेशक के लाभ या हानि में निवेशक के हिस्से को पहचानने के लिए कैरिंग राशि को बढ़ाया या घटाया जाता है।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रूपए में तैयार किया गया है । यह कंपनी की फंक्शनल करेंसी है। वित्तीय विवरणों में इक्विटी शेयरों की संख्या और प्रति शेयर डेटा को छोडकर सभी राशियों को भारतीय रूपयों में दर्शाया गया है तथा जंहा कही ऐसा नहीं किया गया है वहां पर अन्य उल्लेख किया गया है।

2.3 अनुमान और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों अनुमानों और आकलनों की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित की गई आकस्मिक देनदारियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर की पहचान उस अवधि में होती है जिसमें परिणाम ज्ञात/प्राप्त होते हैं।

2.4 राजस्व पहचान

i) ट्रेडिंग आय

निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए राजस्व का मूल्यांकन लेनदेन मूल्य (परिवर्तनीय प्रतिफल शुद्ध) की राशि पर उस निष्पादन दायित्व के लिए किया जाता है। बेची गई वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का लेनदेन मूल्य अनुबंध के हिस्से के रूप में कंपनी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छूटों और योजनाओं के कारण परिवर्तनीय प्रतिफल से अलग है।

खरीद व बिक्री

ए. कंपनी के माध्यम से सरणीकृत किये गये कुछ वस्तुओं के आयात के मामले में जो आयात भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत पत्र के द्वारा 'सरकारी खाते' में किये जाते हैं, वह क्रय/विक्रय कंपनी के नाम पर बुक होता है।

बी. वस्तुओं का व्यापार कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से भी होता है। व्यापार के संबंध में विभिन्न कमोडिटी एक्सचेंजों के माध्यम से क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है और इसके आधार पर माल की वास्तविक सुपुर्दगी होती है।

सी. सोने/चांदी को डिपोजिट के तहत रखा जाता है: सोने/चांदी के आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवस्था के अनुसार धातु को आपूर्तिकर्ता द्वारा कंपनी के पास अनफिक्स्ड मूल्य आधार पर बाद में वापसी के लिए या आउटराईट क्रय के लिए रखा जाता है।

(I) नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एक्जिम पॉलिसी की योजना के अनुसार, खरीद में आउटराईट खरीद के आधार पर आपूर्तिकार की जमा खेप से निकाला गया सोना/चांदी शामिल हैं।

(ii) वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को सप्लायरों के जमा सोने/चांदी की खेप से निकासी पर और आपूर्तिकारों के साथ मूल्य निर्धारण पर शामिल किया जाता है। 'वर्ष के अंत में कंपनी में अंडर डिपॉजिट रखे गये स्टॉक को चालू परिसंपत्तियां स्टॉक के अंतर्गत 'बिना बीजक के खरीदारी के स्टाक के रूप में और चालू देयताओं के अंतर्गत वर्श के अंत में प्रचलित बुलियन मूल्य पर बिना बीजक के खरीदारी के रूप में देय राशि में शामिल किया जाता है। हालांकि, जमा में शेष के संबंध में भुगतान सीमा शुल्क प्रीपेड खर्च में शामिल किया जाता है।

(iii) सोने/चांदी अंडर डिपॉजिट से ऋण आधार पर वापस लिये गये सोना/चांदी ग्राहकों को दिए गए ऋण के रूप में बुक किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत समूहबद्ध किया जाता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक की देनदारी को सकल लेनदार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ऋण/सकल लेनदार का समायोजन खरीद/बिक्री बुक किए जाने पर होता है।

डी. जब सोने की खरीद घरेलू बाजार से की जाती है तथा मूल्य निर्धारण को आस्थगित रखा जाता है, इस स्थिति में आरंभ में खरीद को सप्लायर से प्राप्त इन्वायस के आधार पर रिकार्ड में लिखा जाता है। मूल्य फिक्स करने पर यदि कोई अंतर आता है तो इसे डेबिट/क्रेडिट नोट के माध्यम से हिसाब में लिया जाता है।

ई. भरपाई के आधार पर, मार्जिन धन देकर निर्यातक द्वारा बुक कराए गए सोने/चांदी खरीद विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत तय करने के बाद बुक की जाती है। हालांकि, बिक्री तब बुक की जाती है जब वास्तव में निर्यात पूरा होने के बाद माल की डिलीवरी की जाती है।

एफ. हाईसीज सेल

माल के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से आयात बिक्री के दौरान अर्थात हाई सीज बिक्री को माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तातंरण पर खरीदार के पक्ष में माल बुक किया जाता है जिससे माल पर क्रेता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिकी आय को लेने की हकदार हो जाती है। जिससे माल पर क्रेता का नियंत्रण हो जाता है और कंपनी बिकी आय को लेने की हकदार हो जाती है इससे पहले माल भारत के कस्टम सीमाओं से बाहर हो जाता है।

ii) अन्य ऑपरेटिंग राजस्व

कंपनी की मुख्य्य गतिविधियों से संबंधित आय, जो बिक्री/सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में शामिल नहीं होती है, उदाहरण के लिए अर्जित डिस्पैच, सब्सिडी, व्यापार लेनदेन पर होने वाले नुकसान के दावें क्रेडिट बिक्री पर ब्याज और व्यापार संबंधी अग्रिम (ओवरडयू के अलावा) आदि, जो व्यापार सहयोगी या संबंधित व्यापार संबंधी योजनाओं के साथ संबंधित व्यापार समझौतों की भार्तों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं को 'अन्य ऑपरेटिंग राजस्व' के अंतर्गत रखा जाता है।

I) दावें

दावों की पहचान लाभ और हानि (किसी भी देय को घटाकर) के विवरण में अक्रुअल आधार पर होती है, जिसमें सरकार से मिली प्राप्तियां, सब्सिडी, नकद प्रोत्साहन, हानियां आदि की प्रतिपूर्ति शामिल है जब अंतिम वसूली की संभावना होती है । दावों की पहचान की जाती है लेकिन बाद में संदिग्ध होने के कारण लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है। बीमा दावों को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने पर खातों में शामिल किया जाता है। कमी/क्षति जिसमें तरल क्षतियां/मात्रा/गुणवत्ता में कमी इत्यादि को संबद्व संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार खातों में शामिल किया जाता है। यदि वर्तमान संविदा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो संभावित दावा राशि की वसूली के अतिरिक्त पार्टी द्वारा स्वीकृति मिलने पर लेखों में शामिल किया जाता है। ऐसे दावों की पहचान होने पर उसी पार्टी को अग्रिम मिलने भुगतान योग्य दावे के एवज में वसूली की जाएगी/समंजन किया जाएगा।

ii) सेवा आय

कंपनी मुआवजे का हक देने के लिए सेवाओं में राजस्व बुक किया जाता है जब ग्राहक को वायदा की गई सेवाएं ट्रांसफर करने पर निष्पादन दायित्व पूरा हो जाए।

iii) लाभांश और ब्याज आय

निवेश से लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है और यह संभव है कि लेनदेन से जुडे आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आय की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है।

ब्याज आय की पहचान बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर होती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों पर छूट की दर है।

vi) वास्तविक वसूली पर राजस्व की पहचान

राजस्व की पहचान अक्रुअल आधार पर नीचे दी गई मदों को छोडकर, इंड एएस–115 के प्रावधानों के अनुसार होती है। जिनकी गणना वास्तविक वसूली पर होती है क्योंकि ऐसी मदों की वसूली अनिश्चित होती है :–

ए) ड्यूटी क्रेडिट/लागू विदेश व्यापार नीति की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छूट, टैक्स क्रेडिट, सर्वेक्षण कमी के कारण कस्टम शुल्क की वापसी, और आयकर/सेवाकर/बिक्री–कर/ वैट/जीएसटी तथा इस पर लगने वाले ब्याज आदि की वापसी।

बी) निष्पादन/विवादित देय राशि और उन पर देय ब्याज के लिए लंबित डिक्री, यदि कोई हो तोः

सी) अतिदेय वसूली पर ब्याज जहां वसूली अनिश्चित हो।

डी) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराईटरों को देय निर्णीत हर्जाना।

2.5 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत की पहचान परिसंपत्ति के रूप में होती है यदि, और केवल यदि ऐसी संभावना है कि मदों से संबंधित संभावी आर्थिक लाभ कंपनी के पक्ष में जाएंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पीपीई की मद की लागत पहचान तिथि को लागत के बराबर होती है। पीपीई की एक मद की लागत में शामिल हैः

i. खरीद मूल्य जिसमें व्यापार छूट और कटौती को घटाकर आयात शुल्क और गैर–वापसी खरीद कर शामिल है।

ii. लागत सीधे तौर पर पीपीई को उस स्थिति और स्थान पर लाने के लिए सहायक है जहां प्रबंधन द्वारा अपेक्षित तरीके से संचालन करने में सक्षम है।

iii. वस्तु को विभाजित करने और हटाने की लागत का आरंभिक अनुमान और उस स्थान पर लौटाने के लिए जिस पर यह स्थित है, कंपनी जिस दायित्व के लिए खर्च करती है जब पीपीई लिया हो या विशेष अवधि के दौरान पीपीई के प्रयोग के परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान इंवेंट्री तैयार की गई हो।

कंपनी ने पहचान के लिए लागत माडल को चुना है और यह माडल पीपीई की पूरी श्रेणी पर लागू होता है। संपत्ति की पहचान के बाद पीपीई की एक मद इसकी लागत से कम किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि पर नुकसान होता है।

छोटे मूल्य की कुछ वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, दीवार घड़ी, रसोई के बर्तन, आदि जिनका उपयोगी जीवन बहुत ही सीमित है और लागत के रूप में इस तरह के आइटम के लिए 2000/– रूपये प्रत्येक मामले में खरीद के वर्ष में राजस्व के लिए सीधे शुल्क लिया जाता है। लागत के बावजूद मोबाइल हैंडसेट की कीमत भी राजस्व प्रभारित की जाती है चाहे लागत कुछ भी हो।

2.6 अमूर्त परिसंपत्तियां

जब कंपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखती है तो पहचान योग्य अमूर्त संपत्तियों की पहचान की जाती है, ऐसी संभावना है कि परिसंपत्ति पर भविष्य में मिलने वाले आर्थिक लाभों का प्रवाह एक से अधिक आर्थिक अवधि में कंपनी के हित में होता है और संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। पहली नजर में अमूर्त संपत्ति की पहचान लागत पर होती है। अमूर्त संपत्तियों का परिसोधन सीधे तौर पर अनुमानित राशि पर उपयुक्त अवधि के लिए उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि से वे उपयोग के लिए उपलब्ध है। साफ्टवेयर्स को इनकी उपभोग अवधि में अमोर्टाइज किया जाता है। जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष अथवा लाइसेंस अवधि होती है, जैसा भी मान्य हो । प्रत्येक मामले में 2000/–रूपये तक अमूर्त परिसंपत्ति को सीधे राजस्व में चार्ज किया जाता है।

रिसर्च के द्वारा निकली अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती और खर्चे पर रिसर्च को सीधे लाभ व हानि खाते से कम किया जाता है, जब यह व्यय होता है विकास के द्वारा अर्जित अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान की जाती है यदि परिसंपत्ति इंडएएस के अनुसार पहचान के लिए कसौटी को पूरा करती है। अमूर्त परिसंपत्ति पर परिव्यय जिसकी पहचान भुारू में खर्चे के रूप में की गई थी वह अमूर्त संपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में बाद में की गई।

2.7 बिक्री के लिए गैर–उपयोगी परिसंपत्ति

कंपनी गैर–उपयोगी संपत्ति (या संपत्ति का निपटान समूह) जो बिक्री के लिए है यदि इसकी वर्तमान मूल्य की वसूली इसका उपयोग जारी रखने की बजाय बिक्री लेन–देन के माध्यम से इसकी वसूली सैद्धांतिक रूप से हुई हो तो उसका वर्गीकरण किया जाता है। गैर–उपयोगी संपत्ति को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जिसको वर्तमान से कम और बिक्री से कम लागत के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

2.8 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसची–II के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल्यह्रास के बराबर है। संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है । पीपीई की प्रत्येक ईकाई का प्रत्येक भाग लागत के साथ संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन संपत्ति के शेष भाग से अलग है, ऐसे महत्वपूर्ण भाग पर अलग से मूल्यह्रास लगाया जाता है। सभी वस्तुओं पर मूल्यह्रास उस तिथि से लगाया जाता है जिस तिथि को ''उपयोग के लिए उपलब्ध''है और बिक्री पर निपटान की तिथि तक लगाया जाता है। इसमें अमूर्त संपत्ति और लीजहोल्ड संपत्ति का परि ाोधन भाामिल है। फ्रीहोल्ड जमीन पर मूल्यह्रास नहीं निकाला जाता है। पीपीई की आइटम की पहचान नहीं की जाती जब या तो इसका निपटान किया गया है या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से किसी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होती।

सभी संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य 1/– रुपये माना जाता है। परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार लिया गया हैः –

परिसंपत्ति का नाम	अनुसूची II के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन
ए. सामान्य परिसंपत्ति	
फर्नीचर फिंटिंग्स	10
दफ्तर के उपकरण	5
वाहन – स्कूटर	10
वाहन – कार	8
कंप्यूटर्स– सर्वर्स और नेटवर्क	6
कंप्यूटर्स – अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण	3
लीज–होल्ड भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार
वैगन रेक्स	एग्रीमेंट / वैगन निवेश योजना के अनुसार
पंखों को छोड़कर इलैक्ट्रिक इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
सडकें	
कारपेटिड सड़क – आरसीसी	10
गार्डेड सड़क – आरसीसी के अलावा	5
गैर कारपोटिड सड़कें	3
पुलिया	30
इमारतें	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
आवासीय फ्लैट (तैयार)	
आरसीसी	60
आरसीसी के अलावा	30
अस्थायी संरचना और लकड़ी के पार्टिशन	3
वेयरहाउस / गोदाम	30
बी. विनिर्माण इकाई की परिसंपत्तियां	
फैक्टरी बिल्डिंग्स	30
पंखों को छोड़कर इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	10
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज	5
मशीनरी एवं प्लांट	
एक शिफ्ट	15
दो शिफ्ट	10
तीन शिफ्ट	7.5
मशीनरी एवं संयंत्र – पवन उर्जा उत्पादन संयंत्र	22
सी. भूमि पर बनाई गई स्थायी परिसंपत्तियां तथा जो न ही स्थायी परिसंपत्तियां तथा न ही जमीन कंपनी की है	5
डी. अमूर्त संपत्ति का परिशोधन(अमोर्टाजेशन)	
सॉफ्टवेयर	5 साल या लाइसेंस अवधि जैसी भी स्थिति हो

2.9 हानि

यदि किसी संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य (या नगद–जनरेटिंग ईकाई) का अनुमान संपत्ति की मूल राशि (या नगद–सृजित ईकाई) से वसूली योग्य मूल्य से कम पर लगाया जाता है। हानि को लाभ या हानि में तुरंत दिखाया जाता है जब तक कि संबद्ध संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता जिस मामले में हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी माना गया है।

वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य में से निपटान लागत और इसका मूल्य घटाकर निकाला जाता है। उपयोग में मूल्य के आकलन के लिए अनुमानित भविष्य नगद–प्रवाह को उसके वर्तमान लागत में लाया जाता है इसके लिए कर से पूर्व छूट का उपयोग किया जाता है ताकि यह धन का सामयिक मूल्य का चालू बाजार आकलन और संपत्ति पर जोखिम विशेष प्रतिबिंबित कर सके जिसके लिए भविष्य नगद प्रवाह आकलन का समायोजन नहीं किया गया है।

जब इसके फलस्वरूप हानि रिवर्स होती है तो संपत्ति की मूल राशि इसकी वसूली योग्य मूल्य के संशोधित आकलन तक बढ जाती है (या एक नगद–जनरेटिंग ईकाई) ताकि बढी हुई मूल राशि इसकी मूल राशि से अधिक न हो और यह माना गया है कि पिछले वर्षों में संपत्ति के लिए कोई हानि नहीं दिखाई गई है (या नगद–जनरेटिंग ईकाई)। जब तक संबंधित संपत्ति की पुनर्मूल्यांकन राशि नहीं निकाली जाती, हानि के रिवर्स को तुरंत

लाभ या हानि में दिखाया जाता है जिस मामले में हानि में रिवर्स को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि माना गया है।

मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों में हानि होने के किन्हीं संकेतों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कंपनी उनकी कैरिंग लागत की पुनरीक्षा करती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है ताकि हानि (यदि कोई हो तो) के परिमाण का निर्धारण किया जा सके। जब किसी एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता तो जिस रोकड़ अर्जन इकाई से परिसंपत्ति संबंधित है कंपनी उसकी वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। जब आबंटन के तर्कसंगत एवं एक समान आधार की पहचान की जा सकती है तो अनिश्चित उपयोगी समय के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों एवं उपयोग के लिए अभी अनुपयुक्त अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि के लिए जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति में हानि हो सकती है तो वर्ष में न्यूनतम एक बार जांच की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति के सूचकों के लिए लाभ व हानि द्वारा उचित मूल्य(एफवीटीपीएल) के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक पहचान के पश्चात एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप निवेश के अनुमानित भविष्य में रोकड़ प्रवाह प्रभावित हुआ है तो ऐसे वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होने पर वित्तीय परिसंपत्ति में क्षति मानी जाती है। बिक्री हेतु उपलब्ध(एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिए प्रतिभूति की लागत से कम पर फेयर मूल्य में महत्वपूर्ण अथवा दीर्घकालीन गिरावट को क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैंः–

- जारीकर्त्ता अथवा प्रतिपक्ष(काउंटर पार्टी) की महत्वूपर्ण वित्तीय समस्या
- ब्याज अथवा मूल भुगतान में डिफाल्ट अथवा चूक के कारण करार भंग
- ऋण लेने वाले की दिवालिया अथवा वित्तीय पुनर्गठन अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक्टिव बाजार गायब होने की संभावना।

व्यापारिक प्राप्य जैसी वित्तीय परिसंत्तियों के कुछ वर्गो के लिए क्षति हेतु परिसंपत्तियों का निर्धारण वैयक्तिक आधार पर किया जाता है। भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का विगत अनुभव तथा शून्य दिन की औसत क्रेडिट अवधि के पश्चात पोर्टफोलियो में विलंबित भुगतान की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ वसूली योग्य राशि में चूक से संबंधित राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में दर्शनीय परिवर्तन वसूली योग्य राशि के पोर्टफोलियो में क्षति का वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों में शामिल हो सकते हैं।

जिन वित्तीय परिसंपत्तियों को लागत पर लिया जाता है उनकी क्षति/हानि की राशि का आकलन उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्ति की वर्तमान मार्केट रेट आफ रिटर्न घटा कर अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति की कैरिंग लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है। ऐसी क्षति हानि को तदंतर में रिवर्स नहीं किया जाएगा।

व्यापारिक प्राप्यों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति/हानि को सीधे ही वित्तीय परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि से कम कर दिया जाता है। संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए अलाउंस अकाउंट के प्रयोग द्वारा उक्त क्षति/हानि को कम किया जाता है। जब यह माना जाता है कि व्यापारिक प्राप्य संग्रहणीय नहीं है तो अलाउंस खाते के प्रति इसे बटटे खाते में डाला जाता है। पहले बटटे खाते में डाली गई राशि की वसूली को अलाउंस खाते के प्रति क्रेडिट किया जाता है। अलाउंस खाते की कैरिंग राशि की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

परिशोधित लागत पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि तदंतर में क्षति/हानि के परिमाण में कमी आती है तथा क्षति की पहचान होने के पश्चात घटी घटना से कमी को निष्पक्षता से संबंधित किया जाता है तो विगत में पहचानी गई क्षति/हानि को लाभ अथवा हानि द्वारा रिवर्स किया जाता है। यह उस सीमा तक किया जाता है कि रिवर्स की गई क्षति की तिथि को निवेश की कैरिंग राशि, यदि क्षति की पहचान न की जाती तो जो परिशोधित लागत होती, उससे अधिक न हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों की डी–रिकग्नीशन

जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह के संविदात्मक अधिकार निरस्त होते हैं अथवा जब वित्तीय परिसंपत्ति तथा इसके पश्चात स्वामित्व के जोखिम एवं रिकार्डस का किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरण करती है तो कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को डी–रिकागनाईज कर देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा रिवार्डस को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उन्हें अपने पास रखती है तथा हस्तांतरित परिसंपत्ति का नियंत्रण रखती है तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने रिटेन्ड हितों की पहचान करती है तो राशि की संबंधित देयता का इसे वहन करना होगा। यदि हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के जोखिमों तथा रिकार्ड को काफी हद तक कंपनी अपने पास रखती है तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान करने के साथ–साथ प्राप्त मुनाफे के लिए कोलेटराइज्ड ऋण की भी पहचान करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति के पूर्णतः डी–रिकगनाईज होने पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि तथा प्राप्त हुए लाभ की राशि के अंतर को तथा वसूली योग्य एवं संचयी लाभ अथवा हानि जिसे अन्य आय में पहचाना गया है तथा इक्विटी में संचय किया गया है, को लाभ अथवा हानि में पहचाना जाता है।

2.10 ऋण लागत

कंपनी उस क्रय लागत को पूंजीगत बनाती है जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण या संपत्ति की लागत के भाग के रूप में क्वालिफाईंग संपत्ति के उत्पादन पर आरोप्य होता है।

कंपनी उस लागत की पहचान खर्चे के रूप में उस अवधि में करती है जिसमें यह खर्चा की गई हो।

क्वालिफाइंग परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसको इसके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है।

2.11 विदेशी मुद्रा विनिमय

क्रियात्मक मुद्रा से अलग मुद्रा में लेनःदेन की पहचान लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर की जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित मौद्रिक मदें उस तिथि को प्रचलित दर पर पुनः मूल्यांकित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्य–वर्गित गैर–मौद्रिक मदें उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकित की जाती है जिस दर पर उस तिथि को उचित मूल्य निर्धारित हुआ था। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित की गई गैर–मौद्रिक मदों का ऐतिहासिक लागत पर पुनःमूल्यांकन नहीं किया जाता है।

विदेशी करेंसी मौद्रिक मदों (अतिदेय वसूली योग्य जहां विश्वसनीयता अनिश्चित हो, को छोड़कर) को इंड एएस–21 में परिभाषित अंतिम दर को प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेन–देन की तिथि को विनिमय दर का प्रयोग करके ही जाती है। विनियम अंतर लाभ/हानि को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा की देयता को अंतिम दर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में दिखाया जाता है।

2.12 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और कम लागत पर दर्शाया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के अनुमानित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूर्व अनुमानित लागत जो बिक्री के लिए आवश्यक है, शामिल है। लागत और मूल्यांकन के निर्धारण की पद्धति नीचे दी गई है :–

(ए) निर्यात :

(I) प्रत्यक्ष खर्चे जो स्टॉक के रखने की जगह तक किए गए हैं, को शामिल करने के बाद निर्यात स्टाक निकाला गया है। इसी प्रकार बाजार मूल्य खर्चों को घटाकर वसूली योग्य मूल्य निकाला जाता है। इन खर्चों में वे खर्चें भी भाामिल हैं जो उस स्थान से बिक्री स्थान तक किए गए हैं।

(ii) खनिज अयस्क के संबंध में अयस्क के वसूली मूल्य की गणना निर्यात करार के अनुसार अयस्क के ग्रेड के न्यूनतम एफई/एमएन मात्रा पर की जाती है और इसकी तुलना अयस्क के वेटिड औसत एफई/एमएन मात्रा/वेटिड औसत नमी की मात्रा पर क्रेटिड औसत लागत से की जाती है।

(बी) आयात :

(I) आयातित स्टाक की लागत का मूल्यांकन वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत निकाल कर किया जाता है जिसमें अलौह धातु के लिए शामिल शेष स्टाक की वेटिड औसत लागत शामिल नहीं है। इसमें उन खर्चों को भाामिल माना जाता हैं जो रखे गये माल के स्थान तक किये गये हैं, तथापि जहां स्टाक विशेष रूप से पहचान योग्य होता है, वहां माल की वास्तविक लागत में वे खर्चें शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए गए हैं जहां माल रखा गया माना जाता है।

(ii) प्रतिपूर्ति विकल्प के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा बुकिंग करने पर विदेशी आपूर्तिकारों से सोना/चांदी खरीदा जाता है और वर्ष के अंत में सुपुर्द नहीं किए गए स्टाक को कंपनी के स्टाक में दिखाया जाता है और उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(सी) घरेलू

(I) सोने/चांदी के मेडालियन और चांदी के सामान की लागत की गणना प्रतिवर्ष स्थान–वार सामान की भारित औसत लागत और आरंभिक स्टाक की लागत की गणना करके की जाती है। लागत में विनिर्माण/फैबरिकेशन चार्जेज, वेस्टेज तथा अन्य लागत खर्च भाामिल है ।

(ii) कट और पालिश वाले पत्थरों और आभूषणों (तैयार, अर्ध–तैयार) के मामले में जहां स्टाक विशेष रूप से पहचाने जाने योग्य है, माल की वास्तविक लागत में वे खर्चे शामिल किए जाते हैं जो उस स्थान तक किए जाते हैं जहां रखे गए माने जाते हैं। लागत में वेस्टेज और अन्य प्रत्यक्ष निर्माण लागत शामिल है।

(डी) पैकिंग मैटिरियल

पैकिंग मैटिरियल का मूल्यांकन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर किया जाता है।

(ई) फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक

फैब्रिकेटर्स के पास स्टाक को समायोजन होने तक कंपनी के स्टाक में लिया जाता है।

2.13 प्रावधान

पिछली घटना के फलस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) होने पर प्रावधानों की पहचान की जाती है, यह संभव है कि दायित्वों के समायोजन के लिए आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की आवश्यकता हो और दायित्वों की राशि से विश्वसनीय आकलन तैयार किया जा सके।

2.14 आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां

<u>आकस्मिक देयताएं</u>

आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है बल्कि इनकी सूचना लेखों की टिप्पणियों में दी जाती है जब कंपनी का संभावित दायित्व पिछली घटना और दायित्वों की विद्यमानता भविष्य की घटनाओं की पुनरावृत्ति और गैर–पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते।

आकस्मिक देनदारियों का मुल्यांकन निरंतर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अधिक संसाधनों का आउटफ्लो संभाव्य हो जाता है। यदि आउटफ्लो संभव हो जाता है तो संबंधित प्रावधान की पहचान वित्तीय विवरण में की जाती है।

जहां एक ईकाई एक दायित्व के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी है, उस दायित्व का हिस्सा जिसे अन्य पार्टियों द्वारा मिले जाने की उम्मीद है, उसे एक आकस्मिक दायित्व माना जाता है। ईकाई दायित्वों के भाग के लिए प्रावधानों की पहचान करती है जिसके लिए आर्थिक लाभों में भाामिल संसाधनों का आउटफ्लो संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, देयताओं के सामान्य टिप्पणियों के खातों के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है।

<u>आकस्मिक परिसंपत्ति</u>

आकस्मिक परिसंपत्ति की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है। इस तरह की आकस्मिक संपत्ति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होने पर नोट्स में खुलासा किया जाता है। अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो ऐसी संपत्तियां और संबंधित आय की पहचान वित्तीय विवरणों में की जाती है।

2.15 लीज

संपत्ति लीज के तहत होती है जिसमें जोखिम और स्वामित्व का महत्वपूर्ण दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत होते हैं।

अन्य पट्टों को ऑपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें जोखिम और स्वामित्व का दर्जा मूलभूत परिसंपत्ति से जुडे पट्टेदारों को स्थानांतरित किया जाता है।

कंपनी आमतौर पर ऑपरेटिंग पट्टों का निष्पादन करती है, जो निम्नानुसार हैः–

(I) परिचालन पट्टों से किराए की आय की पहचान सीधी रेखा के आधार पर संबद्ध पट्टे की शर्तों पर की जाती है।

(ii) जब कंपनी पट्टाधारी हो तो आरंभ में संपत्ति के अधिकार की तिथि को लागत और पट्टे को भुगतान के वर्तमान मूल्य पर दिखाया जाता है जिसको पट्टे की देयता के रूप का भुगतान नहीं किया जाता है तदंतर, संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन लागत माडल का उपयोग करते हुए पट्टा देयता के पुर्नमूल्यांकन के लिए अपेक्षित किसी समायोजन के साथ किया जाता है और पट्टा देयता का मूल्यांकन पटटा देयता पर ब्याज दर्शाने के लिए कैरिंग राशि की वृद्धि करके दिया जाता है कि जिससे भुगतान की गई पट्टे की राशि की वृद्धि करके किया जाता है जिससे भुगतान की गई पट्टे की राशि को दिखाने के लिए केरिंग राशि को कम किया जाता है और केरिंग राशि का पुनः मूल्यांकन किसी पुनःनिर्धारण या पट्टे में संशोधन को दिखाने के लिए किया जाता है ।

(iii) एक व्यावहारिक समीक्षक के रूप में, अल्पावधि के पट्टे और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित संपत्ति 1,00,000/– रूपये प्रति माह के कम मूल्य की है या 1,00,000/– रूपये प्रति वर्ष दिए गए प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इंड एएस–116 (पट्टों) के तहत और पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2.16 कर्मचारी लाभ

I. ग्रेच्युटी, अवकाश मुआवजा और दीर्घ सेवा लाभ जैसे सेवा अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए परिवार लाभ योजना तथा माईका प्रभाग के कर्मचारियों को विशेष लाभ का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और इसमें प्रोजेक्टिड ईकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया गया है। पुनर्मूल्यांकन, बीमांकिक जिसमें लाभ और हानि, संपत्ति सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन और योजना पंरसिपत्तियों (ब्याज को छोडकर) पर लाभ, वित्तीय स्थिति विवरणों में चार्ज और उस अवधि में व्यय जिसमें वे होते हैं अन्य व्यापक आय क्रेडिट के साथ तुरंत दिखाई देते हैं, उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। अन्य व्यापक आय में पहचाने गये पुनर्मूल्यांकन रोकी गई आय में प्रतिबिंबित होते हैं और उन्हें फिर से लाभ या हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता। और किसी योजना संशोधन, कटौती और वर्तमान सेवा लागत, निवल ब्याज, पिछली सेवालागत या समझौते के लिए लाभ या हानि के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है।

ii. सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान परिभाषित अंशदान आधार पर किया जाता है।

iii. प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को प्रोविडेंट फंड का अंशदान अक्रूअल आधार पर किया जाता है।

iv. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक्स–ग्रेशिया और नोटिस वेतन के भुगतान को उस वर्ष के राजस्व में लिया जाता है।

v. क परिभाषित अंशदान योजना, अधिवर्षिता योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है। कंपनी प्रत्येक पात्र कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर अंशदान देती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

लघु अवधि के कर्मचारी लाभ दायित्वों का आकलन बिना छूट आधार पर मापा जाता है और व्यय को संबंधित सेवा के रूप में दर्ज किया जाता है। पीएलआई/पीआरपी योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए दायित्व के रूप में पहचान की जाती है अगर कंपनी के कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सर्विस के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या तर्कसाध्य दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर की राशि को दर्शाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक आय/लाभ या हानि विवरण में दिखाये गए कर से पहले लाभ से भिन्न होता है क्योंकि आय या व्यय जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और जो आइटम कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है। कंपनी के चालू कर की गणना उस कर की दर से की जाती है जो लागू हो या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक में लागू हो।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की राशियों के बीच कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त वित्तीय विवरणों और संबंधित कर के बीच अस्थायी अंतर है। आस्थगित कर देनदारियों की पहचान आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान आमतौर पर उस सीमा तक की जाती है कि ऐसा संभव है कि कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उपलब्ध होंगे। इस तरह के आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की लेनदेन में पहचान नहीं की जाती है यदि उस लेनदेन में संपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है (एक व्यापार संयोजन के अलावा) जो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा, आस्थगित कर देनदारियों की पहचान नहीं की जाती यदि गुडविल की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है।

आस्थगित करों की पहचान जहां कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम है, को छोड़कर सहायक और सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के हितों में देनदारियों में निवेश से संबंधित कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए की जाती है। और ऐसी संभवना है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर में रिवर्सल नहीं होगा। ऐसे निवेश और हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहां संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ का अस्थायी अंतरों के लिए लाभों का उपयोग हो सके और निकट भविष्य में इसका रिवर्सल होने की आशा हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियें की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम किया गया है कि यह अब संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से के लिए उपलब्ध होगा !

आस्थगित कर देयताएं और संपत्तियों का मूल्यांकन टैक्स दर से किया जाता है और ऐसी आशा की जाती है कि यह उस अवधि में लागू होगा जिसमें दायित्व का निर्वाह होता है या संपत्ति की वसूली होती है। यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू या मूल रूप से लागू कर दरों (और कर कानून) पर आधारित होता है।

वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान लाभ या हानि में की जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संगत किय जाते हैं जब उनकी पहचान क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में की जाती है। जब वर्तमान कर या आस्थगित कर प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तो कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल होता है ।

लाभांश वितरण कर

कंपनी अन्य इक्विटी के अंतर्गत लाभांश के भुगतान पर देय लाभांश वितरण कर भी शामिल कर रही है क्योंकि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के फलस्वरूप भुगतान के देय लाभांश को अन्य इक्विटी के तहत भी प्रस्तुत किया जाता है।

आयकर ट्रीटमेंटस पर अनिश्चितता

ईडएएस–12 के अंतर्गत जब आयकर ट्रीटमेंट्स, पर अनिश्चितंता हो तो कंपनी कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियां अप्रयुक्त कर केडिट और कर दरों पर विचार करते हुए, कंपनी आयकर प्राधिकारी द्वारा इसी ट्रीटमेंट को स्वीकार करने की संभावना पर विचार करती है और तुलनात्मक समायोजन के बिना ही पहले निवेदन पर इक्विटी समायोजन के द्वारा संचयी प्रभाव के साथ पूर्व प्रभाव के समायोजन के कारण परिवर्तन पर भी विचार करती है।

2.18 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे संपत्ति हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी में बढोतरी (ऐसे उद्देश्य के लिए निर्माणाधीन संपत्ति शामिल हैं) के लिए होती हैं। निवेश संपत्ति का मूल्यांकन आरंभ में लागत दर पर किया जाता है जिसमें लेन–देन लागत शामिल है। कंपनी की सभी संपत्तियां आपरेटिंग लीज के अंतर्गत किराया कमाने या पूंजी का विस्तार करने के उद्देश्य के लिए निवेश संपत्तियों के रूप में लेखों में शामिल की जाती हैं। आरंभिक पहचान के पश्चात कंपनी निवेश का मूल्यांकन लागत पर करती है।

जब कर निपटान किया जाता है या निवेश संपत्ति पूरी तरह से उपयोग से हटा ली जाती है और उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने की कोई उम्मीद होती है तो ऐसी निवेश संपत्ति की पहचान समाप्त हो जाती है। संपत्ति के निपटान से किसी लाभ या हानि को उस वर्ष की अवधि में लाभ अथवा हानि में लिया जाता है जिस वर्ष इसका निपटान होता है। (इसकी गणना शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की मूल राशि के अंतर पर की जाती है)।

निवेश संपत्ति पर मूल्यहरास संपत्ति की उस श्रेणी के अनुसार लगाया जाता है जिससे वह संबंध रखती है और संपत्ति की अवधि का अनुमान कंपनी की संपत्ति को उसी श्रेणी में लिया जाता है।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

इक्विटी धारकों पर आरोप्य सकल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर बेसिक प्रति शेयर अर्जन का आकलन किया जाता है। डाईल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन का आकलन कंपनी के इक्विटी धारकों पर अरोप्य लाभ को मूल(बेसिक) प्रति शेयर अर्जन ज्ञात करने के लिए उपयुक्त इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या के साथ साथ अगर सभी संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर यह शेयर जारी किए जाते तो उन इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यदि इक्विटी शेयरों को वास्वत में उचित मूल्य(अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किया जाता तो वसूली योग्य लाभ में संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है। जब तक शेयर बाद की तिथि को जारी नहीं किए जाते तो संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि के आरंभ में ही परिवर्तित माना जाता है। प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से संभावित डाईल्यूटिव इक्विटी शेयरों का निर्धारण किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किए जाने से पूर्व किए गए प्रभावी परिवर्तनों सहित किसी शेयर विभाजन एवं जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए सभी अवधियों में प्रस्तुत किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या एवं संभावित डाईल्यूटिड इक्विटी शेयर्स को पूर्व प्रभावी रूप से समायोजित किया जाता है।

2.20 बंद किए गए प्रचालन

बंद किए गए प्रचालन कंपनी के व्यापार का एक घटक है जो अलग प्रकार के व्यापार को इंगित करता है जिसे बेचा जा रहा है अथवा बिक्री के लिए रखा गया है अथवा यह एक सहायक कंपनी है जिसे केवल पुनः बिक्री के उद्देश्य से अधिग्रहीत किया गया है। निपटान से पहले अथवा जब प्रचालन 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वगीकृत मापदण्ड को पूरा करता है तो 'बंद किए गए प्रचालन' के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है।

2.21 वित्तीय दस्तावेज

I) गैर अमौलिक (नान डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज

गैर अमौलिक (नॉन डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं :–

– वित्तीय परिसंपत्तियां जिसमें रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, ट्रेड प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व, वित्त लीज प्राप्य, कर्मचारी एवं अन्य अग्रिम, इक्विटी में निवेश तथा ऋण प्रतिभूतियां एवं पात्र चालू एवं गैर चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं।

– वित्तीय देयताएं जिसमें दीर्घ एवं लघु अवधि ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफट, ट्रेड देय, पात्र चालू एवं गैर चालू देयताएं शामिल हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं बराबर कर दी जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में रखा जाता है। यदि वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है जो शामिल राशि को बराबर कर देता है और निवल आधार पर सेटल करने की मंशा है। ताकि परिसंपत्ति की कानूनी और देयताओं का निपटान एक साथ हो सके।

गैर डेरिवेटिव वित्तीय इंस्टूमेंट्स को शुरू में उचित मूल्य पर शामिल किया जाता है, साथ ही एफवीटीपीएल में दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और रिवार्ड ट्रांसफर कर दिए गए हों। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और रिवार्ड न तो ट्रांसफर किए जाते हैं और न ही रखे जायें, वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बरकरार नहीं रखा हो।

आरंभिक पहचान के पश्चात गैर–मौलिक (नॉन–डेरिवेटिव) वित्तीय दस्तावेजों का आकलन निम्नलिखित है:–

(ए) रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष

कैश फ्लो विवरण के उद्देश्य के लिए अपने पास(कैश इन हैंड), बैंकों में रोकड़ तथा बैंकों में डिमाण्ड डिपाजिट, मांग किए जाने पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवर ड्राफ्ट्स जिन्हें कंपनी के रोकड़ प्रबंधन सिस्टम का भाग माना जाता है आदि रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में शामिल हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में बैंक ओवरड्राफ्ट्स को चालू देयताओं के अधीन उधार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(बी) लिक्विड म्यूचुअल फंडों, इक्विटी प्रतिभूतियों(सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम तथा एसोसिएट्स के अतिरिक्त) में निवेश का मूल्यांकन उनके फेयर मूल्य पर किया जाता है। इन निवेशों का आकलन फेयर मूल्य पर किया जाता है तथा इनमें क्षति/हानि के अतिरिक्त परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दर्शाने के साथ–साथ कर घटाकर इक्विटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। क्षति/हानि, यदि कोई हो तो, को इक्विटी से आय के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। जब कोई वित्तीय परिसंपत्ति बिक्री के लिए उपलब्ध होती है तो इसे डी–रिकग्नाईज कर दिया जाता है तथा इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी लाभ या हानि को आय के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

(सी) ऋण एवं प्राप्य

ऋण एवं प्राप्य स्थायी अथवा निर्धारण किए जाने योग्य वाली गैर मौलिक वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिन्हें सक्रिय बाजार में उदधृत नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 माह से अधिक समय पर परिपक्व होने वाली जिन्हें गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, के अतिरिक्त इन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋण और प्राप्य को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही एफवीटीपीएल में दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है, हालांकि व्यापार प्राप्य जिसमें एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है, लेनदेन मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है और इसके बाद अमोर्टाजाईज्ड लागत पर जिसमें प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत, किसी भी हानि हानि को घटाकर मूल्यांकित किया जाता है। ऋण और प्राप्य में व्यापार प्राप्य, बिना बिल वाले राजस्व और अन्य संपत्तियां शामिल होती हैं।

ऐतिहासिक भुगतान तरीके, ग्राहकों पर ध्यान, ग्राहक की विश्वसनीयता तथा वर्तमान आर्थिक रूझानों का विश्लेषण करते हुए कंपनी वसूली योग्य खातों के संग्रह न किए जाने का अनुमान निर्धारित करती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति और खराब होती है तो अतिरिक्त भत्तों की आवश्यकता हो सकती है।

(डी) ट्रेड एवं अन्य प्राप्य

ट्रेड एवं अन्य प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है तथा इसके पश्चात प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है। वित्तीय दस्तावेजों की लघु अवधि परिपक्वता के कारण इनकी कैरिंग राशि उचित मूल्य के लगभग होती है।

(ई) सहायक कंपनी, एसोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रम में निवेश

सहायक कपनी एसोसिएटस में किए गए निवेश को निगम लागत पर खातों में लेता है।

कंपनी के नियंत्राधीन इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है।

भारत से बाहर की सहायक कंपनी में किए गए निवेश को अधिग्रहण की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है।

जिन निवेश पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है उनका वर्गीकरण एसोसिएट्स के रूप में किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशकर्ता द्वारा वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी की भाक्ति होती है परन्तु इन नीतियों पर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है ।

संयुक्त व्यवस्था जिसके द्वारा व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों का संयुक्त व्यवस्था की सकल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उन्हें संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था की हिस्सेदारी के लिए संविदात्मक रूप से की गई सहमति है जिसमें प्रासंगिक कार्यकलापों के विषय में निर्णयों के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी वाले पक्षों की एक मत से सहमति आवश्यक होती है।

ii) डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज

कंपनी को विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों, दायित्वों, विदेशी कार्यकलापों में शुद्ध निवेश तथा विदेशी मुद्रा में मौद्रिकृत पूर्वानुमित रोकड़ प्रवाह में विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है।

कंपनी डेरिवेटिव के प्रयोग तथा स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए विदेशी मुद्रा दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव को सीमित किया जाता है। जहां दूसरा पक्ष मुख्यतः बैंक होता है वहां कंपनी डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेज बनाती है।

डेरिवेटिव की पहचान एवं मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। निश्चित लेन देन लागत की पहचान लागत की तरह आय के विवरण में की जाती है।

आरंभिक पहचान के पश्चात डेरिवेटिव वित्तीय दस्तावेजों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जाता है।

ए) रोकड़ प्रवाह हेजिज

रोकड़ प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव हेजिंग दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन की पहचान अन्य समेकित आय तथा रोकड़ प्रवाह हेजिंग अधिशेष, सकल कर एवं हेज के प्रभावी होने की सीमा तक इक्विटी के एक घटक के रूप में की जाती है। हेज के अप्रभावी होने की सीमा तक उचित मूल्य की पहचान आय के विवरण में की जाती है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ/(हानि) प्रचालन के कार्यकलापों से प्राप्त निवल राशि दी जाती है। यदि हेजिंग दस्तावेज हेज एकाउटिंग की प्रणाली के अनुरूप नहीं होता है तो हैज एकाउंटिंग को बंद कर दिया जाता है। विगत में रोकड़ हेजिंग अधिशेष में पहचाने गए संचयी लाभ अथवा हानि को संबंधित अनुमानित लेनदेन किए जाने पर लाभ व हानि विवरण में अंतरित किया जाता है। यदि अनुमानित लेनदेन होने की संभावना नहीं होती है तो उक्त संचयी शेष की पहचान तत्काल रूप से लाभ तथा हानि के विवरण में की जाती है।

बी) अन्य

न तो रोकड़ प्रवाह हेजिज और न ही विदेशी प्रचालनों में किए गए निवल निवेश की हेजिज के रूप में निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव दस्तावेज के उचित मूल्य में परिवर्तन को आय के विवरण में पहचाने जाने के साथ–साथ प्रचालन के कार्यकलापों के परिणामस्वरूप निवल विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/(हानि) के अधीन सूचित किया जाता है।

उधार से संबंधित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंटस के निपटान पर अंकित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों तथा लाभ/(हानि), जिन्हें हेजिज नहीं माना गया है, को वित्तीय खर्चों में शामिल किया गया है ।

2.22 खण्डवार सूचना

जैसा कि इंड एएस–108 'आपरेटिंग सेगमेंट्स' में परिभाषित किया गया है कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक(सीएमडी) की पहचान चीफ़ आपरेटिंग डिसीजन मेकर(सीओडीएम) के रूप में की जाती है। कंपनी के सीएमडी द्वारा ही राजस्व में वृद्धि तथा प्रचालन आय के आधार पर खंडों का मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने अपने आपरेटिंग सेगमेंट्स की पहचान खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला एवं हाईड्रोकार्बन, उर्वरक एवं सामान्य व्यापार/अन्य के रूप में की है।

कंपनी के व्यापार में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देयताओं जिन्हें किसी भी आपरेटिंग खण्ड में नहीं पहचाना गया है उन्हें आबंटन न की जाने वाली परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। प्रबंध तंत्र का यह विचार है कि उपलब्ध डाटा का अर्थपूर्ण विश्लेषण कठिन होने के कारण संपूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटन उपलब्ध करवाना अभी व्यवहार्य नहीं है चूंकि कुल परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परस्पर परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2.23 पूर्वावधि चूकें

पूर्वावधि(यों) से संबंधित गंभीर चूकों का प्रकटन पूर्वावधि चूकों की प्रकृति तथा बाद में प्रस्तुत किए गए उक्त प्रत्येक पूर्वावधि चूक के लिए किए गए सुधारों के एक नोट द्वारा किया जाता है और यह बेसिक एवं डाईल्यूटिड प्रतिशेयर अर्जन में परिवर्तन के साथ व्यवहार्य सीमा तक किया जाता है। तथापि किसी विशेष अवधि के लिए यदि अतीतलक्षीय पुनः विवरण व्यवहार्य नहीं होता है तो इस स्थिति के विद्यमान होने की परिस्थितियों एवं चूक को किस प्रकार एवं कहां से सुधारा गया है इसके विवरण का खुलासा नोट्स टू एकाउंटस में किया जाता है। कंपनी के व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि एक साथ आय/व्यय (निवल) की मदें कंपनी की बिक्री टर्न ओवर के 0.5 प्रतिशत से अधिक होती है तो पूर्वावधि चूकों को गंभीर माना जाता है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का नोट

3. संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2023 को सकल कैरिंग मूल्य	1 अप्रैल, 2022 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि/ हानि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2023 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2023 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2022 को नेट कैरिंग मूल्य
फ्रीहोल्ड भूमि										
– कार्यालय भवन	0.37	-	-	0.37	-	-	-	-	0.37	0.37
– स्टॉफ क्वार्टर्स	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	0.13	0.13
लीज होल्ड भूमि	-	-	-		-	-	-			
– कार्यालय भवन	1.07	-	-	1.07	0.13	0.02	-	0.15	0.92	0.94
– स्टॉफ क्वार्टर्स	1.85	-	-	1.85	1.00	0.21	-	1.21	0.64	0.85
भवन	-	-	-		-	-	-			
– कार्यालय भवन	6.45	-	-	6.45	1.11	0.16	-	1.27	5.18	5.34
– स्टॉफ क्वार्टर्स/आवासीय फ्लैट्स	1.24	-	-	1.24	0.26	0.03	-	0.29	0.95	0.98
– जलापूर्ति, सीवरेज व ड्रेनेज	0.06	-	-	0.06	0.05	-	-	0.05	0.01	0.01
– विद्युत इंस्टॉलेशंस	3.07	-	(0.01)	3.06	2.02	0.05	(0.01)	2.06	1.00	1.05
– सड़कें व पुलियां	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-
– ऑडियो/फायर/एयरकंडि ानिंग	0.06	-	-	0.06	0.05	-	-	0.05	0.01	0.01
प्लांट एवं उपकरण	40.59	-	-	40.59	20.73	2.87	-	23.60	16.99	19.86
फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स	-	-	-		-	-	-			
– पार्टिशंस	1.27	-	0.05	1.32	1.14	0.06	0.03	1.23	0.09	0.13
– अन्य	1.57	-	(0.04)	1.53	0.91	0.14	(0.01)	1.04	0.49	0.66
वाहन	0.48	0.09	(0.09)	0.48	0.34	0.06	-	0.40	0.08	0.14
कार्यालय उपकरणे	1.79	0.06	0.01	1.86	1.65	0.08	0.01	1.74	0.12	0.14
अन्य :	-	-	-		-	-	-			
–कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	2.39	0.05	0.01	2.45	2.31	0.06	0.01	2.38	0.07	0.08
–अन्य (प्रकृति का उल्लेख करेंद्ध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	62.41	0.20	(0.07)	62.54	31.72	3.74	0.03	35.49	27.05	30.69
गत वर्ष	63.36	0.24	(1.15)	62.45	24.41	4.20	(0.73)	27.88	34.57	
परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	7.70	0.90	(0.84)	7.76	4.05	1.20	(0.34)	4.91	2.85	3.65
गत वर्ष	7.4	0.14	(1.18)	6.36	2.26	1.04	-0.3	3.00	3.36	
कार्य प्रगति पर पूंजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गत वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ए) दिल्ली स्थित स्टाफ क्वार्टर्स से संबंधित लीजहोल्ड भूमि, सडकें तथा पुलियां, सीवरेज, ड्रेनेज तथा जलापूर्ति में वह शामिल है जो पूर्व में कंपनी द्वारा 50:50 के आधार पर एसटीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से धारित थी। तथापि कंपनी ने वर्ष 2018–19 में डीडीए से अपने हिस्से की 16.16 एकड भूमि की अलग लीज डीड अपने नाम पर निष्पादित करा ली।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों में हुई हानि का निर्धारण कराया तथा तदनुसार पीपीई के मूल्य में वर्ष के दौरान हुई शून्य करोड रूपए (गत वर्ष 'शून्य' करोड रूपए) की हानि का प्रावधान किया गया है।

(सी) एमएमटीसी की 36 संपत्तियों के मूल शीर्षक पत्र रजिस्ट्रार जनरल, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जमा किए गए निर्देशों के आधार पर दिनांक 22.04.2019 और 22.05.2019 के आदेश के आधार पर जमा किए गए हैं।

(डी) नोट सं. 49 देखें

4. निवेश संपत्ति **(करोड़ रुपए में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष के आरंभ में सकल कैरिंग मूल्य	**4.88**	4.88
वृद्धि	**-**	-
निपटान / समायोजन	**-**	-
वर्ष के अंत में सकल कैरिंग मूल्य	**4.88**	**4.88**
वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	**1.18**	1.01
वृद्धि	**0.16**	0.16
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	**1.33**	1.18
वर्ष के अंत में नेट कैरिंग मूल्य	**3.55**	**3.70**

निवेश संपत्तियों के लिए राशि लाभ अथवा हानि में दिखाई गई राशियां हैं		(करोड़ रू.में)
विवरण	**31 मार्च, 2023**	**31 मार्च, 2022**
किराया आय	**2.29**	1.50
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित हुई।	**-**	-
संपत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराया आय अर्जित नहीं हुई।	**-**	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से लाभ	**2.29**	1.50
मूल्यह्रास	**0.08**	0.08
निवेश संपत्तियों से लाभ	**2.21**	1.42

लिजिंग व्यवस्था

कुछ निवेश परिसंपत्तियों को किराएदारों को दीर्घावृद्धि ओपरेटिंग लीज के तहत लीज पर दिया जाता है जिसके तहत मासिक आधार पर किराया देय होता है। निरस्त न की जाने वाली ओपरेटिंग लीज निवेश संपत्तियों से प्राप्त होने वाली न्यूनतम लीज राशि का विवरण नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रू.में)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
एक वर्ष के अंदर	0.55	1.81
एक वर्ष के बाद परंतु पांच वर्ष तक	1.65	2.50
पांच वर्ष के बाद	-	2.15
कुल	**2.20**	**6.46**

5. अमूर्त संपत्तियां

(करोड़ रू.में)

विवरण	01 अप्रैल 2022 को सकल कैरिंग मूल्य	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2023 को सकल कैरिंग मूल्य	01 अप्रैल 2022 को संचित मूल्यह्रास	वृद्धि	निपटान / समायोजन	01 अप्रैल 2023 को संचित मूल्यह्रास	31 मार्च, 2023 को नेट कैरिंग मूल्य	31 मार्च, 2023 को नेट कैरिंग मूल्य
कंप्यूटर साफटवेयर	**4.23**	**0.16**	**(0.28)**	**4.11**	**3.99**	**0.17**	**(0.17)**	**3.99**	**0.12**	**0.23**
पिछले वर्ष	4.23	-	-	4.23	3.84	0.16	-	4.00	**0.23**	

नोट सं. 50 देखें

6. निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
गैर चालू निवेश				
(ए). इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स में निवेश – (इक्विटी विधि) का उपयोग करने के लिए निवेश किया जाता है – संयुक्त उपकम) अनकोटिड				
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 5000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5000) ।	**0.00**		0.00	
जमा/(कमी): अब तक संयुक्त उपक्रमों से आय/(हानि)	**0.00**	**-**	0.00	-
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि. – प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 17446000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 17446000) ।	**17.45**		17.45	
जमा: अब तक संयुक्त उपक्रमों से आय	**104.88**	**122.33**	73.97	91.42
कुल (ए)		**122.33**	**91.42**	
(बी). इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स में निवेश (अन्य)				
ए)अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य				
कोटिड				
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड 116883 (गत वर्ष 38961) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर रुपए 2 प्रत्येक।	**3.00**		3.00	
जमा/(कमी): अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन अनकोटिड	**2.03**	**5.03**	8.03	11.03
बी) अमोर्टाइज्ड लागत पर				
अनकोटिड				
इंडो फ्रेंच बायोटेक लिमिटेड प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 4750000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 4750000)	**4.75**		4.75	
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी	**(-4.75)**	0.00	(-4.75)	0.00
कुल (बी)		**5.03**		**11.03**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
कुल गैर चालू निवेश (सकल)		25.20		25.20
	सकल राशि	**बाजार मूल्य**	**सकल राशि**	**बाजार मूल्य**
कोटिड निवेश की सकल राशि तथा इसका बाजार मूल्य का सकल मूल्य	**3.00**	**5.03**	3.00	11.03
अनकोटिड निवेश की सकल राशि	**22.20**	-	22.20	-
निवेश मूल्य में कमी की सकल राशि	**4.75**	-	4.75	-

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
सी) चालू निवेश	-	-	-	-

(रुपए करोड़ में)

विवरण 6.डी बिक्री के लिए गैर चालू निवेश	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
(क) अमोटाईज्ड लागत पर इक्विटी इस्ट्रूमेंट में निवेश				
संयुक्त उपक्रम				
अनकोटिड				
नीलाचल इस्पात निगम लि. 368762744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 368762744) प्रत्येक 10 रूपये मूल्य	**0.00**		459.11	
जमा/(कमी):अब तक सयुंक्त उपक्रम से आय/(हानि)	**0.00**	-	(459.11)	
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि. – प्रत्येक रु. 10/– मूल्य के 33800000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	- -	-	- -	- -
अन्य				
<u>अन्य व्यापाक आय के माध्यम से उचित मूल्य</u>				
अनकोटिड				
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. – प्रत्येक 5/– मूल्य के 32000000 (पि.वर्ष 32000000) के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	**16.00**		16.00	
जमा/(कमी):अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**(16.00)**	-	(16.00)	-
बिक्री के लिए रखा गया कुल निवेश		**0.00**		**0.00**
(बी) बिक्री के लिए रखा पीपीई		-		-
कुल (क) +(ख)		0.00		**0.00**

I- अनुषंगियों और संयुक्त उपक्रमों के इक्विटी लिखतों में सभी गैर–वर्तमान निवेश निवेश के मूल्य में कम हानि, यदि कोई हो, पर किए जाते हैं। दूसरों के इक्विटी लिखतों में निवेश उचित मूल्य पर किया जाता है।

ii- कंपनी ने कामराजार पोर्ट पर लौह अयस्क टर्मिनल के निर्माण और संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम,सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड में 26% इक्विटी के लिए रू. 33.80 करोड रू. (पि.वर्ष 33.80 करोड़ रू.) का निवेश किया था। टर्मिनल का निर्माण नवंबर 2010 तक पूरा हो गया था, इसे खनन, परिवहन और लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण चालू नहीं किया जा सका। नियत निविदा प्रक्रिया के बाद, कामराजार पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) ने एसआईओटीएल को आवश्यक संशोधनों के लिए आम उपयोगकर्ता कोयले को संभालने की अनुमति दी है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने 14.09.2016 को आयोजित अपनी 428वीं बैठक के दौरान जेवी से खुली निविदा तंत्र के माध्यम से एमएमटीसी के बाहर निकलने को मंजूरी दी। तदनुसार, एमएमटीसी की इक्विटी की बिक्री के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की गईं। निविदा प्रक्रिया में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, प्रमुख प्रमोटर (अर्थात मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड) ने एमएमटीसी की इक्विटी को 34.26 करोड़ रू. के आरक्षित मूल्य पर खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, शेयर खरीद समझौते (एसपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और समझौते के अनुसार मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने समझौते के निष्पादन के लिए एमएमटीसी के पास रू. 0.50 करोड़ रू. जमा किए हैं। एसपीए की शर्तों के अनुसार, मेसर्स एसआईओटीएल ने एनओसी/एमएमटीसी के संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने की अनुमति के लिए मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड को आवेदन किया। एनओसी अक्टूबर 2019 में प्राप्त हुई थी। हालांकि, अभी तक शेष भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से शेयर खरीद मूल्य की प्राप्ति में देरी और मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए, एसआईओटीएल पर निवेश के मूल्य में हानि के लिए रू.33.80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तदनुसार निवेश को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में दिखाया गया है।

केपीएल ने 21.12.2020 को एसआईओटीएल को समाप्त करने के इरादे का नोटिस जारी किया। कंपनी ने 24.06.2021 को केपीएल द्वारा जारी टर्मिनेशन नोटिस के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। आदेश दिनांक 30.11.2021 के द्वारा, इस याचिका को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि रिट अदालत के समक्ष चलने योग्य नहीं है। एमएमटीसी ने दिनांक 30.11.2021 के आक्षेपित निर्णय आदेश को चुनौती देते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की है। इस बीच, एसआईओटीएल की मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही थी। कंपनी (एमएमटीसी) ने सिकल लॉजिस्टिक्स के सीआईआरपी के पास 34.26 करोड़ रू. का दावा दर्ज कराया। एसआईओटीएल में निवेश की सुरक्षा के लिए, मेसर्स सिकल लॉजिस्टिक्स ने आईबीए/73/2020 की मुख्य सीआईआरपी कार्यवाही में आईए/574/सीई/2021 के समान एक समान आवेदन किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्यवाही में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, एमएमटीसी ने एक पक्ष के रूप में पक्षकार होने और किसी भी आदेश के पारित होने से पहले सुनवाई के लिए आईए/686/सीई/2021 के रूप में एक आवेदन दायर किया। आदेश दिनांक 11.03.2022 के द्वारा, एनसीएलटी चेन्नई ने क्षेत्राधिकार के अभाव में सिकाल के IA/574/Che/2021 को खारिज कर दिया। तदनुसार, आईए/574/चे/2021 में एमएमटीसी का आवेदन आईए/686/सीई/2021 बंद हो गया है। एसएलएल के आईआरपी ने अपने आदेश दिनांक 8.12.2022 के माध्यम से एनसीएलटी द्वारा विधिवत अनुमोदित एसएलएल के सफल समाधान के बारे में भी सूचित किया था। मेसर्स एसआईओटीएल के दो लेनदारों (1. मेसर्स पोर्टमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई 2. मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, मुंबई) ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत एनसीएलटी में एसआईओटीएल के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की। आदेश दिनांक 01.03.2022, के द्वारा एनसीएलटी चेन्नई ने उनके आवेदन स्वीकार कर लिए हैं और दोनों मामलों के लिए एक ही आईआरपी नियुक्त किया है। एसआईओटीएल के आरपी ने दिनांक 02.03.2023 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि लेनदारों की समिति (सीओसी) के सदस्यों ने कारपोरेट देनदार को लिक्विडेट करने का संकल्प लिया है और परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए माननीय एनसीएलटी के समक्ष आवेदन दायर किया गया है। इसलिए सीआईआरपी विनियमन और परिसमापन की शुरुआत के विनियमन 12 (2) के अनुसार अधोहस्ताक्षरी इस स्तर पर एमएमटीसी के दावे पर विचार नहीं कर सकता है। विधि प्रभाग के परामर्श से निवेश राशि की प्राप्ति के लिए उपलब्ध अन्य विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।

iii. एनआईएनएल की विनिवेश प्रक्रिया डीआईपीएएम के माध्यम से 4.7.2022 को पूरी हो गई है। नोट सं. 36(सी) का संदर्भ लें।

iv. एमएमटीसी ने 2009–10 के दौरान आईसीईएक्स में 26 करोड़ रू. (5.20 करोड़ इक्विटी शेयर 5 रू. अंकित मूल्य) का निवेश किया था। आईसीईएक्स की आरंभिक इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रू. थी जिसे बाद में बढ़ाकर 266.75 करोड़ रू. कर दिया गया। हालांकि बाद में एमएमटीसी ने 2015–16 में 10 रू.प्रति शेयर की दर से 2 करोड़ शेयर का विनिवेश किया। इस विनिवेश के बाद एमएमटीसी की शेयरधारिता घटकर 16 करोड़ रू. (3.20 करोड़ शेयर/5 रू. अंकित मूल्य) हो गई जो कि 266.75 करोड़ रू. की कुल शेयर पूंजी का 6 प्रतिशत है। बाद में आईसीईएक्स के निवल मूल्य के क्षरण के कारण एमएमटीसी ने 2019–20 और 2021–22 में क्रमशः 8.16 करोड़ रू. और 7.84 करोड़ रू. का उचित मूल्य समायोजन प्रदान किया। इस तरह के समायोजन के बाद खातों की किताबों में शेयर मूल्य 31.03.2023 (पि.वर्ष शून्य करोड़) को शून्य करोड़ रुपये है।

आईसीईएक्स के शेयर 31.03.2023 को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध नहीं हैं। एमएमटीसी ने वित्त वर्ष 2017–18 और वि.वर्ष 2019–20 से 2021–22 में आईसीईएक्स में ईक्विटी बेचने का प्रयास किया लेकिन कोई खरीदार नही मिला।
सेबी ने 18.05.2022 को भारत के आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से आईसीईएक्स की मान्यता वापस लेने के लिए दिनांक 10.05.2022 को आदेश पारित किया। हालाँकि, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण(एसएटी) ने अपने आदेश दिनांक 13 जून 2022 द्वारा आईसीईएक्स की मान्यता रद्द करने वाले सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है और सेबी की संतुष्टि के अनुसार सभी अनुपालन पूरा करने के लिए आईसीईएक्स को 13.6.2022 से एक वर्ष का समय दिया है, इस अवधि के दौरान सभी व्यापारिक गतिविधियाँ निलंबित रहेंगी।

फरवरी 2023 में आइसीईएक्स बोर्ड ने नियामक (सेबी) को एक्सचेंज के लाइसेंस/मान्यता के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण और कमोडिटी डेरिवेटिव व्यवसाय को बंद करने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा, आईसीईएक्स बोर्ड ने उचित समय पर व्यवसायों की नई श्रृंखला पर विचार करने का निर्णय लिया।

7 . प्राप्य व्यापार **(करोड़ रुपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
(i) संबंधित पार्टी से व्यापार प्राप्य		
ए) अच्छे माने गये –सुरक्षित	**-**	-
बी) अच्छे माने गये –असुरक्षित	**-**	-
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	**-**	-
डी) क्रेडिट हानि	**-**	-
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	**-**	-
अनुयोग	**-**	-
(ii) संबंधित पार्टी से व्यापार प्राप्य		
ए) अच्छे माने गये –सुरक्षित	**115.61**	102.47
बी) अच्छे माने गये –असुरक्षित	**288.94**	299.17
सी) ऐसा जिसमें क्रेडिट जोखिम अधिक है	**-**	-
डी) क्रेडिट हानि	**390.22**	390.12
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता	**390.22**	390.12
अनुयोग	**404.55**	**401.64**
कुल	**404.55**	**401.64**
गैर–चालू (ए)	**-**	-
चालू (बी)	**404.56**	**401.65**
कुल	**404.56**	**401.65**

उपरोक्त में से, कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा या तो अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ या फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय राशि जिसमें कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है शून्य करोड़ रू. (पि. वर्ष शून्य करोड रू.)।
संदर्भ नोट सं. 37.3 (बी) एजिंग के लिए ओर नोट सं.36(एच)(ii)

अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की अनुमति (एलाउंस) में परिवर्तनः **(करोड़ रुपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष	**390.12**	390.02
वर्ष के दौरान वृद्धि	**0.36**	0.10
वर्ष के दौरान रिवर्सल/रिटर्न आफ	**-**	-
वर्ष के दौरान उपयोग	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष	**390.22**	**390.12**

08. ऋण (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
	चालू	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू
प्राप्ति योग्य– सुरक्षित				
कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.33**	**0.95**	0.51	1.90
अन्य	**-**	**-**	-	-
अनुयोग	**0.33**	**0.95**	**0.51**	**1.90**
प्राप्ति योग्य – असुरक्षित				
संबंधित पार्टियों को ऋण	**0.19**	**0.54**	0.48	0.37
कर्मचारियों को ऋण	**-**	**-**	-	-
अन्य	**-**	**-**	-	0.00
अनुयोग	**0.19**	**0.54**	**0.48**	**0.37**
क्रेडिट में क्षति				
संबंधित पार्टियों को ऋण	**-**	**-**	-	-
कर्मचारियों को ऋण`	**-**	**-**	-	-
अन्य	**0.03**	**0.14**	0.03	0.14
घटाएंः अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण	**0.03**	**0.14**	0.03	0.14
अनुयोग	**-**	**-**	-	-
योग	**0.52**	**1.49**	**0.99**	**2.27**

उपरोक्त में से, कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा या तो अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ या फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय राशि शून्य करोड़ रू. (शून्य करोड रू.) जिसमें कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है ।

*कर्मचारियों की संपत्ति और अन्य संपत्तियों के दृष्टिबंधक / उपक्रम द्वारा सुरक्षित।

09. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
	चालू	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमा राशि	**-**	**11.39**	-	11.39
भुगतान नही किये गये लाभांश के लिए बैंक के पास शेष	**-**	**0.16**	-	0.19
एनएसईएल से प्राप्य (i)	**-**	**208.25**	-	208.25
प्राप्य डेमरेज तथा डिस्पैच	**2.62**	**6.81**	4.40	6.42
फारवार्ड संविदा प्राप्य	**-**	**-**	-	-
अन्य कंपनियों को दिए गए अग्रिम (ii)	**-**	**33.53**	-	33.53
अन्य अग्रिम	**0.26**	**8.99**	1.85	8.97
सिक्योरिटी जमा	**0.55**	**2.06**	4.00	2.34
निम्नलिखित पर उत्पन्न देय ब्याज / अदेय ब्याज :	**-**	**-**	-	-
– सावधिक जमा	**45.14**	**-**	0.46	-
– कर्मचारियों को दिए गए ऋण	**0.65**	**4.67**	0.58	6.20
– संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण	**0.04**	**0.49**	-	-
– अन्य को दिए गए ऋण	**-**	**3.16**	-	2.25
अन्य	**-**	**9.92**	-	9.92
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध प्राप्यों में हानि / स्वीकार्यता	**1.18**	**244.75**	2.39	243.88
योग	**48.08**	**44.68**	**8.90**	**45.58**

(I) एनएसईएल के भुगतान दायित्व के चूक के कारण उत्पन्न होने वाले विभिन्न उधारकर्ताओं और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) से वसूली योग्य 208.25 करोड़ रू.(पि.वर्ष 208.25 करोड़ रू.) का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए पहले ही पूरा प्रावधान किया जा चुका है। कंपनी ने एनएसईएल और अन्य के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में कानूनी मुकदमा दायर किया है और सुनवाई जारी है। सीबीआई ने भी मामले की जांच की। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनएसईएल के एफटीआईएल के साथ समामेलन के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की संपत्तियों को संलग्न करने वाले एमपीआईडी अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचनाएं वैध हैं।

कंपनी द्वारा दायर किए गए मुकदमे को एलजे तन्ना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज द्वारा दायर 2014 के सूट नंबर 121 के साथ टैग किया गया है, जो नियमित रूप से माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के सीएमआईएस सिस्टम के अनुसार सुनवाई के लिए नहीं आया है। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है। कंपनी ने 18: प्रति वर्ष ब्याज के साथ मूल राशि की वसूली के लिए मुंबई में एमपीआईडी कोर्ट के समक्ष अपना दावा भी दायर किया है। ये मामले अदालत में विभिन्न चरणों में लंबित हैं।

(ii) वर्ष के दौरान एचएफटीडब्ल्यूपीएल और केएफटीडब्ल्यूपीएल को परियोजना विकास के लिए अग्रिम राशि के एवज में शून्य करोड़ रू. (पि.वर्ष शून्य करोड रू.) का प्रावधान किया गया है। 31.03.2023 को कुल प्रावधान 16.30 करोड़ रू. (पि.वर्ष 16.30 करोड़ रू.) है।

10. आस्थगित कर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	**(5.04)**	(6.99)
अनुयोग	**(5.04)**	**(6.99)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**168.04**	233.30
कर्मचारी लाभ व्यय के लिए प्रावधान	(8.57)	(11.90)
अनुयोग	**159.47**	**221.40**
आस्थगित कर संपत्तिया (निवल)*	**154.43**	**214.41**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को कंपनी की संभावित भावी कर योग्य आय के प्रति अपेक्षित उपयोग की सीमा तक शामिल किया गया है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 (ए.वाई. 2023–24) से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत शुरू की गई धारा 115 बीएए के तहत विकल्प के अनुसार नई आयकर दरों का विकल्प चुना है। इसलिए, धारा 115बीएए (25.167%) के तहत विकल्प के अनुसार नियमित आयकर दरों (34.944%) और दरों के बीच प्रभावी आयकर दरों में अंतर की सीमा तक *214.41 रू. करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्तियों के कैरी फॉरवर्ड शेष को समायोजित किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी ने शामिल अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए चालू और साथ ही पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान आगे ले जाने वाली हानियों पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को परंपरागत आधार पर पहचान नहीं की है।

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में संचलन

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को शेष	लाभ व हानि में शामिल	समायोजन	31 मार्च 2023 को शेष
आस्थगित कर देयता				
संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	(6.99)	-	1.95	(5.04)
अनुयोग	**(6.99)**	**-**	**1.95**	**(5.04)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	233.30	-	(65.26)	168.04
कर्मचारी लाभ व्यय के लिए प्रावधान	(11.90)	-	3.33	(8.57)
अनुयोग	**221.40**	**-**	**(61.93)**	**159.47**
योग	**214.41**	**-**	**(59.98)**	**154.43**

पहचान की गई आस्थगित कर परिसंपतियां

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
अस्थाई कटौती योग्य अंतर	**154.43**	**214.41**
कुल	**154.43**	**214.41**

आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर दायित्वों को आफसेट कर दिया है क्योंकि वे एक ही कानून के अंर्तगत आते हैं।

11. अन्य संपत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
ए. गैर चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
–अन्य सप्लायर्स को अग्रिम	**4.07**	4.79
–अन्य अग्रिमे	**16.94**	17.03
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(17.30)**	(18.27)
अन्य		
–वसूली योग्य प्रदत्त आयकर''	**24.24**	20.45
–अन्य	**0.04**	0.04
कुल	**27.99**	24.04
बी. चालू		
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
– सिक्योरिटी जमा	**-**	
– संबंधित पार्टियों को अग्रिम	**-**	1,425.00
– संबंधित पार्टियों को व्यापार संबंधित अग्रिम	**-**	2,038.11
– अर्जित ब्याज वसूली अनिश्चित	**-**	-
– अन्य आपूर्तिकारों को अग्रिम	**0.79**	0.79
– अन्य प्राप्य दावे	**169.53**	167.03
– बिना बिलों के की गई गोल्ड/सिल्वर स्टॉक की खरीद	**-**	24.96
– अन्य अग्रिम'	**1,113.95**	15.30
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों की स्वीकार्यता	**(3.35)**	(3.36)

अन्य		
– आयकर रिफंड देय	**2.53**	3.51
– बिक्री कर रिफंड देय	**13.90**	14.50
– देय एक्साइज/कस्टम ड्यूटी रिफंड	**4.68**	4.68
– देय सेवाकर रिफंड	**3.98**	0.53
– अन्य	**17.69**	18.48
कुल	**1,323.70**	**3,709.53**

*इसमें 20.10 करोड़ रू. (पि.वर्ष 14.68 करोड़) विवादाधीन है (नोट संख्या 34 (i) (बी) देखें)

(I) **एंग्लो कोल मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय आदेश दिनांक 06.05.2022 और 07.07.2022 के संदर्भ में, '1088.62 करोड़ रू.की राशि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जमा की गई है और अंतिम राशि माननीय न्यायालय का निर्णय/स्पष्टीकरण के अधीन है। कंपनी की गणना के अनुसार 19.07.2022 तक ब्याज के साथ लेखा पुस्तिकाओं में 1054.77 करोड़ रू. (नोट संख्या 20 देखें) का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। सुनवाई की अगली तारीख 13.07.2023 है.

(ii) इसमें ट्रामो एजी बनाम एमएमटीसी लिमिटेड मामले के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा की गई 4.36 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसके लिए 4.36 करोड़ रू. (संदर्भ नोट संख्या 20) का प्रावधान लेखों में किया गया है।

(iii) इसमें सीईएसटीएटी के पास जमा की गई *0.60 करोड़ रू.की राशि शामिल है, जो सेवाकर मांग के खिलाफ अपील दायर करने के लिए पूर्व शर्त है।

(iii) ओएमपी (ईएनजी) केआईएसपीएल बनाम एमएमटीसी लिमिटेड मामले के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा की गई 2.79 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। कंपनी ने 6.14 करोड़ रू. की आकस्मिक देनदारी को भाामिल किया है (नोट संख्या 34 देखें)

12. इन्वेंट्रीज

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
कच्चा माल	**0.24**	5.09
तैयार माल	**0.91**	20.66
स्टॉक इन ट्रेड (2.68 करोड. रू. (पि वर्ष शून्य करोड. रूपये मूल्य के गुड्स इन ट्रॉजिट शामिल है)	**-**	3.65
अन्य	**-**	0.40
योग	**1.15**	29.80

ए) जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया।

बी) 31 मार्च, 2023 तक पारगमन में माल सहित माल का मूल्यांकन लागत से कम या वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम होने के परिणामस्वरूप भून्य करोड रू. (पि.वर्ष 0.1 करोड रू.) का नुकसान हुआ है।

सी) स्टॉक इन ट्रेड में निम्नलिखित भाामिल हैं:–

(i) 9036 यूनिट्स (पी.वाई. 9036 यूनिट्स) प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर) का मूल्य 1 (पी.वाई.1) इंड एएस–2 'इन्वेंट्रीज' के अनुसार, लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य है।

(ii) शून्य इकाइयां (पी.वाई. शून्य इकाइयां) प्रमाणन के तहत सीईआर की संख्या।

(iii) उत्सर्जन न्यूनीकरण उपकरण के मूल्यह्रास, ओ एंड एम लागत के कारण 5.42 करोड़ (पि.वर्ष 5.30 करोड़ रूपये) की राशि खर्च की गई है।

(डी) व्यापार में स्टॉक में प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत आयातित प्याज से संबंधित मूल्य पर मूल्य की एक सूची शामिल है। (नोट 36(ई) देखें।

13. नकद तथा नकद समतुल्य

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
बैंक में उपलब्ध शेष		
ए) चालू खाते में	**1.63**	115.84
बी) सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने तक की है	**311.91**	15.57
सी) कैश क्रेडिट अकाउंट में डेबिट शेष	**5.17**	20.96
चैक/ड्राफट/ऑन हैंड	**-**	-
कैश ऑन हैंड	**-**	0.07
कुल	**318.71**	**152.44**

14. उपरोक्त के अलावा बैंक शेष

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
मार्जिन मनी के रूप में/लियन पर	**59.31**	48.66
सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम है	**967.95**	0.79
कुल (ए)	**1,027.26**	**49.45**

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	164.41	
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भुगतान किया गया अग्रिम कर	-	3.61
कुल	**164.41**	**3.61**

16. ए . इक्विटी शेयर पूंजी

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
	संख्या	संख्या
अधिकृत		
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर		
संख्या	**2,000,000,000**	2,000,000,000
राशि	**200.00**	200.00
निर्गत, खरीदे गए तथा पूर्ण प्रदत्त		
प्रत्येक 1/– रुपए समान मूल्य के साधारण शेयर		
संख्या	**1,500,000,000**	1,500,000,000
राशि	**150.00**	150.00

शेयरों की संख्या जिनका मिलान किया गया

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
आरंभिक इक्विटी शेयर	**1,500,000,000**	1,500,000,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/खरीदे गए शेयरों की संख्या		
घटाए : कटौती	**-**	**-**
अंतिम शेष	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**

कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर के शेयरों की संख्या जिनकी 5 प्रतिशत से अधिक होल्डिंग है

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
– भारत के राष्ट्रपति	**1,348,903,143**	**1,348,903,143**

प्रोमोटर्स की शेयरधारिता

वर्ष के अंत में प्रोमोटर्स के पास शेयर			वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
– भारत के राष्ट्रपति	**1,348,903,143**	89.93%	शून्य

कंपनी के पास शेयर पूंजी का एक वर्ग है, जिसमें प्रत्येक के 1/– के साधारण शेयर शामिल हैं। कंपनी के अर्टिकल आफ एसोसिएशन और लागू कानून के अधीन, कंपनी के साधारण शेयर धारक को कंपनी की आम बैठकों में नोटिस प्राप्त करने और वोट देने का अधिकार प्रदान करते हैं, कंपनी के समापन पर किसी भी अधिशेष संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार, और साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है।

इक्विटी शेयर पूंजी में उतार–चढ़ावः वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई शेयर वापस नहीं खरीदा है।

कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है।

पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति लेने के बाद पारित एक सामान्य प्रस्ताव के अनुसार, 2018–19 के दौरान, कंपनी ने 50 करोड़ इक्विटी शेयरों को 1:2 के अनुपात में पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में 50 करोड़ रू. की राशि के फ्री रिजर्व के पूंजीकरण के रूप में आवंटित किया है। तदनुसार कंपनी की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर 150/– करोड़ रू. हो गई है, जिसे 1/– रू. के 150 करोड़ इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।

बी. अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
सामान्य रिजर्व	598.89	598.89
अनुसंधान व विकास रिजर्व	-	-
रिटेंड अर्जन	646.85	(915.42)
बांड रिडंपशन रिजर्व	8.30	8.30
अन्य रिजर्व	7.72	10.14
कुल	**1,261.76**	**(298.09)**

(i) सामान्य रिजर्व

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
आरंभिक शेष	598.89	598.89
सरप्लस/अन्य रिजर्व से अंतरण	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-
अंतिम शेष	**598.89**	**598.89**

(ii) अनुसंधान एवं विकास रिजर्व

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
आरंभिक शेष	-	-
सरप्लस/अन्य रिजर्व से अंतरण	-	-
सामान्य रिजर्व से अंतरण	-	-
अंतिम शेष	-	-

(iii)) बांड रिडंपशन रिजर्व

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
आरंभिक शेष	8.30	8.30
सरप्लस से अंतरण	-	-
कटौती	-	-
अंतिम शेष	**8.30**	**8.30**

(iv) रिटेंड रिजर्व

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
आरंभिक शेष	(915.42)	(657.20)
वर्ष के लिए निवल लाभ	1,562.27	(258.22)
लाभांश और लाभांश वितरण कर	-	-
अन्य समायोजन	-	-
सामान्य रिजर्व	-	-
अंतिम शेष	**646.85**	**(915.42)**

(v) अन्य रिजर्व

(करोड़ रुपयों में)

	संचयी वित्तीय इंस्ट्रयूमेंट्स के इक्विटी घटक	ओसीआईआई के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	नगद प्रवाह हेज के प्रभावी भाग	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों को बदलने पर विनिमय अंतर	पुनर्मल्यांकन – पोस्ट कर्मचारी लाभ योजनाएं	कुल अन्य रिजर्व
01 अप्रैल 2021 को	113	(8.09)	-	14.14	(6.59)	(0.25)
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	-	-	-	7.64	7.64
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से	-	-	-	-	-	-
इक्विटी इंस्टूमेंट्स	-	0.97	-	-	-	0.97
जमा/(कटौती)	-	-	-	1.78	-	1.78
01 अप्रैल 2022 को	**1.13**	**(7.96)**	**-**	**15.92**	**1.05**	**10.14**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः पुनर्मूल्यांकन	-	-	-	-	1.44	1.44
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम	-	-	-	-	-	-
से इक्विटी इंस्ट्रयूमेंट्स	-	(6.01)	-	-	-	(6.01)
जमा/(कटौती)	-	-	-	2.15	-	2.15
31 मार्च, 2022 को	**1.13**	**(13.97)**	**-**	**18.07**	**2.49**	**7.72**

17. उधार

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
ए. गैर –चालू		
(I) टर्म ऋण		
(ए) बैंकों से		
– सुरक्षित	-	-
– असुरक्षित	-	-
कुल	-	-
बी. चालू		
(I) मांग पर प्रतिदेय ऋण		
(ए) बैंकों से		
– सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	**154.11**	262.69
असुरक्षित	**41.73**	2,358.96
कुल	**195.84**	**2,621.65**

• किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।
• नोट सं. 29 का संदर्भ लें

18. व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
बी. वर्तमान		
व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों का कुल देय बकाया	**0.17**	0.18
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**345.56**	534.18
संबंधित पार्टियों को व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों का कुल देय बकाया	**-**	-
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**0.02**	0.02
कुल	**345.75**	**534.38**

एजिंग के लिए नोट 37.3 (सी) देखें।

19. लीज देयताएं

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
ए. गैर चालू		
लीज	**5.84**	4.14
अन्य	**-**	-
कुल	**5.84**	**4.14**
बी –चालू		
लीज	**0.86**	0.13
कुल	**0.86**	**0.13**

19 सी. अन्य वित्तीय देयताएं

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
वर्तमान		
प्राप्य		
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों का कुल देय बकाया	**1.08**	0.10
सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों के अलावा क्रेडिटर्स का कुल देय बकाया	**6.00**	15.79
देय डिस्पेच/डेमरेज	**1.75**	2.71
वसूली गई राशि – पेंडिंग रेमिटेंस	**6.45**	12.12
उधार पर उत्पन्न ब्याज	**3.11**	2.16
सिक्युरिटी डिपॉजिट व ईएमडी	**9.89**	12.83
भुगतान न किया गया लाभांश	**0.16**	0.19
देय दावे	**38.77**	41.40
अन्य	**98.19**	132.07
कुल	**165.40**	**219.37**

20. प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
ए. गैर चालू		
कर्मचारी लाभ दायित्व		
ए) अर्जित अवकाश	**16.68**	15.39
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.05**	0.07
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	**-**	-
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त	**(1.18)**	(1.02)
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त	**3.83**	0.05
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**18.54**	16.60
ई) सेवा अवार्ड	**2.51**	2.87
एफ) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**1.78**	2.37
जी) माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	**0.82**	1.07
कुल	**43.03**	**37.40**
बी. चालू		
कर्मचारी लाभ दायित्व		
ए) अर्जित अवकाश	**3.93**	3.17
बी) अनुकंपा ग्रेच्युटी	**0.03**	0.03
सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	**-**	-
01.01.2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी	**(1.06)**	(1.18)
01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी	**0.08**	3.83
डी) अर्द्धवेतन अवकाश	**0.15**	3.55
ई) ग्रेचुअटी	**-**	0.15
एफ) सेवा अवॉर्ड	**0.81**	0.71
जी) बोनस/निश्पादन संबंधी वेतन	**3.30**	3.50
एच) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**0.35**	0.43
आई)माईका कर्मचारियों को विशेष लाभ	**0.33**	0.42
अनुयोग	**7.92**	14.61
अन्य		
गंतव्य भार तथा विश्लेशण जोखिम	**-**	-
मुकदमेंबाजी के निपटान के लिए प्रावधान*	**1,074.52**	1,067.39
अनुयोग	**1,074.52**	**1,067.39**
कुल	**1,082.44**	**1,082.00**

*नोट सं. 11 का संदर्भ लें

21. अन्य देयताएं

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
चालू		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**275.78**	376.74
सांविधिक भुगतान योग्य देय	**2.39**	6.24
अनबिल्ड खरीदारी के लिए देय राशि	**-**	24.96
अन्य	**2.04**	2.19
कुल	**280.21**	**410.13**

22. वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए देय आयकर	**146.78**	-
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए देय आयकर	**-**	22.28
कुल	**146.78**	**22.28**

23. प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री	**3,522.72**	11,237.80
सेवाओं की बिक्री	**4.68**	4.50
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	**-**	0.15
–सब्सिडी	**-**	-
–अर्जित डिस्पैच	**-**	1.43
–अन्य व्यापार आय	**0.78**	552.36
कुल	**3,528.18**	**11,796.24**

24. अन्य आय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
– फिक्स्ड डिपोजिट से	**82.91**	3.19
– ग्राहकों की अतिदेय राशि से	**-**	-
– अन्य	**2.07**	1.51
लाभांश आय		
– सहायक/संयुक्त उद्यमों से	**-**	-
– अन्य से	**0.16**	0.08
अन्य गैर–प्रचालन राजस्व (ऐसी आय पर प्रत्यक्ष रूप से हुए खर्च को घटाकर)		
– स्टाफ क्वार्टर्स किराया	**0.71**	0.71
– रिटन बैक देयताएं	**2.98**	9.15
– विदेशी मुद्रा गेन	**0.01**	-
– विविध प्राप्तियाँ*	**4.27**	3.09
कुल	**93.11**	**17.73**

नोट सं. 50 का संदर्भ लें

25. प्रयुक्त माल की लागत (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल का आरंभिक स्टॉक	5.09	5.83
जोड़ें : क्रय से अंतरण	8.92	106.66
घटाएं: कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	0.24	5.09
प्रयुक्त माल की लागत	**13.77**	**107.40**
उपभोग वस्तुएँ	**-**	**-**

26. स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क. क्रय		
बहुमूल्य धातुएं	**213.91**	5,480.78
धातुएं	**74.63**	105.25
उर्वरक	**2.07**	1,449.64
खनिज	**98.06**	115.39
कृषि उत्पाद	**2,863.13**	3,156.95
कोयला व हाईड्रोकार्बन	**113.34**	207.81
सामान्य व्यापार	**1.01**	28.38
अन्य	**-**	-
ख. स्टॉक के रूप में प्राप्त/(जारी किया गया)		
बहुमूल्य धातुएं	**(0.01)**	(0.03)
कुल	**3,366.14**	**10,544.17**

27. इन्वेंट्रीज में परिवर्तन (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क. तैयार माल		
आरंभिक शेष	**20.66**	22.25
अंतिम शेष	**0.92**	20.67
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**19.74**	1.58
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड		
आरंभिक शेष	**3.65**	13.83
अंतिम शेष	**0.01**	3.66
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन	**3.64**	10.17
निवल (वृद्धि)/कमी)	**23.38**	**11.75**

28. कर्मचारी लाभ व्यय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क) वेतन तथा पारिश्रमिक		
वेतन तथा भत्ते	**86.65**	91.88
छुट्टी नकदीकरण	**6.47**	8.22
बेनस	**0.17**	0.29
निष्पादन संबंधी वेतन	**-**	-
चिकित्सा व्यय	**2.21**	3.09
ग्रुप बीमा	**0.09**	0.07
वी आर खर्चे	**-**	-
ख) भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान		
भविष्य निधि	**7.87**	8.41
ग्रेच्युटी निधि	**0.93**	2.03
परिवार पेंशन योजना	**0.63**	0.73
अधिवर्षिता लाभ	**3.50**	4.08
ग) स्टाफ कल्याण व्यय	**0.68**	0.52
कुल	**109.20**	**119.32**

(i) पीआरपी उद्देश्य के लिए कंपनी के लाभ की गणना लेखा नीति संख्या 2.4 (ii) के अनुसार व्यापार से संबंधित अग्रिम (अतिदेय के अलावा) पर ब्याज आय को ध्यान में रखते हुए की गई है। डीपीई दिशानिर्देशों में अनिवार्य पारिश्रमिक समिति के अनुमोदन के लंबित होने के कारण, कर्मचारियों को पीआरपी अग्रिम दिया गया था। कर्मचारियों से उपरोक्त पीआरपी अग्रिम की वसूली का आदेश कर्मचारी एवं अधिकारी फोरम द्वारा विवादित है और संबंधित न्यायालयों में लंबित है।

(ii) कंपनी की खराब वित्तीय हालात के कारण दिनांक 20.10.2020 को आयोजित अपनी बैठक में एफ़एमसीओडी के निर्णय के अनुसार दिनांक 01.09.2020 से अतिरिक्त भत्तों को स्थगित कर दिया गया था।

(iii) एमएमटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ ट्रस्ट, अब चालू है। डीपीई आदेश में निर्धारित सामर्थ्य प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, पीआरएमबीएस ट्रस्ट को निधि देने का निर्णय विचाराधीन है।

(iv) दिसंबर 2021 से मार्च 2022 का बकाया सीपीएफ/पेंशन लंबित है ओर इसका भुगतान 5.7.2022 को भुगतान कर दिया है।

29. वित्त लागत (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
ब्याज व्यय*	120.03	208.82
लीज पर ब्याज व्यय	0.79	0.11
फारवार्ड कांट्रेक्ट पर प्रमियम	-	-
कुल	**120.82**	**208.93**

*4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 31.3.2022 तक 2551.44 करोड़ रू. की राशि मूलधन और 31.3.2022 तक सहमत ब्याज के लिए भुगतान की गई है। चालू बारह महीनों में ब्याज और प्रतिपूर्ति के अधिकार (आरटीआर) से संबंधित 106.41 करोड़ रू. की राशि प्रदान की गई है, जिसमें से 63.68 करोड़ रू. 01.04.2022 से 31.03.2023 तक ब्याज से संबंधित है और शेष राशि 42.73 करोड़ रू. है (नोट संख्या 16 देखें) बैंकों के साथ अंतिम निपटान के अधीन आरटीआर के तहत अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों से संबंधित है। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ मामला अब बंद हो गया है। अन्य ऋणदाता बैंक भी इस मामले को अपने उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठा रहे हैं। अधिशेष निधि का निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

इसमें ग्रेच्युटी पर चुकाया गया ब्याज *0.08 करोड़ रू. टीडीएस के देर से भुगतान पर 0.10 करोड़ रू. और आयकर के देर से भुगतान पर ब्याज 1.39 करोड़ रू. शामिल है।

30.मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशन व्यय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
पीपीई पर मूल्यह्रास	**4.96**	4.68
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	**0.16**	0.48
अमूर्त परिसंपत्तियों पर अमोर्टाइजेशन	**0.17**	0.15
कुल	**5.29**	**5.31**

नोट सं. 50 देखें

31. अन्य खर्चे

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
ए. प्रचालन व्यय		
भाड़ा	**54.53**	61.55
डेमरेज	**-**	(0.05)
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	**32.34**	70.35
एल/सी नेगोशिएशन एवं अन्य प्रभार	**1.98**	3.23
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**0.02**	0.10
सीमा शुल्क	**0.39**	388.11
पैकिंग सामग्री	**-**	0.23
बीमा	**-**	-
गोदाम बीमा	**1.03**	1.10
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**-**	0.01
गंतव्य भार और विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**-**	-
अनुयोग(ए)	**90.29**	**524.63**
बी. प्रशासनिक व्यय :		
किराया	**4.37**	0.99
सुरक्षा खर्च	**2.71**	2.78
दरें एवं कर	**1.63**	1.90
बीमा	**0.31**	0.13
भवनों की मरम्मत	**3.71**	3.37
मशीनों की मरम्मत	**0.01**	0.03
मरम्मत एवं रखरखाव–कम्प्यूटर्स	**1.15**	1.50
मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	**0.39**	0.34
बिजली एव जल प्रभार	**2.69**	2.50
विज्ञापन एवं प्रचार	**0.08**	0.05
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	**0.30**	0.22
पोस्टेज एवं कुरियर	**0.02**	0.09
टेलीफोन	**0.69**	0.79
टेलीकम्युनिकेशन	**0.10**	0.14
यात्रा	**0.76**	0.39
वाहन	**0.47**	0.56
मनोरंजन	**0.18**	0.13
विधिक	**4.36**	2.95
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	**0.59**	0.68
बैंक प्रभार	**1.10**	15.79
किताबें एवं पत्रिकाएं	**-**	-
ट्रेड/बिक्री प्रोमोशन	**0.08**	0.15
सब्सक्रिपशन	**0.06**	0.12
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**0.01**	-
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	**1.65**	1.48
सीएसआर व्यय	**0.05**	0.05
विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	**0.53**	4.32
सेवा कर/जीएसटी	**0.80**	1.03
प्रदर्शनी एवं मेले	**0.01**	0.11
विविध व्यय*	**2.94**	4.17
अनुयोग (बी)	**31.76**	46.76
सी. अन्य :		
अशाध्य ऋण/दावे/परिसंपत्तियाँ अपलिखित/निकासी	**1.72**	1.05
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/दावे/अग्रिम के लिए अनुमत	**0.03**	0.02
अनुयोग(सी)	**1.75**	1.07
कुल (ए बी सी)	**123.80**	572.46

नोट सं. 50 का संदर्भ लें

32. अपवाद मदें

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और उसका रिवर्सल को राईट डाउन करके इन्वैंट्रीज	-	0.01
परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	(0.38)	(0.04)
गैर चालू निवेश के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान (i)	-	0.01
निवेश से बिक्री पर लाभ	(1,415.60)	-
विलंब भुगतान पर ब्याज	0.04	-
लिटीगेशन निपटान (ii)	1.86	178.44
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है (iii)	(3.19)	(23.22)
कुल	**(1,417.27)**	**155.20**

(i) फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी निवेश के प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है।

(ii) दीपम के माध्यम से एनआईएनएल के विनिवेश के परिणामस्वरूप, एनआईएनएल की निवेश विक्री पर लाभ के रूप में 1415.60 करोड रू. शामिल हैं।

33. कर व्यय (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
चालू वर्ष	146.33	18.27
पूर्वाधियों से संबंधित समायोजन	(2.47)	
अनुयोग (ए)	143.86	18.27
आस्थगित कर व्यय		
अस्थाई अंतर राशि का ओरिजिनेशन तथा रिवर्सल	59.98	341.03
कर दर में परिवर्तन	-	
लेखा नीति में परिवर्तन		
अनुयोग (बी)	59.98	341.03
कुल (ए+बी)	**203.84**	**359.30**

अन्य व्यापक आय में माना गया कर (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजना एक्चुरियल लाभ(हानि	0.42	4.16
कुल	**0.42**	**4.16**

प्रभावी करों दरों का मिलान (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	1,766.10	101.08
अधिनियमित कर दर(होल्डिंग कंपनी पर लागू)	25.17	34.94
गणना की गई अनुमानित कर खर्चे*	321.96	42.14
होल्डिंग कंपनी से संबंधित समायोजन		
कटौती मुक्त खर्चे	2.43	8.05
कर मुक्त आय/अन्य कोई कटौती अथवा अनुमति योग्य खर्च	(163.53)	(4.47)
पूर्वावधि से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	(2.47)	-
अन्य समायोजन	(15.29)	(28.38)
आस्थगित कर	59.98	341.03
सब्सिडरी व संयुक्त उपक्रमों से संबंधित समायोजन	0.76	0.93
वर्ष के लिए कर व्यय	**203.84**	**359.30**
समायोजन : ओसीआई पर कर प्रभाव	0.42	4.16
वर्ष के लिए निवल कर व्यय	**204.26**	**363.46**

नोट सं. 10 का संदर्भ लें

34. आकस्मिक देयताएं एवं प्रकटन

i) (करोड़ रू. में)

विवरण		31.03.2023 को	31.03.2023 को
(i)			
ए)	विदेशी मुद्रा दावे सहित कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है।	344.76	287.17
बी)	विवादित आयकर मांग जिसके प्रति 20.10 करोड़ रू. (गत वर्ष 14.68 करोड़ रू.) जमा किए गए हैं।	26.59	33.38
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.00	0.00
डी)	विवादित बिक्री कर मांग जिसके विरूद्ध 17.88 करोड़ रू. (गत वर्ष 1784 करोड़ रू.) जमा किए गए तथा बैंक गारंटी द्वारा 0.43 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.43 करोड़ रू.) कवर किए गए।	284.88	217.30
ई)	विवादित सेवा कर मांग	79.47	119.23
एफ)	विवादित केन्द्रीय उत्पाद भुल्क मांग के लिए 0.76 करोड़ रू.(पि.वर्ष 0.76 करोड़)	20.29	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	0.68	2.66
एच)	कस्टम्स बांड्स	182.05	317.98
आई)	बकाया जीआर–1 जिसके लिए 0.73 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.73 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी गई है।	1.60	1.60
	कुल (i)	**940.33**	**999.60**
ii)	**अन्य बैक टु बैक आधार पर असोसिएट के अकाउंट में यदि कोई देयता बनती है**		
a)	कस्टम्स डयूटी/ब्याज/पेनल्टी इत्यादि की अंतर राशि	184.49	184.49
	कुल ii)	**184.49**	**184.49**

क्रम सं. (i) में दी गई मदों के संबंध में चलन (करोड़ रू. में)

विवरण		31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष में कटौती	वर्ष 2022–23 के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2023 को शेष
ए)	विदेशी मुद्रा के दावों सहित कंपनी के विरूद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	287.17	0.21	57.80	344.76
बी)	विवादित आयकर मांग	33.38	6.78	-	26.60
सी)	विवादित टीडीएस मांग	0.00	-	-	0.00
डी)	विवादित बिक्री कर मांग	217.30	23.85	91.43	284.88
ई)	विवादित सेवाकर मांग	119.23	44.29	4.54	79.48
एफ)	विवादित केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांग	20.29	-	-	20.29
जी)	विवादित पीएफ मांग	2.66	2.24	0.26	0.68
एच)	कस्टम्स बांड्स	317.98	138.54	2.60	182.05
आई)	बकाया जीआर–1	1.60	-	-	1.60
जे)	विदेशी सप्लायर की ओर से कंपनी के विरूद्ध किए गए ऐसे दावे जिन्हें ऋण नही माना गया	-	-	-	-
	कुल	**999.60**	**215.91**	**156.62**	**940.33**

संयुक्त उपकमों में आकस्मिक देयताओ में शेयर (करोड़ रू. में)

क्रम संख्या	संयुक्त उपकम का नाम	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि.	54.10	7.71
2	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	एनए	एनए
3	नीलाचल इस्पात निगम लि.	एनए	एनए
4	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	-	-

एनए – लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण नही प्राप्त हुए

i) संविदा के निष्पादन के प्रति कंपनी की ओर से ग्राहक के पक्ष में बैंकों ने 13.69 करोड़ रु. (गत वर्ष 13.95 करोड़ रु.) की गारंटियां जारी हैं जिनकी एवज में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं से शून्य करोड़ रुपए (गत वर्ष शून्य) की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गईं हैं।

ii) कंपनी द्वारा खोली गई एल/सीज के तहत शून्य करोड़ रु. की शेष बकाया है (गत वर्ष 183.24 करोड़ रु.)।

iii) कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की ओर से संबंधित वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में शून्य करोड़ रूपए (गत वर्ष 1345.82 करोड़ रुपए) की कारपोरेट गारंटियां दी हैं।

iv) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के कमोडिटी व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

v) यदि कर निर्धारण हो जाने पर बिक्री कर की मांग, कुछ कर्मचारियों के विवादित मामले, हैंडलिंग एजेंट्स/ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करना, विवादित किराया तथा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गयी राशि के संबंध में ब्याज/दण्ड/विधिक लागत आदि के प्रति यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इसका निर्धारण करना संभव नही है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

vi कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसमें एमएमटीसी कर्मचारी सहकारी कैंटीन सोसाइटी के लिए आरपीएफसी द्वारा 2.18 करोड़ रू.(पि.वर्ष 0.69 करोड़) की मांग शामिल है।

vii) क) उपरोक्त में सेबी के विनियम 33 के गैर–अनुपालन के संबंध में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा उठाई गई मांग के कारण 0.07 करोड़ रू. (पि.वर्ष 0.07 करोड रू.) की राशि शामिल है। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुपालन नही करने पर 0.01 करोड़ रू. की राशि शामिल है।

35. वचनबद्धताएं :

पूंजीगत वचनबद्धताएं : विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित ऐसी संविदाओं की अग्रिम राशि घटाकर अनुमानित राशि जिनका निष्पादन कैपिटल अकाउंट में किया जाना है तथा जिसका प्रावधान नहीं किया गया है ऐसी राशि 'शून्य' करोड़ रूपए है (गत वर्ष 'शून्य' करोड रु.)।

संयुक्त उपकमों में निवेश के संबध में पूंजीगत प्रतिबद्धता शून्य(पि.वर्ष शून्य)

संयुक्त उपकमों में आकस्मिक देयताओ में शेयर

क्रम संख्या	संयुक्त उपकम का नाम	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि.	2.50	1.36
2	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	एनए	एनए
3	नीलाचल इस्पात निगम लि.	एनए	एनए
4	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	--	--

एनए – लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण नही प्राप्त हुए

36. सामान्य प्रकटन :

ए) कंपनी ने बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास रखा है जिसको अन्य चालू परिसंपत्तियों को (टिप्पणी संख्या 11(बी)) तथा अन्य चालू देयताओं को (टिप्पणी संख्या 21) में दिखाया गया है।

मदें	31.03.2023		31.03.2022	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सोना (कि.ग्रा.)	-	-	53.00	24.96
स्वर्ण आभूषण (ग्राम)	-	-	-	-
चांदी (कि.ग्रा.)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**53.00**	**24.96**

(बी) श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से शून्य कि.ग्रा. (पि.वर्ष शून्य). अशोधित चाँदी 31.3.2023 से डीआरओ में रखी है।

(सी) नीलाचल इस्पात निगम लिटिड (एनआईएनएल)– संयुक्त उद्यम कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया 4.7.2022 को पूरी हो गई है।

(i) एनआईएनएल विनिवेश पर विस्तृत नोट 2021–22 में दिया गया था और इसके बाद सरकारी आकस्मिक देनदारियों के लिए एमएमटीसी के हिस्से 911.16 करोड़ (36.77 करोड़ – गैर कर देनदारियां और 874.39 करोड़ – कर देनदारियां) में से 484.14 करोड़ को ब्याज वाले एस्क्रो खाते में बकाया राशि रखा गया है जिसे विक्रेताओं को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में दिया जाएगा, यदि इन बकाया राशि के खिलाफ दावा नहीं किया गया है प्रतिधारण अवधि के अंत तक भुगतान किया गया (गैर–कर देनदारियों के लिए 2 वर्ष और कर देनदारियों के लिए 3 वर्ष)। इसके अलावा चूंकि उपरोक्त घटना संभावित भविष्य के परिणाम पर आधारित है, इसके लिए राजस्व को शामिल नहीं किया गया है और इस आस्थगित राशि को आकस्मिक संपत्ति के रूप में माना गया है, जो कि 484.13 करोड़ रू. के आकस्मिक राशि पर पूंजीगत लाभ कर देयता के लिए कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार है।

ऊपर उल्लिखित 911.16 करोड़ में से 82.96 करोड़ के 3 मामले जिनका विवरण नीचे दिया गया है, का निपटान 1.24 करोड़ रू. (विक्रेताओं और क्रेता द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति के अनुसार) के भुगतान के लिए अप्रैल, 2023 के महीने में हो गया था और शेष 81.72 करोड़ विक्रेताओं को उनके शेयरधारिता अनुपात में वितरित किए गए हैं, जिसमें से एमएमटीसी को 25.04.2023 को 43.42 करोड़ रू. प्राप्त हुए थे। शेष राशि 828.20 करोड़ रू. (एमएमटीसी शेयर 440.72 करोड़ रू.) ब्याज वाले एस्क्रो खाते में है।

(ii) एनआईएनएल के कारण एमएमटीसी द्वारा दी गई सभी कार्पोरेट गारंटी (सीजी) रिलीज कर दी गई हैं।

(iii) एनआईएनएल के विनिवेश के लिए शेयर खरीद समझौते (एसपीए) के खंड के अनुसार, विनिवेश के बाद एनआईएनएल पर किसी भी अप्रत्याशित

देनदारी को एसपीए के वारंटी खंड के अनुसार विक्रेताओं/प्रमोटरों द्वारा वहन किया जाएगा और विक्रेताओं और प्रमोटरों की कुल देनदारी बिक्री की राशि और उनके संबंधित विक्रेता ऋण के निर्वहन के माध्यम से प्राप्त विक्रेताओं द्वारा बोली राशि से 20% से अधिक नहीं हो सकती है। इस संबंध में एमएमटीसी की अधिकतम देनदारी, यदि कोई हो, 1060 करोड़ रू. बनती है।

डी) मिंट बिक्री लेन देन के विषय में कंपनी ने मैसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 31.40 करोड़ रुपए(गत वर्ष 31.40 करोड़ रुपए), जिसमें 2.95 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2.95 करोड़ रुपए) का विलम्बित ब्याज भी शामिल है, की वसूली के लिए दावा किया है जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में आया है। मैसर्स एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध 167.20 करोड़ रू. (गत वर्ष 167.20 करोड़ रू.) की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया है जो कानूनी राय के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

ई) भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्याज का बफर स्टाक बनाने के लिए एमएमटीसी ने जुलाई 2020 से दिनांक 31.3.2021 तक प्याज का आयात किया। योजना के अनुसार एमएमटीसी के ट्रेडिंग मार्जिन को बिक्री के समय सी एण्ड एफ लागत पर 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया तथा आयात से संबंधित सभी व्ययों का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। बिक्री उगाही और एमएमटीसी के मार्जिन सहित सरकार से प्राप्त दावे के रूप में दिखाया गया है जो कि माल के परिसमापन को सरकार से प्राप्त अग्रिम के साथ समायोजित कर दिया जाएगा।

एफ) आयातित पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोशिएट के विरूद्ध 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य देयों को ध्यान में रखते हुए लेखों में 1.53 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1.53 करोड़ रूपए) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम से इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लंबित है। एसोसिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर गया किया गया है।

जी) वर्ष 2011–12 के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल(तांबा) की आपूर्ति किए बिना 4.13 करोड़ रूपए (गत वर्ष 4.13 करोड़ रूपए) का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चैनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के वचन पत्र के साथ साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से भारतीय बैंक को रोके रखने के लिए कंपनी ने अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। इसी आपूर्तिकर्ता ने धोखे से तांबे की एक अन्य खेप के मास्टर बिल ऑफ लैडिंग को अपने अधिकार में लिया हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई 8.60 करोड़ रूपए (गत वर्ष 8.60 करोड़ रूपए) मूल्य के माल की सुपुर्दगी तथा अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा ईएमडी एवं अन्य देयों के समायोजन के पश्चात् वर्ष 2014–15 के दौरान शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

एच) हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालयः

(I) वर्ष 2011–12 के दौरान बैकिंग चैनलों के माध्यम से 3.75 करोड़ रुपए (गत वर्ष 3.75 करोड़ रुपए) मूल्य के कॉपर की दो शिपमेंट्स के जाली बिल ऑफ लैडिंग प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया गया। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है। इस लेन–देन के संबंध में स्थानीय खरीदार से पूर्ण व अंतिम निपटान की 4.44 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो गई है। इस राशि में अन्य गैर चालू देयताओं के तहत ग्राहक से प्राप्त एडवांस राशि भी शामिल है।

(ii) एमबीएस ग्रुप से 226.82 करोड़ की इनट्रेड प्राप्य राशि जिसके लिए 100% प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इस मामले में एमबीएस ग्रुप द्वारा 2012–13 के दौरान आरओ हैदराबाद के पास जमा किय गये जड़ित आभूषण कार्यालय की तिजोरी में पड़े हैं। एमबीएस समूह द्वारा दावा किए गए मूल्यांकन और कंपनी द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन में असामान्य अंतर के कारण विभिन्न अदालतों/मंचों के समक्ष लंबित यह प्रमुख कानूनी मामला है। साथ ही यह भी कहा कि आज तक मामले की जांच सीबीआई/ईडी कर रही है।

आई)माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंपनी को है। कोयला आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध एक विदेशी पक्ष द्वारा दायर डिक्री निष्पादन से संबंधित एक मामले में एमएमटीसी से उनकी लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार कंपनी के कोयला आपूर्तिकर्ताओं में से एक द्वारा प्राप्य 39.62 करोड़ रू. (पि.वर्ष 39.62 करोड़ रू.) जमा करने का निर्देश दिया था। एमएमटीसी ने आवेदन और जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि आपूर्तिकर्ता के अनुबंध संबंधी दायित्वों का निर्वहन अभी तक नहीं हुआ है और एमएमटीसी इस स्तर पर कोई भी राशि जमा करने में असमर्थ है। सभी मुद्दों के समाधान के बाद आपूर्तिकर्ता को देय कोई भी राशि, एमएमटीसी पर किसी भी दायित्व के बिना आपूर्तिकर्ता को जारी करने के बजाय अदालत में जमा की जाएगी। सुनवाई जारी है और सुनवाई की अगली तारीख 22.08.2023 है।

जे) एफसीआई ने मार्च 2019 में एमएमटीसी के खिलाफ सीपीएसई विवाद (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र शुरू करने के लिए एमओसीएंडए, एफएंडपीडी से संपर्क किया, जिसमें ब्याज सहित 92.18 करोड़ रू. की राशि शामिल थी, क्योंकि एमएमटीसी ने एफसीआई के भुगतान से मई 2014 में 60.99 करोड़ रू. की राशि काट ली थी। इसमे से 1.13 करोड़ रू. का प्रावधान 31.3.2022 को किया गया था। 91.05 करोड़ की शेष राशि के लिए आकस्मिक देयता का प्रावधान किया गया। एमएमटीसी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि 1991 के बाद से कई लेन–देन से उत्पन्न एफसीआई से एमएमटीसी की देय राशि की वसूली के लिए 2014 में गेहूं के निर्यात से 60.99 करोड़ रू. की राशि काटी गई थी। मामले को एएमआरसीडी के तहत समाधान के लिए स्वीकार किया गया था। एएमआरसीडी समिति ने 22 मई 2020 को हुई अपनी बैठक में एमएमटीसी और एफसीआई दोनों को खातों का मिलान करने का निर्देश दिया। एमएमटीसी और एफसीआई ने दावों और काउंटर दावों के समाधान की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। एमएमटीसी और एफसीआई के बीच कई दौर की चर्चाएं हुई हैं, जिसमें दोनों पक्षों के बीच क्रमशः अपने दावों और काउंटर दावों को स्थापित करने के लिए सहायक दस्तावेजों का आदान–प्रदान किया गया है। आदेश जुलाई 2022 में, एमएमटीसी ने डीओसी और डीओसीए, एफ एंड पीडी को प्रतियों के साथ दावों और प्रतिदावों पर एफसीआई को लेख प्रस्तुत किया। नवंबर 2022 में, डीओएफएंडपी एमएमटीसी और एफसीआई से दावों और प्रतिदावों पर जानकारी मांगी। एमएमटीसी ने नवंबर 2022 में डीओएफएंडपीडी को जानकारी प्रदान की।

के) कंपनी ने 01.04.2023 से मौजूदा ईआरपी पैकेज को टैली प्राइम पैकेज से बदलने का निर्णय लिया है।

एल) कंपनी के कार्यालयों को छोटा करने/व्यवसाय में कटौती के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, योग्यता मानदंड के साथ 16.03.2023 को वीआरएस पेश किया गया है, जिसमें सेवाओं में समय की पाबंदी हटाते हुए स्टाफ कैडर और प्रबंधन कैडर के सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। 95 कर्मचारियों का वीआरएस स्वीकृत हो चुका है।

एम) प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एमएमटीसी को विभिन्न जेवी से बाहर निकलने तथा कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बिजनेस ऑपरेशन से बाहर निकलने का भी निर्देश दिया गया है- सरकार ने अभी तक एमएमटीसी को बंद करने का

निर्णय नही लिया है। एमएमटीसी को बंद करने के लिए मंत्रालय से कोई संचार नहीं मिला है, इसलिए चालू स्थिति की यथास्थिति बनाए रखी जा रही है। 4.7.2022 को एनआईएनएल से विनिवेश आय की प्राप्ति के बाद, बैंकों को 31.3.2022 तक उधारी की चुकता के लिए मूलधन और सहमत ब्याज के लिए 2551.44 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार अधिशेष धनराशि का निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी तत्काल खर्चों को कम करने और अपनी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की स्थिति में है। इस स्तर पर, कंपनी के अनुमान और अपेक्षाएँ भविष्योन्मुखी हो सकती हैं। जो कंपनी के संचालन में महत्वपूर्ण कारक अंतर ला सकते हैं, उनमें मांग/आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां और घरेलू और विदेशी बाजारों में कीमत की स्थिति, जहां कंपनी संचालित होती है, सरकारी नीतियों में बदलाव, अन्य मानक और अन्य आकस्मिक कारक शामिल हैं।

एन) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एमएमटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के अनुमोदन से बीस वर्षों से अधिक समय से बकाया विदेशी देनदारों के खाते में 0.10 करोड़ रू. की राशि और खराब और संदिग्ध ऋणों/दावों/ ऋण वापसी के लिए पहले बनाए गए प्रावधानों को हटा दिया गया था।

प्रबंधन एक विशेषज्ञ के माध्यम से एफईएमए दिशानिर्देशों पर राय लेने की प्रक्रिया में है और तदनुसार कार्रवाई (यदि कोई हो) की जाएगी।

37. वित्तीय दस्तावेज – उचित मूल्य तथा जोखिम प्रबंधन

37.1 श्रेणीवार वित्तीय दस्तावेज

निम्नलिखित तालिका में कैटगरीज की वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की कैरिंग राशि तथा उचित मूल्य को द र्ाया गया है । यदि कैरिंग राशि उचित मूल्य का पर्याप्त अनुमान है तो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर नहीं आंका गया है तथा उचित मूल्य सूचना भी इसमें शामिल नहीं है।

(31 मार्च 2023 को करोड़ रुपये में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताए	ओसीआई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताए	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
इक्विटी दस्तावेजों में निवे ा (संदर्भ नोट संख्याः 6)	-	-	5.03	5.03	5.03
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्याः 13)	318.71	-	-	318.71	-
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्याः 7)	404.56	-	-	404.56	-
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	2.01	-	-	2.01	-
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	0.00	-	-	0.00	-
सिक्योरिटी जमा और अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	0.00	-	-	0.00	-
सिक्योरिटी जमा (संदर्भ नोट संख्याः 11)	0.00	-	-	0.00	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्याः 9	48.08	-	-	48.08	-
देयताएं	-	-	-	-	-
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्याः 18)	345.75	-	-	345.75	-
उधार (संदर्भ नोट संख्याः 17)	195.84	-	-	195.84	-
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्याः 19)	0.86	-	-	0.86	-

(31 मार्च 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताए	ओसीआई अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां / वित्तीय देयताए	कुल कैरिंग मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (संदर्भ नोट संख्याः 6)	-	-	11.03	11.03	11.03
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष (संदर्भ नोट संख्याः 13)	152.44	-	-	152.44	-
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ नोट संख्याः 7)	401.65	-	-	401.65	-
कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	3.26	-	-	3.26	-
संबंधित पार्टी को ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	0.00	-	-	0.00	-
सिक्योरिटी जमा एवं अन्य ऋण (संदर्भ नोट संख्याः 8)	0.00	-	-	0.00	-
सिक्योरिटी जमा (संदर्भ नोट संख्याः 11)	0.00	-	-	0.00	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ नोट संख्याः 9)	8.90	-	-	8.90	-
देयताएं	-	-	-	-	-
ट्रेड देय (संदर्भ नोट संख्याः 18)	534.38	-	-	534.38	-
उधार (संदर्भ नोट संख्याः 17)	2621.65	-	-	2621.65	-
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्याः 19)	0.13	-	-	0.13	-

37.2 उचित मूल्य अनुकम

स्तर 1. वर्गीकरण के स्तर 1 में सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित) का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है ।

स्तर 2. वर्गीकरण के स्तर 2 में ऐसे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स भाामिल हैं जिनका मूल्यांकन कोटेड मूल्यों से इतर किया गया है। साथ ही इसमें ऐसी परिसंपत्तियां अथवा देयताएं भी शामिल हैं जो या तो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों के अनुसार) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) रूप में सुस्पष्ट हैं।

स्तर 3. वर्गीकरण के स्तर 3 में सुस्पष्ट बाजार डाटा (अस्पष्ट इनपुट्स) पर अनाधारित इनपुट्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय दस्तावेजों का आकलन शामिल है।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर आकलन की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य के अनुक्रम को प्रस्तुत करती है

(31 मार्च 2023 को करोड़ रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश	-	-	-	-	-	-
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	5.03	-	-	5.03	-	उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)	-	-	-	-	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	-
कुल	**5.03**	**-**	**0.00**	**5.03**	**-**	**-**

(31 मार्च 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल योग	मूल्यांकन तकनीक तथा प्रमुख इनपुट्स	महत्वपूर्ण अनआबजर्वेबल इनपुट्स
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय निवेश	-	-	-	-	-	-
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (बीएसई)	11.03	-	-	11.03	-	उदधृत मूल्य
इक्विटी दस्तावेजों में निवेश (आईसीईएक्स)	-	-	-	-	उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार स्वीकृत लागत	
कुल	**11.03**	**-**	**0.00**	**11.03**	**-**	**-**

37.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन, उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के कार्यकलापों में निम्नलिखित वित्तीय जोखिम शामिल हैंः–

–बाजार जोखिम

–क्रेडिट जोखिम तथा

–तरलता जोखिम

कंपनी ने ऐसे किसी फंड की व्यवस्था नहीं की जिसमें ब्याज दर जोखिम शामिल हो ।

क) बाजार जोखिम

(I) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का आयात व निर्यात का व्यापार है जिसके कारण इसे मुख्यतः अमरीकी डालर के संबंध में विदेशी मुद्रा का जोखिम है। कंपनी ने दीर्घावधि उधार द्वारा निधियों की व्यवस्था नहीं की है। बैंकों से लिए गए लघु अवधि विदेशी मुद्रा ऋण (क्रेता के क्रेडिट) स्थिर ब्याज दर के ऋण होते हैं। परिणामस्वरूप कंपनी को किसी प्रकार का ब्याज दर जोखिम नहीं है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचाव (हेज) के लिए हेजिंग दस्तावेजों को प्रयोग करने की है ।

अपने विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा में फारवर्ड कांट्रेक्ट्स का प्रयोग करती है। संबंधित स्पॉट माक्रिट विनिमय दर के संदर्भ में कंपनी द्वारा फारवर्ड कांट्रेक्ट्स के स्पॉट घटक को विनिर्दिष्ट किया जाता है। कांट्रेक्ट्स फारवर्ड तथा स्पॉट मार्केट विनिमय दर के बीच के अंतर को फारवर्ड घटक कहते हैं। हेजिंग दस्तावेज की स्पॉट विनिमय दर में परिवर्तनों, जो कि हेज की गई मद से संबंधित होते हैं, को रोकड़ प्रवाह हेज अधिशेष में स्थगित किया जाता है तथा इसकी पहचान तब की जाती है जब संबंधित हेज किए गए लेनदेन की श्रेणी में आ जाता है। फारवर्ड विनिमय दर कांट्रेक्ट के फारवर्ड घटक को हैजिंग अधिशेष की लागत में स्थगित किया जाता है तथा जब लेन–देन किया जाता है तो उस समय फारवर्ड घटक में परिवर्तन की सीमा तक इसकी पहचान की जाती है।

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय दस्तावेजों से कंपनी को होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के मात्रात्मक डाटा का सारांश रुपयों में दर्शाया गया है।

(31 मार्च 2023 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (भारतीय रू. समतुल्य में)	अन्य मुद्राएं (भारतीय रू. समतुल्य में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	31.59	-	31.59
ट्रेड प्राप्य	270.52	-	270.52
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	5.41	-	5.41
अन्य प्राप्य	0.37	-	0.37
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	307.88	-	307.88
देय विदेशी मुद्रा ऋण	153.11	-	153.11
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	-	-	-
ट्रेड देय	97.69	-	97.69
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	1.33	-	1.33
मुकदमों के निपटान के लिए प्रावधान	-	-	-
अन्य	1,058.15	-	1,058.15
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**1,310.28**	**-**	**1,310.28**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है चूंकि हानि/लाभ एसोसिएट आपूर्तिकर्ता/ग्राहक के खाते में होगा । इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मुद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं ।

(31 मार्च 2022 को करोड़ रुपये में)

विवरण	अमरीकी डालर (भारतीय रू. समतुल्य में)	अन्य मुद्राएं (भारतीय रू. समतुल्य में)	कुल
रोकड व रोकड़ समतुल्य	145.18	-	145.18
ट्रेड प्राप्य	547.41	-	547.41
डेमरेज/डिस्पैच प्राप्य	4.61	1.65	6.26
अन्य प्राप्य	1.06	-	1.06
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**698.26**	**1.65**	**699.91**
देय विदेशी मुद्रा ऋण	70.21	-	70.21
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	-	-	-
ट्रेड देय	280.30	0.55	280.85
देय भाड़ा डेमरेज/डिस्पैच	1.15	-	1.15
मुकदमों के निपटान के प्रति प्रावधान	98.05	-	98.05
अन्य	904.19	-	904.19
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**1,353.90**	**0.55**	**1,354.45**

जिन मामलों में अभी भी विवाद है उनके मुकदमों के निपटान के प्रति किए गए प्रावधान को छोड़कर विदेशी मुद्रा प्राप्य/देय के संबंध में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है। इसके अतिरिक्त देयों के संबंध में कंपनी ने फारवर्ड विदेशी मद्रा कांट्रेक्ट्स लिए हैं जो एसोसिएट के जोखिम एवं लागत पर हैं ।

संवेदनशीलता

31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को हमारी फंक्शनल मुद्रा की तुलना में संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हमारे कर पूर्व लाभ पर क्रमशः शून्य करोड रूपये एवं शून्य करोड रूपये का प्रभाव डालेगी।

i) मूल्य जोखिम

कंपनी के इक्विटी प्रतिभूतियों के मूल्य जोखिम कंपनी द्वारा किए गए निवेश से होते है तथा इसे तुलन पत्र में अन्य आय द्वारा उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी द्वारा दो प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में एक एनएसई पर सूचीबद्ध है तथा दूसरा (आईसीईएक्स) सूचीबद्ध नहीं है ।

31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को संबंधित इक्विटी मूल्यों में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी इक्विटी के अन्य घटकों पर क्रमशः लगभग 0.05 करोड़ रुपये एवं 0.11 करोड़ रुपये का प्रभाव डालेगी। इसका लाभ व हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अभिप्राय दूसरे पक्ष (काउंटर पार्टी) द्वारा अपने दायित्वों में की गई चूक, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है, के जोखिम से है । रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ट्रेड प्राप्यों से होता है। तदनुसार, ट्रेड प्राप्यों से होने वाले क्रेडिट जोखिम का अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों से अलग निम्नलिखित पैराग्राफ में मूल्यांकन किया गया है।

ट्रेड प्राप्य

संयुक्त उपक्रमों तथा भारत सरकार को छोड़कर कंपनी के बकाया ट्रेड प्राप्य अधिकांशतः साख पत्र/बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित है ।

इंड एएस – 109 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रेड प्राप्यों में हानि की पहचान संभावित क्रेडिट हानि के आधार पर की जाती है। संभावित क्रेडिट हानि के उद्देश्य से कंपनी के ग्राहकों का ऐतिहासिक अनुभव, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों एवं ग्राहकों के वर्तमान निश्पादन, इंडस्ट्री के भावी परिदृश्य को ध्यान में रखा जाता है ।

क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ट्रेड प्राप्यों की समयावधि के विश्लेषण को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है :–

(31 मार्च 2023 को करोड़ रूपये में)

	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					
विवरण	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	277.84	2.88	5.15	3.17	116.39	405.43
(ii)अविवादित व्यापार प्राप्य –जिसमें क्रेडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य –क्रेडिट हानि	-	-	-	0.00	8.30	8.30
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	-	-	-	-	0.18	0.18
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(vi)विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट हानि	-	-	-	-	381.82	381.82
उप योग	**277.84**	**2.88**	**5.15**	**3.17**	**506.69**	**795.73**
कमी : क्रेडिट हानि के लिए अनुमत					-	390.12
कुल						**405.62**

(31 मार्च 2022 को करोड़ रूपये में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	273.88	2.88	5.15	3.17	116.39	401.47
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य –जिसमें क्रेडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(iii)अविवादित व्यापार प्राप्य –क्रेडिट हानि	-	-	-	-	7.74	7.74
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गये	-	-	-	-	0.18	0.18
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम ज्यादा हो	-	-	-	-	-	-
(vi))विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट हानि	-	-	-	-	382.28	382.28
उप योग	**412.82**	**2.21**	**0.02**	**3.11**	**794.11**	**791.67**
कमी : क्रेडिट हानि के लिए अनुमत					0	390.02
कुल						**401.65**

प्रत्येक ट्रेड प्राप्यों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेशण के आधार पर जब वसूली को संदिग्ध माना जाता है तथा राशि को वसूली योग्य माने जाने तक देय तिथि (सरकारी देयों के अतिरिक्त) के तीन वर्षों के पश्चात ट्रेड प्राप्यों में सामान्यतः क्रेडिट हानि मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों जिनमें हानि नहीं हुई है परंतु ओवरडयू है, वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं।

कुछ लेन–देनों के ट्रेड प्राप्यों के संबंध में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी द्वारा समकक्ष ट्रेड देय भी है जो ट्रेड प्राप्यों की वसूली के पश्चात देय होंगे। उक्त ट्रेड प्राप्यों को देय तिथि के पश्चात इम्पेयर्ड नहीं माना जाता है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

चूंकि हमारा दूसरा पक्ष बैंक है इसलिए रोकड़ व रोकड़ समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना गया है। अनुसूचित बैंकों के पास साविध जमा रा‍ि ा भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक की निगरानी में है, अतः इसे हम गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं तथा ऑनगोईंग आधार पर हम इन बैंकिंग संबंधों की पुनरीक्षा करते हैं। चूंकि कर्मचारियों को दिए गए गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण आदि सम्पत्ति के प्रति सुरक्षित हैं इसलिए कर्मचारियों के ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को हम नगण्य मानते हैं। अन्य कर्मचारी ऋणों को संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक गारंटी के साथ साथ अन्य सेवारत कर्मचारी के जमानत बाण्ड द्वारा कवर किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किसी प्रकार की हानि का प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि को हम अच्छी गुणवत्ता का क्रेडिट मानते हैं ।

ग) तरलता जोखिम

हमारी तरलता आवश्यकताओं को मासिक एवं वार्षिक अनुमानों के आधार पर मानीटर किया जाता है। रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष, प्रचालनों से अर्जित रोकड़ तथा देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि द्वारा वित्त पोषण की उपलब्धता कंपनी का मुख्य तरलता स्रोत है।

आधारभूत व्यापार की सक्रिय प्रकृति के कारण प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण के लिए कंपनी द्वारा लचीलापन अपनाया जाता है ।

लघु अवधि की तरलता आवयकताओं में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की मुख्यतः विविध लेनदार, देय व्यय, सामान्य व्यापार के दौरान होने वाले कर्मचारी देय शामिल हैं। लघु अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में पर्याप्त शेष बनाकर रखती है।

कंपनी द्वारा दीर्घावधि की तरलता आवश्यकताओं का नियतकालिक आधार पर आकलन किया जाता है तथा आंतरिक संग्रहण एवं प्रतिबद्ध क्रेडिट लाईंस द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता से संबंधित विवरणों को दर्शाती है। जब कंपनी को भुगतान करना आव‍ यक है तो उस अति‍ ीघ्र तारीख पर आधारित वित्तीय देयताओं के प्रकटन न किए गए रोकड़ प्रवाह के आधार पर यह तालिका बनाई गई है। इस तालिका में मूल एवं ब्याज रोकड़ प्रवाह दोनों भाामिल किए गए हैं :–

(31 मार्च, 2023 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(I) एमएसएमई	0.17	-	-	-	-	0.17
(ii) अन्य	138.51	1.43	0.00	0.93	204.23	345.10
(iii) विवादित देय –एमएसएमई	-	-	-	-	-	0.00
(iv) विवादित देय –अन्य	-	-	-	-	0.48	0.48
कुल	**138.68**	**1.43**	**0.00**	**0.93**	**204.71**	**345.75**

(31 मार्च, 2023 को करोड़ रुपये में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(I) एमएसएमई	0.18					0.18
(ii) अन्य	313.99	0.90	0.81	5.97	212.12	533.80
(iii) विवादित देय –एमएसएमई						0.00
(iv) विवादित देय –अन्य		-	-		0.40	0.40
कुल	**314.17**	**0.90**	**0.81**	**5.97**	**212.53**	**534.38**

38. हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

38.1 कैश फ्लो हेज

31 मार्च 2023 को कंपनी का कोई भी हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट बकाया नहीं था।

38.2 उचित मूल्य हेज

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, कंपनी सोने और चांदी की इंवेंट्री की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव के प्रति हेज करने के लिए कमोडिटी एक्सचेंजों के साथ फारवर्ड कांट्रेक्ट करती है। हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि माना जाता है। हेज किए गए आइटम पर होने वाले हेजिंग लाभ अथवा हानि को समायोजित करते हुए हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि ली जाती है तथा उसे लाभ अथवा हानि माना जाता है।

ए) हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च, 2023 को करोड़ रू. में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट	-	-	-	-	-
चांदी की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट	-	-	-	-	-

(31 मार्च, 2022 को रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की कैरिंग राशि		अवधि के लिए हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट को उसके उचित मूल्य में परिवर्तित करते हुए प्रयोग किया गया	हेजिंग इंस्ट्रयूमेंट की नामिनल राशि	
	परिसंपत्तियां	देयताएं		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
हेज उचित मूल्य					
मूल्य जोखिम					
सोने की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट	10.99	-	-	30	0.21
चांदी की बिक्री के लिए फारवर्ड कांट्रेक्ट	12.81	-	-	240	0.81

हेज्ड आइटम्स के लिए वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले हेज अकाउंटिंग के प्रभाव का खुलासा :

(31 मार्च, 2023 को रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंड:एएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेट्री	-	-	-	इन्वेट्रीज	-	-

(31 मार्च, 2022 को रूपए करोड़ में)

हेज तथा जोखिम का प्रकार	हेजिंग आइटम की कैरिंग राशि		हेज्ड आइटम पर हेज समायोजन की संचित राशि जिसमें हेज्ड आइटम की कैरिंग राशि भी शामिल है	तुलनपत्र में लाइन आइटम जिसमें हेज्ड आइटम शामिल है	हेज निष्प्रभावी मानने का आधार जिसके अनुसार मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं	ऐसे हेज्ड आइटम्स जो हेजिंग लाभ तथा हानि के लिए समायोजित नहीं किए जा सके थे, तुलनपत्र में ऐसे शेष बचे हेज समायोजनों की संचित राशि (इंडःएएस–109 का पैरा 6.5.10)
हेज उचित मूल्य						
मूल्य जोखिम						
सोने की इन्वेंट्री	-	-	-	इन्वेंट्रीज	-	-

39. भारतीय लेखा मानक (इंड एएसं)–36 के संबंध में प्रकटीकरण "परिसंपत्तियों की हानि"

वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति की हानि / क्षति का निर्धारण किया तथा तदनुसार वर्ष के दौरान पीपीई के मूल्य में 'शून्य' करोड़ (गत वर्ष 0. 'शून्य' करोड़ रू) की हानि का प्रावधान किया गया है।

40 भारतीय लेखा मानक (इंड एएसं)–19 के संबंध में प्रकटीकरण "कर्मचारी लाभ"

40.1 विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं के सामान्य विवरण इस प्रकार हैं :

ए) ग्रेच्युटी :

ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर सेवानिवृत्ति / सेप्रेशन पर सभी कर्मचारियों को किया जाता है। योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका संचालन एलआईसी के माध्यम से एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। अभ्रक डिवीजन के कर्मचारियों के लिए कंपनी इस योजना का संचालन सीधे एलआईसी के माध्यम से करती है। कंपनी इस योजना का वित पोषण करती है तथा इसमें देयता का निर्धारण बीमाकर्ता को दिए जाने वाले अंशदान के आधार पर किया जाता है अर्थात भारतीय बीमा निगम, हालांकि, इंड एएस–19 के अधीन अपेक्षित सूचना का खुलासा एक्चुएरल मूल्यांकन के अनुसार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड अंशदान का एक्चुएरल मूल्यांकन का अनुमान रूपए 1.97 करोड़ रू. है (गत वर्ष 2.42 करोड़ रुपए)। हालांकि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जाने वाली मांग के अनुसार फंड में योगदान करती है।

बी) अवकाश मुआवजा :

सेप्रेशन पर पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा संचित किए गए अर्जित तथा अर्ध वेतन अवकाश का मुआवजा देय होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया जा सकता है जो वर्ष के दौरान दो बार कराया जा सकता है बशर्ते कर्मचारी के खाते में नकदीकरण के बाद कम से कम 15 अवकाश शेष रहने चाहिए।

इस खाते में देयता का निर्धारण एक्चुएरल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

सी) लंबे सेवाकाल का लाभ : कर्मचारियों को देय लबी अवधि सेवाकाल के लाभ का विवरण निम्नानुसार है :

(i) सेवा पुरस्कार

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पूरे किए गए सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपए 3500 / – के हिसाब से सेवा पुरस्कार की राशि देय होती है।

(ii) अनुकंपा ग्रेच्युटी

सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 50000 / – रू की एक–मुश्त राशि अनुकंपा ग्रेच्युटी के रूप में देय होती है।

(iii) कर्मचारी परिवार लाभ योजना

यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो उसके आश्रितों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना के तहत भुगतान उस तारीख तक देय होता है जो उसकी सेवानिवृत्ति की नोशनल तारीख है। यदि कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के समय तक 20 वर्षों से कम अवधि की सेवा की है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 40 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000 / – रू है तथा यदि कर्मचारी ने 20 वर्ष अथवा इससे अधिक का सेवाकाल पूरा कर लिया है तो उस स्थिति में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन तथा डीए की 50 प्रतिशत राशि मासिक आधार पर देय होती है जिसकी अधिकतम राशि 12,000 / – रू है।

(iv) माईका प्रभाग के कर्मचारियों को विशेष लाभ : सेवानिवृत्ति पर अधिकारी को 5,00,000 / – रू, स्टाफ को 4,00,000 / – तथा कामगार को 3,00,000 / – रूपए की राशि देय होती है।

लाभ व हानि, अन्य व्यापक आय(ओसीआई) तथा तुलनपत्र तथा अन्य प्रकटन में दिए गए विभिन्न लाभों की संक्षेप स्थिति निम्नानुसार है :

नेट परिभाषित लाभ देयता (रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कर	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युट	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ देयता	सी.वाई.	62.29	20.61	19.69	3.31	1.14	0.09	2.13
	पी.वाई.	69.26	18.57	20.15	3.58	1.49	0.10	2.80
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	सी.वाई.	64.50	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.	70.35	-	-	-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति / {अधिशेष / (घाटा)}	सी.वाई.		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.		-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	सी.वाई.		-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.		-	-	-	-	-	-
नेट परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयताएं)	सी.वाई.	2.22	(20.61)	(18.69)	(3.31)	(1.14)	(0.09)	(2.13)
	पी.वाई.	1.09	(18.57)	(20.15)	(3.58)	(1.49)	(0.10)	(2.80)

योजना परिसंपत्ति का चलन (रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कर	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के शुरू में	सी.वाई.	69.26	18.57	20.15	3.58	1.49	0.10	2.80
	पी.वाई.	90.85	16.01	20.59	4.35	1.85	0.12	3.63
चालू सेवा लागत	सी.वाई.	1.10	1.06	1.01	0.11	0.03	-	-
	पी.वाई.	1.40	0.83	0.78	0.12	0.04	-	-
विगत सेवा लागत	सी.वाई.	0.00	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.	0.00	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	सी.वाई.	4.63	1.24	1.35	0.28	0.10	-	-
	पी.वाई.	5.83	1.03	1.32	0.28	0.12	-	-
प्रदत्त लाभ	सी.वाई.	(11.04)	(3.57)	(2.13)	(0.74)	(0.42)	-	-
	पी.वाई.	(17.59)	(3.04)	(2.94)	(0.36)	(0.41)	-	-
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएल हानि/(लाभ)	सी.वाई.	(1.66)	3.31	(1.68)	0.08	(0.06)	(0.01)	(0.67)
	पी.वाई.	(11.23)	3.74	0.40	(0.80)	(0.11)	(0.02)	(0.84)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के अंत में	सी.वाई.	62.29	20.61	18.69	3.31	1.14	0.09	2.13
	पी.वाई.	69.26	18.57	20.15	3.58	1.49	0.10	2.80

योजना परिसंपत्ति का चलन (रु. करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
	31.03.2023	31.03.2022
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	70.35	82.45
ब्याज आय	4.91	5.50
नियोक्ता अंशदान	0.22	0.00
प्रदत्त लाभ	(11.04)	(17.59)
पुनः मूल्यांकन – एक्चुरीएयल हानि/(लाभ)	0.07	(0.00)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	64.50	70.35

लाभ व हानि विवरण में शामिल की गई राशि (रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कर	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	सी.वाई.	1.10	1.06	1.01	0.11	0.03	-	-
	पी.वाई.	1.40	0.83	0.78	0.12	0.04	-	-
पूर्व सेवा लागत– प्लान संशोधन	सी.वाई.	0.00	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.		-	-	-	-	-	-
सेवा लागत (ए)	सी.वाई.	1.10	1.06	1.01	0.11	0.03	-	-
	पी.वाई.	1.40	0.83	0.78	0.12	0.04	-	-
नेट परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) (बी)	सी.वाई.	(0.14)	1.24	1.35	0.28	0.10	-	-
	पी.वाई.	0.54	1.03	1.32	0.28	0.12	-	-
अवधि में माने गए नेट एक्चुरियअल (लाभ)/हानि	सी.वाई.	-	3.31	(1.68)	0.08	(0.06)	(0.01)	(0.67)
	पी.वाई.	-	3.74	0.40	(0.36)	(0.11)	(0.02)	(0.84)
पी एण्ड एल में मानी गई लागत (ए.बी)	सी.वाई.	0.95	5.61	0.67	0.46	0.07	(0.01)	(0.67)
	पी.वाई.	1.94	5.60	2.50	0.04	0.05	(0.02)	(0.84)

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल की गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरिएयल लाभ/(हानि)	सी.वाई.	(1.66)	-	-	0.03	(0.03)	-	-
	पी.वाई.	(11.23)	-	-	(0.19)	0.07	-	-
अनुमानित परिवर्तनों के कारण एक्चुएरियल लाभ/(हानि	सी.वाई.	-	-	-	0.05	(0.03)	-	-
	पी.वाई.	-	-	-	(0.17)	(0.18)	-	-
अवधि के दौरान हुए एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए)	सी.वाई.	(1.66)	-	-	0.08	(0.06)	-	-
	पी.वाई.	(11.23)	-	-	(0.36)	(0.11)	-	-
प्लान परिसंपत्ति पर रिर्टन जो डिस्काउंट रेट से (अधिक)/कम है (बी)	सी.वाई.	(0.15)	-	-	-	-	-	-
	पी.वाई.	(0.20)	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में मानी गई एक्चुएरियल लाभ/(हानि) (ए.बी)	सी.वाई.	(1.81)	-	-	0.08	(0.06)	-	-
	पी.वाई.	(11.44)	-	-	(0.36)	(0.11)	-	-

संवेदनशील विश्लेशण

(31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट	0.50%	(1.24)	(0.47)	(0.37)	(0.06)	(0.03)	-	-
	-0.50%	1.30	0.50	0.38	0.06	0.03	-	-
वेतनवृद्धि दर	0.50%	0.24	0.50	0.39	0.06	-	-	-
	-0.50%	(0.28)	(0.48)	(0.37)	(0.06)	-	-	-

(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु. करोड़ में)

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
डिस्काउंट रेट	0.50%	(1.49)	(0.46)	(0.44)	(0.06)	(0.04)	-	-
	-0.50%	1.57	0.49	0.46	0.07	0.04	-	-
वेतनवृद्धि दर	0.50%	0.36	0.49	0.46	-	-	-	-
	-0.50%	(0.41)	(0.47)	(0.44)	-	-	-	-

एक्चुएरियल अनुमान

अनुमान		ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ	अनुकंपा ग्रेच्युटी	कर्मचारी परिवार लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)	(गैर–वित्त पोषित)
प्रयोग में लाई गई पद्धति	सी.वाई.	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट
	पी.वाई.	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट	प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट
डिस्काउंट रेट	सी.वाई.	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%
	पी.वाई.	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%	6.69%
वेतनवृद्धि दर	सी.वाई.	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
	पी.वाई.	6.00%	6.00%	6.00%	-	-	-	-
मृत्यु दर	सी.वाई.	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)
	पी.वाई.	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)

संभावित लाभ भुगतान (रु. करोड़ में)

क्रम सं.	भुगतान का वर्ष	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी की छुट्टी	लंबी सेवा पुरस्कार	विशेष लाभ
		(वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)	(गैर– वित्त पोषित)
1	0 से 1 साल	13.47	3.93	0.15	0.81	0.33
2	1 से 2 साल	9.23	2.98	6.27	0.54	0.27
3	2 से 3 साल	6.60	2.03	2.24	0.34	0.30
4	3 से 4 साल	7.55	2.68	2.36	0.40	0.13
5	4 से 5 साल	6.16	2.30	2.22	0.35	0.00
6	5 से 6 साल	5.08	1.65	1.42	0.26	0.06
7	6 साल से उपर	14.20	5.04	4.03	0.62	0.06

प्लान परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत
बीमाकृत लाभ	100%

डी) **भविष्य निधि** : कंपनी का योगदान देय वर्ष के दौरान भविष्य निधि और देयताओं के लिए भुगतान किए गए/भुगतान योग्य राशि की पहचान अक्रुएल आधार पर की जाती है। कंपनी का भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान एक्ट, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। जिन शर्तों के तहत छूट दी गई है उनमें प्रावधान है कि नियोक्ता ट्रस्ट द्वारा घोषित की गई ब्याज दर तथा वैधानिक दर में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में उसकी पूर्ति करेगा। फंड की परिसंपत्तियों तथा किए गए निवेश पर आने वाले रिटर्न को देखते हुए कंपनी को लगता है कि निकट भविष्य में किसी और देयता के उत्पन्न होने की आशा नहीं है।

ई) **सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ** – कंपनी ने वर्ष के दौरान परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए रू 3.50 करोड़ (गत वर्ष रू 4.08 करोड़) लाभ व हानि विवरण में शामिल किए हैं।

एफ) **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ** : 'परिभाषित अंशदान योजना' के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इनपेशंट इलाज तथा आपीडी इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

ए. 1.1.2007 (बंद समूह) से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना के संबंध में वर्ष के लिए पीबीटी की 1.50 प्रतिशत देयता को सामर्थ्य के आधार पर वित्त वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए नही दिखाया गया है, भले ही कंपनी ने 1279.16 करोड़ (पि.वर्ष 120.60 करोड़ रू) के कर–पूर्व लाभ की सूचना दी हो। साथ ही, कंपनी ने सेवारत कर्मचारियों के लिए खुले समूह/4.50% बेसिक.डीए के लिए पीआरएमबीएस प्रदान नहीं किया है।

बी कंपनी ने फंड के प्रबंधन के लिए पीआरएमबीएस ट्रस्ट बनाया है और योजना के प्रति कंपनी की देनदारी के लिए 2019–20 में ट्रस्ट को 150.00 करोड़ रू. का भुगतान किया है। ट्रस्ट 2022–23 के दौरान ओपरेशनल है।

41. समूह सूचना

1. सहायक कंपनी

समूह की सहायक कंपनियां नीचे दी गई हैं। उनके पास शेयर पूंजी होती है जिसमें पूरी तरह से इक्विटी शेयर होते हैं जो सीधे समूह के पास होते हैं और स्वामित्व के हितों का अनुपात समूह द्वारा रखे गए वोटिंग अधिकारों के बराबर होता है। निगमन या पंजीकरण का देश भी उनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान है।

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	प्रमुख कार्यकलाप	निगमन स्थान	समूह का स्वामित्व हित	
				31.3.2023	31.3.2022
1	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा.लि.	खनिज, धातु, उर्वरक, कृषि उत्पाद, कोयला और हाइड्रोकार्बन, बुलियन, आभूषण, अन्य वस्तुओं में व्यापार	सिंगापुर	100% (नान–कंट्रोलिंग इंट्रस्ट शून्य)	100% (नान–कंट्रोलिंग इंट्रस्ट शून्य)

1. **संयुक्त उपकम**

जिन संयुक्त उपक्रमों में समूह एक संयुक्त उद्यम है उनका विवरण नीचे दिया गया है। उनके पास शेयर पूंजी होती है जिसमें इक्विटी शेयर होते हैं जो सीधे समूह द्वारा रखे जाते हैं और स्वामित्व हितों का अनुपात समूह द्वारा आयोजित मतदान अधिकारों के बराबर होता है। निगमन या पंजीकरण का देश भी उनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान है।

क्र.सं.	संयुक्त उपक्रम का नाम	प्रमुख कार्यकलाप	निगमन स्थान	समूह का स्वामित्व हित		लेखा पद्धति
				31.03.2023	31.03.2022	
1	एमएमटीसी गीतांजली.लि.(i)	सोने व चांदी के सिक्के, स्वर्ण आभूषण, हीरे जड़ित आभूषण, लाईफस्टाईल ज्वैलरी का व्यापार	भारत	26%	26%	इक्विटी पद्धति
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि.	सोने व चांदी की बार, सिक्के और इससे संबंधित मदें और सोने व चांदी बार की रिफाईनिंग	भारत	26%	26%	इक्विटी पद्धति
3	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (iii)	कंपनी ने आयरन ओर टर्मिनल सुविधा की स्थापना की है	भारत	26%	26%	इक्विटी पद्धति
4	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	भारत में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन का विकास	भारत	50%	50%	इक्विटी पद्धति

(i) मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य प्रमोटर द्वारा की गई चूक की रिपोर्ट के मद्देनजर कंपनी ने वर्ष 2017–18 के दौरान अपने संयुक्त उद्यम– मैसर्स एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड में 2.99 करोड़ रू. के अपने इक्विटी निवेश को पूरी तरह से प्रभावित किया है। जांच एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जेवी कंपनी ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। कंपनी ने जेवी कंपनी से बाहर निकलने का नोटिस भी दिया है। जेवी कंपनी से 2022–23 के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इसे भी समेकन के उद्देश्य से नहीं माना जाता है।

(ii) कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम मेसर्स सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड में 33.80 करोड़ रू. के इक्विटी निवेश में हानि के लिए 100% प्रावधान किया।

(iii) उद्धृत उचित मूल्यः उपरोक्त सभी संयुक्त उद्यम असूचीबद्ध संस्थाएं हैं और इसलिए कोई उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं है। वहन राशि का विवरण नोट संख्या 6 में दिया गया है।

3. **संस्था समेकित**

निम्नलिखित संस्थाओं को समेकन उद्देश्य के लिए माना जाता हैः –

क्रम संख्या	संस्था का नाम	स्थिति	अपनाये गये वित्तीय विवरण
1.	एमएमटीसी ट्रांसेशनल प्रा.लि.	सहायक कंपनी	लेखा परीक्षित
2.	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि.	संयुक्त उपक्रम	लेखा परीक्षित
3.	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	संयुक्त उपक्रम	*

* 2022–23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए।

निम्नलिखित संस्थाओं को समेकन उद्देश्य के लिए नहीं माना जाता है क्योंकि निवेश पूरी तरह से हानिपरक है।

क.सं.	संस्था का नाम	स्थिति	समेकन नही करने का कारण
1.	एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	उपरोक्त टिप्पणी सं.41.2(ii)
2.	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि	संयुक्त उपक्रम	उपरोक्त टिप्पणी सं.41.2(i)

4. संयुक्त उद्यमों की शामिल नहीं की गई हानियां

संयुक्त उद्यम के नुकसान मे शामिल नही किये गये जैसा कि समूह ने संयुक्त उद्यम के नुकसान के अपने हिस्से को शामिल करना बंद कर दिया है, निवेश के वहन मूल्य से अधिक होने के कारण, इक्विटी पद्धति को लागू करते हुए, नीचे दिया गया है: –

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	31.3.23 को संचित शेष	31.3.2022 और 31.3.3023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
2	फ्री ट्रैड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	19.68	प्राप्त नही हुआ	6.79	9.06	1.45	1.38

2022–23 के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नही हुए।

42. संयुक्त उद्यम से संबंधित जानकारी (रु. करोड़ में)

संक्षेपित तुलन पत्र	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	
	31 मार्च 23	**31 मार्च 22**	**31 मार्च 23**	**31 मार्च 22**
चालू परिसंपत्तियां				
नकद और नकद समकक्ष	6.09	32.95		
अन्य परिसंपत्तियां	3,428.58	2,979.19	-	-
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	3,434.67	3,012.14	-	-
कुल गैर चालू परिसंपत्तियाँ	407.87	327.78		-
चालू देनदारियाँ				
वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय और प्रावधानों को छोड़कर	1,525.39	1,398.85		
अन्य देनदारियाँ	1,768.98	1,528.98		
कुल चालू देनदारियाँ	3,294.37	2,927.83	-	-
गैर चालू देनदारियाँ				
वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय और प्रावधानों को छोड़कर)	44.28	40.92	-	-
अन्य देनदारियाँ	33.41	32.55		
कुल गैर चालू देनदारियाँ	77.69	73.47	-	-
निवल परिसंपत्तियाँ	470.48	338.62	-	-

विवरण	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	
	2022-23	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**
राजस्व	31,503.75	29,269.77		-
ब्याज आय	6.97	2.45		-
मूल्यह्रास और अमोर्टाईजेशन	24.54	24.60		-
ब्याज व्यय	67.39	46.05		-
आयकर व्यय	40.50	15.36		-
निरंतर प्रचालन से लाभ	118.62	44.79		-
बंद प्रचालन से लाभ (कर के बाद)	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	118.62	44.79	-	-
अन्य व्यापक आय	0.27	(0.37)	-	-
कुल व्यापक आय	118.89	44.42	-	-

विवरण	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (एफटीडब्ल्यूपीएल)	
	31 मार्च 23	31 मार्च 22	31 मार्च 23*	31 मार्च 22
आरंभिक निवल परिसंपत्ति	351.59	307.17	(39.36)	(39.36)
वर्ष के लिए लाभ	118.62	44.79	-	-
अन्य व्यापक आय	0.27	(0.37)	-	-
अन्य समायोजन	-		-	-
ईक्विटी के समानक अग्रिम	-	-	-	
अंतिम निवल परिसंपत्ति	470.48	351.59	(39.36)	(39.36)
प्रतिशत में समूह के शेयर	26%	26%	50%	50%
आईएनआर में ग्रुप के शेयर	122.32	91.42	(19.68)	(19.68)
गुडविल / (आरक्षित पूंजी)	-	-	-	-
कैरिंग राशि**	122.32	91.42	-	-

* 31.03.2022 और 31.03.2023 को स्थिति के लिए वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए।
संयुक्त उद्यम कंपनी, एनआईएनएल और एफटीडब्ल्यूपीएल के मामले में निवेश की कैरिंग राशि शून्य है क्योंकि संयुक्त उद्यम कंपनी के नुकसान में समूह का हिस्सा संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश की कैरिंग राशि से अधिक है। जेवी कंपनी एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड और सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड के संबंध में निवेश की कैरिंग राशि शून्य है क्योंकि संयुक्त उद्यम में समूह का इक्विटी निवेश पूरी तरह से नुकसान भरा रहा है।

43. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–108 के संबंध में प्रकटन : ''ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स''

जैसाकि इंड एएस–108 में परिभाशित किया गया है ''मैनेजमेंट अप्रोच'' के आधार पर चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है तथा बिजनेस सेग्मेंट्स के विभिन्न कार्यनिष्पादन सूचकों के विश्लेशण के आधार पर संसाधनों का आबंटन करता है। तदनुसार प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट के बारे में सूचना दी गई है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों को प्रत्येक बिजनेस सेग्मेंट का राजस्व तथा व्यय रिकार्ड करने के लिए निरंतर इस्तेमाल किया गया है तथा इन्हें महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों में भी भाामिल किया गया है। कंपनी के बिजनेस सेग्मेंट हैं :– बहुमूल्य धातुएं, धातुएं, खनिज, कोल तथा हाइड्रोकार्बन, कृशि उत्पाद, उर्वरक तथा अन्य।

सेग्मेंट राजस्व तथा व्यय

सेग्मेंट परिसंपत्तियों में सभी ओपरेटिंग परिसंत्तियां शामिल हैं जिसमें नेट स्थिर परिसंपत्तियां तथा वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम इत्यादि शामिल हैं। कारपोरेट तथा निर्माण से संबंधित परिसंपत्तियों को अनअलोकेटिड सेग्मेंट्स में शामिल किया गया है। सेग्मेंट देयताओं में संबंधित सेग्मेंट की देयताएं तथा प्रावधान शामिल हैं।

सेगमेंट राजस्व एवं परिणाम **(31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)**

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	265.98	0.91	-	-	-	-	5.66	272.55
भारत से बाहर	0.00	74.43	106.54	114.48	2,958.10	2.09	-	3,255.63
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								
कुल सेग्मेंट राजस्व	**265.98**	**75.34**	**106.54**	**114.48**	**2958.10**	**2.09**	**5.66**	**3528.18**
सेग्मेंट परिणाम								
भारत में	11.14	0.11	-	-	-	-	3.01	14.26
भारत से बाहर	-	0.47	0.78	0.41	9.14	0.02	-	10.81
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	**11.14**	**0.58**	**0.78**	**0.41**	**9.14**	**0.02**	**3.01**	**25.08**
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट								35.84
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								(1,286.92)
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								**1,276.16**

(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
बाहरी ग्राहकों से सेग्मेंट राजस्व								
भारत में	6,013.01	30.33	0.01	751.09	75.60	1,459.83	28.53	8,358.41
भारत से बाहर	0.00	78.46	125.14	7.90	3,217.59	(0.00)	8.89	3,437.98
इंटर– सेग्मेंट राजस्व								-
कुल सेग्मेंट राजस्व	**6,013.01**	**108.79**	**125.15**	**758.99**	**3,293.19**	**1,459.83**	**37.42**	**11,796.39**
सेग्मेंट परिणाम								-
भारत में	27.73	0.18	0.01	547.84	2.74	10.11	3.27	591.88
भारत से बाहर	-	0.38	2.13	0.08	10.58	0.04	0.37	13.58
कुल सेग्मेंटनल परिणाम	**27.73**	**0.56**	**2.14**	**547.92**	**13.32**	**10.15**	**3.64**	**605.45**
अनअलोकेटिड कारपोरेट व्यय :								
ब्याज व्यय (नेट)								204.23
अन्य आय घटाने पर अन्य अनअलोकेटिड व्यय								311.79
साधारण कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ								**89.43**

परिसंपत्तियों व देयताओं का सेग्मेंट (31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां								
परिसंपत्तियां	26.20	15.89	23.25	1145.67	463.28	31.39	415.98	2121.66
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								1556.25
कुल परिसंपत्तियां								**3677.91**
ए.02 सेग्मेंट देयताए								
देयताएं	55.88	16.28	26.88	1344.48	489.72	22.65	11.32	1967.20
अनअलोकेटिड देयताए								298.95
कुल देयताएं								**2266.15**

(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रु करोड़ में)

विवरण	बहुमूल्य धातुएं	धातुएं	खनिज	कोल व हाइड्रो कार्बन	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य	कुल
ए.01 सेग्मेंट परिसंपत्तियां								
परिसंपत्तियां	87.55	7.73	23.58	3695.73	483.09	17.42	416.46	4731.54
अनअलोकेटिड परिसंपत्तियां								51.83
कुल परिसंपत्तियां								**4783.39**
ए.02 सेग्मेंट देयताए								
देयताएं	109.54	27.58	28.54	1353.66	643.98	31.41	17.35	2212.05
अनअलोकेटिड देयताए								2719.42
कुल देयताएं								**4931.45**

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

बाहरी एकल ऐसे ग्राहकों के साथ हुए लेनदेन में कंपनी को कुल राजस्व का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, के बारे में सूचना नीचे दी गई है ।

(रुपए करोड़ में)

प्रमुख ग्राहक (ग्राहक जिसका 10 प्रतिशत से अधिक राजस्व है)	2022-23	2021-22
कुल राजस्व	147.56	1458.90
ग्राहकों की संख्या	1	1
कुल राजस्व का प्रतिशत	4.18%	12.37%
उत्पाद सेग्मेंट	कीमती धातु	उर्वरक

भारतीय लेखा मानक 24"संबंधित पार्टी प्रकटन" के संबंध में प्रकटन

44.1 गैर–सरकारी संबंधी संगठन के लिए प्रकटन

ए. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों की सूची

नाम	पदनाम
I. श्री विभु नायर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (01.03.2022 से 31.08..2022 तक)
ii. श्री हरदीप सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (प्रबंध निदेशक) (27.10.2022 से)
iii. श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त) एवं (मुख्य वित्तीय अधिकारी)
iv. श्री जे. रवि शंकर	निदेशक
v. श्री आर. आर. सिन्हा	निदेशक(कार्मिक)
vi. श्री टी एस राव	प्रबंध निदेशक, एमटीपीएल
vii. श्री देबाशिश नायक	निदेशक (वित्त),एमटीपीएल

बी) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

सी) संयुक्त उद्यम

i. फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
ii. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
iii. एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
iv. सिकॅाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

डी. सरकार तथा इससे संबंधित संगठन

I. भारत सरकार के पास कंपनी के 89.93 प्रतिशत इक्विटी शेयर्स हैं तथा उसका कंपनी पर नियंत्रण है।
ii. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिस पर भारत सरकार का नियंत्रण है।

ई. रोजगारोपरांत लाभ योजना

I. एमएमटीसी लिमिटेड सीपीएफ ट्रस्ट
ii. एमएमटीसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट
iii.एमएमटीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट
iv. एमएमटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट

एफ. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों के लिए मुआवजा

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ	3.92	3.77
रोजगारोपरांत लाभ	0.42	0.42
अन्य दीर्घावधि लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
ट्रमिनेशन लाभ	-	-
कुल	4.34	4.19
वर्ष के दौरान ऋणों व अग्रिमों की वसूली	-	-
वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम	-	-
वर्ष के अंत में ऋणों व अग्रिमों का अंतिम शेष	-	-

जी. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि		इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		अन्य	
	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22
माल एवं सेवाओं की बिक्री	-	-	-	2.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कच्चे माल/वस्तु तथा सेवाओं की खरीद	-	-	8.92	78.94	-	-	-	-	-	0.91	-	232.36	-	-	-	
कंपनी की ओर से भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.30	88.05
अन्य लेन–देन	-	-	-	-	-	-	-	-	7.72	37.18	-	1.49	-	-	33.06	19.47

एच. वस्तु/सेवाओं की बिक्री/खरीद से उत्पन्न बकाया शेष

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि		इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22
देय व्यापार	**0.02**	**0.02**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्य व्यापार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.06**	-	-	-	-

आई. संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि		इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22
वर्ष के प्रारंभ में ऋण		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ऋण अग्रिम		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
प्राप्त/समायोजित अदायगी		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ब्याज प्रभार		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

जे. संयुक्त उद्यमों को दिए गए अग्रिम

(रुपए करोड़ में)

विवरण	एमएमटीसी गीतांजलि लि		एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड		सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि		इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.		एमटीपीएल		नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड		फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		हाल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि		कांडला फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि	
	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22	मार्च/23	मार्च/22
दिए गए अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,463.11**	-	-	-	-	-	-

के. केएमपी को ऋण (रुपए करोड़ में)

विवरण	मार्च / 23	मार्च /22
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	-	-
दिया गया अग्रिम ऋण	-	-
प्राप्त अदायगी	-	-
ब्याज प्रभार	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-
वर्ष के अंत में ब्याज सहित शेष	-	-

एल . संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण अल्पावधि के होते हैं तथा केएमपी को दिए गए वेलफेयर अग्रिम की प्रकृति के होते हैं। इन पर लिया जाने वाला ब्याज समय–समय पर प्रचलित बाजार दरों पर होता है।

एन. सरकार तथा सरकारी संगठनों के साथ हुए लेन–देन का प्रकटन (रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	सरकार/सरकारी संगठन का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	मूल्य	बकाया शेष 31.03.2023 को	
					प्राप्य	देनदारियां
1	उर्वरक विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की बिक्री	-	11.89	-
2	उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार	बहुमत स्वामित्व	दालों और प्याज का आयात	-	-	36.403
3	भारत सरकार के अन्य विभाग	बहुमत स्वामित्व	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	154.89	13.70	0.32
4.	सीपीएसईज/एसपीएसईज	भारत सरकार के माध्यम से	वस्तुओं की खरीद/बिक्री	18.18	1.65	5.57
		कुल		**173.07**	**27.25**	**41.91**

45. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–116 "लीज" के संबंध में प्रकटन

45.1 पट्टेदार के रूप में

ए. वित्तीय पट्टे : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़ (रुपए करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	संपत्ति के उपयोग के लिए मूल्यह्रास प्रभार	1.12	1.08
2	पट्टे देनदारी पर ब्याज खर्च	1.02	0.36
3	अल्पावधि पट्टे पर खर्च	-	-
4	कम मूल्य संपत्ति पर खर्च	-	-
5	पट्टा देनदारी के माप खर्च रहित विभिन्न पट्टा भुगतान से संबंधित खर्च	-	-
6	संपत्ति उपयोग के पट्टा उधार अधिकार से प्राप्त आय	-	-
7	पट्टे के लिए नकद का कुल बर्हिगमन	1.41	1.41
8	संपत्ति के उपयोग के अधिकार के अलावा	0.90	0.01
9	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति के उपयोग के अधिकार के कैरिंग राशि	2.84	2.14

लीज देनदारी की परिपक्वता विश्लेषण (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	कुल
एक वर्ष के अंदर	0.13	0.11	0.13
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	0.59	0.42	0.59
5 वर्षों के बाद	4.46	3.12	4.46

सी) कंपनी अपने व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार का प्रयोग कर रही है।

डी) आईएण्डडी एएस – 116 (लीज) के प्रावधान के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से, कम अवधि वाली लीज (12 महीने या उससे कम समय के लिए) और लीज जिसकी परिसंपत्ति कम मूल्य 1,00,000/– रू. प्रति महीने और 12,00,000/– रू. प्रति वर्ष तक के हैं शामिल नहीं किए जाते हैं।

45.2 लीजदाता के रूप में

ए. वित्तीय लीज : अवधि के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की वित्तीय लीज व्यवस्था नहीं की है।

बी. आपरेटिंग लीज़ :

- रद्द न किए जाने वाली आपरेटिंग लीजों के तहत भावी न्यूनतम लीज़ प्राप्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	कुल
एक वर्ष के अंदर	2.90	1.73	2.90
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्षों के अंदर	1.82	2.16	1.82
5 वर्षों के बाद	-	-	-

46. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–33 "प्रति भोयर अर्जन(ईपीएस)" के संबंध में खुलासा

बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस

बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस तथा बेसिक ईपीएस की गणना में साधारण भोयरों की संख्या में निम्नलिखित औसत आय व अधिमान अपनाया गया :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के स्वामियों को वर्ष के दौरान हुए लाभ (हानि)	1,562.27	(262.38)
प्रति शेयर बेसिक आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की वेटिड औसत	1,500,000,000	1,500,000,000
बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस	10.42	(1.75)

47. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में खुलासा

(रुपए करोड़ में)

प्रावधान के विवरण	01.04.22 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	31.03.23 को अंतिम शेष
बोनस / पीआरपी	3.50	0.37	0.17	3.30
मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधान	1,067.39	(5.27)	1.86	1074.52

48. भारतीय लेखा मानक(इंड एएस)–115 'ग्राहकों के साथ हुई संविदा से राजस्व' के बारे में खुलासा

खुलासा

ए(1) ग्राहकों के साथ संविदाएं

ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से निम्नलिखित को प्राप्त राजस्व माना है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	3,522.72	11,237.80
सेवाओं की बिक्री	4.68	4.50
अन्य प्रचालन राजस्व		
–दावे	-	0.15
–सब्सिडी	-	-
–अर्जित डिस्पैच	-	1.43
–अन्य व्यापार आय	0.78	552.36
कुल	**3,528.18**	**11,796.24**

ए) कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि अथवा ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली संविदा परिसंपत्तियों के विरूद्ध होने वाली हानि की राशि माना गया है, जो निम्नानुसार है:–

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
हानि की क्षति	-	-

(ii) राजस्व का विभाजन

कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट की खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोल व हाईड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार / अन्य के रूप मे पहचान की है। ग्राहकों के साथ हुई संविदाओं से अर्जित हुए सेग्मेंटवाइज राजस्व तथा उसका कुल राजस्व में अनुपात निम्नानुसार है:–

(करोड़ रू.में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	कुल राजस्व का प्रतिशत
बहुमूल्य धातुएं	265.98	7.54	6,013.01	50.97
धातुएं	75.34	2.14	108.79	0.92
खनिज	106.54	3.02	125.15	1.06
कोल व हाइड्रोकार्बन	114.48	3.24	758.99	6.43
कृषि उत्पाद	2,958.10	83.84	3,293.19	27.92
उर्वरक	2.09	0.06	1,459.83	12.38
अन्य	5.66	0.16	37.42	0.32
कुल	**3,528.18**	**100.00**	**11,796.39**	**100.00**

(iii) **संविदा शेष**

(ए) प्राप्य

(करोड रू.में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
आरंभिक शेष	791.77	791.77
वर्ष के दौरान वृद्धि / कमी	3.01	-
अंतिम शेष	**794.78**	**791.77**

बी) संविदा परिसंपत्तियां

कंपनी संविदा परिसंपत्तियों की पहचान तब करती है जब इसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि इसने ग्राहक को माल अथवा सेवाओं के ट्रांसफर करने के दायित्व को पूरा कर दिया है तथा प्रतिफल के प्राप्त होने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है। इसके लिए कंपनी को प्रतिफल प्राप्त होने से पूर्व कुछ शर्ते पूरी करनी होती है। एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी को अपने ग्राहकों को उस माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करना होता है जिसके लिए इसने अपनी वचनबद्धता दी है। कंपनी की ऐसी कोई देयता नहीं है जिसको इसने पूरा नहीं किया है।

सी) संविदा देयताएं

ग्राहकों के साथ संविदा हो जाने के बाद कंपनी को ग्राहकों से प्राप्त होने वाली ईएमडी, सिक्युरिटी डिपोजिट, मार्जिन राशि, कस्टम डयूटी इत्यादि के भुगतान के लिए एडवांस को 'अन्य वित्तीय देयताएं तथा 'अन्य देनदारियो' के अंतर्गत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

(करोड रू.में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
आरंभिक शेष	389.57	462.26
जोड़ें :वर्ष के दौरान वृद्धि	38.15	51.00
घटाएंः कटौती (रिफंड / समायोजन	142.05	108.40
घटाएंः राजस्व जिसे वर्ष के दौरान आरंभिक शेष का हिस्सा माना गया है	-	15.28
अंतिम शेष	**285.67**	**389.57**

वर्ष के दौरान पूर्व अवधि से संबंधित ग्राहकों को डेबिट / क्रेडिट नोट्स बनाकर कार्यनिष्पादन की देयता को पूरा किया हुआ दिखाकर राजस्व की प्राप्ति 'शून्य' करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड़ रूपए) दर्शाया गया है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान डिस्काउंट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य छूट, कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन बोनस इत्यादि की राशि राजस्व में शून्य" करोड़ रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) माना है जिसके लिए संविदा राजस्व के विरूद्ध शून्य" करोड़' रूपए (गत वर्ष शून्य करोड रूपए) का समायोजन किया है।

(डी) व्यवहारिक उपाय

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ कुछ ऐसी बिक्री संविदाएं की है जिनके कुछ हिस्से का निष्पादन किया जाना शेष है, इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार की संविदा की अवधि एक वर्ष से कम है अथवा प्रतिफल की प्राप्ति का अधिकार कंपनी द्वारा परफार्मेंस पूरी करने के बाद उत्पन्न होगा।

(बी) इस मानक के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण निर्णय

(i) कंपनी द्वारा राजस्व की पहचान उस स्थिति में की जाती है जब कंपनी अपने ग्राहकों के साथ किए गए वादे के अनुसार माल अथवा सेवा देने के कार्य को पूरा करती है। परिसंपत्ति / माल सेवाओं को तब ट्रांसफर किया हुआ माना जाता है जब ग्राहक संबंधित परिसंपत्ति / माल / सेवाओं पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

(ii) कंपनी अपने लेन देन के मूल्य का निर्धारण अनुबंध की शर्तो तथा परंपरागत व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार करती है। लेन देन का मूल्य वह प्रतिफल होता है जो एक कंपनी ग्राहक को वादे के अनुसार माल अथवा सेवा का ट्रांसफर करने के बाद अधिकार प्राप्त करती है। इस मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से प्राप्त की गई राशि (उदाहरणार्थ जीएसटी इत्यादि) शामिल नहीं होती है ।

(iii) ग्राहक के साथ तय की गई संविदा में तय किए गए प्रतिफल की राशि निश्चित अथवा परिवर्तनशील अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि इसमें किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ग्राहक के नाम पर डेबिट / क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिफल की स्थिति में लेनदेन मूल्य पर पडने वाले प्रभाव का निर्धारण करते समय परिवर्तनशील प्रतिफल के अनुमान संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय कम्पोनेंट, गैर नकदी प्रतिफल तथा ग्राहक को देय प्रतिफल पर भी विचार किया जाता है।

(iv)वर्ष के दौरान संविदा के मूल्य में कुछेक समायोजन किए गए हैं जो राशि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष महत्व के नहीं है।

सी. ग्राहक के साथ की गई संविदा को प्राप्त करने अथवा उसे पूरा करने की लागत को परिसंपत्ति माना गया।

एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि निश्चित प्रकृति की होती है अतः ग्राहक के साथ की जाने वाली संविदा अथवा संविदा के दायित्व को पूरा करने में इस राशि में कोई बढोत्तरी नहीं होती है। इस स्थिति में एक व्यवहारिक उपाय के रूप में लाभ तथा हानि विवरण में शमिल किया जाता है।

49. अचल संपत्ति की टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नही :

(करोड रू.)

तुलन पत्र में संबंधित लाईन मद	परिसंपति की मद का विवरण	सकल कैरिंग मूल्य	के नाम पर टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर के कर्मचारी, प्रमोटर/निदेशक के रिश्तेदार हैं	परिसंपति किस तिथि /आबंटन तिथि से स्वामित्व में है	कंपनी के नाम नही होने का कारण
पीपीई	भूमि	1.04	स्कोप, नई दिल्ली	-	13.12.2000	स्कोप का एलएंडडीओ के साथ लीज एग्रीमेंट किया जाना बाकी है
पीपीई	भवन	5.74	स्कोप, नई दिल्ली	-	13.12.2000	स्कोप का एलएंडडीओ के साथ लीज एग्रीमेंट किया जाना बाकी है

50. पूर्व अवधि त्रुटि

विवरण

(करोड रू.)

तुलन पत्र की मदें ईक्विअी ओर देयताएंः	समायोजन से पूर्व राशि	समायोजन	समायोजित मूल्य
31.03.2023 को (सिक्योरिटी जमा और ईएमडी)	10.14	(0.25)	9.89
परिसंपतियां			
31.03.2023 को समाप्त वर्ष (सकल ब्लाक)	3.95	0.16	4.11
31.03.2023 को समाप्त वर्ष (एसीसी मूल्यह्रास)	3.96	0.03	3.99
वित्तीय परिणामों की राशि			
लाभ व हानि की मदें			
31.03.2023 को समाप्त वर्ष (विविध रसीदें)	3.92	0.25	4.17
31.03.2023 को समाप्त वर्ष (विविध व्यय)	2.96	(0.16)	2.80
31.03.2023 को समाप्त वर्ष (अमोर्टाइजेशन)	0.14	0.03	0.17

51. वित्तीय अनुपातः

विवरण	न्यूमरेटर	डिनोमिनेटर	31.3.23 को राशि	31.3.23 को राशि
चालू अनुपात (गुणक में)[1]	चालू परिसंपतियां	चालू देयताएं	1.48	0.88
ऋण ईक्विटी अनुपात (गुणक में)[1]	कुल ऋण	शेयरहोल्डर ईक्विटी	0.14	(17.70)
ऋण सर्विस कवरेज अनुपात(गुणक में)[1]	ऋण सर्विस के लिए उपलब्ध अर्जन	डेट सर्विस	13.97	(0.21)
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न(% में)[2]	कर के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरहोल्डर्स इक्विटी	2.47	10.68
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात(गुणक में)[3]	नेट क्रेडिट क्रय	औसत व्यापार प्राप्य	7.73	13.91
शुद्ध लाभ अनुपात(% में)[2]	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	0.44	(0.02)
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (% में)[2]	ब्याज और कर से पूर्व अर्जन	नियोजित पूंजी	1.17	0.13
निवल पूंजी कारोबार अनुपात(गुणक में)[4]	शुद्ध बिक्री	कार्यशील पूंजी	3.30	(19.96)
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात(गुणक में)[4]	नेट केडिट बिक्री	औसत लेखा प्राप्य	8.75	18.19
निवेश पर रिटर्न(% में)[5]	निवेश से आय	समय भारित औसत निवेश	10.60	0.72
इंवेन्ट्री टर्नओवर अनुपात(गुणक में)[4]	बेचे गये या बिके सामान की लागत	औसत इंवेन्ट्री	227.94	298.01

1. देय उधार का पुनर्भगुतान
2. निवेश बिक्री पर लाभ के कारण
3. वर्ष के दौरान खरीद में कमी के कारण
4. वर्ष के दौरान बिक्री में कमी के कारण
5. वर्ष के दौरान सावधि जमा से व्याज आय में कमी के कारण

52. अन्य वैधानिक सूचना–

ए) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

बी) कंपनी का बंद कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है

सी) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक आरओसी के साथ वैधानिक अवधि के बाद पंजीकृत नहीं है

डी) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है

ई) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) को इस सोच के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थः

–प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें उधार दे या

–अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

एफ) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनीः

–प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या किसी भी तरह से पहचान में उधार या निवेश करें या

–अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की अन्य सुविधाएं प्रदान करें

जी) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार कंपनी का ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं है।

एच) कंपनी अधिनियम की धारा 2(87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या के उल्लंघन में नहीं है

आई) कंपनी अधिनियम की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यवस्था की योजना में शामिल नहीं हुई है

जे) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है

53. कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, लघु और दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, अन्य गैर–चालू और चालू संपत्ति के खाते पुष्टि / समाधान और समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। प्रबंधन चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों को प्रभावित करने वाले किसी भी ठोस अंतर की अपेक्षा नहीं करता है।

प्रबंधन की राय में, संपत्ति संयंत्र और उपकरण के अलावा अन्य संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और गैर–चालू निवेश से उस राशि की वसूली की उम्मीद की जाती है जिस पर उन्हें बताया गया है, अगर व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में और सभी ज्ञात देनदारियों के प्रावधान के लिए लेखा पुस्तकों में पर्याप्त रूप से किया गया है।

54. कंपनी ने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में निम्नानुसार कुछ बदलाव किए हैंः

(i) लेखांकन नीति सं. 2.4 i) "माल की बिक्री से राजस्व प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न और भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के शुद्ध मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व को तब शामिल किया जाता है जब कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और ग्राहक उस पर नियंत्रण प्राप्त करता है और यह संभव है कि कंपनी उस प्रतिफल को लेगी जिसके लिए वह सामान के बदले में हकदार है या सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित की जाती हैं" को निम्न से बदल दिया गया हैः

"निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए राजस्व का उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य (परिवर्तनीय प्रतिफल का शुद्ध) की मात्रा पर मापा जाता है। बेची गई वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का लेन–देन मूल्य अनुबंध के हिस्से के रूप में कंपनी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छूटों और योजनाओं के कारण परिवर्तनीय प्रतिफल है।"

(ii) लेखांकन नीति संख्या 2.21 i) "किसी भी सीधे आरोप्य लेनदेन लागत सहित" को एफवीटीपीएल में दर्ज नहीं की गई वित्तीय संपत्तियों के मामले में "प्लस" शब्द जोड़ने के लिए, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण लेनदेन लागत।" से बदल दिया गया है,

(iii) लेखांकन नीति संख्या 2.21 i) सी) "प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लेनदेन लागत" को बदलकर "एफवीटीपीएल में दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए आरोप्य लेनदेन लागत, हालांकि व्यापार प्राप्य है, हालाकि, इसमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है जिसे लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है" कर दिया गया है।"

जैसा कि ऊपर बताया गया है, उपरोक्त परिवर्तनों को छोड़कर कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

55. सार्वजनिक उद्यम विभाग (जीओआई) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार फुल–टाईम निदेशकों को प्रति माह 1,000 किमी तक निजी उपयोग के लिए स्टाफ कारों के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

56. संलग्न लेखा नीतियां तथा नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है ।

57. वित्तीय विवरणों में राशि प्रति शेयर डेटा को छोड़कर और अन्यथा बताए अनुसार करोड़ (दो दशमलव तक) में प्रस्तुत की जाती है। कुछ छोटी राशियाँ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं हो सकती हैं। पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

58. निर्धारित प्रपत्र एओसी–I में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण अनुलग्नक–ए में संलग्न है।

59. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें दिनांक 30.05.2023 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

कृते एम. एल. पुरी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 00002312 एन

(सीए. आर. सी. गुप्ता)
पार्टनर
एमनं. 095584

(अजय कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव
एसीएस–11499

(ज्योति प्रकाश)
अपर महाप्रबंधक(वित्त)

(कपिल कुमार गुप्ता)
निदे ाक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन :08751137

दिनांक : 30.05.2023
सीन : नई दिल्ली

(जे रवि शंकर)
निदेशक(विपणन)
डीआईएन :06961483

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09778990

एओसी–I

सहायक / सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों के प्रमुख विशेषताओं का विवरण

(अधिनियम, 2013 के अनुभाग 129 (3) के अनुसरण में)

भाग ''ए'' : सहायक कंपनी

		(करोड़ रूपये मे)
1	क्र. सं	1
2	सहायक कंपनी का नाम	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
3	संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि नियंत्रक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अंतर हो	लागू नहीं
4	विदेश सहायकों के मामले में संगत वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को विनिमय दर और रिपोर्टिंग मुद्रा	**यूएस डालर विनिमय दर रू. 80.3563 (औसत दर)**
5	शेयर पूंजी	3.14
6	रिजर्व और अधिशेष	42.06
7	कुल परिसंपत्ति	302.81
8	कुल देयता	257.60
9	निवेश	-
10	कारोबार	3,255.63
11	कर पूर्व लाभ	4.74
12	कर के लिए प्रावधान	0.76
13	कर के बाद लाभ	3.98
14	प्रस्तावित लाभांश	लागू नहीं
15	शेयरधारिता का %	100
ए	सहायकों के नाम जिसका परिचालन होना शेष है	लागू नहीं
बी	सहायक कंपनी के नाम जिसका परिसमापन कर दिया गया है या बिक्री कर दिया गया है।	लागू नहीं

एओसी – I भाग ''बी'' : एसोसिएटस् और संयुक्त उद्यम				
				(करोड़ रूपये मे)
सहायक और संयुक्त उद्यमों के नाम	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सिकल लौह अयस्क टर्मिनल लिमिटेड	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
1. अद्यतित लेखापरीक्षित तुलन पत्र दिनांक	31.03.2021	31.3.2023	31.03.2021	31.03.2017**
2. वर्ष के अंत में कंपनी के पास सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यमों के शेयर				
संख्या	5000	17446000	33800000	2987400
सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि	0.01	17.45	33.80	2.99
होल्डिंग % को बढ़ाना	50%	26%	26%	26%
3. विवरण, इसका कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी
4. कारण दें, क्यों सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम समेकित नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नोट (1)
5. अद्यतित परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारक के नेटवर्थ एट्रीट्युबेल	(19.68)	122.32	33.78	1.82
6. वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)				
I समेकित पर विचार	-	30.91	-	-
ii समेकन पर विचार नहीं किया गया	-	-	-	-
ए. एसोसिएट या संयुक्त उपकमों के नाम जिसका परिचालन होना शेष है			शून्य	
बी. सहायक कंपनियों के नाम जिसका परिसमापन कर दिया गया है या बिक्री कर दिया गया है।			शून्य	

* **31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों से वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हैं। वर्ष 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए जेवी कंपनी के लिए अद्यतित लेखापरीक्षित तुलन पत्र। नोट सं. 41 पर विवरण दिए गए हैं।**

** **31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों से वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हैं। वर्ष 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए जेवी कंपनी के लिए अद्यतित लेखापरीक्षित तुलन पत्र। नोट सं. 41 पर विवरण दिए गए हैं।**

भाग– III के अनुसार अतिरिक्त सूचना – समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् कुल परिसंपत्तियों में से देयताएं घटाकर		लाभ अथवा हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी		कुल व्यापक आय में शेयर	
		समेकित निवल परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	समेकित लाभ अथवा हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	समेकित अन्य व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि (करोड़ रू. में
मूल कंपनी									
एमएमटीसी लिमिटेड		89.59	1264.81	68.38	1,068.34	191.30	(4.64)	68.19	1,063.71
सहायक विदेश कंपनी									
1	एमएटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	2.98	42.06	0.25	3.98	(88.58)	2.15	0.39	6.13
2	अनियंत्रित हित	-	-						
संयुक्त उद्यम–भारतीय (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)									
1	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	एमएमटीसी पैम्प इडिया प्रा. लि	7.43	104.88	1.97	30.84	(2.92)	0.07	1.98	30.91
3	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	-	-	29.39	459.11	-	-	29.43	459.11
5	एमएमटीसी गीतांजलि लि	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	100.00	1,411.75	100.00	1,562.27	99.79	(2.42)	100.00	1,559.85

*04.07.2022 को विनिवेशित। विनिवेश आय प्राप्त होने के बाद वर्ष के दौरान इक्विटी निवेश की सीमा तक अनवशोषित घाटे को शामिल किया गया है।

लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने अपने पत्र संख्याः सीए वी/सीओवाई/सेंट्रल गवरमेंट, एमएमटीसी (10) 182 दिनांक 26 अगस्त 2022 के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की सूचना दी है। विवरण नीचे दिया गया हैः–

सांविधिक लेखा परीक्षक	क्षेत्र
एमएल पुरी एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली तथा इसके उप क्षेत्रीय कार्यालय कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली (विदेश कार्यालयों सहित) माइका प्रभाग के कार्यालयों की सभी शाखाओं के लेखों का समेकन व विलय
शाखा लेखा परीक्षक	
एनआरएसएम एंड एसोसिएंट आफिस/कटक	भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र
बथिया एंड एसोसिएंटड एलएलपी मुम्बई	मुबई क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र
सी रामा चन्द्रन एंड के. हैदराबाद	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र
बी थ्यागराजन एंड कं. चेन्नई	चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद गुडुर में माइका प्रभाग
राव एंड श्याम विशाखापटनम	विशाखापटनम क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके उप कार्यालय/वितरण केंद्र

एमएमटीसी कार्यालय

एममएटीसी लिमिटेड, कोर 1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीटयू ानल एरिया, लोदी रोड
नई दिल्ली–110003
टेलीफोन : 91–11–24362200, ईमेल mmtc@mmtclimited.com
वेबसाइट : www.mmtclimted.com

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर क्षेत्र	**दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय** एफ – 8–11, झंडेवालान, फलेटिड फैक्टरी कम्प्लेक्स, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 फोन : 011–23623950, 23623952,23670408 फैक्स : 011–23633175 ईमेल – head_jjc@mmtclimited.com उप क्षे.का. / फी.आ..: जयपुर
दक्षिण क्षेत्र	**चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय** एस्सार हाउस, 6 एस्प्लेनेड, चेन्नई – 600108, तमिलनाडु फोन : 044–25341942 25341938 फैक्स : 044–25340544, 25340317 ईमेल – head_chennai@mmtclimited.com उप क्षे.का. / फी.आ :बेंगलुरू, बन्नीहटटी
	विजाग क्षेत्रीय कार्यालय एमएमटीसी भवन, पोर्ट एरिया, पी.बी. नं. 132, विशाखापट्टनम, 530035 (आंध्र प्रदेश) फोन : 0891–256358, 2562771 फैक्स : 0891–2562611 ईमेल – mmtcvizag@mmtclimited.com
	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय 9–1–76 से 77 / 1बी, तीसरी मंजिल, एसडी रोड, सिकंदराबाद– 500003, फोन : 040–27804033 फैक्स : 040–27804038,27725401 ईमेल – mmtchyd@mmtclimited.com
पूर्वी क्षेत्र	**भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय (उप क्षेत्रीय कार्यालय)** आलोक भारती काम्प्लेक्स, 7वीं मंजिल, साहिद नगर, भुवनेश्वर – 751007, ओडिशा फोन : 0674–2546848, 2518517, 2503336, 2544783, फैक्स : 0674–2546847, 2512832 ईमेल head_bhubaneswar@mmtclimited.com, mmtcbbsr@mmtclimited.com
पश्चिमी क्षेत्र	**मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय** एमएमटीसी हाउस, सी–22–ई ब्लाक, बांद्रा–कुर्ला कम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051, फोनः 022–26572, 437, 26594100, 26573193, 61214500 फैक्स : 022–26572541, 26572807 ईमेलः head_mumbai@mmtclimited.com, mmtcmumbai@mmtclimited.com उप क्षे.का. / फी.आ :अहमदाबाद
प्रोन्नत	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एनेक्सी प्रथम तल, इपीकोल हाउस प्रोजेक्ट जनपथ, भुवनेश्वर –751022 टेलीफोन 0674–2543231, फैक्स –0674–2541763
विदेश	**सिंगापुर** कार्यालय एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 3 रैफल्स प्लेस # 08–01, भरत बिल्डिंग सिंगापुर –048617 टेलीफोनः (65)65385313, फैक्स : (65) 65385316, ईमेल : info@mtpl.com.sg

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कारपोरेट कार्यालय
नई दिल्ली
एम.एम.टी.सी. लिमिटेड की ओर से
कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त)
द्वारा प्रकाशित
कारपोरेट कम्युनिकेशन्स प्रभाग
द्वारा निर्मित एवं मुद्रित

CORPORATE OFFICE
New Delhi
Published by
Kapil Kumar Gupta, (Finance)
on behalf of **MMTC Limited**
Produced & Printed by
Corporate Communications Division

Concept Designed & Printed by Dot Communications And Marketing Pvt. Ltd.